राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक: 6] चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या: 10

सोमवार,

14 मार्च 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार।

प्रश्न काल। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

सीकर सर्किल में कृषि कनेक्शनों की ली जाने वाली अमानत राशि

180. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में घरेलू विद्युत कनेक्शन पर अतिरिक्त भार बढ़ने के नाम से सिक्योरिटी राशि वसूल की जा रही है? यदि हां, तो कितनी तथा किस प्रावधान के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में सामान्य श्रेणी के नये कृषि विद्युत कनेक्शन में सिक्योरिटी राशि लिए जाने के क्या प्रावधान हैं तथा किसानों से नये विद्युत कनेक्शनों के मांग पत्र, नाम परिवर्तन, भार घटाने एवं बढ़ाने व कटे हुए कृषि कनेक्शन जोड़ने बाबत् प्रति हार्स पावर क्या अमानत राशि ली जाती है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) सीकर सर्किल में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से नये कृषि कनेक्शनों के मांग पत्र, नाम परिवर्तन, भार घटाने एवं बढ़ाने व कटे हुए कृषि कनेक्शन जोड़ने की कितनी सिक्योरिटी राशि वसूल की जाती है? क्या अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से निर्धारित सिक्योरिटी राशि से अधिक राशि वसूल की गयी है? यदि हां, तो गत एक वर्ष में कितनी अधिक राशि वसूली गयी? उप खण्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत दो माह की बिलिंग राशि के बराबर सिक्योरिटी राशि लिए जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो सीकर सर्किल में दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 तक कितनी सिक्योरिटी राशि ली गयी? उप खण्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सीकर सर्किल के कृषि उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी राशि अधिक वसूल कर रही है? यदि हां, तो कितनी? अब तक नियमों में अधिक वसूली गयी राशि का उप खण्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री पुष्पेन्द्र सिंह): (1) जी हां। नियमों की प्रति प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। प्रावधान की प्रति प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(3) सिक्योरिटी राशि प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध प्रावधान-अनुसार वसूल की जा रही है। जी नहीं।

(4) जी हां। विवरण प्रपत्र-'ब' पर उपलब्ध है।

(5) जी नहीं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, मंत्रीजी ने जो जवाब भिजवाया है, वह मैंने जो बात पूछी थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें खण्ड-2 में मैंने प्रति एच पी क्या अमानत राशि ली जाती है कृषि कनेक्शनों पर, नाम परिवर्तन पर, भार घटाने पर, बढ़ाने पर, कटे हुए को री-कनेक्ट कराने के लिए, इस बात का जवाब माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में नहीं दिया है। जो प्रपत्र-'अ' बता रहे हैं, वह टर्म्स एण्ड कंडिशंस फोर सप्लाई आफ इलेक्ट्रिसिटी 2004 के एक्ट की कापी है, जिसमें कहीं भी प्रति हार्स पावर क्या है, यह अंकित नहीं है। क्योंकि ये चीजें अंकित होती हैं टैरिफ फोर सप्लाई आफ इलेक्ट्रिसिटी 2015 में, जिसकी कापी माननीय मंत्री महोदय ने मुझे नहीं भिजवायी।

फिर मैंने खण्ड-तीन में पूछा था कि कितनी सिक्योरिटी राशि वसूल की जाती है? उसका भी जवाब नहीं दिया। खण्ड-चार में था कि सीकर में कृषि

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

उपभोक्ताओं से, किसानों से बारह महीने में कितनी अमानता राशि ली गयी? इस बात का भी जवाब नहीं दिया है। तो कृपया ये जवाब तो दे ही दें।

बाकी मेरा जो पहला पूरक प्रश्न है, वह आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं कि जो कृषि कनेक्शन देता है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उसमें सिक्योरिटी राशि का जो प्रावधान है, वह उसमें से 600 रुपये प्रति एच.पी. प्रति माह का प्रावधान है; इन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैंने नियम में देखे हैं। उसमें से 515 रुपये, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार देती है और 85 रुपये उपभोक्ता से लिए जाते हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड इन 600 रुपये के हिसाब से कृषकों से ले रही है, जिसमें 515 रुपये प्रति एच पी प्रति माह राज्य सरकार देती है? क्योंकि अमानत राशि का, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए प्रावधान है कि अगर कोई बिल नहीं देता है, तो दो महीने के बिल के बराबर हम रखते हैं जिससे किसान से वसूल करें और सात दिन में उसका कनेक्शन काटते हैं। केवल इतना प्रावधान, इसीलिए अमानत राशि ली जाती है। क्या 515 पर भी आप ले रहे हों, या केवल 85 रुपये पर अमानत राशि ले रहे हों? यह बात बताने का कष्ट करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है, पहली बात तो हम जो कृषि कनेक्शन देते हैं, उस टाइम जो डिमांड और रिलीज आफ कनेक्शन हम करते हैं, उस टाइम हम फ्लैट रेट, मतलब, 600 रुपये प्रति एच पी सरकार की बिलिंग होती है, हम उस पर फिक्स चार्जेज लेते हैं 15 रुपये प्रति एच पी.। जो आपकी ब्लाक की सप्लाई है, साढ़े छह घंटे, सात घंटे की ब्लाक की सप्लाई है, उस पर हम 15 रुपये पर एच.पी. लेते हैं और जो नान-ब्लाक की सप्लाई है, जिसमें आपके फार्म हाउस कनेक्शन हैं या 24 घंटे सप्लाई, उसमें हम लेते हैं 30 रुपये प्रति एच पी.। इसका फिक्स चार्जेज है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसको हम जिस दिन डिमांड देते हैं, उसको हम जितनी भी एच पी है उसको इंटू-टू करके, मतलब, हम इसको डिमांड राशि के साथ जोड़कर उसकी सिक्योरिटी राशि हम जमा कर लेते हैं।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरी बात का जवाब नहीं आया। मैं यह पूछ रहा हूं, यह कह रहे हैं न कि हम 15 रुपये लेते हैं, मैं यह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कह रहा हूं सीकर जिले में ही नहीं, सब जगह 600 रुपये किसान से सबसे पहले, क्योंकि मीटर तो है नहीं, फिक्स है। तो ये क्या करते हैं कि 15 रुपये के बजाय..., मंत्रीजी ने कहा, मंत्रीजी को अधिकारियों ने गलत जवाब दिया। मंत्रीजी बहुत अच्छे हैं, अच्छा जवाब किसान के हित में भी देना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरियां हैं। अधिकारियों ने इस तरीके से इनको कह दिया कि 15 रुपये के हिसाब से लेते हैं। मैं दावा करता हूं कि सीकर जिले में किसानों से, जो नया कृषि कनेक्शन ले रहे हैं, वह 15 रुपये के हिसाब से नहीं लेकर, 600 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं। एक बात तो यह थोड़ा-सा तसल्ली करके, गैलेरी से कोई पर्ची, वगैरह लेकर आप बताने का कष्ट करें।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो 600 रुपये कृषि कनेक्शन के ले रहे हैं अमानत राशि के रूप में, उसमें से यह बात नहीं बतायी इन्होंने कि क्या 515 रुपये सरकार देती है और 85 रुपये किसान से वसूला जाता है। तो जब किसान से 85 रुपये प्रति एच पी प्रति माह के हिसाब से अमानत राशि का कायदा है, तो उससे फिर 515 जो राज्य सरकार की लायबिलिटी है, किसान की लायबिलिटी नहीं है, उस पर क्यों ले रहे हों? इसका जवाब दो, फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: नो-नो, दूसरा नहीं। इसमें कर लो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चलो, इसमें कर लेता हूं। वह जवाब भी मेरा दें।

एक जवाब यह भी दें कि क्या सीकर और नागौर में आप एक समान रेट ले रहे हैं? सीकर में 600 रुपये के हिसाब से किसान से लिया जा रहा है, नागौर में 150 रुपये के हिसाब से लिया जा रहा है। जबकि कानून यह कहता है कि उपभोक्ता दो माह का जो बिल देगा, उसके हिसाब से आपको अमानत राशि लेनी है। उपभोक्ता केवल 600 रुपये में से 85 रुपये प्रति माह के हिसाब से, यानी 10 एच पी का अगर कनेक्शन हुआ तो उसको केवल 1,700 रुपये देने हैं, उससे 12 हजार रुपये किसान से लिया जा रहा है।

आप किसानों के हितैषी हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि क्या यह सीकर में और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने किसानों से 85 रुपये प्रति एच पी के हिसाब के अलावा जो राशि ली है, क्या उसको आप वापस किसान को देने का मन रखते हैं, या नहीं रखते हैं? नियम विरुद्ध राशि जो वसूल की गयी है, उसको वापस

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

देने का मन रखते हैं क्या, विचार रखती है क्या सरकार? यह पूछना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो जब नया कनेक्शन रिलीज करते हैं, उस समय हम जैसे डोमेस्टिक कनेक्शन है जिसमें हम 100 रुपये प्रति किलोवाट लेते हैं, नान-डोमेस्टिक है तो हम 200 रुपये प्रति किलोवाट लेते हैं और पब्लिक स्ट्रीट लाइट है उस पर 300 रुपये प्रति किलोवाट कनेक्शन हम रिलीज करते हैं। इसके अलावा जो एस आई पी, एम आई पी, एच.टी. कनेक्शन या एग्रीकल्चर कनेक्शन में हम फिक्स चार्जेज लेते हैं। फिक्स चार्जेज का मेरे पास पूरा विवरण है।

जहां तक, आपका टर्म्स एण्ड कंडिशंस आफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, 2004 में क्लीयरकट लिखा हुआ है कि जनरल कैटेगरी के जो कनेक्शन हैं, उसमें 15 रुपये प्रति एच पी हम किसान से सिक्योरिटी राशि लेते हैं और जिसके पास फार्म हाउस कनेक्शन हैं, अदर दैन जनरल कैटेगरी के कनेक्शन हैं, उसमें ड्रिप भी हो सकता है, इसके अलावा फार्म हाउस कनेक्शन भी हो सकता है, उसमें...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, जनरल से 600 रुपये एच पी प्रति माह के हिसाब से ले रहे हैं, वह मैं निवेदन कर रहा हूं और उसमें से 515 रुपये राज्य सरकार अनुदान देती है। उस पर भी ले रहे हैं। इस बात का जवाब दे दीजिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मेरा आपसे निवेदन है कि यह बात आपने मेरे सामने लाई है कि इसको 600 रुपये प्रति हार्स पावर किसानों से लिया जाता है। जब एस आई पी में 60 रुपये प्रति हार्स पावर कनेक्शन देते हैं, या एम आई पी. में जब 70 रुपये प्रति हार्स पावर हम कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी राशि लेते हैं, तो किसानों से हम 600 रुपये कैसे ले सकते हैं? फिर आपने यह बात बताई है तो निश्चित रूप से मैं इस पर पूरा गौर करके, आपने यह बात बताई कि 600 रुपये प्रति हार्स पावर लिया है, तो उसका जो भी पैसा एडिशनल हमारे पास सिक्योरिटी अमाउंट है तो वह वापस किसानों को लौटायेंगे।

दूसरी बात मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अगर हमारे पास एडिशनल सिक्योरिटी जमा है, 500 रुपये से ज्यादा या टेन परसेंट से ज्यादा हमारे पास

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

कोई भी राशि है, तो बाकायदा हम, विद्युत निगम, उसको बैंक इंटरेस्ट पर, जो भी आपके साल का बैंक इंटरेस्ट है, उस बैंक इंटरेस्ट पर किसानों को उसका भुगतान करते हैं।

यह परम्परा, अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे हैं, यह ऐसे बताना चाह रहे है जैसे सिक्योरिटी राशि हमने अभी वसूलनी स्टार्ट की है, पर आप देखिये, 2010-2011 में भी इन्होंने 40 करोड़ रुपये अजमेर डिस्काम ने वसूल किये। उसके बाद 49 करोड़ रुपये आपके 2011-12 में वसूल हुए, 2012-13 में 78.36 करोड़ उसमें वसूल किये और इस साल हमने 73 करोड़ वसूल किये हैं। यह राजस्थान नियामक आयोग के टर्म्स एण्ड कंडिशंस आफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नियम के तहत हमने सिक्योरिटी राशि आम आदमी, जिसको एक बार कनेक्शन देने के बाद में हम एक एवरेज बिल, नेक्स्ट जब हम रिव्यू करते हैं तो उसका एवरेज बिल के दो महीने के हम इसके सिक्योरिटी चार्जेज लेते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह सरकार देती है अनुदान, उस पर नहीं लेंगे न? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनका जवाब नहीं देना अब।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हैं? एक मिनट जवाब दे दीजिए। सरकार जो देती है अनुदान, उस पर नहीं है?

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैंने मना कर दिया। श्री शुभकरण चौधरी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैंने आपको यह कहा कि जब एस.आई.पी. कनेक्शन हम 60 रुपये पर-एच.पी. ले रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप बैठिये। मैं कहूं, तब जवाब दीजिए।

श्री शुभकरण चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से मात्र इतना जानना चाहता हूं कि गांव और ढाणियों में अपन जो कनेक्शन देने की बात कर रहे हैं और गांव-ढाणियों में जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जहां हम लोगों ने अपना सारा सिविल काम कर रखा है और मात्र एक के.वी.ए., दो के.वी.ए., तीन के.वी.ए., पांच के.वी.ए. के ट्रांसफार्मर की अगर कैपेसिटी बढ़ा दी जाए और उससे कई, बीस-बीस, तीस-

(श्री शुभकरण चौधरी)

तीस घर और चार-चार, पांच-पांच ढाणियां लाभान्वित हो सकती हैं। क्या सरकार इस प्रकार का विचार रखती है?

इसी के साथ मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने सिविल लाइबिलिटी का जो एक काला कानून शुरू किया था और कई बार चर्चा भी हुई है कि वी.सी.आर. की गणना जिस फैक्टर से हम करते हैं AxBxCxD, उसकी वेल्यू को क्या सरकार कम करने का विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि वी.सी.आर. जब भरते हैं तो किसान चार महीने की खेती करता है...

श्री अध्यक्ष: वो जवाब दे रहे हैं।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): और जब उसकी वी.सी.आर. भरते हैं तो 12 महीने से गुणा करते हैं। क्या सरकार उसको कम करने का विचार रखती है? इतना-सा जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह क्वेश्चन सिक्योरिटी का है, वी.सी.आर. की ऐसी कोई बात इसमें आयी नहीं है। तो मैं समझता हूं, यह सिक्योरिटी के ऊपर है तो यह सिक्योरिटी के ऊपर ही अपन इस पर बात करें।

श्री अध्यक्ष: मतलब, आपकी तैयारी नहीं है?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हां, सिक्योरिटी की बात चल रही है।

श्री अध्यक्ष: हां, हां, सिक्योरिटी का है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप विजिलेंस की बात कर रहे हैं, विजिलेंस में 12 महीने के चार्जेज की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी के बारे में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री भंवरसिंह।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह जो सिक्योरिटी राशि होती है, जो निर्धारित मांग पत्र दिया जाता है, सभी उपभोक्ता और किसान कनेक्शन के वक्त जमा कराते हैं लेकिन उसके बाद में अभी जोधपुर डिस्काम में भी हर उपभोक्ता के घर तक, चाहे वह किसान है, चाहे औद्योगिक इकाई है, या घरेलू

(श्री भंवरसिंह)
कनेक्शन है, सभी लोगों को यह प्रतिभूति राशि जमा कराने के नोटिस दिये गये हैं। तो इसकी अधिकतम सीमा क्या है?

मैं यह पूछना चाहूंगा कि कृषि कनेक्शनों में बीकानेर जिले में जो यह प्रतिभूति राशि के मांग पत्र दिये गये हैं, इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन किया था कि इसकी संख्या एक हजार से लेकर दो लाख रुपये तक कृषि कनेक्शन, जिसका एक साल का बिल पूरा दो लाख नहीं होता उस किसान के घर में एक लाख 80 हजार, 90 हजार, दो लाख तक के प्रतिभूति राशि जमा कराने के नोटिस निकाले गये हैं। तो क्या यह उचित है कि एक किसान को एक लाख 90 हजार रुपये का प्रतिभूति राशि का मांग पत्र दिया जाए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्वेश्चन पूछें, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य का शायद जवाब मैं दे चुका हूं। जो कनेक्शन हमने रिलीज कर दिया है, उसका हम एवरेज 12 महीने के, मतलब, दो महीने का बिल लेते हैं। जो भी इसके 12 महीने में बिलिंग हुई है, इसको 12 महीने में डिवाइड करके, इसके एवरेज दो महीने के हम इसको बिल सिक्योरिटी के रूप में हम लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आज नया कनेक्शन लिया है तो उसको आज 15 रुपये पर-एच.पी., वह तो है आपके ब्लाक सप्लाई का, और 30 रुपये है अदर दैन ब्लाक सप्लाई के, एग्रीकल्चर कनेक्शन की जो सप्लाई है, उसमें फार्म हाउस कैटेगिरी भी आती है आपके और ड्रिप भी आती है, और भी कोई भी कैटेगिरी आती है, उसमें 30 रुपये लेते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसकी बिलिंग अगर होगी, 12 महीने की जो बिलिंग होगी, बिलिंग से दो महीने हमने उसको सिक्योरिटी...।

फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे आप बताएं। निश्चित रूप से अगर कोई कमी होगी तो इसको हम दूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी पूरे राजस्थान में जो बी.पी.एल. के कनेक्शन हो रहे हैं, उसमें सर्विस-लाइन तक ही प्रोविजन

(श्री नारायण सिंह देवल)

रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में जैसे किसी के एक पोल लगता है, तो उस पर सरकार छूट देने का विचार रखती है क्या?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत अगर वह ढाणी या गांव, जिसमें वह बी.पी.एल. परिवार रह रहा है, अगर वह उस क्राइटेरिया में आ रहा है तो उसमें सर्विस-लाइन कनेक्शन का कोई प्रावधान नहीं; भले एक पोल क्या, चार पोल भी लगें, तो भी उसको कनेक्शन देना है। अगर बी.पी.एल. परिवार उस ढाणी में है, दीनदयाल उपाध्याय ट्वेल्व फेज का जो काम चल रहा है, जालौर में भी चल रहा है, राजस्थान में लगभग 28 जिलों में चल रहा है, उसमें अगर वह ढाणी कवर्ड हो रही है, उस योजना के तहत तो उसमें एक सर्विस लाइन कनेक्शन का कोई प्रावधान नहीं है। उसमें अगर चार खम्भे भी लगेंगे, चार पोल्स भी लगेंगे, तो भी हम उसको कवर करके उसको लाइट देंगे।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री रमेश।

प्रदेश में न्यायालयों से लम्बित प्रकरण वापस लेने की कार्यवाही

181. श्री रमेश (सपोटरा):- क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2015 तक प्रशासनिक अधिकारियों एवं राजनेताओं के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों को वापस लेने हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं? यदि हां, तो कितने प्रकरणों में? संख्या सदन विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस प्रकरण को न्यायालय द्वारा वापस लिए जाने की अनुमति दी गयी एवं किस-किस प्रकरण को न्यायालय द्वारा किन कारणों से वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा जिन प्रकरणों को वापस लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें से कई प्रकरण हत्या, हत्या के प्रयास, हथियार व धोखाधड़ी सहित अन्य अति-गम्भीर धाराओं में दर्ज थे? यदि हां, तो इतने गम्भीर प्रकरणों को वापस लेने में जन हित के/अन्य क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रकरण वापस लेने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति

(श्री रमेश)

बनाने एवं अति-गम्भीर प्रकरणों को इससे बाहर रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): अध्यक्ष महोदय, (1) सरकार द्वारा जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2015 तक दर्ज प्रकरणों को वापस लिए जाने सम्बन्धी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट 'अ')

(2) बिंदु संख्या एक के उत्तर में (परिशिष्ट 'अ') के कालम संख्या-सात में दर्शित है।

(3) हत्या का कोई प्रकरण वापस नहीं लिया गया है।

यहां गलती से यह भारतीय दंड संहिता लिख गया। यह नहीं है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 है। गलती से इसमें लिखा है। सारी। यह गलती से मिस-प्रिंट हो गया।

(4) धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार ही प्रकरण वापस लिए जाते हैं। अन्य कोई नीति प्रस्तावित नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री रमेश (सपोटरा): पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्रीजी को बताना चाहूंगा, पूरक प्रश्न तो तब पूछूंगा, जिस प्रकार अधूरा और असत्य और गृह विभाग के अधिकारियों ने तथ्यों को छिपा कर जो जवाब दिया है, उसके बारे में मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। पहले एक तो स्पष्टीकरण इन्होंने यह कर दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 321 लिखा हुआ है, इसकी जगह धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता होना चाहिए था। तो यह कितने लापरवाह अधिकारी हैं कि प्रश्न का जवाब भेज रहे हैं, सदन को कुछ समझ ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: स्वयं मंत्रीजी ने मन्जूर कर लिया है।

श्री रमेश (सपोटरा): हां, मंत्रीजी ने स्पष्टीकरण कर दिया।

मुझे अभी तक तीन जवाब दिये हैं, विधान सभा अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत। एक जवाब अभी जो दिया था मुझे, कल मिल गया था, उसमें एफ.आई.आर. नम्बर 217/11, थाना मावली, उदयपुर, सरकार बनाम राधेश्याम व अन्य; नाम नहीं लिखा हुआ, पर मेरे पास जो चतुर्थ सत्र में पूछा था, उसमें

(श्री रमेश)

नाम हैं। इसमें धाराएं 302, 147, 148, 149, 323, एस.सी., एस.टी. एक्ट 3 (1) व (10)। इसमें बड़ा गम्भीर अपराध है, हत्या, एस.सी., एस.टी. अत्याचार।

दूसरा मुकदमा है, 235/12, बुहाना, झुन्झुनूं, अशोक कुमार दर्जी व अन्य; धारा 307, 323, 332, 147, 435, 436, 427, 456, 382 और 341, जिसमें हत्या का प्रयास। इतना बड़ा गम्भीर अपराध।

फिर अनन्तपुरा का गौरव शर्मा है, 18/13, इसमें 394, मारपीट के साथ लूट और चोरी का अपराध।

फिर 66/11, हिन्डौन, करौली, हजारी लाल मीणा। इसमें जो धाराएं हैं वे हैं 323, 341, 427, 452, 396, एस.सी., एस.टी. एक्ट। इसमें जो उत्तर दिया है, उसमें 452 और 396 को हटा दिया है; जो लास्ट में मुझे उत्तर आया रात में, उसमें हटा दिया गया है।

इसी तरह 106/11, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, ओमप्रकाश व अन्य। इसमें 147, 504, 452 एस.सी., एस.टी. एक्ट। यह भी गम्भीर अपराध है।

फिर 73/94, ब्यावर सिटी, अजमेर, सुरेन्द्र जैन, 307, 147, 148, 332, 353, 427 । फिर 142/12, कोतवाली अजमेर, राजेन्द्र उर्फ राजू कुमावत, 452, 147, 149, 352, 395 । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो इसमें दिया है मुझे।

फिर जो इन्होंने तथ्य छिपाये हैं, जो मुझे चतुर्थ सत्र में इन्होंने दिया,

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, साहब, वह पहले बता दूं। मैं एक बार ही पूछ लूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल करो।

श्री रमेश (सपोटरा): हां, सवाल यह बता रहा हूं कि एफ.आई.आर. नम्बर 10/2010 अंता थाना, बारां, यशवंत, 302, 143, 341 और 323 । 140/2013, अंता, बारां, यशवंत, 307, 325 और 394 । 36/14, अरथुणा, बांसवाड़ा, संजयगिरी, 307, 326 और 222/14 । शाहपुरा, भीलवाड़ा, इसमें नाम नहीं है, 147, 148, 395 और 354 ...(व्यवधान) सुन लो पहले सारी चीजें।

इस तरह मेरे पास एक लम्बी लिस्ट है। इन्होंने मुझे चतुर्थ सत्र में जो जवाब दिया था, मैंने सूची मांगी थी, उसमें मुझे 390 दर्ज प्रकरण की सूची का उत्तर दिया था। अब मुझे 259 दिये हैं। इन्होंने तथ्यों को छिपाया है।

(श्री रमेश)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, अब मेरा जो प्रश्न है, वह मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं। मैं एक बार में ही दो सवाल पूछ लूं, दोनों का मंत्रीजी जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे, भले आदमी।

श्री रमेश (सपोटरा): आखिर राज्य सरकार ने हत्या, हत्या के प्रयास, लज्जा भंग, एस.सी.-एस.टी. एक्ट, आर्म्स, डकैती, हत्या सहित कई अति गम्भीर अपराधों में दर्ज मुकदमों को कौनसे गुणावगुण के आधार पर निर्धारण कर केसों को वापस लेने की अनुमति दी गई है? सभी 390 प्रकरणों की जानकारी सदन में प्रस्तुत उत्तर में क्यों नहीं दी गई?

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि यदि हत्या और हत्या के प्रयास के प्रकरण वापस लिए जा रहे हैं, तो कल क्या राज्य सरकार आनंदपाल जैसे हार्डकोर अपराधी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर उसके भी प्रकरण समाप्त कर देगी? यह मुझे बतायें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को दंड प्रक्रिया संहिता 321 के तहत केसेज को विथड्रा करने का अधिकार है और विथड्रा करने के लिए कलक्टर, एस पी और ए डी पी की राय लेते हैं और उस राय के आधार पर सरकार अपना मन, मस्तिष्क बनाती है कि इस केस को विथड्रा किया जाये या नहीं। लेकिन इसके बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। यह जाता है कोर्ट में और कोर्ट की स्वीकृति मिल जाने के बाद ही केस विथड्रा होता है। भले ही राज्य सरकार अपनी तरफ से रिकमंड भी कर दे और कोर्ट अगर उसको चाहे, तो नहीं करती है।

अध्यक्ष महोदय, यह इन्होंने जो कुछ बात बोलीं, उसमें कारण यह है कि हमने जो सूची पहले आपको 263 की दी थी, उसमें 4 केस ऐसे थे जो हमने विथड्रा नहीं किये लेकिन टाइपिंग में उसके साथ आ गये। उसके बाद हमने 259 की करेक्ट करके आपको दी। वे 4 केसेज जो आप गम्भीर किस्म के गिना रहे हों, वे केसेज हमने विथड्रा नहीं किये। यह 38/11, आर्म्स एक्ट का थाना बारां का था, विथड्रा नहीं किया। इसी तरह से रायपुर, झालावाड़ का था, 420, 406 का केस था, वह विथड्रा नहीं किया लेकिन वह सूची में लग गया था। मावली का जो केस बता रहे हो 217/11, यह भी विथड्रा नहीं किया गया है, यह 302 का केस था। इसी तरह से जसवंतगढ़, नागौर का जो केस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

है, वह 498-ए का है, यह केस विथड्रा नहीं किया। जो सूची आपको दी थी, जब इस सूची में एक-एक का मैंने देखा तो लगा कि यह केस विथड्रा नहीं है तो विथड्रा की सूची में कैसे डाला हुआ है? इसको हमने करेक्ट करके निकाल दिया। इसलिए ये 4 केस रह गये और 259 केस कुल हुए।

अध्यक्ष महोदय, अब इसमें गम्भीर किस्म के जो अपराध हैं, पालिटिकल जो आंदोलन होते हैं, कई बार उन आंदोलनों में जो धाराएं लगती हैं वे किस प्रकार की गम्भीर धाराएं भी उनमें लग जाती हैं। मान लो, किसी आंदोलन को लेकर के टकराव हो गया, पुलिस पर पथराव हो गया, या और कुछ भी हो गया, तो धाराएं इस प्रकार की संगीन लग जाती हैं। लेकिन मैं आपको यह आश्वस्त कर रहा हूं कि जितने केस विथड्रा किये हैं, वह किसी का व्यक्तिगत केस विथड्रा नहीं किया, एक भी सिंगल। जितने भी पब्लिक आंदोलन हों, चाहे वह बी जे पी के राज का था, चाहे कांग्रेस का, चाहे हिन्दू ने किया, चाहे मुसलमान ने किया, वह सारे केस विथड्रा किये हैं।

यह जो केस आप गिना रहे हो, यह हत्या के प्रयास के जो मुकदमे हमने विथड्रा किये हैं, जो इस सूची में हैं, 259 में, वे 6 प्रकरण हैं। इसमें ब्यावर का है, कोतवाली चूरू का है, अशोक नगर का है, मुहाना है, छोटी सादड़ी का है और गंगापुर का है। यह 307 तो है, लेकिन आंदोलन के अन्दर जो 307 के बने हुए केस थे, उनको हटाया है। आर्म्स एक्ट का भी एक केस है, वह त्रिशूल दीक्षा का है, 93/3, सुलतानपुर, कोटा का है, वह हटाया है। इसी तरह से एस सी-एस टी एक्ट है, जब आंदोलन करते हैं तो यह नहीं पता कि एक्स.ईएन. किस जाति का है, लेकिन एक्स.ईएन. अपनी जाति का फायदा उठाकर के जन आंदोलन में भी एस सी-एस टी एक्ट लगा देता है। उसके कारण से उन केसेज में भी 3 केसेज हटाये हैं, कोतवाली झालावाड़ का, हिण्डौन का और सूरतगढ़ का।

श्री रमेश (सपोटरा): हिण्डौन के केस के बारे में बतायें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उनको हटाया है।

जिस ढंग से आप अपनी बात कर रहे हो, मैं आप पर हमला नहीं करना चाहता हूं लेकिन, राम धर्म से, मेरे केसेज जो विथड्रा हुए हैं, मैं सदन के सब लोगों को चुनौती देता हूं कि एक-एक केस को आप कंसिडर कर लो और देख लो, हमने कोई बदनीयती से एक केस भी हटाया हो तो।

श्री रमेश (सपोटरा): इसमें सदन के सितारे भी हैं। तालियां मत बजाओ। मंत्रीजी, ईमानदारी से जवाब दो, तथ्यों को मत छिपाओ। लज्जा भंग

(श्री रमेश)
कोई कर रहा है स्त्री की, उस केस को आप वापस ले रहे हो। (व्यवधान) हत्या का प्रयास है...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप वापस बोलना चाहे ..।

श्री रमेश (सपोटरा): 395, 96, 420, 120-बी, 379 आर्म्स एक्ट, ये सब लोक हित के मुकदमे हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। रमेशजी, रमेशजी, कृपया बैठिये। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): लोक हित में व्यवस्था बनाये रखने के लिए...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपको कुछ केसेज का पिछली सरकार का नमूना दे रहा हूं, धैर्य से सुन लेना।

श्री रमेश (सपोटरा): आप तो मेरे जो सवाल हैं, उनका जवाब दो पहले। आप तो व्याख्या मत करो। आप तो मेरे सवाल का जवाब दो। अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब दिलवाइये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने आपके हर सवाल का जवाब दिया है।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं दिया है; जवाब नहीं दिया है ...(व्यवधान) तथ्यों को छुपाकर जवाब दे रहे हैं आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): पहले आप सुन लो। उसके बाद आप जो कहना चाहो, उसका भी जवाब दूंगा।

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्रीजी, मेरा आपसे पर्सनली नहीं है। मैं गृह विभाग में जिस प्रकार से अधिकारी तथ्य छिपाकर के आपको कागज दे देते हैं ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, सदन का समय जाया कर रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण सदन का समय है...(व्यवधान) क्वेश्चन का जवाब नहीं देने दे रहे हैं माननीय मंत्रीजी को। यह क्या मतलब है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब सुन लो।

श्री रमेश (सपोटरा): जवाब नहीं दिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): पिछली सरकार में 2009 से लेकर 2013 के बीच में जो केस विथड्रा किये हैं, उसकी सूची तो 614 की है, लेकिन उनमें से मैंने कुछ केस छांटे हैं। इसमें ए सी बी का केस 19/90, वह

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विथड्रा किया है, जो इंडिविजुअल आदमी का था, ए सी बी का केस था। उसके बाद 140/94, यह धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का था। यह भी इन्होंने विथड्रा किया है, दूद का केस है, इंडिविजुअल।

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, मैं मेरा सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दें। मंत्री घुमा क्या रहे हैं यह?

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): यह क्या मामला है? बात तो सुनो। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, जवाब सुनो पहले।

श्री रमेश (सपोटरा): आप घुमाओ-फिराओ मत। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जब हमला अपने पर होता है तो कितना दर्द होता है। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय मंत्री महोदय, सदन में आप सत्य बोलें, सत्य। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): जवाब सुनने का माद्दा रखो। (व्यवधान) आपने प्रश्न रखा है तो जवाब सुनिये। (व्यवधान) आपके प्रश्न का जवाब भी आयेगा। आपके काले कारनामे बाहर आ रहे हैं। अब आप जवाब सुन लो ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बिलकुल असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दूसरा मूव कर लेना। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): छिपा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूव कर लेना। (व्यवधान) अब यहां तो वे चाहेंगे, वह ही जवाब ...(व्यवधान) नहीं, नहीं, विशेषाधिकार मूव करना। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसी सदस्य का जवाब तो पहले दिलवायें।

श्री अध्यक्ष: आ गया वह। वे कह रहे हैं। (व्यवधान) वह कह रहे हैं, दे दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब तो दिलायें। जवाब दे नहीं रहे हैं। ये पूर्व सरकार की बात कर रहे हैं। वर्तमान सरकार ने 2 साल में जितने केस विथड्रा किये हैं, उनके बारे में जो पूछ रहे हैं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सुन नहीं रहे हो क्या आप? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको क्या, रमेशजी, प्रस्ताव करने के लिए आना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने बता दिया, 259 केस विथड्रा किये, हमने हमारी तरफ से, 7 केस वापिस, जज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने वापस हमको लौटाया है। ये केस 4 बांसवाड़ा के हैं, 1 जयपुर में नाहरगढ़ का है, 2 झालावाड़ के हैं। ये 7 केस कोर्ट ने नहीं माने हैं, वापस आ गये।

अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं नमूना बता रहा हूं कि मैंने जितने केस विथड्रा किये हैं, वे पब्लिक एजिटेशन के हैं और आपने जो केस विथड्रा किये हैं ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): कोई काम नहीं किया और सुन लो मेरी बात, आपके जो विधायक हैं, कैलाश चौधरी, कालीचरण सराफ, किरोड़ी लाल, शैतान सिंह, सांवरलाल, किरन माहेश्वरी, चन्द्रकान्ता मेघवाल, राजेन्द्र गुर्जर, फूलसिंह, भवानी सिंह, ये इतने सारे लोगों के केस वापस लिये हैं। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आपके राज में जो एंटी-करप्शन के केस में ट्रैप हुए, ऐसे ट्रैप हुए लोगों को, जिनके ए सी बी में मुकदमे चले, उनको आपने विथड्रा किया है। (व्यवधान) शर्म आनी चाहिए आपको। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बड़ा गम्भीर मामला है। (व्यवधान) सत्त पक्ष के विधायकों के ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): आपको शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान) सदन के विशेषाधिकार हनन का मामला है। अध्यक्ष महोदय, ये सदन में असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां तो आप मूव कर देना ना। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): मैंने जो सवाल किया, उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, आप मूव कर देना विशेषाधिकार। बैठिये। मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपको जो केस बता रहा था...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): केस मत बताइये, मुझे सवालों के जवाब चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सामान्यत: 321 के तहत किसी इंडिविजुअल चाहे वह मेरा हो, चाहे किसी का भी हो, वह नहीं हटाया जा सकता है। वह आपने सीमा से बाहर जाकर के, नियमों की अवहेलना करके किया। उसका मैं आपको नमूना बता रहा हूं।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे हितों की रक्षा कीजिये। (व्यवधान) हम जब सदन में ही कोई सवाल-जवाब नहीं कर सकते। हमारा बड़ी मुश्किल से तो लाटरी में नम्बर में आता है। उसके बाद मंत्रीजी सही जवाब नहीं दे रहे। तथ्यों को छिपाया जा रहा है, अधिकारी गुमराह कर रहे हैं और गृह मंत्री उसको पढ़ रहे हैं। ईमानदारी से, सत्य से जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): जवाब तो दे रहे हैं लेकिन आपकी इच्छा के अनुकूल नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। आप अच्छा या बुरा, जो भी जवाब आ रहा है, उसको सुनने का माद्दा रखो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत। मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं जो बता रहा था इंडिविजुअल केस, ऐसे ही जब छह महीने में सरकार जा रही थी, उस समय आपके जितने नेताओं के व्यक्तिगत केस थे, उनकी भी फेहरिस्त पढ़ रहा हूं थोड़ा धैर्य से सुनिये। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): इसमें है क्या? (व्यवधान) इसमें है क्या? इस जवाब में है क्या? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप सुनिये। बीच-बीच में आप खड़े हो जाते हैं, यह ठीक बात नहीं है। आप बार-बार बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा; आप सत्य नहीं बोल पा रहे। कांग्रेस की बातों को यहां मत घुमाओ। आप सवाल का जवाब दो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपने प्रश्न उठाया है तो उत्तर सुनो। (व्यवधान) आपने प्रश्न उठाया है तो पूरा सुनो। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): अपने लोगों को बचाते हुए, जो वोट छापते हैं आपके लिए, राधेश्याम मावली का, जो मवाली है, ...(व्यवधान) आप यहां असत्य बोल रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अब ऐसा आज दिन तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई चैक डिस्आनर हो जाये, किसी व्यक्ति विशेष का, उस नेता विशेष का नाम अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा।

श्री रमेश (सपोटरा): उसके खिलाफ कार्यवाही करो न आप। आप कार्यवाही करो। कार्यवाही नहीं करने के लिए किसने बोला है? आप सरकार में बैठे हैं, गृह मंत्री हो, अगर किसी ने कोई गलत किया है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते हो? इनको मत सुनाओ। मेरे सवाल का जवाब दो। गृह मंत्रीजी, आप सवाल का जवाब नहीं दे पाये, क्योंकि आप एक मुखौटा बनकर गृह मंत्री बैठे हो। आपकी चलती नहीं है, आपकी सी आई भी नहीं मानता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक चैक अनादरण का केस है 297/08, यह अश्विनी कुमार का है, जिसको इन्होंने विथड्रा किया; 420/467, कोतवाली बांसवाड़ा का प्रभुदयाल, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी का मुकदमा विथड्रा किया है इन्होंने। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): जवाब दिलवाओ सवाल का। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसे ही भंवरू खां, इनके नेता रहे हैं नागौर के, 420/406 का व्यक्तिगत मुकदमा है जिसको विथड्रा किया है इन्होंने। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): इस प्रश्न में है क्या? यह इस प्रश्न में है क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): है। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): बताओ, आप कैसे गृह मंत्री हैं। (व्यवधान) हद हो गई। आपको तो +++ या इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्रीजी, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: +++ यह ड्रोप कर दिया जाये।

श्री रमेश (सपोटरा): इतने सीनियर हो, मैं आपका रेस्पैक्ट करता हूं, पर्सनली मैं आपका आदर करता हूं लेकिन आपसे असत्य बुलवाया जा रहा है। आप जवाब नहीं दे पा रहे हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपको अब दर्द हो रहा है। आपने ऐसी जगह छेड़खानी कर दी और अब सुनने में दर्द हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते, जिन्होंने सूची आपको पेश की है? आप उसको पढ़ रहे हों। आप हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आबकारी का मुकदमा है, मनमोहन है, यह नागौर के हैं, 420/406 का यह विथड्रा किया है। छह महीने में इन्होंने 71 केस विथड्रा किये, लास्ट के छह महीने में। इनके सब नेता हैं उसमें, सब। नाम पढ़ना शुरू करता हूं। (व्यवधान) राम विलास चौधरी, ...(व्यवधान) सुनील बंसल, शशिकांत नन्दवाना, उसके बाद प्रमोद भाया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके रहते हुए माननीय गृह मंत्रीजी सदन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल का जवाब चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): प्रकाश चौधरी, प्रमोद भाया; प्रकाश चौधरी, बड़ी सादड़ी के विधायक, ...(व्यवधान)

श्री सुखाराम (मेड़ता): यह कोई जवाब का तरीका है क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): श्री महावीर मीणा, महावीर मीणा, जिला प्रमुख, कांग्रेस का जिला प्रमुख...

श्री सुखाराम (मेड़ता): यह बी जे पी में चला गया। बी जे पी में है अभी, आज की तारीख में। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): और उसके बाद जितेन्द्र सिंह, पूर्व मंत्री; जितेन्द्र सिंह, पूर्व मंत्री। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ये कालीचरणजी सराफजी बैठे हैं, इनका भी तो बता दो। (व्यवधान) किरण माहेश्वरीजी बैठी हैं। सदन के सितारे हैं ये। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) जिला कांग्रेस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कमेटी बाड़मेर, बलदेव बेनीवाल; रघुवीर मीणा, आपका पूर्व सांसद, रघुवीर मीणा 71 केस हैं; उसके बाद फिर नमोनारायणजी मीणा; दिलीप सिंहजी, कोटा देहात, कांग्रेस जिला अध्यक्ष; महेन्द्र गुर्जर, आपका पूर्व एम एल ए, और उसके बाद मोहम्मद माहिर आजाद, जो स्वर्गीय हो गये हैं, उनका, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, उनका विथड्रा किया। भरतसिंह, जो आपके पूर्व मंत्री थे, उनका विथड्रा किया; (व्यवधान) उसके बाद आपका ...(व्यवधान) नंदवाना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) रामनारायणजी। मतलब, आपके सारे हैं, अश्क अली टाक, अश्क अली टाक; उसके बाद मुरारीलाल मीणा, ...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि हमारे टाइम के ही नाम पढ़ोगे क्या? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): कैलाश त्रिवेदी, पूर्व एम एल ए। (व्यवधान) गजेन्द्र सिंह शक्तावत, माननीय विधायक...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सदन का। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा, उसका जवाब दिलवाइये। उसका जवाब दिलवाइये। यह तो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सदन का, आपके रहते हुए। (व्यवधान) आप जैसे विद्वान के रहते हुए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं गृह मंत्रीजी सदन का। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उसके बाद परसादीलालजी मीणा, पूर्व विधायक; (व्यवधान) डाक्टर चन्द्रभान, अध्यक्ष, कांग्रेस; करणसिंहजी राठौड़, माननीय पूर्व विधायक, छबड़ा; (व्यवधान) यह 71 की छापी है, यह जाते-जाते जिस तरह से करके गये हैं न, जो भी उठाया।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं क्वेश्चन आवर में। बैठो आप। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): समझते तो हो नहीं। किसको छेड़ दिया आपने? (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी सही जवाब नहीं दे पाये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसका फैसला तो जनता करेगी।

श्री रमेश (सपोटरा): अगर ये सत्य बोल रहे हैं तो चर्चा करवा लो इस पर, आपको पता चल जायेगा। किस प्रकार के आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे राज में केस कम हुए। हत्या के प्रयास जैसे मुकदमों को वापस लेकर आप आंकड़े कम करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री और इस सरकार की निंदा करता हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) यह प्रश्न लगाकर आपने अपनों को ही उघाड़ने का प्रयास किया है। हमने कोई व्यक्तिगत केस वापस नहीं लिया है। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): मैं विरोध करता हूं कि सत्य जवाब नहीं दिया गया।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जितनी चाहे उतने घंटे की चर्चा करा दो। मैं आपको निरुत्तर करके छोडूंगा। निरुत्तर करके छोडूंगा। याद रखना आप। (व्यवधान) तो चर्चा कराओ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक प्रक्रिया है केस विथड्रा करने की, यह सरकार भी करती है, वह सरकार भी करती है, नियमों के तहत करती है, और करने के बाद न्यायालय को जाता है। न्यायालय जब उसको स्वीकृति देता है तो वह विथड्रा होता है। मैंने कोई गलत नहीं किया, लेकिन आपने जो इंडिविजुअल केस हटाये, उनके नमूने बताये हैं। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): आपने 406 जैसे अपराधों को वापस लेने की सूची में, कौनसा अपराध लोकहित और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आता है, माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न। शकुंतला रावत। अगला पूरक प्रश्न। शकुंतला रावत। (व्यवधान) अगला पूरक प्रश्न। (व्यवधान) आप पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं न?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, मैं भी गृह विभाग का मंत्री रहा हूं, पालिटिकल नेचर के केस...

श्री अध्यक्ष: मैं भी रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक मिनट, साहब।

श्री अध्यक्षः मैं भी रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पालिटिकल नेचर के जो केसेज होते हैं खास तौर से एजिटेशन, इत्यादि के, ऐसे केसेज ही वापस लिये जाते हैं। आपने स्वयं मंजूर की है यह बात। प्रश्न सिर्फ इतना-सा था कि जहां पर कि माडेस्टी किसी औरत की आउटरेज करने की कोशिश की, क्या ऐसे कोई कैस आपने विथड्रा किये हैं, या नहीं किये हैं। देखिये, वैसे तो यह है कि आफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, आप हम पर हमला कीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यही हो रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने यही कहा आपसे, आफस इज द बेस्ट डिफेंस।

तो मैं आपसे, मंत्रीजी, सिर्फ यह कह रहा हूं कि क्या आप सदन को यह आश्वस्त करेंगे कि जो केसेज आपने विथड्रा किये हैं, खास तौर से यदि पालिटिकल नेचर के हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है, आप हमारे इतने सारे नेताओं के, कार्यकर्ताओं के आपने नाम लिये हैं, वे भी सब पालिटिकल नेचर के थे। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आपने जो केसेज विथड्रा किये, वे धोखाधड़ी के थे, 420 के थे; पालिटिकल नहीं थे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप बैठिये। आपके मंत्रीजी जवाब दें।

श्री अध्यक्षः देंगे। आप बैठिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं यही कह रहा हूं। (व्यवधान) देखिये, आप यह हल्ला मचा के मुझे दबाना चाहें, तो मैं दबने वाला हूं नहीं। (व्यवधान) आप चिंता मत कीजिये। ...(व्यवधान) मैं तो सिर्फ आपसे यह आश्वासन चाहता हूं सदन के अन्दर जैसे आपने हमारे एम पीज के एम एल एज के, ये सब पालिटिकल नेचर के केसेज थे ...(व्यवधान) एक मिनट रूक जाइये। (व्यवधान) नो। मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस प्रकार से जवाब नहीं देने देंगे मंत्रीजी को। यह किस प्रकार का वातावरण बनाना चाह रहे हैं? (व्यवधान) मैं मंत्रीजी से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपके सवाल का जवाब जरूर दिलवाऊंगा। माननीय मंत्रीजी। विराजिये आप, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, मैं उनकी भावना का

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सौ परसेंट सम्मान करता हूं। सरकार चाहे आपकी रही, या हमारी रही, पालिटिकल एजिटेशन के कारण से जो मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया पिछली सरकार ने भी की, हम लोग भी करते हैं। मैंने अभी जो 259 प्रकरण, जो भी हटाये हैं, वह कोई भी ऐसा नहीं था जो किसी पर इंडिविजुअल केस था। किसी न किसी आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। 307 जैसा गम्भीर आरोप भी उन पर लगा, लेकिन किसी एजिटेशन में, जो भी पत्थरबाजी या लाठीचार्ज हो गया, उसके कारण से 307 हो गया; किसी अधिकारी के साथ, मांग को लेकर गये और उसमें अधिकारी शिड्यूल्ड कास्ट था, वह एस सी-एस टी का केस हो गया। वही केस हमने हटाये हैं। आपके भी जो केस हटे हैं 614, उनमें से अधिकांश पालिटिकल आंदोलनों के हटे हैं, लेकिन मैं इसलिए गिना रहा हूं कि आपने उस सीमा से बाहर निकलकर, व्यक्तिगत केस, इंडिविजुअल केस, किसी आंदोलन के कारण हुआ उसमें मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं, नागौर का जो केस भंवरू खानजी का है वह केस 420/406 का इंडिविजुअल केस है जिसको आपने विथड्रा किया। आप यह आश्वस्त रहें कि चाहे कांग्रेस का भी कोई पालिटिकली केस है तो मैंने विथड्रा किया है, इवन किसी भी जाति और बिरादरी का भी है तो उसको भी मैंने विथड्रा किया है, पोलिटिकली जो केस थे, लेकिन मैंने इंडिविजुअल केस, चाहे मेरे किसी मिलने वाले कार्यकर्ता का भी व्यक्तिगत कोई पड़ोसी से झगड़ा हुआ, उस केस को मैंने विथड्रा की श्रेणी में नहीं लिया और नहीं भेजा है। मैं आपको पूर्णत:, जो केसेज मैं पढ़ रहा हूं, वे कुछ नमूने मैंने जान-बूझकर रखे थे।

श्री अध्यक्ष: अब आप आगे नमूने मत बताइये। आप तो जवाब दीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपके माध्यम से, इंडिविजुअल केस जो हटे हैं पिछली सरकार के समय में, वे नहीं हटने चाहिए थे। इससे गलत परिपाटी बनती है, वह अच्छा नहीं है। मैंने जितने 259 केस हटाये हैं, माननीय सदस्य महोदय, आपको मैंने सूची दे रखी है, आप उसका एक-एक का पोस्टमार्टम कर लेना और उसमें आपको कहीं इंटेंशन गलत लगे तो मुझे बता देना।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। शकुन्तलाजी, पूरक प्रश्न करेंगी? पूरक प्रश्न।

श्री रमेश (सपोटरा): आप जवाब नहीं दे पाये। आपसे मैंने पूछा कि इतने गम्भीर अपराध में शामिल लोगों को आपने इस सूची में जोड़ा है और उनको हटाया है।

श्री अध्यक्ष: फूलचन्द भिण्डा। पूरक प्रश्न। आपने बटन तो दबाया था।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अपराधियों के केस विथड्रा किये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप बैठिये। (व्यवधान) आप बैठिये। मैं कह रहा हूं, मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, एक शब्द अंकित नहीं होगा। मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, एक शब्द अंकित नहीं होगा।

फूलचन्दजी भिण्डा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्षजी, माननीय गृह मंत्रीजी से मेरे क्षेत्र की एक समस्या है, उसके बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: सवाल के बारे में है, या इधर-उधर?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इसी से सम्बन्धित है। मेरे यहां थाना है प्रागपुरा, उसकी 29 पंचायतों का मुंसिफ कोर्ट है कोटपूतली में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह क्या है?

श्री अध्यक्ष: नोट रेलेवेंट। यह रेलेवेंट नहीं है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या सरकार इसको शाहपुरा में करने का इरादा रखती है?

श्री अध्यक्ष: यह रेलेवेंट नहीं है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या दिक्कत है इसमें? कोर्ट केसेज पुलिस का ही है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): कोर्ट का ट्रांसफर केसेज के कारण ही करना है।

श्री अध्यक्ष: रेलेवेंट नहीं है।

जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान कुल कितने मुकदमे विथड्रा हुए?

श्री अध्यक्ष: यह सब आपके पास होगा नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक सेकंड। अभी मेरा क्वश्चन पूरा होने दें।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अंतिम छह माह के कार्यकाल के दौरान जो केस विथड्रा किये, जिनकी संख्या आपने बता दी, वह नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन उनमें से...

श्री अध्यक्ष: आप, जोगारामजी, बैठिये। सारा इतना लम्बा-चौड़ा आपने प्रश्न कर लिया, नहीं हो सकता। विराजिए। आपको दे देंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा क्वश्चन यह है।

श्री अध्यक्ष: आपको दे देंगे सूची।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दूसरा यह है कि ऐसे कितने इंडिविजुअल केसेज हैं जो विथड्रा किये हैं व्यक्तिगत 420 के हैं, चैक बाउंस के हैं, धोखाधड़ी के हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार ने विथड्रा किये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: जोगारामजी, बैठिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार का 2009 से 2013 तक का जो कार्यकाल रहा, 614 मुकदमे हटे हैं; अंतिम 6 महीने में 71 मुकदमे हटे हैं। हमने आने के बाद जनवरी, 14 से लेकर दिसम्बर, 15 तक 259 केसेज विथड्रा किये। उनमें 7 केस कोर्ट से वापस न होकर, लौटकर आ गये हैं। हमने किसी भी इंडिविजुअल केस को नहीं हटाया है। इन्होंने इंडिविजुअल केस को भी हटाया है, जिसका विवरण आपके सामने रखा है।

श्री अध्यक्ष: आपका जवाब आ गया।

नेक्स्ट। श्री देवेन्द्र कटारा।

आदिवासी क्षेत्रों के लिए बजट आबंटन की नीति

182. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र (टी एस पी) में वर्तमान में गरीबी बहुत अधिक है तथा दूरदराज क्षेत्र का आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है?

(2) क्या यह भी सही है कि आदिवासी क्षेत्र हेतु आबंटित बजट को बड़ी-बड़ी सड़कों व उच्च जलाशयों, आदि में व्यय कर दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार आदिवासियों के बजट से सम्बन्धित कोई नीति बनाने का

(श्री देवेन्द्र कटारा)

विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री नन्दलाल मीणा): (1) प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र (टी एस पी) में अन्य सामान्य क्षेत्रों की अपेक्षा गरीबी का प्रतिशत अधिक है। दूर-दराज आदिवासी क्षेत्रों में सामान्य क्षेत्रों की तुलना में मूलभूत सुविधाओं का विकास कम है।

(2) यह सही नहीं है कि आदिवासी क्षेत्र हेतु आबंटित बजट को बड़ी-बड़ी सड़कों व उच्च जलाशयों आदि में व्यय कर दिया जाता है। प्रत्येक विभाग द्वारा अपने बजट में उपशीर्ष 796 (मांग संख्या 30) में जनजाति उपयोजना प्रवाह का प्रावधान किया जाता है। इस उपशीर्ष में किए गए प्रावधान के अनुरूप व्यय प्रत्येक विभाग, आयोजना विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शन के अनुरूप करता है। वित्त वर्ष 2015-16 में जनजाति उपयोजना प्रवाह में राज्य योजना का 13.85 प्रतिशत प्रावधान रखा गया है। महाराष्ट्र पैटर्न के बारे में गठित समिति ने गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों का दौरा कर रिपोर्ट दे दी है। अध्ययन प्रतिवेदन के आधार पर समुचित निर्णय हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्र में, दूरदराज क्षेत्रों में, सामान्य क्षेत्र की तुलना में मूलभूत सुविधाओं का विकास कम है, माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है; मैं जानना चाहूंगा कि मूलभूत सुविधाएं सामान्य क्षेत्र के बराबर लाने के लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या योजनाएं एवं प्रावधान किये हैं? मैं जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डूंगरपुर जिले से आते हैं, वहां जनजाति क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र अलग-अलग नहीं हैं, पूरा जिला टी एस पी एरिया में आता है। इसलिए इसमें यह कहना कि सामान्य क्षेत्र में कौन-कौनसे हैं और आदिवासी क्षेत्र में कौन-कौनसे हैं। फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 2015-16 में जनजाति उपयोजना प्रवाह के अंतर्गत कुल खर्चा मांग संख्या-30 के अन्तर्गत जनवरी, 2016 तक 4,566 करोड़ रुपया किया गया है, जिसका प्रतिशत 6.39 होता है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दो।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने जवाब में प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में अन्य सामान्य वर्ग की अपेक्षा गरीबी का प्रतिशत अधिक है, यह जवाब दिया है, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि गरीबी से ऊपर उठाने के लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या प्रावधान किये हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदय।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सन् 2012 में राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के बारे में सर्वे करवाया गया था। जो सर्वे रिपोर्ट आयी है, उसके आधार पर उदयपुर जिले में 39.30 प्रतिशत, डूंगरपुर में 33.56 प्रतिशत, बांसवाड़ा में 44.66 प्रतिशत और प्रतापगढ़ में 51.97 प्रतिशत बी पी एल परिवार पाये गये हैं। इसके आधार पर डूंगरपुर में तुलनात्मक दृष्टि से, ट्राइबल सब-प्लान एरिया के और जिलों के मुकाबले में, डूंगरपुर की स्थिति दूसरे जिलों के मुकाबले में कम है।

जो-जो भी काम के बारे में, बड़ी-बड़ी सड़क, जलाशय बनाने के बारे में माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है, अध्यक्ष महोदय, पिछले बी जे पी के शासन में दो वर्षों में कोई भी बड़ी सड़क ट्राइबल सब-प्लान जिलों में और न बड़े-बड़े जलाशय का निर्माण किया गया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। धनसिंह। आप जवाब दे चुके? आप और बोलेंगे?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): बस, इतना ही।

श्री अध्यक्ष: श्री धनसिंह रावत। पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि टी एस पी क्षेत्र में मांग संख्या-30 के अनुसार महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर जो बजट होता है, क्या यह सम्पूर्ण बजट टी एस पी क्षेत्र में ही खर्च होता है? यह मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-30 के अन्तर्गत महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर टी एस पी एरिया के लिए 13.5 प्रतिशत ईयरमार्क्ड है, जो विभिन्न विभागों द्वारा इस टी एस पी एरिया में खर्च की जानी है। खर्च के साथ-साथ, इसका निर्धारण कौन करेगा, किस मद में, किस उपयोग के लिए, किस प्रयोजन के लिए यह पैसा

(श्री नन्दलाल मीणा)

खर्च किया जाय, यह विभाग अपने-अपने स्तर पर आजकल निर्धारित करते हैं। परन्तु 1975 में, जब आप इस विभाग के मंत्री थे, तब इस मांग संख्या-30 के अन्तर्गत जो-जो भी कार्य करने होते हैं, वे विभाग स्वयं निर्धारित करता था। कालान्तर में किस तरह से विभाग में परिवर्तन आया, अब सम्बन्धित विभाग ही राज्य प्रवाह का 13.64 परसेंट पैसा अपना निर्णय करके करता है, जबकि पहले जनजाति विकास विभाग स्वयं अपने विभाग के लिए निर्धारित करता था। मेरा आपसे निवेदन है कि अब विभाग भविष्य में इस बात का प्रयास करेगा। यह परिवर्तन किस रूप से आया और क्या जो राज्य मद का पैसा निर्धारित है, उस पैसे को विभाग की सहमति से व्यय किया जाता है, विभाग की आवश्यकता के अनुसार व्यय किया जा रहा है, इसके बारे में कहीं कोई राय जनजाति विकास विभाग से नहीं ली जा रही है।

अब मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि इसमें जनजाति विकास विभाग को प्रभावी किया जाए, उससे राय ली जाए और उसकी राय के अनुसार ही, जो पूर्व की तरह निर्णय लिए जा रहे थे, तो भविष्य में भी, इस पर आने वाले बजट के बाद निर्णय लें।

श्री अध्यक्ष: बढ़िया सवाल होगा। महेन्द्रजीत सिंह मालवीया। पूर्व मंत्री हैं आपके विभाग के। पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा, हमारी सदन की नेता और माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पहले बजट में बहुत जोरदार तरीके से कहा था कि जनजाति विकास के लिए 1 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा करती हूं। अब यह तीसरा बजट आ गया है। तो मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या वह 1 हजार करोड़ रुपया मिल गया? मिल गया, तो इन पैसों से किन-किन जिलों में क्या-क्या विकास हुआ? नम्बर एक।

दो एक साथ दे दें। आप बहुत सम्माननीय हैं। मैं आपका बहुत आदर करता हूं।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): नहीं, मैं आपका ज्यादा करता हूं।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): दूसरी बात, हमारे मूल प्रश्नकर्ता देवेन्द्रजी ने पूछा है कि क्या उन पैसों से बड़ी-बड़ी सड़क या जलाशय का निर्माण होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वह एक हजार करोड़ ही नहीं

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

मिला है। इसलिए आप भी यह स्वीकार कर रहे हैं कि गरीबी हमारे उस क्षेत्र में है। जो 13 परसेंट हमको फंड फ्लो मिलना चाहिए टोटल बजट का, वह पैसा कहां जा रहा है? इसका मतलब, यह तय हो गया कि वह बड़ा पैसा बड़ी सड़कों में, बड़े जलाशयों में जा रहा है और सीधा-सीधा उस गरीब को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि उस सम्बन्ध में अपनी जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष: स्थिति स्पष्ट करें।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सत्र में इसी जगह से जनजाति विकास विभाग के मंत्री होने के नाते एक प्रश्न था कि आदिवासी क्षेत्रों में असमान विकास की गति को किस तरह से रोका जाए और उसमें जवाब दिया था। उस वक्त उस कोने में बैठे हुए आदरणीय मंत्री थे। इन्होंने इस विभाग के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग किया, इसका जीता-जागता उदाहरण यह है कि राजस्थान के ट्राइबल सब-प्लान इलाके में आने वाले विधान सभा क्षेत्रों में जो भारत सरकार से पैसा मांग संख्या-30 के अन्तर्गत मिला था, उसका 51 परसेंट इनके विधान सभा क्षेत्र में ही खर्च किया गया। इसलिए आज डूंगरपुर वाले देवेन्द्र जी को यह सवाल पूछना पड़ा कि बड़ी-बड़ी सड़कें और यह भेदभाव क्यों हुआ। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब से वसुंधरा जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी राजस्थान में दो वर्ष से चल रही है, इसमें किसी भी विधान सभा क्षेत्र के साथ राजनैतिक भेदभाव नहीं किया गया है; पिछड़ेपन के आधार पर करने का प्रयास किया है।

श्री अध्यक्ष: हो चुके आपके?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): सर, मैंने जो मूल प्रश्न पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: वह जवाब आपको दे दिया। आप विराजिये।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): मैं एक हजार करोड़ की बात कर रहा हूं कि एक हजार करोड़ का क्या हुआ? एक हजार करोड़ का क्या हुआ?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): 51 परसेंट का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रणधीर सिंहजी भीण्डर।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है, बहुत मुश्किल से और मैं कभी बोलता ही नहीं हूं, सर। कभी-कभी बोलता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी का जवाब ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं कभी बोलता ही नहीं हूं। मेरा एक निवेदन सुनो। क्या, माननीय, आप मुझे कह रहे हो। चार बार आप मंत्री रहे हों, तो आपने काम नहीं किया होगा क्या? वहां आदिवासी नहीं रहते क्या? अगर मौका मिला और वहां मैंने विकास कर दिया तो क्या मैंने अपने घर का विकास कर दिया?

आप तो यह बताइये, यहां सदन के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि पहली बार ऐसा मौका है कि सब आदिवासी जीत गये; मतलब, पहली बार ऐसा मौका आया कि एक रुपया नहीं दिया। एक रुपया नहीं दिया एक हजार करोड़ रुपये में। यह पहला मौका ऐसा आया। इस सरकार का यह पहला मौका ऐसा आया कि एक हजार करोड़ रुपये में से एक रुपया भी नहीं दिया। (व्यवधान) 51 परसेंट मेरे घर पर नहीं गया है, उन गरीब-आदिवासियों के यहां गया है। उस गरीब-आदिवासी के पास गया है। (व्यवधान) आप बैठ जाइये। आपका आदिवासी से कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान) आप बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य मालवीयाजी, बैठिये। स्थान ग्रहण कीजिये। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) यों-यों हो गया। कोई बात नहीं। रणधीर सिंह जी भीण्डर, आप सवाल पूछिये। (व्यवधान)

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं....

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलाओ। एक हजार करोड़ का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: उसके साथ ही दे देंगे वे। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): एक हजार करोड़ कोई कम रुपया नहीं होता। हमारे लिए तो एक हजार करोड़ बहुत होता है। एक हजार करोड़ हमारा गया कहां?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बजट चल रहा है, बजट की समाप्ति के पश्चात् कितना पैसा आबंटित होगा स्टेट गवर्नमेंट से.....

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): यह तीसरा बजट है। फर्स्ट बजट में कहा है तो तीन साल तक एक रुपया क्यों नहीं मिला? वह तीन साल कहां गया? हर साल 31 मार्च को पिछला बजट खतम होता है, हर बार 31 मार्च को पिछला बजट खतम होता है।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): भारत सरकार से क्या आने वाला है....

श्री अध्यक्ष: मालवीयाजी, स्थान ग्रहण करो। हां, भीण्डर साहब।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जो जनजाति क्षेत्र है, उसके साथ जो गांव लगे हुए हैं और जहां पर जनजाति बहुल हैं, उनको माडा में लिया गया है। पिछले दो साल से माडा में हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। इसके लिए कोई बजट है अथवा नहीं है? उसके लिए आप क्या कदम उठायेंगे? यह जो माडा वाले क्षेत्र हैं, ये भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो उनके उन्नयन के लिए आप लोग क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माडा क्षेत्र, माडा क्लस्टर और बिखरी हुई आबादी, इस क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने अपने नार्म्स तय कर रखे हैं कि किन-किन लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं विभाग द्वारा दी जायेंगी, और पैसा भी भारत सरकार से ही आता है। रहा सवाल वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र का, तो आपने न तो कभी मुझे इस बात की आवश्यकता बताई कि यहां पर ये काम होने चाहिए। यह सिर्फ माडा क्षेत्र में जो माडा ब्लाक बनाये हुए हैं, उनमें दस हजार की आबादी में यदि पचास प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या है, तो ही माडा क्षेत्र की योजना उस इलाके में लागू की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कैलाश भंसाली। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। (व्यवधान) मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रश्न का जवाब ही नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): कुछ तो रहम करो। मेरा आदिवासी का प्रश्न है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी तैयारी करके नहीं आते तो हम क्या करें? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। श्री कैलाश भंसाली।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): एक हजार करोड़ रुपये का जवाब तो दो। कम से कम कुछ तो बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि मेरी पार्टी में सबसे ज्यादा आदिवासी जीत गये हैं.....

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): ×××

श्री अध्यक्ष: मालवीयाजी जो बोल रहे हैं, वह अंकित नहीं हो। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय वरिष्ठ विधायक से, कि जवाब आप चाहे जैसा नहीं आ सकता। ये जैसा जवाब चाहें, वैसा नहीं आ सकता। ट्रैजरी बैंचेज जैसा चाहेंगी वैसा जवाब देंगी और अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो दूसरे तरीके हैं। आप इनको बिठाइये। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बिठाइये इनको। श्री कैलाश भंसाली।

प्रदेश में चिकित्सकों को प्रशासनिक कार्यों से मुक्त करने की योजना

183. **श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार चिकित्सकों की कमी को देखते हुए चिकित्सकों को प्रशासनिक कार्यों से मुक्त करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार चिकित्सालयों का ओ.पी.डी. समय प्रात: 08 से सायंकाल 04 बजे तक करने का विचार रखती है?

(श्री कैलाश भंसाली)

(3) क्या सरकार प्रदेश के चिकित्सालयों के ओ.पी.डी. में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ओ.पी.डी. में जी.पी.आर.एस./कैमरा लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो वर्तमान में अस्पतालों के ओ.पी.डी. में कैमरे नहीं लगाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश के चिकित्सालयों में हास्पिटल मैनेजमेंट के विशेषज्ञों का पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मथुरादास माथुर चिकित्सालय की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव के अनुरूप चिकित्सालयों के प्रबन्धन में स्नातक व्यक्तियों को प्रशासनिक पदों पर पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): अध्यक्ष महोदय, (1) वर्तमान में चिकित्सकों को प्रशासनिक कार्यों से मुक्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बन्धित चिकित्सालयों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ओ.पी.डी. में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत संचालित चिकित्सा संस्थानों के ओ.पी.डी. में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है, परन्तु आगामी वित्तीय वर्षों में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

(4) जी हां। योजना प्रक्रियाधीन है।

(5) जी हां। योजना प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक। भंसाली साहब।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): सर, मेरा निवेदन यह है कि सरकार चिकित्सकों की कमी को देखते हुए चिकित्सकों को प्रशासनिक कार्यों से मुक्त करने, चिकित्सक बहुत सारी ड्यूटीज करते हैं और नाम गिनूंगा तो काफी लम्बे नाम हैं, इसलिए वे कार्य इनसे नहीं लिए जाएं, जिससे वे मरीजों को अच्छी तरह से देख सकें। दूसरा, ओ.पी.डी. का समय 8 से 4 करने के लिए मैंने निवेदन किया है, मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि इस पर विचार

(श्री कैलाश भंसाली)

करें, क्योंकि लम्बी लाइनें रहती हैं; जहां रसीद कटती है, टोकन बनता है, वहां से लेकर आधा-आधा किलोमीटर की लाइन रहती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चिकित्सक की प्रबन्धकीय भागीदारिता इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह तकनीकी विभाग है। कई प्रकार के नेशनल प्रोग्राम भी इसमें चलते हैं, कई प्रकार की मौसमी बीमारियां अचानक आ जाती हैं और कई प्रकार के ट्रोमा और एक्सिडेंट...

श्री अध्यक्ष: इसमें सब है।

प्रश्नकाल समाप्त।

(12.00 बजे)

माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप कितने बजे भाषण देना पसंद करेंगे? मुख्य मंत्रीजी पांच बजे उत्तर देंगी। आप चार बजे देंगे, तो ये दो समय निश्चित हैं। चार बजे तक हमारी जो भी कार्यवाही है, वह पूरी हो जायेगी। चार बजे आपसे निवेदन करूंगा। इसके बाद मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं। अंकित नहीं हो। (व्यवधान) मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं। अंकित नहीं हो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं। अंकित नहीं हो।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ उपखण्ड मुख्यालय के टिब्बा क्षेत्र में पानी की मांग कर रहे किसानों पर कथित रूप से लाठीचार्ज करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाये। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पेंशन योजना के तहत जिला बाड़मेर में सैकड़ों पेंशन प्रकरण बकाया होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(3) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की ड्रेस खरीद में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(4) श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोलायत में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री मेवाराम जैन, श्री सुखराम विश्नोई एवं श्री भंवर सिंह को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री भीमा भाई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती द्रोपती, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के गांव कालीबंगा को हेरिटेज सिटी बनाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर राज्य सेवा में चयनित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में हरसौली में पुलिस थाना व बीबीरानी, जोड़िया व मोठूका में स्थायी पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में।

(5) राजकुमारी दियाकुमारी, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में पेयजल योजना को शीघ्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से ए एन एम भर्ती, 2013 के अन्तर्गत चयन से वंचित एन आर एच एम संविदा कर्मचारियों के पदों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7)　श्री शंकर लाल शर्मा, सदस्य की ओर से दौसा शहर के सार्वजनिक मार्गों पर एल ई डी लाइटें लगाकर विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में।

(8)　डा. प्रेम चन्द बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दूदू के स्टेट हाइवे को नेशनल हाइवे बनाने के सम्बन्ध में।

(9)　श्री राजेन्द्र सिंह भादू, सदस्य की ओर से ठेठार-सरदारपुरा खर्था के बीच घग्घर बहाव क्षेत्र में पुल निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।

(10)　श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से गोगामेड़ी से ददरेवा जिला चूरू तक सीधी सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

(11)　श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई के किसानों को अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

(12)　श्रीमती अलका सिंह, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में राजकीय अस्पताल के नवीन भवन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 14 मार्च, 2016 को शून्य काल में बोलने हेतु...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि नियम 295 के प्रस्तावों को आज अगर पढ़ा हुआ मान लिया जाये तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बोलने वालों को थोड़ा टाइम मिल जायेगा और समय पर माननीया मुख्य मंत्रीजी का जवाब आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन मुख्य सचेतक के प्रस्ताव से सहमत है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से तो नम्बर आता है। अगर उसके बाद भी आप बोलने नहीं देंगे, तो काम होंगे कैसे?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के पास तो समय है नहीं। इन्होंने दो घंटा 56 मिनट ले लिए । इसलिए ये तो बोलना चाहते नहीं हैं। इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके पास बहुत समय है। धन-धन कर दिया ना सवा दो साल में।

श्री अध्यक्ष: सदन की राय है कि इन 295 के प्रस्तावों को पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री मेवाराम जैन। (व्यवधान) नहीं, मैं आपको समय नहीं दूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं आपको समय नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

(कार्यवाही के अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलिखित किये गये)

श्री अध्यक्ष : + + +

पर्ची। श्री जयराम जाटव।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये। मैंने जयरामजी जाटव का नाम पुकार लिया है। आप बैठिये। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे।

सारी-सारी। बीच में डिस्टर्ब हो गया। ये पढ़े हुए मान लिए जाएं। उसके बाद पर्ची के नाम लेना मैं भूल गया।

आज दिनांक 14 मार्च, 2016 को शून्य काल में बोलने हेतु 49 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्री जयराम जाटव, विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में;

(2) डा. फूलचन्द भिण्डा, विराटनगर विधान सभा क्षेत्र को धार्मिक पर्यटक सर्किट घोषित किये जाने के सम्बन्ध में;

(3) श्री नन्द किशोर महरिया, फतेहपुर स्थित दो निजी महाविद्यालयों की छात्राओं का परीक्षा केन्द्र तीस किलोमीटर दूर किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में; एवं

(4) मास्टर मामन सिंह यादव, विधान सभा क्षेत्र तिजारा की टपूकड़ा उप-तहसील को क्रमोन्नत कर तहसील बनाने के सम्बन्ध में।

श्री मेवाराम जैन

(अनुपस्थित)

श्री सुखराम।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की पोशाक खरीद में कारित अनियमितताएं

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 में एक आंगनबाड़ी एवं सहायिकाओं के लिए दो साड़ी व एक बैज सरकार की तरफ से खरीदने की व्यवस्था की गयी। दो-तीन साल तक व्यवस्था नियमित रूप से चलती रही। 2014 में 300-300 रुपये साड़ियों के और पच्चीस रुपये बैज के कुल 625 रुपये तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के, सहायिकाओं के खाते में डलवाये गये और खाते में डलवाने के बाद में, वहां के जिला स्तर पर सी डी पी ओ और वहां के अधिकारियों ने दबाव बनाया कि ये जो साड़ी के पैसे डाले गये हैं ये वापस निकालकर के, एक व्यक्तिगत ठेका था, उसके वहां से साड़ियां खरीदने का दबाव डाला गया और उसी के तहत साड़ियां खरीदी गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वे साड़ियां 60-70 रुपये से ज्यादा की नहीं थीं। एक-दो बार पहनने के बाद साड़ियां फट गयी। जब प्रदेश स्तर पर इस बात की शिकायत हुई, तो उस शिकायत की जांच करवायी गयी और जांच में वह शिकायत सही पायी गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पूरे प्रदेश में केवल एक ही जगह की जांच की गयी और वह जांच सही पायी गयी। सही पायी जाने के बाद में पूरे प्रदेश में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपस में कोई बात नहीं करेगा। अपने-अपने स्थान पर जाइये। आप भी बात न करें, जोगारामजी। इधर आइये। ये उधर मुंह करके कौन खड़े हैं? यह तरीका नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैल के अन्दर से माननीय सदस्य गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैल के अन्दर से माननीय सदस्य गये हैं, वैल के अन्दर से। नियमों का ही पता नहीं है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आसन को पीठ दिखा दी।

श्री अध्यक्ष: आप तो बड़े नियमों का पालन करते हैं। आप तो नियमों का पालन करें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जिन गरीब महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को राज्य सरकार की तरफ से साड़ियां दी जा रही थीं, 2011 में

(श्री सुखराम विश्नोई)

स्कीम चालू की और 2014 के अन्दर जाते-जाते जो पैसे जमा कराये उनके खाते में, वह दबाव डालकर के सी डी पी ओ द्वारा, स्थानीय अधिकारियों द्वारा, व्यक्ति विशेष की स्टाल से वे साड़ियां खरीदी गयी। 50-60 रुपये की साड़ी थी। पूरे प्रदेश में शिकायत हुई। शिकायत होने के बाद में माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जगह की जांच की गयी और वह जांच पाजिटिव पायी गयी। पूरे प्रदेश की जांच बंद कर दी गयी। आज दिन तक, उसका असर यह हुआ कि आज की तारीख में पिछले साल भर से उन महिलाओं के, उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खातों में 625 रुपये नहीं डाले जा रहे हैं। भारत सरकार के पैसे हैं। जांच अधर में पड़ी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत जानना चाहता हूं कि किस गांव की जांच की गयी, किस केन्द्र की जांच की गयी? और जांच जब सही पायी गयी, तो अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, उसके बारे स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगी। वर्ष 2014 में माननीया मुख्य मंत्रीजी के निर्देशों पर हमने कार्यकर्ता, सहायिका और आशाएं हैं, उनकी ड्रेस के बदले में हमने उनका पैसा, आपने जैसा कहा, 625 रुपये सभी साठ हजार कार्यकर्ताओं के अकाउंट में जमा कराया, ताकि वे साड़ियां खरीद सकें। यह व्यवस्था चूंकि प्रदेश में पहली बार हुई थी और उस वजह से कार्यकर्ताओं ने नहीं समझा कि यह साड़ी हमें खरीदनी है, या अधिकारियों द्वारा खरीदकर हमें दी जाएगी। तो कुछ जगहों पर, पूरे प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ, आपने इसको करेक्ट नहीं कहा है; कुछ जगहों पर हमें यह शिकायतें प्राप्त हुई कि जो अकाउंट में पैसा जमा हुआ था, उसको कुछ अधिकारियों के द्वारा वापस उनसे निकलवाया गया और वह पैसा इकट्ठा करके, फिर उनके द्वारा साड़ियां परचेज करके उनको दी गई।

जब ये शिकायतें हमारे पास पहुंचीं, कुछ एम एल ए साहब ने

(श्रीमती अनिता भदेल)

शिकायत की और कुछ शिकायतें सीधी भी हमारे पास पहुंचीं, तो हमने पूरे प्रदेश में एक स्ट्रिक्टली सर्कुलर जारी किया कि इस प्रकार का कोई भी आइन्दा काम नहीं करेगा। साथ ही साथ में जिनकी शिकायत हमें प्राप्त हुई, उनकी हमने जांच करायी। जांच कराने के बाद में हमने उस एल एस और सी डी पी ओ को सस्पेंड किया। आज तक भी उनकी कार्यवाही, सस्पेंड होने के बाद कुछ की जांच पूरी हो चुकी है और कुछ की जांच अभी लम्बित है।

यह शिकायत आने के बाद हमने अबकी बार से व्यवस्था को बदला है। प्रदेश स्तर पर खुद ही साड़ियों को परचेज करके अच्छी क्वालिटी की साड़ियां हम दे रहे हैं। अभी हमने पैटर्न को बदला है। चूंकि यह शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, इसलिए, और जहां-जहां से हमें शिकायतें प्राप्त हुईं, वहां-वहां हमने कार्यवाही की है और स्ट्रिक्टली बाकी जगह भी यह कहा है कि इस प्रकार का कृत्य कोई न करे। धन्यवाद।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश का मामला है। एक जगह शिकायत सही पायी गयी। कहां की सही पायी गयी? कौन से सी डी पी ओ को आपने सस्पेंड किया? माननीय मंत्रीजी, स्पष्ट तो करें। कौनसे सी डी पी ओ को आपने सस्पेंड किया? जब एक सी डी पी ओ ने गलती की...

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): मैं बता रही हूं। धौलपुर से हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, बाकायदा पूरे आंगनबाड़ी की वर्कर्स मेरे से मिली थीं, उन्होंने मुझे लिखित में शिकायत दी है। जिन्होंने हमें लिखित में शिकायत दी है, उनकी हमने जांच करायी है और जांच कराने के बाद में वहां ममता यादव है उसको हमने सस्पेंड किया है और वह जस्ट अभी एक महीने पहले ही बहाल हुई है, क्योंकि एक साल पुराना यह काम है और उसकी जांच अभी भी पेंडिंग चल रही है। जहां-जहां और भी, मान लो, हमें कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो हम उसकी भी जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर सिंह।

कोलायत में ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आपदा एवं राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बीकानेर जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत में 11 मार्च 2016, शुक्रवार को दिन में 2 बजे से शुरू होकर शाम तक भारी ओलावृष्टि हुई और उस ओलावृष्टि की वजह

(श्री भंवरसिंह)

से मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत का इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचित जो क्षेत्र है बज्जू का, उसमें माधोगढ़, बीटनोक, बज्जू, मोड़ायत, ग्रान्दी, राववाला, बलूरी, गोकुल, फुलासर, गोड़ी, बीजेरी, गंगापुरा, मोटावतां, खारी चारणान, कोडमदेसर, चारणवाला, गोगड़ियावाला, नारायणसर सहित करीब पचास से भी ज्यादा गांवों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र में जो पकाव पर आयी हुई फसलें थीं, उनमें जीरा, ईसबगोल, मेथी, चना और गेहूं की फसलें अधिकांश किसानों की पचास प्रतिशत से लेकर सौ प्रतिशत तक खराब हो चुकी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि इस ओलावृष्टि की वजह से बीटनोक गांव में सैकड़ों मकान भी गिर गये और सौ से भी ज्यादा मोर और कबूतर घायल हुए हैं और पचास मोर मारे भी गये हैं, जिन्हें वन्य जीव विभाग द्वारा बीकानेर पहुंचाया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि बीकानेर जिले को अभी जो जून-जुलाई की पिछली फसलें थीं, उसमें भी बीकानेर जिले में पूरी तरह से खराबा होने पर भी बीकानेर को वंचित रख दिया गया। हमें आशंका है, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कोलायत विधान सभा क्षेत्र में पूरी तहसील में 6 पटवारी कार्यरत हैं; उपनिवेशन क्षेत्र की तहसील में 5-6 पटवारी हैं, 1-1 पटवारी के पास 5-5 जगह का चार्ज है और पटवारियों ने पहले जो गिरदावरी की, वह भी सही नहीं की।

श्री अध्यक्ष: ध्यान आकर्षित कर दिया आपने।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मेरा आपदा राहत मंत्रीजी से निवेदन रहेगा कि अभी जो ओलावृष्टि से कोलायत में खराबा हुआ है उसका सही आकलन हो जाए और किसानों को मुआवजा मिल जाए।

श्री अध्यक्ष: शकुंतलाजी, आप भी ओलावृष्टि के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? कृपया आप बैठिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): बीमा कम्पनियों के माध्यम से भी, मेरा निवेदन रहेगा कि बीमा कम्पनियों को पाबंद किया जाए कि ओलावृष्टि से प्रभावित कोलायत के किसानों को राहत दी जाए।

श्री अध्यक्ष: कृपया बैठिये आप। आप भी ओलावृष्टि के बारे में कुछ कहना चाहती हैं?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो एक लाइन बोल दूं।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में भी ओलावृष्टि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने उनको एक मिनट दिया है। हां, बोल दीजिए आप। आपने एक मिनट मांगा, एक मिनट तो वैसे ही निकल गया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपके लिए एक लाइन। हम सब जो सदन के सदस्य यहां बैठे हैं, आपका जो पद है वह बहुत गरिमामय है। जैसे भारत देश का समुद्र है जिसमें खारी नदी, मीठी नदी समाती हैं, तो आप शीतल हैं, समुद्र के बराबर।

श्री अध्यक्ष: आप बैठो। आप बैठो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मेरे बानसूर तहसील की ग्राम पंचायत हाजीपुर, सबलपुरा, लेकडी, जयसिंहपुरा, रामपुर आधा है, हदीरा, मेढ़ा, बीसालू, टोड़िया का बास, अणतपुरा, काली पहाड़ी, सीतावाली, पापड़दा, धनवाली, बाड़ाड़ी, काकग की ढाणियों में बहुत ज्यादा ओले गिरे हैं; संपूर्ण रूप से फसल नष्ट हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशानुसार मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन सब की सर्वे करवाई जाये और इन्हें मुआवजा मिले।

श्री अध्यक्ष: बस, बस।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में कल की तारीख में...

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बोल चुके, बैठिये। अंकित नहीं होगा। बार-बार खड़े हो जाते हो। आप बोल चुके हैं, यह बार-बार इजाजत नहीं दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि बानसूर से आने वाली ...

श्री अध्यक्ष: आप भी मेरी इजाजत लेकर बोलिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने अंगुली की थी।

श्री अध्यक्ष: अंगुली कर दी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां।

श्री अध्यक्ष: चलो, फिर मैं इजाजत देता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा समुद्र में बहुत नदियां आती हैं और फिर वह शीतल रहता है। आप में नदियां तो बहुत आईं, पर शीतलता नहीं आई।

श्री अध्यक्ष: शीतलता नहीं आई, बर्फ लेकर आऊंगा कल से।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ओलावृष्टि में ही मेरे जिले का और मेरे विधान सभा क्षेत्र का निवेदन कर रहा था।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है, सारा ओलावृष्टि का आ रहा है।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): हुकुम, मैं वह निवेदन कर देता, मेरे गांव गिना देता।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पिछली दो तारीख से लेकर अब तक लगातार कहीं न कहीं ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हो रहा है। मैंने पहले भी इस सदन को बताया था कि 2 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक तो हमारी गिरदावरी नियमित रूप से जो होती है, वह चल ही रही है, लेकिन इसके बाद भी जहां ओलावृष्टि हुई है, उसके लिए सारे कलक्टर्स को बताया है। अभी आपके बीकानेर जिले की जो प्रारम्भिक सूचना हमारे पास आई है, उसमें 97 गांवों को ओलावृष्टि ने प्रभावित किया है, पर जब तक डिटेल सूचना नहीं आयेगी...। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 33 परसेंट से अधिक खराबा जिस किसान का होगा, उसको आदान अनुदान में मदद करेंगे। कोलायत में अभी प्रारम्भिक सूचना के अनुसार 26 गांव आये हैं, लेकिन यह प्रारम्भिक सूचना है, परफेक्ट नहीं है। गिरदावरी से परफेक्ट रिपोर्ट आने के बाद, 33 से अधिक अगर इंडिविजुअल किसान का खराबा है तो हम उसको कम्पन्सैट करेंगे, 50 परसेन्ट से अधिक किसी गांव का खराबा है तो उसमें हम राहत कार्य को प्रारम्भ करके, बिजली के बिलों को माफ करना, बाकी जो सुविधाएं दी जाती है, लेकिन यह सारा परफैक्ट 20 तारीख तक, सारे राजस्थान की सूचना आने के बाद ही, फिर हम अधिकृत रूप से किस जगह क्या काम करेंगे, और देंगे।

मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को, चाहे वे बाड़मेर वाले न बोल पाये, उनके यहां भी कल रात को ओलावृष्टि हुई है, बाकी जहां भी हुई है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सब जगह का जवाब दे दिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इंडिविजुअल नाम लेने की जरूरत

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नहीं है। राजस्थान के किसी भी गांव में हुई है, उन सारे गांवों की सूचना मंगा कर, जिस खराबे के आधार पर सरकार जो मदद कर सकती है, 100 परसेंट हम मदद करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्षः 295 पढ़े हुए माने गये।

पर्ची के माध्यम से जयराम जाटव।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अलवर ग्रामीण में पेयजल की समस्या

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय अध्यक्षजी, मेरे अलवर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीणों के पीने के पानी की व्यवस्था जिसमें जनता जल योजना, राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल योजना और तीसरी सेक्टर रिफोर्म योजना थी...

(12.24 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल योजना 2011, 2012 और 2013 में गत कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के नेताओं ने राजीव गांधी के नाम से ग्रामीणों को जो पेयजल योजना दी, उसमें यह तय नहीं किया गया कि इस पीने के पानी की योजना को कौन चलायेगा, इसका बिजली का बिल कौन भरेगा, इसका रखरखाव कौन करेगा, इसका मेंटीनेंस कौन करेगा। इसी तरह सेक्टर रिफोर्म योजना में ग्रामीणों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी, उसका भी यही हाल था। पिछले वर्ष 2015-16 का जो बजट सत्र था उसमें लगभग 100 करोड़ रुपया इन योजनाओं के लिए, जनता जल योजनाओं के रखरखाव के लिए दिया गया, लेकिन राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल योजना और सेक्टर रिफोर्म योजना को छोड़ दिया गया। बीच में ऐसा भी हुआ कि इन तीनों योजनाओं को ग्राम पंचायतों को सुपुर्द कर दिया गया। आज इन सारी योजनाओं में जो उनका बिजली का बिल है, वह कहीं 10 लाख बकाया है, कहीं 15 लाख बकाया है, कहीं 20 लाख बकाया है और ग्राम पंचायतें उन बिजली के बिलों को जमा कराने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए गांव के लोगों को पीने के पानी की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनके बिजली के कनेक्शन काट दिये जा रहे हैं, या कट जायेंगे।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना

(श्री जयराम जाटव)

चाहता हूं, हमारी जो पी एच ई डी मंत्री हैं, हमारे अलवर जिले के जितने विधायक हैं, पीने के पानी के लिए चम्बल के पानी की बात तो बहुत समय से उठाई जा रही है, कई बार यमुना के पानी की बात उठाई जा रही है, अलवर जिले में पीने के पानी का संकट गहरा गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो 100 करोड़ रुपये दिये गये हैं, मेरे अलवर ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 50 स्कीमें ऐसी हैं जो बिलकुल बंद पड़ी हैं, जिनके बोरिंग सूख गये, जिनकी पाइप लाइनें चौक हैं, उनकी पाइप लाइन टूट गई। गांव के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायतों को हैंडओवर कर दी, टी एफ सी का और ई एफ सी का जो पैसा उनके पास होता है, उनके विकास के लिए, उनकी सफाई के लिए, नालियों के लिए दिया जाता है। ग्राम पंचायत के सरपंच बिजली के बिल कैसे जमा करायेंगे। आप यह तय करें कि ये तीनों योजनाएं, अभी जो सर्वे हुआ उस सर्वे में जनता जल योजना के बिलों को भरने के लिए तो ग्राम पंचायत के सरपंचों को पंचायत समिति के बी डी ओ ने तय कर दिया, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कह दिया। हमारे प्रभारी मंत्रीजी के सामने कई बार मीटिंग हुई, लेकिन हमारी जो दो योजनाएं हैं, सैक्टर रिफोर्म और राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल योजना, कांग्रेस के लोगों ने तो केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुश करने के लिए 2011-12-13 और 2014 में जो राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल योजना बनाई गई, उनका कोई पता नहीं था कि इनको कौन चलायेगा। स्कीमों को खोद कर, ग्रामीणों को सुपुर्द करके, बंद कर दिया गया। पिछले दो साल में उनके बिजली के कनेक्शन कराये लेकिन कनेक्शन कराने के बाद उनकी व्यवस्था कौन देख रहा है? हमको तकलीफ है।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में मैं अलवर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र का विधायक हूं। हमारा जिला एन सी आर में आता है। अलवर शहर के लिए 200 करोड़ रुपये की पेयजल की स्कीम एन सी आर के द्वारा बनवाई जाती है। मेरे अलवर ग्रामीण के 84 गांव पेरिफेरी क्षेत्र में आते हैं। क्या 84 गांवों के लोगों की जमीन नगर विकास न्यास में चली गई? उनके पीने के पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? यह भेदभाव नहीं चल पायेगा। गांव के लोगों की जमीन चाहे शहर में चली गई, यू आई टी में ले ली गई। आज भी 84 गांवों को सड़क, पानी, बिजली से वंचित किया जा रहा है। यह भेदभाव की व्यवस्था है।

(श्री जयराम जाटव)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि अलवर जिले में जितनी भी पीने के पानी की योजनाएं हैं, चाहे वह पी एच ई डी की जनता जल योजना हो, चाहे वह सैक्टर रिफोर्म है, अलवर जिले के सारे विधायकों के साथ-साथ मेरा भी निवेदन है कि यमुना का पानी बहकर जो बाढ़ के रूप में चला जाता है, जब तक डी पी आर बनाकर अलवर में पानी नहीं लाया जायेगा, चाहे चम्बल का पानी लाया जाये, चाहे यमुना का पानी लाया जाये, तब तक अलवर जिले में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं बैठ पायेगी।

मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे जो 84 गांव बच गये हैं, एन सी आर की पीने के पानी की जो 200 करोड़ की योजना बनाई गई है, उसमें अलवर ग्रामीण के 84 गांवों को माननीय मंत्रीजी मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि 84 गांवों को जोड़ा जाए और जब तक यह व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक अलवर जिले का भला नहीं हो सकता। हम कितनी सड़कें दे दें, स्कूल दे दें, पीने के पानी की किल्लत बहुत बड़ा कहर, आने वाले इस मई-जून के महीने में स्थिति खराब होने वाली है और यह भी तय कर लें कि तीनों योजनाओं को जो ग्रामीणों को, ग्राम पंचायतों को जो हैंडओवर की हैं, वे बिजली का बिल कहां से, कब, किस योजना के द्वारा जमा करायेंगे, जिससे यह व्यवस्था बैठ सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से अलवर ग्रामीण से आए हुए माननीय सदस्यजी को मैं यह आश्वस्त करना चाहती हूं कि राजस्थान सरकार में हम सभी पेयजल को लेकर पूरी तरीके से चिंतित हैं और योजनाएं भी बन रही हैं। माननीय विधायकजी के क्षेत्र के अन्दर कुल 195 गांव हैं और उन 195 गांवों में से 23 में पाइप स्कीम हैं, 64 में पम्प और टैंक स्कीम हैं और 106 में हैंडपम्प जल से वे लाभान्वित हैं। इसके अलावा, जनता जल योजना में आठ जनता जल योजनाएं अभी हाल ही में हमने स्वीकृत कीं, लगभग 1 करोड़ 17 लाख की स्वीकृति उन्हें मिली है; पम्प सेट बदलने में 1 करोड़ के करीब पम्प सैट देवली में बदले गये। उमरेन पंचायत समिति में जो पम्प व फीडर बदलाव किया, वह, सारी देवली के अन्दर 95 लाख, मतलब एक करोड़ हो गया, मतलब 0.95 ।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): ग्रामीण का?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ग्रामीण है। मैं ग्रामीण की ही बात कर रही हूं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इसके अलावा, आपने अभी जो कहा, सेक्टर रिफार्म की योजना, सेक्टर रिफार्म की योजना यह भारत सरकार के द्वारा 2010-11 के अन्दर बंद कर दी गई।

जनता जल योजना का जहां तक सवाल है, 2011 में जब पूर्ववर्ती सरकार थी, आपको अच्छी तरीके से पता है, उस समय यह जनता जल योजना तब तक पी.एच.ई.डी. द्वारा ही संचालित की जाती थी, लेकिन उसके बाद में 2011 में एक निर्णय के बाद उस योजना को ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया । अब यह योजना ग्राम पंचायत के द्वारा ही संचालित की जा रही है, ग्राम पंचायत के द्वारा ही इसका बिजली का बिल जमा किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने पिछले बजट में लगभग 129 करोड़ रुपये जनता जल योजना के आग्मेंटेशन के लिए रखे और इससे काफी योजनाएं, जनता जल योजनाएं जो हमारी चल रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर, जो छोटे-छोटे बजट की वजह से योजनाएं खराब हो गई थीं, बंद पड़ गई थीं, तो उन सब को फिर से हमने आग्मेंट करके शुरू किया है। कहीं कुआं गहरा कराया है, कहीं पाइपलाइन रिपेयर कराई है, कहीं पर हम लोगों ने नये क्षेत्र को जोड़ा है उस जनता जल योजना में। तो इस तरीके के काफी वृहत् स्तर पर काम चल रहे हैं। वह 129 करोड़ पिछले बजट हुआ और वर्तमान में 2016-17 के बजट में भी 100 करोड़ रुपये जनता जल योजना के आग्मेंटेशन के लिए रखे हैं, लेकिन उसमें एक ही शर्त है कि जनता जल योजना के बिजली के बिल अगर कहीं बकाया नहीं हैं, तो वहां पर हम जनता जल योजना के आग्मेंटेशन के काम कर रहे हैं।

जहां तक सवाल है बिजली के बिल को जमा करने का, जिस तरीके से माननीय सदस्य ने कहा अभी कि बहुत कठिन है, ग्राम पंचायत बिजली का बिल अपने टी.एफ.सी. और एस.एफ.सी. के पैसे कैसे अपना कर सकते हैं, तो इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि यह पूर्ववर्ती सरकार का निर्णय था कि बिजली का बिल ग्राम पंचायत को जमा करना है, लेकिन मैं आज इस सदन में यह जरूर कह सकती हूं कि विचाराधीन है यह मामला, माननीया मुख्य मंत्रीजी भी इस बारे में चिंता कर रही हैं कि हम लोग यह बिजली का बिल जो है, वो किस तरीके से उसे कम कर सकते हैं। उसका अभी वर्तमान में जो कामर्शियल रेट है, उस कामर्शियल से हम कोई और एक रेट निर्धारित करें तो वे कर सकते हैं, या फिर इस बिजली के बिल को ग्राम पंचायत के ऊपर न

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आकर और 14 टी.एफ.सी. के माध्यम से जो पैसा राज्य सरकार को मिलता है उसी के माध्यम से उसे दिया जाए। तो इन दोनों चीजों पर चर्चा विचाराधीन है यह मामला।

जो माननीय सदस्य ने यहां पर अपने ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर पेयजल के लिए जो 84 गांव की योजना के बारे इन्होंने कहा, वह 84 गांव की योजना इनकी विचाराधीन है। बजट की उपलब्धता के ऊपर हम इसे स्वीकृत करेंगे।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): वे स्कीमें, सेक्टर रिफार्म बंद नहीं हुईं। वे स्कीमें बंद नहीं हुई सेक्टर रिफार्म। ग्राम पंचायतों को हैंडआवर हैं। ये तीनों योजना आपकी, जनता जल योजना, सेक्टर रिफार्म और राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल, ये तीनों स्कीमें ग्राम पंचायत के पास हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अब नहीं है। अब कोई नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप जानकारी करा लीजिए, तीनों ग्राम पंचायतों को हैंडओवर कर रखी हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल योजना नाम पर कोई भी नहीं है। एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. है, जो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है, उसके नाम पर है। इसलिए एक तो जो नाम आप कह रहे हैं वो अलग नाम कह रहे हैं। इस नाम की कोई स्कीम यहां पर नहीं है।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): हां हां।

विराटनगर को धार्मिक पर्यटक सर्किट घोषित किया जाना

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्षजी, आप तो विराटनगर से विधायक रहे हैं। विराटनगर महाभारत कालीन, पौराणिक, गुप्तकालीन, बुद्धकालीन, सभी विरासतों को लिये हुए है। वहां पर चार धर्म स्थल हैं चारों धर्मों के, जो प्रमुख हैं, उनमें बौद्ध स्तूप भी हैं, दोनों जैन नसियां हैं, दिगम्बर भी और श्वेताम्बर भी। मुगल गेट भी है; पाण्डुकालीन गणेश गिरी मंदिर भी है, हनुमान मंदिर भी है, मत्स्य राज्य की राजधानी का जो केन्द्र था विराट नगर, उसकी टकसाल भी है। इतना ही नहीं, अखंड भारत में जो 52 शक्ति पीठ थे, उनमें से 2 शक्ति पीठ राजस्थान में हैं, एक पुष्कर में और एक विराटनगर में। अम्बिका माता का स्थान भी वहां है। अभी पिछले वर्ष 2015 में कैलाश सत्यार्थी को जो नोबल प्राइज मिला, उसका प्रयोग केन्द्र

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

बालाश्रम भी वहां है। आजादी के 67 साल बाद भी अभी तक न तो अम्बिका माता का मंदिर सड़क से जुड़ा हुआ है, न भीम की डूंगरी गणेश गिरी मंदिर से जुड़ी हुई है; न भटोर का भैरू जुड़ा हुआ है, न हनुमान मंदिर और जैन नसियां आपस में जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार की स्थिति है। तो ऐसा राजस्थान में एक ही स्थान है विराटनगर, जो पौराणिक भी है, जो मुगल-कालीन भी है, जो बौद्धकालीन भी है, लेकिन उसका विकास अभी तक नहीं हुआ और। भी आस्था लेकर 52 शक्ति पीठ का दर्शन करने जाते हैं, ऐसे कई लोग बंगाल से भी, असम से भी, दक्षिण से भी ढूंढते-ढूंढते आते हैं, रास्ता भी बना हुआ नहीं है।

इस कारण से मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा फैला हुआ क्षेत्र नहीं है, राजस्थान में सारे सिटीज का अगर आकलन करें तो 1,100 वर्षों से पुराना कोई शहर नहीं है, लेकिन विराटनगर पौराणिक काल का है और पाण्डवों का अज्ञातवास वहां हुआ। इस कारण से आजू-बाजू में जैसे वहां से आठ किलोमीटर पर जहां अर्जुन ने बाण लगाकर के गंगा प्रवाहित की थी, वह स्थान भी आठ किलोमीटर पर है। जहां पाण्डवों का पीछा किया गया कौरवों के द्वारा, तो उसको छिपते हुए जो निकले, वह पांडुपोल भी वहां हैं, राजा भर्तृहरि, जो आज तो हम तो कुर्सी के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं, जिन्होंने बार-बार गुरु को कहा, भर्तृहरि महाराज ने, कि मुझे सन्यासी बनने का मन नहीं करता, वह उनकी गुफा भी वहां है, उनका संन्यास स्थल भी वहां है। (व्यवधान) मैं तैयार हूं। वहां से पच्चीस किलोमीटर पर त्रिवेणी धाम है जहां विश्व की सबसे बड़ी यज्ञ शाला है, जो कंकरीट सीमेंट की बनी हुई है। चार खम्भों पर, 140×140 की, वह भी वहीं है। नील का धाम वहां है। उससे थोड़े ही दूरी पर फिर खाटूश्यामजी हैं।

इस प्रकार का एक ऐसा सर्किल है, दिल्ली के नजदीक है। विराटनगर एन.सी.आर. में भी आता है, 200 किलोमीटर के एरिया में है। एन.सी.आर. में वह जो जुड़ा हुआ नहीं है।

इस कारण मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसी सत्र में, अभी इसी बजट में, 12 जो संत थे उनके 12 धार्मिक स्थलों की घोषणा की गई है, लेकिन विराटनगर का नहीं है। पिछले वर्ष भी मैंने निवेदन किया था सदन के माध्यम से, लेकिन इस वर्ष नहीं है। तो आपके माध्यम से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि विराटनगर को धार्मिक सर्किट, पर्यटक सर्किट घोषित किया जाए। अब एक और सुविधा हो गई है, पहले स्टेट

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

हाइवे था, अब विराटनगर नेशनल हाइवे पर आ गया है, 248-ए नंबर का हाइवे भी घोषित हो गया है, उसके लिए राशि भी, और फोर लेन भी घोषित हो गया है। इस कारण से दिल्ली से आने वाले पर्यटक, अलवर से आने वाले पर्यटक, जयपुर से जाने वाले पर्यटकों के लिए भी सुविधा का स्थान हो गया है।

इस कारण से इसको धार्मिक पर्यटक स्थल घोषित किया जाए और इसका विकास किया जाए।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विराटनगर क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन सर्किट किए जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पर्यटन विभाग में किसी भी स्थल विशेष या पर्यटक स्थल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: ही पर्यटन स्थल बन जाते हैं।

विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पर्यटन विकास कार्य करवाये गये हैं। वर्ष 2004-05 में 11.50 लाख के कार्य कराये गये हैं। वर्ष 2004-05 में ही केन्द्र सरकार की सी एस एस योजना में बौद्ध स्तूप के आस-पास 17.31 लाख रुपये के पर्यटन विकास कार्य कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा सी एस एस योजना के तहत 570 लाख रुपये की मत्स्य सर्किट योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें विराटनगर क्षेत्र में मुगल गेट हेतु 33.67 लाख तथा भीम की डूंगरी हेतु 33.71 लाख के कार्य शामिल हैं। इस प्रकार कुल 67.38 लाख के स्वीकृत कार्य, 41.88 लाख रुपये का व्यय हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नंद किशोर महरिया।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपस में सारे सर्किट नहीं जुड़े हुए हैं। सड़क बिलकुल नहीं है, सारे के सारे कच्चे रास्ते हैं। इस कारण से, पर्यटक जाएगा; यह केवल कुछ उन्हीं को व्यवस्थित करने के लिए मैंने, उत्तम सड़क नहीं है, तो पर्यटक कैसे आएगा। उत्तम विश्राम स्थल नहीं हैं, तो पर्यटक कैसे आएंगे? यह सब बातें मैंने निवेदन की हैं। मैं आपके माध्यम से पुन: यह चाहता हूं कि उसको प्रस्ताव में शामिल करें।

फतेहपुर स्थित निजी महाविद्यालयों की छात्राओं के परीक्षा केन्द्र की अत्यधिक दूरी

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मेरे फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के फतेहपुर उप खण्ड में हर साल करीब 7 हजार विद्यार्थी ट्वेल्व्थ पास करते हैं। वहां अब तक कोई सरकारी कालेज नहीं है। पूरे उप खण्ड में कालेज नहीं होने से कई बार मांग की गई है। हर बार यही जवाब आता है कि वहां पर प्राइवेट कालेज है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये प्राइवेट कालेज वहीं होते हैं जहां छात्रों की, छात्राओं की संख्या बहुत अधिक होती है। वे लोग तो सिर्फ वहीं कालेज खोलते हैं।

हमारे यहां एक फसली क्षेत्र है, बहुत ही गरीब क्षेत्र है। उस वजह से लगभग 60 प्रतिशत बच्चों की पढ़ाई ट्वेल्व्थ के बाद इसलिए छूट जाती है कि वे प्राइवेट कालेज की फीस जमा नहीं करा सकते। बड़ी मुश्किल से जो प्राइवेट कालेज में एडमीशन लेते हैं उनकी जो स्थिति बनी हुई वह भी बड़ी दयनीय है।

करीब 1,400 छात्राएं फतेहपुर क्षेत्र की, अलग-अलग गांवों की रहने वाली, जो फतेहपुर में प्राइवेट कालेज में पढ़ती हैं, उनको परीक्षा का केन्द्र करीब 30-40 किलोमीटर दूर लक्ष्मणगढ़ में गस्सुग्राम में दे दिया गया है। रात भर बच्ची परीक्षा की तैयारी करती है, उसको सुबह चार साधन बदलकर, अपने गांव से फतेहपुर, वहां से लक्ष्मणगढ़, वहां से गस्सु जाना पड़ता है। ऐसा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अपने यहां नहीं है जो सुबठ साढ़े छह बजे उनको परीक्षा केन्द्र तक पहुंचा दे। बार-बार सरकार से व यूनिवर्सिटी से रिकवेस्ट की गई है कि केन्द्र फतेहपुर में ही रख दिय जाए। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी भी इस बात से भली तरह वाकिफ हैं। जो दो प्राइवेट कालेज हमारे यहां हैं, वे बहुत ही प्रतिष्ठित और पुराने हैं। प्राइवेट कालेजों में आपस में कम्पीटिशन भी रहता है। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए यह कह रहा है कि वे आपस में नकल कर लेंगे, यह कर लेंगे, वह कर लेंगे। तो यह व्यवस्था यूनिवर्सिटी प्रशासन की है। उन 1,400 निर्दोष बच्चियों का दोष नहीं है, उनमें अगर 10-20 खराब भी हैं और उनकी नकल आप नहीं रोक सकते, तो 1,400 परिवारों को सुबह से शाम तक वहां परीक्षा के लिए 30-40 किलोमीटर दूर भटकना पड़ रहा है।

माननीय मंत्रीजी को मैंने पर्सनली भी निवेदन किया था। अभी कल-परसों ही पेपर में देखा था, 12 केन्द्र आपने प्रदेश में, यूनिवर्सिटी ने, अपनी मर्जी से चेंज भी किये हैं। मेरा एक बार फिर निवेदन है कि उन 1,400

(श्री नन्दकिशोर महरिया)
लड़कियों को ध्यान में रखते हुए, बहुत ही ज्यादा परेशानी है, इसलिए आपके माध्यम से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि परीक्षा केन्द्र फतेहपुर में ही रखा जाए। साथ ही हमारे मण्डावा का मुकुंदगढ़ रख दिया, और भी कई जगह इस तरह की समस्याएं हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान देकर इसका सुलटावा कराएं। धन्यवाद।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। नकल जैसी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने के लिए एक नीति का निर्धारण किया है। उसमें दो-तीन बातें उन्होंने तय की हैं। एक तो निजी महाविद्यालय का परीक्षा केन्द्र उसी के स्वयं के महाविद्यालय में नहीं होगा। दूसरा, महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक नहीं होंगे, एक दूसरे के कालेज में नहीं होंगे।

अब वहां प्रोब्लम क्या है कि तीन महाविद्यालय हैं। एक चमड़िया महाविद्यालय, उसका तो परीक्षा केन्द्र नकल करने के मामले में 2014 में कैंसिल कर दिया गया। अब दो महाविद्यालय हैं। यदि वहां केन्द्र खुलता है, तो वह पारस्परिक एक दूसरे में खोलना पड़ेगा। तो वह नकल सामूहिक नकल होगी। इसलिए लक्ष्मणगढ़ में दो महाविद्यालयों में इनका केन्द्र किया गया है। आप कह रहे हैं कि 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की दूरी नहीं है, क्योंकि मैं भी फतेहपुर का ही हूं। 20 किलोमीटर वहां से लक्ष्मणगढ़ पड़ता है। एक महाविद्यालय की दूरी तो 20 किलोमीटर है, दूसरे की 25 किलोमीटर है।

अब क्योंकि परीक्षाएं प्रारम्भ हो चुकी हैं और छात्रों के प्रवेश पत्र भी आनलाइन जारी किये जा चुके हैं, परीक्षा सामग्री निर्धारित केन्द्रों पर भेजी जा चुकी है, छात्राओं के प्रवेश पत्र आनलाइन अपलोड हो चुके हैं और दोनों महाविद्यालयों का परीक्षा केन्द्र फतेहपुर में रखने पर एक-दूसरे, परीक्षा केन्द्र पारस्परिक होंगे, जो नीति विरुद्ध होगा। इसलिए इस साल यह किया जाना सम्भव नहीं है। अगले साल यदि कोई सम्भव होगा तो करेंगे।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): मेरा तो यह कहना है कि अभी दस तारीख को ही, आप जो बता रहे हैं, परीक्षाएं शुरू होने के बाद 12 केन्द्र बदले गये। यह पेपर में आज ही एड आया है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): मैंने कहा ना नीति। यहां दो ही कालेज हैं। एक दूसरे के कालेज में करेंगे तो वहां नकल रोकी भी नहीं जा सकती।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): मेरा उन कालेजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप कहीं भी व्यवस्था करवा दीजिए। 1,400 लड़कियां जो निर्दोष हैं, उनको सज़ा ना मिले।

श्री उपाध्यक्ष: मास्टर मामन सिंह यादव।

टपूकड़ा उप तहसील (तिजारा) की क्रमोन्नति

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं तिजारा विधान सभा क्षेत्र की टपूकड़ा उप-तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा।

वैसे तो हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी के पास अभी पूरे प्रदेश का, वे पूरे प्रदेश की मुखिया हैं और पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानती हैं; सभी वर्गों की, सभी क्षेत्रों की सभी समस्याओं की, हर विभाग की सारी समस्याओं की उनको जानकारी है। पिछले पांच साल के कांग्रेस के कार्यकाल में, इनकी कुनीतियों, कुप्रबंधन के कारण जो प्रदेश की हालत इतनी बिगड़ गई थी, उसको पटरी पर लाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास और कड़ी मेहनत से, सूझबूझ से, कुशल नेतृत्व प्रबंधन से, आज इस प्रदेश के हर क्षेत्र में काफी उपलब्धियां, आज पूरा राजस्थान विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। फिर भी मेरी टपूकड़ा क्षेत्र सब-तहसील ऐसी उप-तहसील है जो राजस्थान में, जहां तक मेरे पास जानकारी है, सबसे पुरानी उप-तहसील है। अंग्रेजों के शासन में 22 अक्टूबर,1942 को यह उप-तहसील बनाई गई थी। राजस्थान में शायद ही ऐसी कोई उप-तहसील होगी जो इतनी पुरानी होते हुए भी क्रमोन्नत होकर तहसील नहीं बन पाई।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पर थोड़ा गौर फरमाया जाए। इसके अन्दर 2,600 के करीब औद्योगिक क्षेत्र हैं, टपूकड़ा सब-तहसील के अंडर में ही आते हैं, जिसमें भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र पूरे राजस्थान में प्रमुख औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है, जो हिन्दुस्तान ही नहीं, संसार के नक्शे पर है। 2,500 से ऊपर औद्योगिक कम्पनियां, इसमें बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं टपूकड़ा में ही जैसे बहुत बड़ी कम्पनी होंडा कार सेयल। और भी बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, वह हरियाणा के टच में हैं।

इसके अन्दर अभी मैंने यह प्रश्न भी लगाया था, तो उसमें मंत्री महोदय का जो जवाब आया है, उसमें थोड़ी-सी जानकारी मंत्री महोदय को और देना चाहूंगा कि इन्होंने केवल पंचायतों का विवरण, यहां विभाग से आया है, जबकि वहां पर पहले 22 पंचायतें थी टपूकड़ा सब तहसील पर, अब उसमें 11

(मास्टर मामन सिंह यादव)

नवगठित पंचायतें हुईं, जिनमें से 8 पंचायतें टपूकड़ा सब तहसील की हैं। तो ये बढ़कर ही काफी हो गईं। नगर परिषद टपूकड़ा सब-तहसील की 10 पंचायतों की एक नगर परिषद बनी जिसके अन्दर 45 वार्ड हैं।

इतना लम्बा औद्योगिक क्षेत्र है। यह बहुत ही आवश्यक है। सबसे पुरानी सब-तहसील है। तो यह मेरा निवेदन है कि इसको क्रमोन्नत करके तहसील बनाने की कृपा करें।

दूसरी बात, इसके अन्दर जितना लम्बा क्षेत्र है, तिजारा बहुत दूर पड़ता है। एक कोटकासिम, मेरे सीमावर्ती क्षेत्र, किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आती है। जो कोटकासिम तहसील है, उसकी 5-6 तहसीलें ऐसी हैं, जैसे भोंकार, बूढ़ी बावल, कटोपुर, जोड़िया, उजोली, 5-6 पंचायतें ऐसी हैं जो रेवेन्यू नक्शे के अन्दर घुसी हुई हैं। उनको भी जोड़ा जा सकता है। यह एक बड़ी तहसील बना करके इसका जनता को पूरा लाभ, जैसे हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी का 'रिसर्जेंट राजस्थान,' युवाओं को बढ़ावा, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले, तो वह क्षेत्र केन्द्र बिन्दु है। जितने भी एम.ओ.यू. हुए हैं, उनमें अधिकतर जो इकाइयां हैं, वे अधिकतर भिवाड़ी, नीमराणा, बहरोड़, इसी क्षेत्र में आती हैं, जो इसका केन्द्र बिन्दु है।

तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह बहुत ही अति-आवश्यक है और सीनियरिटी के हिसाब से, जैसे प्रमोशन होता है कर्मचारियों का, अधिकारियों का, या किसी का भी, या विधायकों को भी 5-6 बार के बाद, फिर उनको सीनियर विधायक मानते हैं, तो इसलिए प्रमोशन के हिसाब से भी यह राजस्थान में सबसे पुरानी तहसील है, 22 अक्टूबर, 1940 । यह बहुत ही आवश्यक है। मेरा विनम्र निवेदन है, इस पर ध्यान देकर के तहसील क्रमोन्नत की जाये।

भिवाड़ी के अन्दर ही इतनी बड़ी व्यवस्था, दो लाख के करीब भिवाड़ी के अन्दर आबादी है। यह तो अनआथोराइज्ड रूप से भी जो इकाइयों में, हर स्टेट से, पूरे इण्डिया से श्रमिक आते हैं, जिनके नाम भी नहीं लिखे हैं, वे करते हैं। तो 3-4-5 लाख होगी। यह तो भिवाड़ी, भिवाड़ी नगर परिषद में, उसके अलावा 104 गांव और पड़ते हैं। तो यह बहुत ही लम्बा क्षेत्र पड़ रहा है। इसलिए यह निवेदन है आपसे।

मैं यह समझता हूं कि इसको डिमाण्ड में ही रखना चाहिए था। बाकी पर्ची में मैंने लिखा था। तो यह आपसे विनम्र निवेदन है कि इसका प्रस्ताव

(मास्टर मामन सिंह यादव)

दुबारा से, कलक्टर साहब ने जो भेजा है कि इतने हैं, वह पुरानी सूचना है। अब नई सूचना नहीं है। तो अब दुबारा इसकी सूचना मंगवा करके, इसका प्रस्ताव बनवाकर, क्रमोन्नत करने के आदेश प्रसारित करने की कृपा करें। बहुत -बहुत धन्यवाद।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि नई तहसील या कोई उप-तहसील क्रमोन्नत करनी है, उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं बनी हुई हैं। सामान्य तौर पर ऐसे क्षेत्र में कम से कम 30 पटवार सर्किल होने चाहिए और रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पर 20 पटवार सर्किल होने चाहिए। उप-तहसील के लिए सामान्य क्षेत्र में कम से कम 15 पटवार सर्किल होने चाहिए। माननीय सदस्य ने बताया, इनके जो तिजारा तहसील के कुल पटवार सर्किल 48 हैं। उनमें से उप-तहसील टपूकड़ा, जैसा कि आप बता रहे हैं, हिन्दुस्तान की आजादी के पहले टपूकड़ा तहसील बनी थी, लेकिन अब उप-तहसील है। उसमें कुल 19 पटवार सर्किल हैं। अगर इन 19 को निकाल देते हैं तो तिजारा में 29 रह जाते हैं, जो 30 से कम संख्या रह जाती है।

मेरा यह मानना है, आपके अलवर जिले में ऐसी कई तहसीलें हैं, जहां पटवार सर्किल कम हैं, फिर भी तहसील बनी हैं। उनके पटवार सर्किल कम हैं, फिर भी उप-तहसील बनी हैं। आपका जो मामला, यह जो टपूकड़ा को तहसील बनाने का है, वह हमारे एक सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी परमेश चन्द्रजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, इनकी अगर सिफारिश आयेगी, तो पूरा विचार किया जायेगा कि टपूकड़ा के अन्दर तहसील खुले। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): बहुत-बहुत धन्यवाद, मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं। विराज जाएं, सदस्यजी।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): जो नार्म्स की, जो 19 पंचायतों की बात कर रहे हैं, सर्किल की, वह भिवाड़ी की उसमें जोड़ी जाएं। भिवाड़ी का दुबारा सर्वे करवाकर, 45 वार्ड भिवाड़ी नगर परिषद के इसी में शामिल हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री सुरेन्द्र पारीक।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

निजी चिकित्सालयों द्वारा वाल्व प्रत्यारोपण में अधिक राशि वसूली जाना

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाह रहा हूं कि राजकीय चिकित्सालयों और निजी चिकित्सालयों में वाल्व प्रत्यारोपण के लिए जो वाल्व खरीदे जा रहे हैं, उनमें काफी भिन्नता है और गरीब लोगों से काफी पैसा वसूल किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की तथ्यात्मक टिप्पणी निम्न प्रकार है।

हार्ट वाल्व मेडिकल डिवाइस वर्तमान में राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची में शामिल नहीं है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस आथोरिटी केवल उन्हीं औषधियों की कीमतों पर नियंत्रण करती है जो कि राष्ट्रीय आवश्यक दवाई सूची में शामिल हैं। ड्रग्स प्राइस कण्ट्रोल एक्ट, 2013 के अन्तर्गत केवल केन्द्र सरकार ही दवाइयों के आयात एवं मूल्य निर्धारित करने के लिए सक्षम है। राज्य सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मेडिकल डिवाइस यथा हार्ट-वाल्व, आर्थोपेडिक इम्पलांट्स, कार्डिएक स्टेंट, इण्ट्रा - आक्यूलर लैंस, आदि की कीमत के मूल्य निर्धारण हेतु इन औषधियों को राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को अनुशंसा की गई है।

जयपुर चिकित्सा महाविद्यालय के संलग्न सवाई मानसिंह चिकित्सालय में इम्प्लांट्स खरीद कार्य नियमानुसार खुली निविदा के माध्यम से किये जाते हैं। न्यूनतम दर दाता की फर्म से प्राप्त करने के लिए उनसे अनुबंध किया जाता है। उक्त इम्प्लांट्स की आपूर्ति क्रय आदेश जारी करने के लिए नहीं किये जाते, बल्कि एम.आर.एस. द्वारा अनुबन्धित फर्मों से सम्बन्धित विभाग के चिकित्सकों द्वारा इम्प्लांट्स सीधे ही प्राप्त कर मरीजों के प्रतिस्थापित किये जाते हैं।

हृदय रोग से सम्बन्धित मरीजों के हार्ट-वाल्व प्रत्यारोपण हेतु हार्ट वाल्व की खरीद नियमानुसार खुली निविदा कार्यवाही के तहत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित कराने के पश्चात् ई-निविदा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
प्रक्रिया अपनाई जाकर योग्य फर्मों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इस प्रक्रिया के तहत प्राप्त हुई निविदाओं की तकनीकी जांच हेतु चिकित्सालय के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के विशेषज्ञों की तकनीकी समिति गठित की जाती है। उक्त तकनीकी समिति प्राप्त निविदाओं की तकनीकी जांच कर तकनीकी दृष्टि से मानकों में खरी पाई जाने वाली फर्मों को अनुमोदित करती है। इस प्रकार तकनीकी मानकों में योग्य पाई गई सभी फर्मों की वित्तीय बिड खोली जाती है। वित्तीय बिड के आधार पर दरों का तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाता है तथा इसी तुलना में न्यूनतम दरदाता फर्मों की दर अनुमोदित की जाती है। इस प्रकार चिकित्सालय द्वारा हार्ट-वाल्व की खरीद नियमानुसार एवं पूरी पारदर्शिता के तहत की जाती है।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्रीजी ने जो यहां जवाब पेश किया है, यह जवाब तो वह है जो इससे सम्बन्धित कोई मामला ही नहीं हुआ। अभी इनके खुद के द्वारा पांच निजी चिकित्सालयों की जांच करवाई गई। जांच के दौरान इन्होंने यह माना कि...

श्री उपाध्यक्ष: आप सीधा प्रश्न पूछो, क्या यह सही है कि जांच करवाई गई?

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे, क्या इनके द्वारा चार निजी चिकित्सालयों में, भगवान महावीर कैंसर, नारायणा मल्टी स्पेशलटी, संतोकबा दुर्लभजी, फोर्टिस एस्कोर्ट और इटर्नल हास्पिटल, इनकी जांच कराई गई थी और जांच में यह पाया गया कि वहां जो वाल्व खरीदने की रसीद थी, वह 55 हजार रुपये की थी और उसमें से 27,468 रुपये क्रेडिट नोट के द्वारा वापस उनको मिलने का रिकार्ड पर आया है। जो जांच रिपोर्ट आपके यहां पेश हुई है, उसमें यह बात भी रिकार्ड पर आई है।

दूसरा, जिस फर्म ने इन अस्पतालों को सप्लाई किया है, उन्हीं ने एस.एम.एस. अस्पताल को 44 हजार रुपये में सप्लाई किया, यही वाल्व। बाकी जो राजकीय चिकिल्सालय, जोधपुर, उदयपुर, बाकी जगह हैं, उनमें भी अन्य-अन्य दरों पर उन्होंने सप्लाई किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मोटे तौर पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से दो बातें उठाई हैं। एक तो इन्होंने कहा कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अन्दर मेडिकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से जो वाल्व की खरीद होती है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वह बाजार दर से अधिक मूल्य में होती है। दूसरा सवाल आपने खड़ा किया कि राज्य के नामचीन जो पांच चिकित्सालय हैं, इन चिकित्सालयों की शिकायत यह प्राप्त हुई कि ये चिकित्सालय जो मरीज से इम्प्लांट के नाम पर जो इन्वोइस करते हैं, जो पैसा वसूल करते हैं, वह अधिक होता है और उसके पश्चात्, उसमें क्रेडिट नोट के माध्यम से ये खुद अपने पास पैसा जमा कर लेते हैं।

यह सही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह मैंने पहले निवेदन किया मेरे उत्तर के अन्दर कि देश के अन्दर मेडिकल डिवाइस और इन दवाइयों के क्रय मूल्य का निर्धारण करने के लिए जो ड्रग्स प्राइस कण्ट्रोल एक्ट, 2013 है, उसके अन्तर्गत जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस आथोरिटी बनी हुई है, वह निर्धारित करती है। यह उन्हीं का करती है, जो नेशनल लिस्ट आफ एसेंशियल मेडिसन के अन्दर शामिल होती हैं। इसलिए इनके मूल्य निर्धारण पर राज्य सरकार का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है। परंतु, इसके पश्चात् भी जब यह शिकायत आई तो इसी 26.02.2016 को हमारे प्रमुख शासन सचिव ने भारत सरकार के सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण को पत्र लिखकर मेडिकल डिवाइस-कार्डियक स्टेंट, आर्थोपेडिक्स इम्प्लांट, हार्ट-वाल्व, आदि को राष्ट्रीय आवश्यक सूची, नेशनल लिस्ट आफ एसेंशियल मेडिसिन में शामिल किये जाने का आग्रह किया, ताकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, 1955 की धारा-(3) व ड्रग प्राइस कंट्रोल आर्डर, 2013 के अन्तर्गत इनके विक्रय मूल्य पर नियंत्रण किया जा सके।

जहां तक सवाई मानसिंह चिकित्सालय का सवाल आपने खड़ा किया, यह पूरी पारदर्शिता से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले एक तकनीकी कमेटी यह तय करती है कि किस प्रकार के वाल्व और किस प्रकार के एम्प्लांट की खरीद की आवश्यकता होती है। उसके बाद स्पेसिफिकेशंस तैयार होने के पश्चात् सुपरिंटेंडेंट के पास मांग-पत्र जाता है और उस मांग पत्र के आधार पर खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ई-टेंडरिंग के माध्यम से अलग-अलग कम्पनियां अपना-अपना प्रस्ताव देती हैं और उन कम्पनियों की भी जो शर्तें लगाई गयी हैं, उन शर्तों के अनुसार तीन वर्ष का 20 करोड़ का उसका, कम्पनी का टर्न-ओवर होना चाहिए। वह स्वयं निर्माता हो, या आयात करने वाली हो और उसके अलावा, इनके पास डब्ल्यू.एच.ओ., जी.एम.पी. सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस दवाई की सप्लाई की जाती है, वह एडल्टरेटेड

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कभी घोषित नहीं होनी चाहिए। दो वर्ष में इस कम्पनी की कोई भी अमानक दवाई नहीं होनी चाहिए। इस आधार पर, सारी इन शर्तों के आधार पर निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात्, टेक्निकल बिड के ऊपर पुनः टेक्निकल समिति देखती है और उसके बाद फाइनेंशल बिड खोली जाती है और एल-1 पर जो आता है, उसको क्रय का आदेश दिया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आप कह रहे हैं कि दरों में अंतर है, आपने यह कहा कि राज्य के दूसरे मेडिकल कालेज में और यहां के मेडिकल कालेज की दरों में भी अंतर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक फाल्स क्लाज सर्टिफिकेट उस दवा निर्माता कम्पनी से या सप्लायर कम्पनी से हम लेते हैं, जो यह कहती है..., वह निविदा-कर्ता यदि न्यूनतम दर से कम अन्य किसी राजकीय संस्थानों में वह सप्लाई करता है तो उसको डिफाल्टर घोषित किया जाता है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। यह फाल्स क्लाज सर्टिफिकेट्स लेने के बाद ही हम सप्लाई की आगे की बात करते हैं।

आपने जिन हार्ट वाल्व्स की बात की, ये हार्ट वाल्व्स कई प्रकार के हैं। यह मेटेलिक हार्टवाल्व भी हैं, टिश्यू हार्ट वाल्व भी हैं और इनकी कीमत भी अलग-अलग हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो नामचीन हास्पिटल्स हैं, जिनमें नारायण मल्टी-स्पेशलिटी हास्पिटल, प्रताप नगर, संतोकबा दुलर्भजी मेमोरियल हास्पिटल; जयपुर; फोर्टिज एस्कोर्टस हास्पिटल और इंटरनर्ल हार्ट केयर सेंटर हास्पिटल और भगवान महावीर कैंसर हास्पिटल, इन सब हास्पिटल्स ने अपनी-अपनी जगह, अपने हास्पिटल के अन्दर एक सब-स्टोर खोल रखा था और उस सब-स्टोर के माध्यम से यह जब मरीज के कोई इम्प्लांट होता था तो उसमें इन्वाइस जो जारी होती थी, माननीय सदस्य ने जो कहा कि जिस तरह 56 हजार इन्वाइस जारी हुई, वह 56 हजार की इन्वाइस जारी करके उस मरीज से तो इतना पैसा ले लेते थे, फिर वे, चूंकि, सब-स्टोर खुद का ही है, वहीं वह सप्लायर कम्पनी सप्लाई करती है, तो एक क्रेडिट नोट के माध्यम से वह हास्पिटल में जमा कर लेते थे। यह शिकायत आने पर हमने 20.3.2014 को महावीर कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, जयपुर में उसका निरीक्षण करवाया, 19.03.2014 को नारायण मल्टी-स्पेशलटी हास्पिटल का निरीक्षण करवाया, 20.03.2014 को ही संतोकबाका भी करवाया, फोर्टिज का 19.03.2014 को करवाया और इंटरर्नल हार्ट केयर सेंटर का भी 19.03.2014 को करवाया। इन सब पर, चूंकि प्राइस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कंट्रोल आर्डर, 2013 यह कहता है कि इनकी एम.आर.पी. तय करने के बारे में राज्य सरकार किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती, एसेंशियल ड्रग लिस्ट में यह शामिल नहीं है, परन्तु, हमने इसके पश्चात् भी इन सब पर मुकदमा कायम किया। मुकदमा हमने यह कायम किया कि बिना अधिकृत रूप से, इन्होंने विक्रय करने का काम किया। ड्रग्स एंड कोस्मेटिक्स एक्ट के अन्दर हमने मामला बनाया और यह मामला बनाने के बाद हमने इन सबके खिलाफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जयपुर मेट्रोपोलिटन के सामने चालान प्रस्तुत किया। आप कहें तो मैं उस चालान, उस केस के नम्बर पढ़ सकता हूं।

माननीय सदस्य, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय में जो इम्प्लांट, जो स्टेंट, जो वाल्व जिस रेट पर मिलते हैं, वह उसमें फाल्स क्लाज सर्टिफिकेट लेने के बाद उससे सस्ता वह दूसरी जगह सप्लाई नहीं कर सकती और ई-टेंडरिंग के माध्यम से पूरी पारदर्शिता से यह सब काम होता है। परन्तु फिर भी ये जो निजी चिकित्सालय हैं, इन पर नियंत्रण कैसे हो, उसके लिए हमने एक पत्र लिखा है, हमारे प्रमुख शासन सचिव ने पत्र लिखा है, इसी फरवरी माह में लिखा है और उसके माध्यम से हम भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि यह काम बंद होना चाहिए और इसके लिए भारत सरकार अपने इसमें जो एन.पी.पी.ए. है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथोरिटी, इसके अन्दर ले जाकर और इसके अन्दर प्राइस का निर्धारण करवाएं, ताकि इन पर हमारा वह हो सके।

मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसके पश्चात् भी पूरी पारदर्शिता से सारे काम ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं बीच में थोड़ा-सा चाहूंगा, आप बड़े मंत्री बोल रहे हैं। इनका स्टंट, तो मैंने कहा कि स्टंट मास्टर तो आप ही हो, बाकी स्टंट कौन लगाता है? यह कोई स्टंट, आपसे बड़ा भी कोई स्टंट लगाने वाला है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्णय तो आसन करे।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे तो यह अंग्रेजी का शब्द है और सम्माननीय को अंग्रेजी से बहुत ज्यादा नाइत्तफ़ाक़ी है, इसलिए आप कोई और शब्द का इस्तेमाल करें, तो इनसे उत्तर ले लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह इनकी हालत मेरे से भी खराब है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो जानते हैं कि सबके स्टंट कौन करता है। स्टंट में महारत हासिल तो सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य की बचपन से रही है। अब आपने देखा होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल भी शाम को अपने सरकारी आवास पर स्टंट ही कर रहे थे, ढप बजा-बजाकर। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आपने सवाल खड़ा किया ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह होली का रसिया था। होली के रसिये को स्टंट नहीं कहते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अच्छा-अच्छा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम तो वेदों के साथ-साथ लोक गीत भी गाते हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप दोनों रसिया हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह दोनों बात ही नहीं समझ रहे हों, न लोक गीत की समझ पा रहे हों, न वेदों की समझ पा रहे हों। तो डाक्टर किस बात के हों?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं कहां डाक्टर हूं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लेकर आये हैं। यह एक्ट 2011 में विधान सभा ने पारित किया था, पर एन्फोर्स नहीं हुआ। अब हम इसको एन्फोर्स कर रहे हैं। इस एक्ट के आने के बाद हम सारे निजी चिकित्सालय, अभी तक हमने 50 बेडेड चिकित्सालयों का रजिस्ट्रेशन चालू किया है, सारे निजी चिकित्सालयों को एक ट्रांसपेरेंसी से डिस्प्ले करना पड़ेगा कि वह किस रोग के उपचार के लिए कितना-कितना पैसा, किस-किस फीस का, किस-किस चीज का लेंगे और उसके साथ-साथ उनके पास फैकल्टी क्या है, उसका भी करना पड़ेगा।

हम भारत सरकार को फिर लिखेंगे कि इन सब चीजों को नेशनल प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत इनका मूल्य निर्धारण करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्न पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या: एफ. 12(121)वित्त/कर/2014-248 दिनांक 10.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/डिव/2010-64 दिनांक 25.8.2010 में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या: एफ. 12(11)वित्त/कर/2016-249 दिनांक 10.3.2016, जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या: एफ. 12(11)वित्त/कर/2016-208 दिनांक 08 मार्च, 2016 के सम्बन्ध में एक शुद्धि पत्र जारी गया है;

3- अधिसूचना संख्या: एफ. 1(8)एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 16.9.2015 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2012 में इलेक्ट्रोनिक उपापन का अंगीकरण अनिवार्य किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या: एफ. 1(8)एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 16.9.2015, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ. 1(8) एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 में संशोधन किया गया है; एवं

5- अधिसूचना संख्या: एफ. 1(8)एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 11.1.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ. 1(8) एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रभुलाल सैनी।

कृषि विभाग

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कृषि विभाग की निम्नांकित चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या: एफ. 4(36)कृषि/ग्रुप-2/2003/पीटी दिनांक 7.5.2015, जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 में मण्डी शुल्क से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

(श्री प्रभू लाल सैनी)

2- अधिसूचना संख्या:एफ. 10(2)कृषि/ग्रुप-2/1975 दिनांक 22.6.2015, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या:एफ. 4(77)कृषि/ग्रुप-2/2013-II दिनांक 31.8.2015, जिसके द्वारा संविदा खेती में जौ एवं मक्का को सम्मिलित किया गया है; एवं

4- अधिसूचना संख्या: एफ. 7(18)कृषि/ग्रुप-2/2005 दिनांक 11.2.2016, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती कामिनी जिन्दल।

याचिका

गणेशगढ़ (श्रीगंगानगर) के पशु चिकित्सालय में भवन निर्माण व कार्मिकों की नियुक्ति

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित एक याचिका का उपस्थापन करती हूं:-

गणेशगढ़ (श्रीगंगानगर) में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्साकर्मी नियुक्त करने एवं भवन निर्माण करने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी।

सोजत राजकीय महाविद्यालय में पेयजल कनेक्शन

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य-सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित एक याचिका का उपस्थापन करती हूं:-

सोजत राजकीय महाविद्यालय में पेयजल कनेक्शन करवाये जाने बाबत्।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

(अनुपस्थित)

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री नवनीत लाल।

समिति प्रतिवेदन

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति (वर्ष 2015-16) का प्रतिवेदन (क्र.सं. 1)

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2015-2016 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17 । श्री अशोक परनामी।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि जिन माननीय सदस्यों को बजट भाषण पर बोलने का समय नहीं मिले, वह एक हजार शब्दों में लिखित अपना वह पेश कर दें। तो आपकी आज्ञा से मैं पेश करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं इनके बाद में आपसे निवेदन करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, मैं पेश ही करूंगा सिर्फ।

श्री उपाध्यक्ष: हां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी लिखित वक्तव्य टेबल करेंगे।

(माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी के द्वारा आय-व्ययक पर अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया) (लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बजट पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान प्रदेश की मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धरा राजेजी को जिन्होंने 2016-2017 का जो बजट पेश किया, एक ऐतिहासिक बजट पेश किया और यह बजट बंद एयरकंडिशंड कमरों में बैठकर तय नहीं किया। हर सम्भाग स्तर पर जाकर, हर जिला स्तर पर जाकर, वहां

(श्री अशोक परनामी)

के जन-प्रतिनिधियों से मिलने का काम किया; वहां के संगठित जो लोग हैं, उनसे मिलने का काम किया। किसानों से राय ली, व्यापारियों से राय ली और मजदूर वर्ग से राय ली। सभी से राय-शुमारी करके, दो महीने तक निरन्तर प्रयास करके, उन्होंने राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए, जनता को समर्पित बजट 2016-17 का रखा।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इस बार का जो बजट उन्होंने रखा, कांग्रेस के 2013-14 के बजट में 94,101 करोड़ का बजट था, जिसे 2015-16 में आदरणीय वसुन्धराजी ने बड़ा करके 1,37,713 करोड़ का प्रावधान किया और वर्ष 2016-17 में बजट व्यय का प्रावधान 1,71,261 करोड़ का प्रस्तुत किया गया। मैं समझता हूं कि 2013-14 के बजट और 2016-17 के बजट का अपन तुलनात्मक विश्लेषण करें तो यह 2013-14 के बजट से 82 प्रतिशत अधिक का बजट आदरणीया वसुन्धराजी ने पेश किया और 24.36 प्रतिशत की वृद्धि गत बजट से इस बजट में की।

इसके साथ-साथ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब आदरणीया वसुन्धराजी 2003 से लेकर 2008 तक मुख्य मंत्री थीं, जब उन्होंने 2003 में कार्यकाल संभाला था, उस समय कांग्रेस की सरकार ने विरासत में जो राजकोषीय घाटा दिया था, वह, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, 6.8 प्रतिशत दिया था, जो एफ.आर.बी.एम. एक्ट के तहत उसका भी उल्लंघन होता था, परन्तु उनके कुशल वित्तीय प्रबन्धन ने 2008 में जब सरकार छोड़ी तो यह राजकोषीय घाटा केवल मात्र 1.7 प्रतिशत रहा था। गत दो वर्षों में भी आदरणीया वसुन्धराजी ने जो अपना राजकोषीय घाटा था, उसको बिलकुल एफ.आर.बी.एम. एक्ट के तहत 3 प्रतिशत से कम रखने का काम किया। हमारी सरकार सदैव विकास को समर्पित सरकार रही है, जबकि कांग्रेस का नारा ही संसाधनों का अपव्यय करके जनता को भ्रमित करने का रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, 2008 से 2013 तक की कांग्रेस की सरकार ने अर्थव्यवस्था में विकास की दर को गिराने का काम किया। हमने जब 2008 में सत्ता छोड़ी थी, उस समय राजस्थान प्रदेश की विकास की दर 14.42 प्रतिशत थी और जब कांग्रेस ने 2013 में सत्ता छोड़ी तो पांच वर्षों में यह विकास दर 14.42 प्रतिशत से घटकर केवल मात्र 4.54 प्रतिशत रह गयी। यह पिछले पांच वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी, 2008 से लेकर 2013 तक,

(श्री अशोक परनामी)

यह विकास का पूरा खाका राजस्थान प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस की सरकार ने रखा।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीया वसुन्धराजी को जिन्होंने 2003 से लेकर 2008 में भी जो राजस्थान प्रदेश 'बीमारू' प्रदेश कहलाता था, उस राजस्थान प्रदेश में विकास की गंगा बहाकर उस 'बीमारू' प्रदेश को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का काम किया था।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, 2008 में जब हमने सत्ता छोड़ी थी और कांग्रेस ने सम्भाली थी, तो हमारे टाइम पर 77,138 करोड़ रुपये का घाटा था उस समय राजस्थान प्रदेश पर, परन्तु 2008 से लेकर 2013 तक पांच वर्ष तक कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस ने इन पांच वर्षों में 53 हजार करोड़ का कर्जा राजस्थान प्रदेश की जनता पर बढ़ाने का काम किया है। इस प्रकार 2014 में 1,30,640 करोड़ रुपये का कर्जा इस कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान प्रदेश की जनता पर छोड़ा और यदि इसमें हम डिस्काम का घाटा भी शामिल कर लें, जो 77 हजार करोड़ रुपये था, तो इस प्रकार यह राजस्थान प्रदेश की जनता पर कांग्रेस के द्वारा छोड़ा गया घाटा 2 लाख करोड़ रुपये से भी ऊपर पहुंच जाता है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने घाटा भी बढ़ाया और राजस्थान प्रदेश में विकास की गति को भी रोकने का काम किया। राज्य के विकास का सच्चा मानक ही विकास व्यय होता है। हमारे विकास व्यय के संकेतक स्पष्ट करते हैं कि हमारी सरकार विकास को समर्पित सरकार है। विकास के इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, हमारी मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धराजी ने 2016-17 के बजट प्रावधान में 93,143 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा, जो वर्ष 2013-14 का कांग्रेस की सरकार ने बजट रखा था, उससे 79.39 परसेंट, करीब-करीब 80 परसेंट अधिक हमारा विकास का बजट हमने समर्पित किया है। कांग्रेस ने 2013-14 में केवल मात्र 51,921 करोड़ का विकास में व्यय किया था, 2014-2015 में हमने इसे बढ़ाकर 66,673 करोड़ किया और 2015-16 में हमने इसे बढ़ाकर 80,519 करोड़ किया, जो 2016-17 में, मैंने आपको बताया, करीबन 93,143 करोड़ रुपया है, जो करीबन 80 प्रतिशत इनसे अधिक हमने किया।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से कांग्रेस के कुप्रबन्धन ने, हमारे समय में जब हमने सरकार छोड़ी थी, तो डिस्काम पर केवल मात्र 15 हजार का कर्जा था और 2008 से लेकर 2013 तक कांग्रेस के इस कुप्रबन्धन ने इस डिस्काम के घाटे को 15 हजार से बढ़ाकर 77 हजार करोड़ रुपये तक

(श्री अशोक परनामी)

पहुंचाने का काम उन्होंने किया। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे हालात में बैंक ने कर्ज देने के लिए मना कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय वसुन्धराजी, मुख्य मंत्रीजी को, उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया, उन्होंने इसके लिए केन्द्र से भी निवेदन किया कि 77 हजार करोड़ का डिस्काम का जो घाटा है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ जाएगी, जो कांग्रेस की देन है। इससे हमें किस प्रकार से आप छुटकारा दिला सकते हैं, इसके लिए आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने निवेदन किया।

केन्द्र सरकार ने 'उदय' योजना के माध्यम से इस कर्ज को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, उन्होंने हमें योजना दी। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देना चाहता हूं कि यह साहसिक कदम था, जो उन्होंने इस बजट में उठाने का काम किया। केन्द्रीय सरकार की 'उदय' योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने इन कम्पनियों का 75 प्रतिशत ऋण, जो 60 हजार करोड़ रुपया होता है, अपने ऊपर लेने का निर्णय किया इस बजट में। वहीं बिजली कम्पनियों को आदरणीया वसुन्धराजी ने इस बात की हिदायत भी दी कि इस बार तो यह सरकार काम कर रही है, परन्तु भविष्य में वित्तीय सुप्रबन्धन के माध्यम से आप इस घाटे को कम करने का प्रयास करेंगे। हमने राज्य के विकास के दूरगामी लाभ को नजर में रखते हुए यह कर्ज टेक-ओवर करने का निर्णय लिया। यह हमारी राजस्थान प्रदेश की जनता के प्रति कमिटमेंट ही है। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जनता को इस घाटे का अर्थशास्त्र पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है; यानी, 'उदय' के प्रभाव से होने वाली आर्थिक स्थिति और 'उदय' के प्रभाव के बिना होने वाली आर्थिक स्थिति का एक गणित जो समझाने का काम किया आदरणीया वसुन्धराजी ने, मैं समझता हूं ऐसी पारदर्शी मुख्य मंत्री, जिन्होंने पारदर्शिता तरीके से इस बात को रखा और लोग जवाबदेही की सम्भावना ही निकालते रहे और हमने जवाबदेह प्रशासन कायम करके दिखाया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस 'उदय' प्रयोजना के कारण राजकोषीय घाटे पर जो प्रभाव आयेगा, उसको भी आदरणीया वसुन्धराजी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने बजट भाषण में कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2016-17 का राजकोषीय घाटा बिना 'उदय' प्रभाव के केवल मात्र 23 हजार 14 करोड़ रुपये अनुमानित है जो जी.एस.डी.पी. का तीन प्रतिशत है, वहीं 'उदय' के प्रभाव के सहित आगामी वर्ष का राजकोषीय घाटा 43 हजार 147 करोड़ रुपये अनुमानित

(श्री अशोक परनामी)

है जो जी.एस.डी.पी. का 5.62 प्रतिशत होगा। यह घाटे की विरासत राजस्थान प्रदेश की जनता को राज्य की कांग्रेस की सरकार ने दी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के साथ-साथ जो उन्होंने बजट सामाजिक सेवाओं के लिए पेश किया, सर्व जन उत्थान के साथ सर्व जन विकास के लिए गत दो वर्षों में राज्य सरकार ने अपने प्रयासों की तीव्र गति दी है एवं हमारी मुख्य मंत्री महोदया का प्रयास है कि प्रदेश की आधारभूत संरचनाओं के विकास की ओर पूरा ध्यान दिया जाए, जिससे राज्य में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह चुस्त करने का काम हो सके। राज्य में 20 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण के माध्यम से हम वहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी डवलप करने का काम कर रहे हैं।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में भी, आदरणीया वसुन्धराजी ने 2015-16 के बजट में भी प्राथमिकताएं ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रख कर निर्धारित की थीं। बजट का कुल 40.64 प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर, 15.48 प्रतिशत ग्रामीण विकास पर एवं विद्युत, जो पूरे समाज की अत्यन्त आवश्यकता है, उस पर 23.64 प्रतिशत बजट रखा गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट 2013-14 के तुलना में करीबन 37.43 प्रतिशत अधिक बजट का प्रावधान हमने इन योजनाओं में किया। उपाध्यक्ष महोदय, करीबन 79 प्रतिशत बजट ग्रामीण विकास, विद्युत एवं सामाजिक सेवाओं हेतु व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, 5.57 प्रतिशत कृषि हेतु, 2.41 प्रतिशत सिंचाई हेतु और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अधिक बजट दिया। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, इनको आप थोड़ा समझाओ।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): 2016-17 में चिकित्सा में 8,276 करोड़ का बजट आदरणीया वसुन्धराजी ने दिया, जो 2014-15 से करीबन 21 प्रतिशत अधिक है।

यह कांग्रेस की सरकार, यह कांग्रेस के नेता निरन्तर इस बात की बयानबाजी करते रहे कि हमने मुफ्त दवा योजना लागू की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुफ्त दवा योजना को बंद कर रही है। हमने एक भी जन-उपयोगी योजना को बंद करने का काम नहीं किया। पुरानी सरकार ने जितनी

(श्री अशोक परनामी)

भी जन-उपयोगी योजनाएं चालू की थीं, उन सभी योजनाओं को हमने व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयास किया है। मुफ्त दवा योजना में जब कांग्रेस की सरकार थी 2013-14 में तो उन्होंने 431 करोड़ का बजट दिया था, जिसमें उन्होंने खर्च केवल मात्र 382 करोड़ रुपये किया था; मुफ्त दवा योजना के तहत वे पूरा खर्च भी नहीं कर पाये थे। आदरणीया वसुन्धराजी ने 2014 और 2015 में इस बजट को बढ़ाने का काम किया और 488 करोड़ का बजट मुफ्त दवा योजना में किया और इस बार 2016-17 में 465.86 करोड़ का हमने प्रावधान किया।

केवल मात्र मुफ्त दवा योजना का ही प्रावधान नहीं किया, उपाध्यक्ष महोदय, हमने पब्लिक हैल्थ इन्श्योरेंस स्कीम को भी लागू किया जिसके तहत हमने 431 करोड़ का प्रावधान किया। इस योजना के माध्यम से, भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से हर उस गरीब व्यक्ति को 30 हजार रुपये तक की मुफ्त दवाई मिलेगी, वे सरकारी अस्पताल हों इसके अलावा हमने कुछ प्राइवेट अस्पताल भी चिह्नित किये हैं, वहां भी उसको 30 हजार की दवाई मुफ्त मिलेगी। इसके साथ-साथ यदि उसका आपरेशन हो रहा है, कोई गम्भीर बीमारी है, तो तीन लाख तक का उसको मुफ्त मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मेट्रो जयपुर शहर में ला रहे थे, तब हमने विधान सभा में बड़ा स्पष्ट कहा था कि हम मेट्रो का विरोध नहीं कर रहे, मेट्रो जयपुर शहर में आनी चाहिए, परन्तु जो सर्वे आया है उस सर्वे में स्पष्ट कहा गया है कि 25 वर्षों तक जयपुर शहर में मेट्रो की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए मेट्रो लाना चाहते हैं, आप लाइये परन्तु केन्द्र में आपकी सरकार है, केन्द्र से इसकी सहायता लेकर के आइये, और यहां पर मैट्रो लेकर के आइये परन्तु उन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने अपने संसाधनों से जयपुर शहर में मेट्रो को लाने का काम किया। फिर यह बात सामने आयी कि हम मेट्रो को बंद करने का काम करेंगे, परन्तु आदरणीया वसुन्धराजी ने उस मेट्रो के काम को बंद नहीं किया, मेट्रो के दूसरे फेज को पूरा करने का भी काम किया और इसमें हमने वित्तीय प्रावधान भी करने का काम किया।

उपाध्यक्ष महोदय, निरन्तर यह कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हम रिफाइनरी नहीं ला रहे, हम रिफाइनरी नहीं लाना चाहते; रिफाइनरी की योजना किसकी थी? जब 2003 से 2008 में आदरणीया वसुन्धराजी मुख्य मंत्री थीं, उस समय इस योजना को लाने का हम काम रहे थे परन्तु हमारी रिफाइनरी

(श्री अशोक परनामी)

का जो पूरा गणित है, इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। रिफाइनरी का हमारा विरोध नहीं है, परन्तु रिफाइनरी हम हमारी शर्तों पर लाना चाहते हैं। जिस प्रकार से आनन-फानन में कांग्रेस ने रिफाइनरी का एम.ओ.यू. साइन किया, वह राजस्थान प्रदेश के लिए केवल मात्र, और केवल मात्र, घाटे का सौदा है। 3,736 करोड़ रुपया इंटरेस्ट-फ्री 15 वर्षों तक निरन्तर हम एच.पी.सी.एल. को देंगे, जिसका कुल अमाउंट होता है 56 हजार 40 करोड़ रुपया। जमीन भी हमारी, तेल भी हमारा, यह 56 हजार 40 करोड़ रुपये भी हम देंगे, जो इंटरेस्ट फ्री देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी कभी किसी ने गणित नहीं सोची। यदि इसकी गणित हमारे पूर्व मुख्य मंत्री सोचते तो उस एम.ओ.यू. को 30 घंटे के अन्दर कभी साइन नहीं करते। इस एम.ओ.यू. को साइन करने के पीछे भी उनका राजनीतिक लाभ लेना था। जिस प्रकार से उन्होंने इसको साइन किया, उससे राजस्थान प्रदेश की जनता पर, उपाध्यक्ष महोदय, करीबन एक लाख 19 हजार 594 करोड़ रुपये का बोझा इस रिफाइनरी के माध्यम से हम राजस्थान प्रदेश की जनता पर डालने का काम कर रहे हैं। यह कभी नहीं सोचा कि यह जो 56 हजार करोड़ रुपये हम बिना इंटरेस्ट के दे रहे हैं, इस पर हमारे को ब्याज का कितना भुगतना करना पड़ेगा। यदि बैंक रेट केवल मात्र 9 प्रतिशत भी काउंट कर लें तो ब्याज बनता है, 63 हजार 524 करोड़ रुपये केवल मात्र ब्याज बनता है, उपाध्यक्ष महोदय। और जब हमें यह पैसा वापस मिलेगा, उस समय पैसे की क्या कीमत होगी, उसकी यदि आप गणना करें, तो यह नुकसान एक लाख 48 हजार 84 करोड़ रुपया पहुंचने का काम हो जाता है। आदरणीया वसुन्धराजी ने कहा कि हम रिफाइनरी लेकर के आयेंगे परन्तु इन शर्तों पर लेकर के नहीं आयेंगे, जिन शर्तों के कारण राजस्थान प्रदेश कर्ज में डूब जायेगा।

मुझे ताज्जुब है, जब इतना बड़ा कोई एम.ओ.यू. साइन होता है, कांग्रेस सरकार ने रिफाइनरी पर राजनीति का, आपने एच.पी.सी.एल. और पेट्रोल मंत्रालय के जब किया तो ट्रांजेक्शन एडवाइजरी कमेटी, उसको भी बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। इसका नफा-नुकसान किसने सोचा? इसका नफा-नुकसान किसने देखा? इसका नफा-नुकसान पूर्व कांग्रेस की सरकार ने नहीं सोचा। केवल मात्र राजनीतिक लाभ किस प्रकार से लिया जाये और आनन-फानन में उसको साइन कर दिया।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धराजी को जिन्होंने राजस्थान प्रदेश का इंटरेस्ट सबसे पहले देखा, उसके बाद उन्होंने

(श्री अशोक परनामी)

राजनीति देखी। उन्होंने इमिजिएट, इसको दुबारा री-नेगोशिएशन करने के लिए केन्द्र सरकार से कहा। एच पी सी एल कम्पनी ने तो एस बी आई कैब बनाया इस एम ओ यू को साइन करने के लिए, कि आप इसको देखें कि इसमें किस प्रकार से नफा होगा, किस प्रकार से नुकसान होगा, लेकिन हमारी सरकार ने ट्रांजेक्शन एडवाइजरी कमेटी को बनाने का काम नहीं किया। अब आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने पी डब्ल्यू सी का निर्माण किया। प्राइस वाटरहाउसकूपर के माध्यम से रिफाइनरी को किस प्रकार, किन शर्तों के तहत हम साइन करें, इस पर वह काम कर रहा है।

एक बड़ा अच्छा तथ्य और सामने आया है कि अभी तक तो पूर्व कांग्रेस की सरकार को यह भी नहीं पता कि वहां पर तेल कितना है। अभी हमारी सरकार ने एक पत्र लिखा है डायरेक्टर-जनरल हाइड्रोकार्बन्स को, उसके माध्यम से हम जानकारी करवा रहे हैं कि वहां पर तेल कितना है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आनन-फानन में रिफाइनरी का एम ओ यू साइन पूर्ववर्ती सरकार ने किया, उससे निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश का कोई भला नहीं होने वाला। आज तक कांग्रेस की सरकार यह नहीं बता पाई कि इस रिफाइनरी के माध्यम से एम्प्लायमेंट कितना मिलेगा। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? शायद उनको यह नहीं मालूम कि आजकल जितनी भी रिफाइनरी लगती हैं, सारा आटोमेटिक प्लांट लगता है। उसमें ज्यादा रोजगार भी आपको उपलब्ध नहीं होने वाला है। या तो आप सदन के सामने स्पष्ट कर दें कि उससे इतना रोजगार मिलने वाला है। 700 से 1 हजार आदमियों से ज्यादा वहां किसी को रोजगार नहीं मिलने वाला है। 1 लाख 48 हजार करोड़ का राजस्थान प्रदेश की जनता पर बोझा भी हम डालें और उसमें रोजगार भी उपलब्ध नहीं करा पायें, तो यह विन-विन सिचुएशन वाला नहीं था। आदरणीय वसुन्धराजी ने कहा कि हम रिफाइनरी तो लगायेंगे, रिफाइनरी लेकर भी आयेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर लेकर के आयेंगे, जिससे विन-विन सिचुएशन रहे, राजस्थान सरकार को भी लाभ हो और राजस्थान प्रदेश की जनता को भी लाभ हो और अपनी पेट्रोलियम कम्पनियों को भी लाभ मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि महानरेगा का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंद कर देगी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदीजी ने पार्लियामेंट में बिलकुल स्पष्ट कहा कि हम महानरेगा योजना को बंद नहीं करेंगे, लेकिन

(श्री अशोक परनामी)

महानरेगा योजना के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसको बंद करने का काम करेंगे। महानरेगा योजना के अन्तर्गत भी जब 2010-11 में कांग्रेस की सरकार केन्द्र में थी तो 3,074 करोड़ का बजट था, वर्ष 2011-12 में घटकर 1,820 करोड़ हो गया। वर्ष 2012-13 में 2,851 करोड़ हो गया, वर्ष 2013-14 में 2,359 हो गया और हमने जो पहला बजट दिया 2014-15 को, उसमें 3,299 करोड़ का बजट हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया। हम महानरेगा योजना को बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि महानरेगा योजना को व्यवस्थित रूप से लागू करना चाह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने महानरेगा योजना को कृषि के साथ जोड़ने का काम किया। हमने महानरेगा योजना को, जो इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत हम 75 हजार रुपये दे रहे हैं, उसमें जिसका मकान है, यदि वह 100 दिन वहां पर काम करता है, तो उसको भी 15,750 रुपये देने का काम कर रहे हैं। हमने महानरेगा योजना को सही मायने में सदुपयोग करने का काम किया है और इसमें किस प्रकार से भ्रष्टाचार हम समाप्त कर सकें, उसके लिए काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक पंचायत में खाद्य गोदाम बनाये जायें, यह भी महानरेगा योजना से कर रहे हैं। बच्चों के लिए खेलकूद के मैदान बनाये जायें, यह भी महानरेगा के माध्यम से हम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितनी भी पूर्ववर्ती सरकार की जनोपयोगी योजनाएं थीं, हम एक भी योजना को बंद नहीं कर रहे हैं। यह पूरी योजनाओं का पुलिंदा मैं लेकर के आया हूं जो पूर्ववर्ती सरकार की थीं, जिनको हम हमारा वितीय बजट देकर के उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसको पढूंगा तो बहुत समय लग जायेगा, परन्तु नेट के माध्यम से सभी मेरे साथी इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमने 27.8 प्रतिशत सिंचाई पर दिया है, 47.88 प्रतिशत हमने कृषि पर दिया है, 14.05 प्रतिशत हमने शिक्षा पर दिया है, पर्यटन में तो करीबन 79 प्रतिशत अधिक व्यय करने का हमने काम किया है। 7,200 करोड़ रुपये के विद्युत अनुदान की राहत किसानों को मिले; ई-मंडी जैसी सुविधा की घोषणा भी इस बजट में की गई। 1 लाख 50 हजार मानदेय-कर्मियों के मानदेय बढ़ाने वाला जन समर्पित यह बजट आदरणीया वसुन्धराजी ने पेश किया है। यह बजट गरीब को समर्पित है। हमारे संकल्प, हमारी सोच आंकड़ों से आगे जमीन तक विकास सुनिश्चित करने की है।

उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन में भी हमने काफी अच्छा काम किया है।

(श्री अशोक परनामी)

देवस्थान में भी 32 करोड़ रुपयों में 12 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के चरण-बद्ध रूप से विकास का काम आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने लिया है।

राजस्थान प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में होने वाली है, वह पानी की समस्या होने वाली है। उससे किस प्रकार से निपटा जाये, यह मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के माध्यम से हम काफी अच्छा इसमें काम कर पायेंगे।

उद्योग के क्षेत्र में भी इस बजट में काफी प्रावधान किये गये हैं। लैंड बैंक बनाया गया है, करीबन 10 हजार हैक्टेयर भूमि तक उसको बढ़ाने का काम किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, 'रिसर्जेंट राजस्थान' के माध्यम से निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश में उद्योग बढ़ेंगे। उद्योगों को किस प्रकार से बढ़ावा दें, आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने सिंगल विंडो योजना को लागू किया। उस योजना के माध्यम से उद्योग ज्यादा से ज्यादा राजस्थान प्रदेश में लगेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीया वसुन्धराजी को, जिन्होंने 'रिसर्जेंट राजस्थान' के माध्यम से 3 लाख 30 हजार करोड़ के एमओयू साइन किये। यह प्रथम फेज में एम ओ यू साइन हुए। उसके तुरन्त बाद अभी 11 एम ओ यू और साइन हुए हैं। इसका कारण है कि सभी उद्योगपतियों को आज राजस्थान प्रदेश की सरकार पर भरोसा है कि यदि हम आज राजस्थान प्रदेश में उद्योग लगायेंगे तो हमें निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बाकी बजट में तो बहुत सारी घोषणाएं हैं। ऐसा एक भी वर्ग नहीं छूटा, जिसके लिए आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने कुछ न कुछ घोषणा नहीं की हो; एक भी ऐसा जिला नहीं छूटा जिसमें कुछ न कुछ घोषणा आदरणीया मुख्य मंत्री जी ने नहीं की हो।

शिक्षा के क्षेत्र में तो एक हमने इतिहास बनाया है। 5 हजार स्कूलों को हमने क्रमोन्नत करने का काम किया है। आपकी सरकार का मेरे पास आंकड़ा है, कितना किया, 200 या 300 का आपने उसमें किया।

उपाध्यक्ष महोदय, एक नया और, कि 5 हजार अन्नपूर्णा भण्डार खोले जायेंगे; ये माडर्न खोले जायेंगे। आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि राशन के साथ-साथ जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वह भी कम रेट में वहां पर उपलब्ध हों। इसकी चिंता भी आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने की है, जिससे मैं समझता हूं कि एक आम आदमी को पूरा लाभ मिलेगा।

(श्री अशोक परनामी)

अब दो वर्षों का जो तुलनात्मक विवरण है, आपने 2013-14, 2014-15 में कितने विकास के काम किये, हमने 2014-15, 2015-16 में कितने विकास के काम किये, इसका तुलनात्मक विवरण मैंने बनाया था। इसको यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि राजस्थान प्रदेश का विकास कौनसी सरकार कर रही है।

राज्य मार्गों एवं जिला सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण पर कांग्रेस सरकार ने 2 वर्षों में केवल मात्र 1 हजार करोड़ रुपये व्यय किये थे, जबकि हमारी सरकार ने 2 वर्षों में 2 हजार 900 करोड़ रुपये व्यय किये, जो 190 प्रतिशत अधिक होता है। 22 सौ किलोमीटर राज्य राजमार्गों एवं जिला सड़कों का सुदृढ़ीकरण आपने 2 वर्षों में किया, हमारी सरकार ने 2 वर्षों में 4 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, जो करीबन 81 प्रतिशत अधिक होता है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आपने 1 हजार 711 किलोमीटर 2 वर्षों में सड़कों का निर्माण किया, जबकि हमारी सरकार ने 6 हजार 319 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, जो करीबन 279 प्रतिशत अधिक होता है। कांग्रेस ने 5 वर्षों में 638 गांव और ढाणियों को सड़कों से जोड़ा, जबकि हमने 2 वर्षों में ही 2,200 गांव और ढाणियों को सड़कों से जोड़ने का काम किया। इनके 5 वर्ष और हमारे 2 वर्ष बराबर हैं।

पेयजल योजना में आपकी कांग्रेस सरकार ने 2 वर्षों में 3 हजार 785 करोड़ रुपये का खर्च किया, हमने 2 वर्षों में पेयजल योजना में 8 हजार 553 करोड़ रुपये व्यय किये, जो करीबन 125 प्रतिशत ज्यादा होता है।

ऊर्जा के क्षेत्र में आपने 2 वर्षों में 2,293 मेगावाट विद्युत उत्पादित की, जबकि हमने पिछले 2 वर्षों में 4,282 मेगावाट विद्युत उत्पादित की, जो करीबन 86.74 प्रतिशत अधिक होती है।

शिक्षा के क्षेत्र में जो मैंने बताया आपको कि हमने 5 हजार स्कूलों को क्रमोन्नत किया, आपने केवल मात्र 310 विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का काम किया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे विपक्ष के नेता, उन्होंने एक बहुत ही बात कही थी, राज धर्म की उन्होंने एक परिभाषा दी। सदन में विपक्ष के नेता ने आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत को उद्धृत करते हुए राज धर्म की दुहाई दी थी। शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक मुख्य मंत्री, प्रत्येक प्रधान मंत्री राज धर्म का पालन करता है, राष्ट्र धर्म का पालन करता है और राज धर्म से ही सरकार चलाता है।

(श्री अशोक परनामी)

आदरणीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने 2003 से 2008 तक कार्यभार सम्भाला तो राजस्थान प्रदेश 'बीमारू' प्रदेश होता था, उसको विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आगे लाकर खड़ा किया। क्या यह राज धर्म नहीं था? क्या प्रदेश को विकास के मार्ग पर लाना सच्चा राज धर्म नहीं है? क्या गरीब की सेवा को समर्पित होना राज धर्म नहीं है? क्या भामाशाह योजना को लाना राज धर्म नहीं है? जिस भामाशाह योजना के माध्यम से हम सारा का सारा पैसा उस गरीब व्यक्ति के अकाउंट में देना चाहते हैं, जमा करवाना चाहते हैं; जितनी हमारी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वह पेंशन हो, किसी भी प्रकार की योजना हो, उसका पूरा का पूरा पैसा उसके खाते में मिले। हां, यह जरूर है आपके पूर्व प्रधान मंत्री, स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि मैं एक रुपया भेजता हूं गरीब व्यक्ति के लिए उसको केवल मात्र 15 पैसे मिलते हैं। हमारी मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धराजी की सोच कि एक रुपया पूरा का पूरा उस गरीब व्यक्ति को मिले, उनकी यह सोच क्या राज धर्म नहीं है। आपने तो उस योजना को बंद करने का काम किया। यदि आप वह योजना बंद नहीं करते, तो जो गरीब व्यक्ति पेंशन के लिए भटकता, जिस गरीब व्यक्ति को पेंशन नहीं मिलती थी, मिलती थी तो पूरी नहीं मिलती थी, उसको यह तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि इस भामाशाह कार्ड योजना के माध्यम से उस गरीब व्यक्ति की पूरी की पूरी पेंशन अपने घर बैठे उसके बैंक के खाते में जमा हो रही है। 921 करोड़ रुपये उनके खाते में जमा हो चुके हैं। क्या वित्तीय सुप्रबंधन राज धर्म नहीं है?

आदरणीया वसुन्धराजी ने हमेशा वित्तीय सुप्रबंधन किया। यह मैं ही नहीं कहता, यह आंकड़े कह रहे हैं; आंकड़ों के माध्यम से मैं कह रहा हूं। क्या राजस्थान प्रदेश में निवेश लाना राज धर्म नहीं है? क्या विकास की दर को अन्य राज्यों से बेहतर बनाना राज धर्म नहीं है? क्या राजस्थान प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाना राज धर्म नहीं है? क्या रोजगार सृजन करना उस 'रिसर्जेंट राजस्थान' के माध्यम से, इससे न केवल राजस्थान प्रदेश आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा बल्कि इस 'रिसर्जेंट राजस्थान' के माध्यम से उद्योग इतने लगेंगे कि युवाओं को इससे रोजगार भी मिलेगा तो क्या युवाओं को रोजगार देना राज धर्म नहीं है? किसानों को राहत प्रदान करना क्या राज धर्म नहीं है? गरीबों के आंसू पोंछना क्या राज धर्म नहीं है? महिलाओं को सुशासन में भागीदार बनाना क्या राज धर्म नहीं है? मजदूरों के लिए सड़े गले कानूनों को परिवर्तित करना क्या राज धर्म नहीं है? पता नहीं, यह कांग्रेस की सरकार राज धर्म की परिभाषा क्या करती है?

(श्री अशोक परनामी)

मानीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज धर्म की परिभाषा, जनता का कल्याण हुआ होता तो जनता कांग्रेस को प्रदेश की सरकार से उतारकर बाहर नहीं फेंकती। कांग्रेस ने राज धर्म को नहीं अपनाया। हमारी राजस्थान प्रदेश की आदरणीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने 2003 से लेकर 2008 तक भी राज धर्म अपनाया और पिछले दो साल से भी निरन्तर राज धर्म को अपना रही हैं और उसी का नतीजा है कि 163 विधान सभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रदेश की जनता ने देकर भेजा है।

क्या सरकार-आपके-द्वार, हमारे विपक्ष के नेता ने एक आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में करते हैं, तो इसमें बुरा क्या करते हैं? हमारे राजस्थान की आदरणीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी अपने पूरे मंत्रिमंडल को लेकर के, अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के गांव-गांव, एक-एक ढाणी-ढाणी, एक-एक पंचायत में गई हैं। 48 डिग्री का टेम्प्रेचर था जब बीकानेर सम्भाग का दौरा था। उस गर्मी में आम जन के आंसू पोंछने का काम आदरणीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने किया। क्या यह राज धर्म नहीं है?

न्याय-आपके-द्वार, कितने लोगों के वर्षों से, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, पीढ़ियों से उनके केस उलझे हुए थे। उनको सुलझाने का काम आदरणीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने किया, क्या यह राज धर्म नहीं है।

अपना-जिला-अपनी-सरकार के कार्यक्रम आदरणीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी कर रही हैं, एक-एक जिले में जाकर लोगों से मिल रही हैं। क्या यह राज धर्म नहीं है? हमारे एक-एक मंत्री हमारे घर पर बैठकर जन सुनवाई कर रहे हैं। क्या यह राज धर्म नहीं है? यदि उस कार्यकर्ता की हमने जन सुनवाई कर ली, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, उसका भी पूरा योगदान है। वह भी हमारी सरकार की जितनी जन उपयोगी योजनाएं होती हैं, जो हम बजट के माध्यम से देते हैं, वे जन योजनाएं उस गरीब व्यक्ति तक पहुंचें, उसमें अपनी भागीदारी वह कार्यकर्ता निभाता है, यदि उस कार्यकर्ता की जन सुनवाई कर ली, तो आप कहते हैं कि क्यों कर ली? आज जो कांग्रेस का यह हाल हुआ है, यह कांग्रेस की इसी सोच का परिणाम है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): उपाध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आसन की बगैर अनुमति से जो भी बोला है, वह अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): कांग्रेस का जो हाल हुआ, चाहे वह केन्द्र में हो, चाहे वह प्रदेशों में हो, यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसके कभी पार्लियामेंट में 484 सांसद होते थे। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके कभी पार्लियामेंट में केवल मात्र 2 सांसद होते थे। आज पार्लियामेंट में हमारी संख्या देख लीजिए, कांग्रेस की संख्या देख लीजिए। प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकारें होती थीं, आज प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें कहां रह गयीं, यह देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की कहां-कहां सरकारें बन गयीं, यह देख लीजिए। इसका एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राज धर्म अपनाया है, राष्ट्र धर्म अपनाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि आदरणीया वसुन्धराजी ने, मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, इस बजट के माध्यम से गांव, गरीब और किसान को पूरा लाभ मिलेगा; इस बजट के माध्यम से व्यापारी, उद्योगपति की अपेक्षाओं पर हम पूरा खरा उतरेंगे; इस बजट के माध्यम से महिलाओं, युवाओं की अपेक्षाओं पर हम पूरा खरा उतरेंगे। यह बजट राजस्थान के कायाकल्प को बदलने वाला बजट होगा। यह बजट डिजिटल क्रान्ति लाने वाला बजट है, यह बजट राजस्थान की तस्वीर बदलने वाला बजट है और टीम राजस्थान, जो आदरणीय वसुन्धराजी ने हमेशा कहा कि राजस्थान प्रदेश की 36 कौमों को साथ लेकर इस राजस्थान प्रदेश का हम विकास करेंगे, एक टीम-राजस्थान के रूप में हम इस राजस्थान प्रदेश का विकास करेंगे, मैं समझता हूं, इस बजट से निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश का विकास होगा और राजस्थान प्रदेश पुनः विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आकर खड़ा होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, लिखित में पेश करने के लिए आपसे अनुमति चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: I will call your name.

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, लिखित वक्तव्य टेबल करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से...

श्री उपाध्यक्ष: आप टेबल कर दें।

(माननीय सदस्य श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास के द्वारा आय-व्ययक पर अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया (लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री ज्ञानदेव आहूजा। Sir, now we have 5 minutes for each speaker. 5 minutes Gyandev Ahuja, 5 minutes Hari Singh Rawat, 5 minutes Dr. Phoolchand Bhinda, followed by 5 minutes at your end. That is exactly how we are going to move.

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : 5 मिनट तो मुझे बोलना नहीं, इतना ही बोलता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: At the end of 5 minutes, the other person will start speaking.

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 5 मिनट क्या बोलना है! आधा-आधा घण्टा कल ये सारे लोग बोले हैं। मुझे कम से कम 20 मिनट तो दें।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय परनामीजी ...

श्री उपाध्यक्ष: Your time starts now and it will end within 5 minutes. The other person will start speaking If he does not speak, his time will end there.

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं दो लाइन कविता की पढ़कर ही बैठूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: चलिए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की बात को ध्यान रखते हुए और उनका मान रखते हुए, हम 10 मिनट करते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय परनामीजी ने अभी माननीया वसुन्धराजी का, भारतीय जनता पार्टी का जो राज धर्म गिनाया, उस राज धर्म को सुनकर कांग्रेसियों को आ गयी खुजली और खाज धर्म, अब नहीं आयी इनको लाज धर्म। जनता इनको कह देगी, अब पूरी जनता से भाग धर्म। (व्यवधान) मैं अब की बार, राजेन्द्रजी, कई शेरो-शायरी सुनाता, इस बार मैंने सोचा था कि मैं कोई कविता नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगर आपको इनकी बात का समर्थन करना है, तो टेबल बजा सकते हैं; ताली नहीं बजा सकते।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): इसलिए जनता आपको कह देगी, जनता के बीच में से भाग धर्म।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जय लंकेश।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अब आप मेरे छोटे भाई कुंभकर्ण हो, मैं तो लंकेश सही।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप उनको भी जाग्रत अवस्था में क्यों लाना चाहते हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): कुंभकर्ण सोते रह गये, इसलिए कहा मैंने। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट इस बार रखा गया है, वास्तव में ऐतिहासिक है। क्योंकि कांग्रेस के भाइयों की समझदारी बहुत छोटी है, इसलिए इनकी खोपड़ी के, सिर के ऊपर से यह बजट निकल गया। अब ये अपनी समझदारी बढ़ाएं और थोड़ा अपने डी एन ए को विकसित करें। मेरी बात का बुरा नहीं मानें। हमें गर्व है कि हमारा जो हाईकमान है, जिन्होंने जन संघ की, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, वे शुद्ध भारतवंशी थे, डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी; कांग्रेसी भाइयों का हाईकमान है, उनको गर्व है कि वे हैं इटलीवंशी। इसलिए डी एन ए का ही फर्क है, सोच का फर्क है, इसलिए विरोध करेंगे। विरोध करेंगे, तो तम्बूरे का एक तार जिस स्वर में बोलता है, बाकी तम्बूरे के तार भी उसी स्वर में बोलते हैं। हम जानते हैं कि आपको सिर्फ विरोध करना है, पर ताज्जुब है, आपको विरोध करना भी नहीं आता। विरोध करना भी सीखना है तो हमारे जैसे किसी से ट्रेनिंग लीजिए, विरोध कैसे करना है, क्योंकि हमने जिंदगी भर विरोध किया। हमने जिन मंत्रियों, जिन मुख्य मंत्री, के पुतले जलाये, हमने हाय-हाय की, हमने उनको काले झण्डे दिखाये, वे मंत्री मुख्य मंत्री बन गये। अब आप हमारी ढंग से हाय-हाय करें, तो हम भी कहीं मंत्री बन जायं। आप वह भी नहीं कर पाते। इसलिए ट्रेनिंग लें हम लोगों से।

यह बजट माननीया वसुन्धराजी ने रखा है, वह वास्तव में किसानों के लिए समर्पित हैं। आप भूल जाते हैं, अनुसूचित जाति के कृषकों को आन-डिमाण्ड कनेक्शन दिये जाएंगे; आप यह भी भूल जाते हैं कि कृषि कनेक्शन दिये जाने के निर्धारित बूंद-बूंद सिंचाई परियोजना जैसे कनेक्शनों को 5 साल बाद सामान्य कनेक्शन के रूप में परिवर्तित किया जाएगा; आप यह भी भूल गये, किसानों के हित में जो यह बजट आया है, बिजली कनेक्शन से वंचित मकानों के लिए कैम्प लगाये जाएंगे; पं. दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना में 8 लाख कनेक्शन दिये जाएंगे। आप यह भी भूल गये। पूरा बजट आपने शायद पढ़ा नहीं, या समझ नहीं पाये। 33 केवी तक के बिजली कनेक्शन के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेट का प्रावधान है। आप यह भी भूल रहे हैं कि प्रदेश के संकट की घड़ी में किसानों को हरसम्भव सहायता, फसल बीमा योजना की विसंगतियां दूर की गयी हैं। इस योजना के माध्यम से किसानों को लाभ मिलेगा। प्रीमियम राशि बढ़ायी गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीया वसुन्धराजी ने यह भी रखा है,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

कृषि, बागवानी, डेयरी क्षेत्र में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। मेरे कांग्रेसी भाइयों, आप यह भी भूल रहे हैं कि इस बजट में किसानों की मांग के अनुरूप लघु एवं सीमान्त किसानों को 70 व 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

मेरे भाइयों, किसानों के दुश्मन मत बनो; किसानों के फायदे का यह बजट अच्छी तरह पढ़ो और रात भर विचार करो। जैसे गीता आपको समझ में नहीं आती, वैसे आपको यह बजट भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गीता का प्रतिरूप है। आम गरीब, आम किसान, आम युवा, आम जनता के लिए यह बजट है।

मेरे भाइयों, एस सी, एस टी के किसानों को 70 व सामान्य किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान, यह भी मैंने आपको बताया।

जैसलमेर समेत, जो बहुत पिछड़ा जिला है, जो डेजर्ट है, रेगिस्तानी एरिया है, जैसलमेर समेत कई जिलों के एक उपखण्ड में जैविक खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट की योजना इस बजट में माननीया वसुन्धराजी ने दर्शायी है। हम उनकी यों ही प्रशंसा नहीं करते, वास्तव में सही मायने में कितना दूरदृष्टिपूर्ण यह बजट है, इस पर आप विचार करें।

प्रगतिशील किसानों के लिए इस साल भी 10 प्रगतिशील किसान प्रति जिले को व्याख्यान मानदेय के लिए एक हजार रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। आपने शायद यह भी नहीं पढ़ा। आपने शायद यह भी नहीं पढ़ा कि राज्य बीजा निगम के किसानों के लिए खातों में आनलाइन पेमेंट किया जाएगा। अब कोई घपला या घोटाला आपके समय की तरह नहीं हो सकता। खातों को भामाशाह से जोड़ा जाएगा।

हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने, शिक्षा में मार्च, 2016 तक 6 और बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा, यह भी बजट में प्रावधान है। बजट में यह भी प्रावधान है, 200 के अलावा 300 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, जिससे बच्चे व्यवसाय कर सकें, 300 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए 180 करोड़ की लागत से 1600 से अधिक कक्षा कक्ष, आर्ट

(14.00 बजे)

एण्ड क्राफ्ट रूम का निर्माण भी कराया जायेगा। आपको बजट की यह भी जानकारी होनी चाहिए कि राज्य में 60 जर्जर भवनों वाले विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराया जायेगा।

माननीया वसुन्धराजी ने जो शिक्षा के लिए किया है, वह हर बच्चे के

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

लिए है। वह मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, कर्मचारी है, अनाड़ी है, खिलाड़ी है, बिगाड़ी है, जो भी है, सब के लिए है।

मेरे भाइयों, आठवीं, दसवीं, बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के टापर्स को लैपटाप वितरण किया जायेगा।

साइकिल वितरण के लिए 85 करोड़ का प्रावधान है, इस शिक्षा के बजट में। 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पढ़ने वाली हमारी बेटियों को, बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर्स का लाभ दिया जायेगा।

इतना ही नहीं है, संस्कृत जो हमारी जननी है सब भाषाओं की, संस्कृत जो हमारी सभ्यता की, संस्कृति की जननी है, उस संस्कृत भाषा के महापुरा, जयपुर स्कूल को प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए क्रमोन्नत किया जायेगा।

इतना ही नहीं है, मेरे भाइयों, कालेज और यूनिवर्सिटी की 175 करोड़ की ग्रांट का प्रावधान है। इसको अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से समझें। सीकर और झालावाड़ सहित कई जिलों के कालेजों में वाई-फाई की सुविधा दी जायेगी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। यहां कोई भाई नहीं हैं, यहां सभी माननीय सदस्य हैं। आप माननीय सदस्य को कहिये कि भाई नहीं कहें, माननीय सदस्य कहें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय मानिक चन्दजी भाई साहब, आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो कृपा करें। मेरा समय खराब न करें। इतना मैं कह रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यहां सब माननीय विधायक हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): इतना ही नहीं है, स्वास्थ्य सेवा के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीया वसुन्धराजी ने, हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी ने और जिस ढंग से योग्यतापूर्ण कई स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में बेड बढ़ाये जायेंगे। मेडिकल संस्थाओं में कई डेंटल सुविधाओं का प्रावधान है, क्योंकि डेंटल डाक्टर बहुत हैं। इसके लिए चिकित्सा मंत्रीजी को भी धन्यवाद दे रहा हूं और माननीया मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद दे रहा हूं। जयपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से नई कैथ लैब बनाई जायेगी। हमारी माननीया मुख्य

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

मंत्रीजी ने अजमेर में माडल आपरेशन थियेटर के निर्माण करने का भी प्रावधान रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में 14.50 करोड़ रुपये की लागत से नये भवन भी बनेंगे, यह भी इस बजट में रखा गया है। जोधपुर हालांकि माननीय गहलोतजी का है और उन्होंने जो कुछ किया वह सिर्फ जोधपुर के लिए ही किया लेकिन माननीया मुख्य मंत्रीजी पूरे पारदर्शी हैं और दूरदृष्टि रखती हैं, इसलिए जोधपुर का भी विशेष ध्यान रखा है और जोधपुर मेडिकल कालेज के लिए, संक्रमण उपकरण के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया है। बीकानेर मेडिकल कॉलेज में नये आवासीय क्वार्टर्स का निर्माण, झालावाड़ में इमरजेंसी सेंटर का निर्माण करने का प्रावधान किया है। इससे ज्यादा और क्या हो?

खेलों को बढ़ावा देने के लिए, आपका और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, सभी माननीय सदस्यों सहित खिलाड़ियों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए एस.एम.एस. स्टेडियम में खिलाड़ियों के ठहरने के लिए नया खेल भवन भी बनाया जायेगा। राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वालों को कई विभागों में नियुक्ति देने की भी घोषणा है। कई डिपार्टमेंट में उनको सर्विस भी दी जायेगी, नौकरियां भी दी जायेंगी और खिलाड़ियों की बेरोजगारी दूर की जायेगी। खींवसर जिला नागौर में इन्डोर हाल का निर्माण कराया जायेगा। यह भी खेलों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, कई स्टेडियमों के लिए 17 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है और खेल अकादमी की स्थापना के लिए योजना बनाई जायेगी। कबड्डी व हाकी, बहुत क्रिकेट चल रहा है, आप सदन में बैठे हुए सब माननीय सदस्य जानते हैं कि क्रिकेट गुलामी का प्रतीक है, जो ग्रेट ब्रिटेन के, इंग्लैण्ड के गुलाम देश रहे हैं वहां क्रिकेट खेला गया है लेकिन अब क्रिकेट बहुत फैल गया है; पुनः देशी खेल कबड्डी और हाकी की एक-एक राज्य स्तरीय टीम को रीको व आर एस एम एम लिमिटेड स्पोंसर करेंगी। यह भी इस बजट में प्रावधान है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट में बहुत सारी बातें हैं लेकिन आपने कम समय के लिए कहा है, तो मैं बहुत जल्दी में इसकी व्याख्या करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीया वसुन्धराजी द्वारा उद्योगों में महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को लाभ दिया जायेगा; भू-रूपान्तरण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दी गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिए एम्प्लायमेंट जनरेशन सब्सिडी को बढ़ाया गया है, 25 हजार

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

रुपये से 30 हजार किया गया है। कोटा में महिला आई टी आई भवन का भी निर्माण किया जायेगा। यह भी इस बजट में है।

माइनिंग में खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए, खनन वालों के लिए, खनन श्रमिकों के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा और क्या हो?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रमोशन आफ आनलाइन एक्टिविटीज, अब सेण्ट्रल रिफण्ड के माध्यम से आनलाइन रिफण्ड दिया जायेगा, जिससे भ्रष्टाचार में कमी हो। आपके टाइम जो भारी भ्रष्टाचार हुआ, जिसको आप लोगों ने शिष्टाचार कहा, भ्रष्टाचार में कमी आयेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने व कर प्रक्रियाओं में सरलीकरण के सम्बन्ध में राज्य को तीसरा स्थान मिला है। आपको जानकारी है क्या? यह केन्द्र सरकार ने दिया है। उस समय आपकी ही सरकार थी, उसमें हम आ गये, पर पहले से सर्वे करवाया हुआ था और वह ही सर्वे सामने आया है।

सभी टैक्सेज के लिए एक ही यूनिफाइड फार्म दिया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जी एस टी अभी लागू नहीं किया है, लेकिन जी एस टी के लिए पहले से वातावरण बनाया गया है और जी एस टी लागू करने के लिए राज्य में वाणिज्य कर विभाग में नया सैल बनाया गया है। जी एस टी दिल्ली में पास हो रहा है लेकिन उसके लिए वातावरण राजस्थान में माननीया वसुन्धराजी ने पहले से बना दिया है।

मोबाइल एप की सुविधा का विस्तार किया जायेगा। डीजल व आमजन की कर सम्बन्धी समस्याएं विभागीय पोर्टल व एप से लेंगे। अन्य करों, जैसे एंट्री टैक्स, लक्जरी टैक्स सम्बन्धी मामलों में भी एप से होंगे। एंट्री टैक्स, लक्जरी टैक्स में आनलाइन सुविधा दिया जाना भी प्रस्तावित है। यह भी माननीया वसुन्धराजी ने किया है।

वैट कर कम कर दिये हैं, वैट माफ किया है। सोलर टार्च और बायोमास स्टोव व केरोसिन लैम्प पर, जो गरीबों की हैं; शुगरकेन, सत्त, आप सतू खाते हैं या नहीं पर हम तो खाते हैं, और खाखरा, सेफ्टी माचिस, कपूर तथा कारागृहों में बने उत्पादों को वैट-मुक्त किया गया है। मैजरिंग टेप,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

एक्सक्लूजिव ब्रांडेड पिकल, माल्डेड फर्नीचर, पैन ड्राइव, बाडी वाइब्रेटिंग आइटम्स, थर्मल मसाजर सम्बन्धी आइटम्स को भी वैट-मुक्त किया गया है।

इतना ही नहीं, सभी प्रकार के यार्न, जो आप और हम कपड़ा पहनते हैं, काटन यार्न या सिंथेटिक या नायलेक्स या नायलान, सभी तरह के यार्न पर वैट की दर 5.5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गयी है। इतना ही नहीं है, इस बजट में भारी मालवाहक यान पर वैट की वर्तमान दर 15 प्रतिशत से 13 प्रतिशत की गयी है। वैट अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारों के लिए टी डी एस की दर घटाकर 3 प्रतिशत की गई है।

अब आपकी हालत क्या हुई है, इकबाल ने लिखा – इकबाल तेरे इश्क ने, कांग्रेसियों की हालत क्या हुई है, 'इकबाल तेरे इश्क ने सब खम्ब दिये निकाल' खम्ब होता है टेढ़ापन, बांकापन, 'इकबाल तेरे इश्क ने सब खम्ब दिये निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई।' तो यह जो टेढ़ापन, बांकापन आप लोगों का निकल गया है, यह इकबाल पहले लिखकर गया है, मैंने नहीं लिखा है पर मैंने यह शेर कांग्रसियों को, आप लोगों को सुनाया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्षः अब आपके आंकड़े भी हो गये, शेर-शायरी भी हो गई, आंक-बांक भी निकल गई, तो अब रह क्या गया? बाकी आप टेबल कर दें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या आदेश है?

श्री उपाध्यक्षः 15 मिनट हो गये। आपने डा. फूलचन्द भिण्डा का पूरा का पूरा समय उपयोग कर लिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): नहीं, भिण्डा साहब मेरे भाई हैं। उनका समय मैं कैसे ले सकता हूं?

श्री उपाध्यक्षः ले ही लिया आपने। अब ले कैसे सकता हूं, पर ले लिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): इसके अलावा, प्रवेश कर, स्टाम्प ड्यूटी, डिजिटल राजस्थान, और भी कई सारे इस बजट में हैं। आपका आदेश है, क्योंकि मैं आसन की बात को कभी टालता नहीं, आसन से मैं कभी लड़ता नहीं; मैं एंग्री मैन हूं लेकिन आसन से कभी टकराता नहीं। इसलिए आपका आदेश है। बाकी सब बातों को छोड़ते हुए, मैं बात यही पर समाप्त करता हूं

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

और अपनी बनाई हुई दो कविताएं हैं वे सुनाता हूं। जो आदतें आप लोगों में हैं, वे आदतें बी जे पी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, विधायकों में, सांसदों में नहीं हैं। नो डार्लिंग नो डीयर, नो एग नो बीयर, नो स्मोक नो चीयर्स। पत्नी के अलावा प्रेमिका नहीं, चमचा और कुत्ता नहीं, अण्डा-मीट-मछली नहीं, पान-सुपारी -जर्दा नहीं, बीड़ी और सिगरेट नहीं, बीयर और शराब नहीं, चूरी और गुटखा नहीं, काफी और चाय नहीं, ख्वाहमख्वाह की हाय नहीं, ठण्डा और फण्डा नहीं।

ये हम हैं बी जे पी के लोग और आप सब में इन सब व्यसनों के साथ में कांग्रेस चलती है, इसलिए कांग्रेस की बर्बादी हो रही है, और होगी, और होगी। यह कहीं रुकेगी नहीं; यह पीढ़ियों तक चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2015-16 के बजट पर बोलने का जो समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, 8 मार्च को हमारी दूरदृष्टि रखने वाली यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधियाजी ने जो बजट पेश किया, वह सब-जन-विकास, सब-जन-उत्थान के मूल मंत्र, विजन 2020 तथा स्वच्छ राजस्थान को दृष्टिगत रखते हुए, सभी 36 कौमों को ध्यान में रखते हुए, यह बजट पेश किया है। अगर मैं किसी विकसित राज्य की बात करूं, या विकसित देश की बात करूं, तो मैं समझता हूं कि 100 में से 70 परसेंट जनता आज गांवों में रहती है। अगर हम गांवों का विकास करेंगे, तभी हमारे भारतवर्ष का, हमारे राज्यों का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का, विकास होगा। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारी मुख्य मंत्रीजी ने एक जानदार, शानदार बजट पेश किया, जिसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

साथ-साथ ही मैं कांग्रेसी भाइयों के बारे में थोड़ा-कुछ बोलना चाहता हूं। अगर 1947 से लेकर अब तक मैं वर्ष गिनूं तो करीबन 69 यीअर्स होते हैं और 69 यीअर्स में से, मैं समझता हूं, 55 से 60 साल तक इस कांग्रेस-रूपी दानव कहूं, या मैं इनको किन शब्दों में कहूं, भ्रष्टाचारी कहूं, तो भी शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस अगर चाहती...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप हमारे बड़े भाई हों या छोटे भाई, इतना तो बता दो। बड़े भाई हों, तब तो बड़े आप, छोटे हम।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ...अगर कांग्रेस चाहती तो कम से कम 55-60 साल के इस कार्यकाल में, मैं समझता हूं, किसी जमाने में इस देश को सोने की चिड़िया और विश्वगुरु कहा करते थे, शायद वह नाम आज भी मानस पटल पर हरेक व्यक्ति के होता, लेकिन अफसोस है कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक वह काल था प्राचीन काल, मगध देश के सम्राट चन्द्रगुप्त हुआ करते थे, उनके प्रधान मंत्री चाणक्य हुआ करते थे। एक बार की बात है, चीनी यात्री ह्वेनसांग नाम का, वह मगध देश में आया और उसने मगध देश की यात्रा की, चन्द्रगुप्त से उन्होंने मुलाकात की और उनकी एक इच्छा जाहिर हुई कि मैं आपके प्रधान मंत्री चाणक्य से मिलना चाहता हूं. उन्होंने बोला, चलिए । वे गये उनकी कुटिया में। जब पहुंचे तो चाणक्य किसी राज कार्य में व्यस्त थे, कोई लिखा-पढ़ी कर रहे थे। वे ह्वेनसांग और चन्द्रगुप्त जाकर वहां चटाई पर बैठ गये। जब कुछ कार्य उनका पूर्ण हुआ, तब उन्होंने सामने देखा कि चन्द्रगुप्तजी और ह्वेनसांग, हमारा चीनी मित्र बैठे हैं। उन्होंने बोला, बोलिए मित्र, कैसे आये? कैसा लग रहा है? उन्होंने बोला, अच्छा लग रहा है। जैसे ही वे आये, उन्होंने एक बत्ती बुझा दी और वह बत्ती बुझाकर दूसरी बत्ती जलाई। तो ह्वेनसांग जो थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, मिस्टर चाणक्य, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने बोला, पहले जो बत्ती जल रही थी, वह उससे राज कार्य कर रहा था, राज कार्य करने के लिए वह तेल सरकारी था, राज्य का था, और अभी जो मैंने बत्ती जलाई है, वह मेरी पर्सनल, आपसे मुलाकात है और इसलिए अभी मैंने यह बत्ती जलाई है।

मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि एक काल वह था, जो इन छोटी-छोटी चीजों की, कितनी सुखन्देशी को समझकर अपने राज कार्य में अपना योगदान देते थे, और आज का काल क्या है? यह सामने कांग्रेस-रूपी दीमक, दीमक जैसी कांग्रेस है, वह केवल एक ही, इन्दिरा और गांधी, गांधी परिवार के...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप लकड़ी और हम दीमक।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ...गांधी परिवार के नाम से ये सत्ता चला रहे हैं। अगर गांधी परिवार का नाम खतम हो जाये तो मैं समझता हूं, इनका सर्वनाश हो सकता है। इन्होंने भ्रष्टाचार के ऐसे-ऐसे आकंठ काम किये हैं, जिसमें टू-जी, थ्री-जी, मैं अगर नाम गिनाऊं तो मैं समझता हूं, मेरा पूरा टाइम इसमें ही व्यतीत हो जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, सर्वनाश जैसा शब्द, यह किसके लिए कहा जाता है? मतलब, ये तो शब्द हटाओ। सर्वनाश! हमारा सर्वनाश! तो फिर आप अकेले बचकर करोगे क्या? कांग्रेस या विपक्ष का सर्वनाश कर रहे हो, तो फिर आप अकेले क्या करोगे? ऐसे तो मत बोलो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपके समझ में नहीं आएगा। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ...कोयला खाकर काला मुंह किया और कोयले के साथ-साथ चारा घोटाला और इतना ही नहीं, जानवरों का ही चारा खा गये। जानवरों का चारा खाते-खाते, मुर्गी के दाना तक को भी नहीं छोड़ा। ऐसी निकृष्ट सरकार, जिसकी वजह से आज हमारे देश की यह दुर्गति हुई है।

लेकिन जब-जब हमारी भारतीय जनता पार्टी का राज आया, चाहे दिल्ली से ले लो, राजस्थान से ले लीजिए, मैं बोलना चाहता हूं, स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं, आपका कार्यकाल और हमारा कार्यकाल, अभी डेढ़-दो साल हुआ है, कांग्रेस भाई चिल्लाते हैं, अरे, भाई, क्या हुआ? दो साल में ही क्या हुआ मोदीजी को? बार-बार पूछते हैं कि क्या हुआ? हम पूछना चाहें, तो 55-60 साल में आपने क्या किया? हमने डेढ़ साल में कम से कम यह तो किया कि आप एक भी कोई व्यक्ति बता दे कि भ्रष्टाचार हुआ है। बता सकते हैं आप? लेकिन...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): डेढ़-दो साल में हुआ ही भ्रष्टाचार है। बाकी कुछ काम हुआ ही नहीं। काम तो हुए ही नहीं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): कांग्रेस वाले भाई आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे लेकिन हमारी सरकार, जैसे अटलजी की सरकार आई और उन्होंने एक सपना संजोया, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सेवा करने का मौका मिला है। तो मैं चाहता हूं कि गांवों में हमारी जनता बसती है, उनका हमें विकास करके आमूलचूल परिवर्तन करना है और उसी दृष्टि से अटलजी की सरकार ने एक विजन देखा। विजन क्या देखा, सड़कों का राजतंत्र बनाया, गोल्डन सड़कें बनाईं, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना बनाई; पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर तक सड़कें बनाईं। यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने हर गांव और ढाणी को, 250 तक की जनता को भी सड़क मुहैया कराने का एक बहुत बड़ा एचीवमेंट किया है, जो आज जगजाहिर है। इसमें आपको कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह झूठ नहीं है, यह सत्य है।

(श्री हरिसिंह रावत)

उनका और भी सपना था कि मैं नदी से नदी जोड़कर, जहां हमारे यहां हमेशा अकाल पड़ता है और जहां पर ज्यादा बारिश होती है तो वहां पानी का बहाव ज्यादा होगा और पानी का नदियों में बहाव होगा, तो हमारा यह पानी का भी सदुपयोग हो जाएगा। उसी के अनुरूप नदियों को जोड़ने का सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन वह समय दूर नहीं है, आज हमारी सरकार पुनः दिल्ली में मोदी सरकार आ गई है और उन्होंने जो सपना संजोया है, उस सपने को पूरा कर रहे हैं। यह मोदी सरकार भी विजन लेकर आई है और वह भी सपने साकार करने वाली सरकार है।

आपकी सरकार ने ग्रामीण राज बनाया था, ग्रामीण राज केवल कागजों में बना लिया लेकिन हकीकत की स्थिति में नहीं लेकर आये। हमारी सरकार ने इसको भी स्वरूप दिया है और हर गांव-ढाणी में कैसे विकास हो, इसको प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार के जो काम हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। वर्ष 1949 में केवल 13,500 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें थीं, लेकिन 2015 तक बढ़कर 2,08,341 किलोमीटर सड़कें हो गईं। हमारी मुख्य मंत्रीजी का एक सपना था, विजन था कि हम गांव-ढाणी को जोड़ें। आदमी जो इस धरती पर, जमीन पर पैदा होता है, उसका मौलिक अधिकार होता है कि वह शिक्षित हो, वहां सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो और रोजगार हो। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार ने योजना बनाई और उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत हमारी सरकार ने हर गांव-ढाणी को, चाहे पी एम जी एस वाई से लिया, चाहे मिसिंग लिंक से लिया, चाहे और भी मुख्यमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत लिया, मेगा हाईवे के नाम से लिया और लास्ट में गौरव पथ, हर गांव-ढाणी में हम जाते थे तो कीचड़ ही कीचड़ हुआ करता था। मुख्य मंत्रीजी ने एक सपना संजोया कि मैं गौरव पथ के नाम से हर एक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पक्की सड़क, सीसी रोड बनाऊंगी, जिससे कम से कम वहां कीचड़ नहीं हो, नालियां प्रोपर हों। उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने काफी अच्छी योजना के अन्तर्गत ये सड़कें जोड़ी हैं। आज इसके लिए भी कोई कहने की जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान सड़क तंत्र में यह हमारे विश्व बैंक की वित्तीय परियोजना की लागत से 1,362 करोड़ रुपये हैं, जिसमें विश्व बैंक से ऋण के रूप में 960 करोड़ रुपये एवं 402 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे और इसके अन्तर्गत 2014 से लेकर 2018 तक यह कार्य

(श्री हरिसिंह रावत)

पूरा किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत 250 से 499 तक की आबादी को, 2011 की जनगणना के अनुसार 1,056 गांवों में सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराकर और 2,551 बी.टी. सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। इसी प्रकार, परियोजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक 2,021 किलोमीटर डामर सड़क का निर्माण कर 885 गांवों को जोड़ा जा चुका है और इसी के अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक 853.56 करोड़ रुपये व्यय किये गये। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 253 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जिसे संशोधित कर 257 करोड़ किया; उसके विपरीत माह दिसम्बर, 2015 तक 157.76 करोड़ व्यय किये गये। यह भी एक हमारे लिए बहुत-बड़ी उपलब्धि है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ ही मैं मेरे क्षेत्र की रोड्स के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। नेशनल हाईवे नंबर-8 ब्यावर से लेकर गोमती तक का सड़क कार्य प्रगति पर था, लेकिन 2000 के करीबन यह कार्य हमारा बंद कर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इस रोड को तत्काल प्रारम्भ किया जाय। आये दिन यहां एक्सिडेंट्स होने की वजह से कितने ही लोग अकाल मृत्यु के ग्रास में चले जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस रोड को तत्काल पास करके फोर ट्रैक में वापस प्रावधान लेकर इसको चालू किया जाए।

दूसरा, हमारा एक नागौर-मेड़ता वाया भीम होते हुए गुलाबपुरा एन एच-158, इसका वन विभाग की वजह से काम अवरुद्ध हो रखा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको भी तत्काल प्रारम्भ किया जाए।

इसके साथ-साथ ही मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हर बार जो एम एल ए को मिसिंग लिंक रोड दिये जाते थे, अगर हर एम एल ए को पच्चीस किलोमीटर दिये जाएं, तो मैं समझता हूं कि हमारे एम एल एज को इसका काफी फायदा मिलेगा। हर विधान सभा क्षेत्र में अगर 25-25 किलोमीटर रोड मिलेंगी तो मैं समझता हूं कि छोटी-मोटी जो रोड्स हैं, वे हम लोग काफी कंप्लीट कर पायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, धार्मिक भावना के अन्तर्गत भी हमारी सरकार द्वारा पूर्व में हमें दस-दस किलोमीटर दी जाती थीं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसमें भी दस-दस किलोमीटर धार्मिक भावना के अन्तर्गत रोड दी जाएं, तो यह भी हमारे एक बड़ी अच्छी उपलब्धि होगी।

(श्री हरिसिंह रावत)

साथ-साथ ही, राजसमन्द जिला एक खनन क्षेत्र है और खनन क्षेत्र होने की वजह से वहां हमारे क्षेत्र में काफी रोड डेमेज्ड हैं। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा खनन क्षेत्र होने से जितनी भी खनन क्षेत्र के रोड हैं, उनकी वापस मरम्मत की जाएं, जहां रोड नहीं हैं, उनको बनाया जाए, ऐसी मैं आपसे आशा रखूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं पेयजल के बारे में बात करना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक हजार करोड़ का जो डी पी आर बनाया है और वह पानी देवास से लेकर हमारे राजसमन्द झील तक आएगा। इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन इसके साथ-साथ ही मैं निवेदन भी करना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को, हमारी पी एच ई डी मिनिस्टर भी यहां विराजमान हैं, भीम विधान सभा क्षेत्र मेरा एक भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही पिछड़ा और बारिश के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम बारिश होती है। पूरा मगरा क्षेत्र है और वहां पर कोई सरफेस वाटर भी नहीं है, जिससे कोई बांध बनाकर हमारी पेयजल की समस्या का समाधान हो सके। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को और पी एच ई डी मिनिस्टर को कि आज जब भी घोषणा हो, तो कम से कम इसके लिए डी पी आर बनाने की, मेरे विधान सभा क्षेत्र की जरूर घोषणा करें, ताकि हमारे यहां की पेयजल की व्यवस्था हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और हमारी समस्या है, हमारे सब विधायकों की भी समस्या है यह, आवासन मण्डल द्वारा हर विधायक जो एप्लाई करता है, तो उनको अलाटमेंट किया जाता है; उस अलाटमेंट में प्लिंथ लेवल तक के हमसे पैसे लिये जाते हैं। मैं आपके माध्यम से हाउसिंग बोर्ड के चैयरमेन से या हाउसिंग बोर्ड से पूछना चाहता हूं कि 14 लाख रुपये जो प्लिंथ लेवल के लिये जाते हैं, क्या यह उचित है? मैं समझता हूं कि यह कतई उचित नहीं है। मैं समझता हूं, प्लिंथ लेवल का अगर भौतिक सत्यापन किया जाता है तो दो लाख में भी वह काम हो जाएगा, जिसके चौदह लाख रुपये हमसे हाउसिंग बोर्ड वसूल करता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी एम एल ए, एम पी को प्लाट दिये जाएं, उसका भौतिक सत्यापन करा कर वास्तव में देखा जाए। आज 65 लाख का प्लाट लें 25-30 किलोमीटर दूर, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इससे अच्छा हम कोई प्राइवेट एजेंसी से लेंगे,

(श्री हरिसिंह रावत)

तो वह ही अच्छा रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका एक बार भौतिक सत्यापन करायें। जो प्लिंथ लेवल की बात करते हैं, उसमें मुश्किल से दो लाख रुपये खर्चा नहीं आता है, लेकिन चौदह लाख रुपये वसूल किये जाते हैं। तो यह भी एक सोचने वाला बिन्दु है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप पन्द्रह मिनट तो ले चुके हो।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अभी 15 मिनट कहां हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष: 15 मिनट ले चुके हो, 2.15 बजे आपने चालू किया अपना वक्तव्य और 2.25 हो गये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन और है। रेल विभाग के बारे में भी थोड़ा कहना चाहता हूं। मेरा पूरा विधान सभा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, बहुत महत्व रखता है। मावली-मारवाड़ लाइन, जो सरकार ने घोषणा की थी आमान परिवर्तन करने की, उसको अगर राज्य और केन्द्र सरकार दोनों मिलकर जोड़ दें, तो हमारे मगरा क्षेत्र का भी चहुंमुखी विकास होगा। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि इसको पर्यटन की दृष्टि से देखें, औद्योगिक दृष्टि से देखें, यातायात की दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो भी वह बहुत ही उपयुक्त रेलवे-लाइन है। उसको ब्रॉडगेज बना दिया जाए और उस लाइन को ब्यावर तक कनेक्ट कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां के क्षेत्र का भी आमूल-चूल परिवर्तन होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ दूसरा एम एल ए-लैड की बात करूं। हमारे सभी विधायकों का सपना है, आज ही मैंने अख़बार में पढ़ा था कि एम पीज का पांच करोड़ से दस करोड़ सांसद मद बढ़ने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि हमारा भी कम से कम पांच करोड़ का बजट हो, तो हम छोटे-छोटे हमारे विकास कार्य भी पूरे कर सकते हैं और हमारे विकास में चार चांद लगेंगे।

मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय-जय राजस्थान।

श्री उपाध्यक्ष: डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

बजट हर वर्ष रखा जाता है और हम सब लोग उसको बजट के नाम से ही पुकारते हैं। वास्तव में उसका नाम है, अर्थ संकल्प; अर्थ कहां से आएगा, अर्थ कहां जाएगा, उसका संकल्प लेते हैं और उस दिशा में जाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसी कल्पना बजट के बारे में की गयी है, लेकिन सामान्य तौर पर अब बजट एक विवरण पत्र के रूप में देखा जाने लगा है, चाहे कोई भी सरकार पेश करे। बजट का प्रोजेक्ट यह होता था कि देश के जो संसाधन हैं उनका हम किस प्रकार से विदोहन करें, बैलेंस कैसे करें, आर्थिक विषमता को कैसे कम करें, जो पराकाष्ठा प्राप्त वर्ग है उसके पक्ष में आय का कैसे पुनर्निर्धारण करें। यह सब बातें बजट में आती थीं, लेकिन अब बजट उस रूप में नहीं रहता।

फिर भी मैं आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। 1947 में हम आजाद हुए, पहली औद्योगिक नीति आयी, उसमें एक स्वतंत्र चिन्तन की बात कही गयी, लेकिन 1956 में तत्कालीन सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया समाजवादी समाज की कल्पना और आर्थिक विषमता दूर करने का, लेकिन ठीक तीस वर्ष तक यह देश अंधेरे में रहा। 1972 में जब चार योजनाएं पूरी हो गयीं, तब एक कमेटी बनी रिजर्व बैंक की उस कमेटी ने कहा कि गरीबी बढ़ी है और गांव की गरीबी और बढ़ी है। उसका दुष्परिणाम यह आया कि 1974 में सरकार को गेहूं का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा, गेहूं नहीं था इस कारण से।

फिर जे.पी. आंदोलन चला, युवकों की बेरोजगारी के कारण से। उसकी परिणति हुई कि आपातकाल लगा; आपातकाल की परिणति हुई कि सरकार का परिवर्तन हुआ। तब इस देश में गांव का और गरीब का उजाला प्रारम्भ हुआ, और उसी एक घटना से जो 1977 की घटना है। उसके पहले गांव की परिभाषा नहीं थी; ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं था। 1978 में मंत्रालय बना, अंत्योदय योजना आयी, काम-के-बदले अनाज योजना आयी। इसी प्रकार से सिलेसिलाये कपड़े बेचने का व्यापार प्रारम्भ हुआ; इसी प्रकार से सोने के गहने बनाकर बेचना प्रारम्भ हुआ। समग्र ग्रामीण विकास योजना आयी; ट्राइसम योजना आयी। यह सब 1977 में प्रारम्भ हुआ, उससे पहले कुछ नहीं था।

1977 के बाद में फिर देश का दुर्भाग्य था कि ढाई साल के बाद में सत्ता फिर कांग्रेस के हाथ में आ गयी और कांग्रेस के कारण से यह हुआ कि

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

दस साल तक देश फिर पीछे चला गया। उसके कारण से 1992 में, कांग्रेस के जो संस्थापक थे, उनके वंशज ने देखा कि पिछले चालीस साल में देश बरबाद हो गया। देश में राष्ट्रीयकरण के नाम पर चाहे डबल रोटी बनाओ, चाहे रोडवेज चलाओ, सब राष्ट्रीयकरण हो गया, उसको बदल कर के उदारीकरण लाये। उसके बाद में 6 साल तक फिर देश अंधेरे में चला गया।

पहली बार जब 1998 में माननीय अटलजी की सरकार आयी, तब गांवों की सुध हुई और गांवों की सुध के लिए, वे प्रधानमंत्री सड़क योजना लाये, सर्वशिक्षा अभियान लाये, जिसके कारण सात लाख स्कूलें खुलीं, दो लाख गांवों में सड़कें आयीं। यह उस समय प्रारम्भ हुआ था उजाला। उसके पहले उजाला नहीं था गांवों के लिए। आज मेरे विपक्ष के भाई कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बजट की कसौटी की जब हम बात करते हैं, तो कसौटी में तीन प्रकार से हम कह सकते हैं। एक तो मदवार विषय, जिसमें पं. दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार और समाज सुरक्षा सेवा; ये पांच सेक्टर होने चाहिए, और उसी को ध्यान में रखकर हम कसौटी पर कसते हैं तो बजट का ध्यान आता है। मैं विपक्षी बंधुओं से कहना चाहूंगा। दीनदयालजी और कहते हैं, एक दूसरा, गांव, गरीब और किसान, यह भी एक कसौटी हो सकती है; और तीसरी कसौटी उन्होंने बतायी थी, जन, जल, जमीन, जंगल और जानवर, ये पांच सेक्टर हैं, इनको अगर कंप्लीट कर दें तो समग्र विकास का दृष्टिकोण हमारे सामने आ जाता है। ऐसा भी उन्होंने बजट की कसौटी पर कहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी कसौटी पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं सबसे पहले गरीब की बात करता हूं। भामाशाह योजना। पेंशन उसमें आयेगी; भ्रष्टाचार से मुक्ति; गेहूं का पैसा उसमें आयेगा; केरोसीन का पैसा उसमें आयेगा; बच्चों की छात्रवृत्ति उसमें आयेगी। जन धन योजना में 12 रुपये में 2 लाख का बीमा, बंडल भी 12 रुपये में नहीं 17 रुपये में आता है, 12 रुपये में 2 लाख का बीमा; 330 रुपये में बीमा। यह कौनसी सरकार है, यह गरीब को दृष्टिकोण देने वाली वर्तमान सरकार है। इसी प्रकार से 30 हजार से साढ़े तीन लाख तक की चिकित्सा सुविधा यह भी भामाशाह के अन्तर्गत है। 2,000 रुपये प्रत्येक के खाते में डाला जा रहा है। बी पी एल का गैस सिलेण्डर, नि:शुल्क घरेलू कनेक्शन। अभी-अभी भारत सरकार ने पहली

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

बार, मैं नरेन्द्र मोदीजी को धन्यवाद दूंगा उन्होंने घोषणा की, घर-घर पानी, घर -घर बिजली। घर-घर बिजली देने के लिए 43 हजार करोड रुपये के बजट का प्रावधान किया। उसमें से 2,800 करोड रुपये यहां हैं और 20 से 30 करोड़ के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में नि:शुल्क घरेलू कनेक्शन होंगे। यह है गरीब की सरकार। यह मैंने नमूना बताया है।

इसी प्रकार से जब गांव की बात करते हैं, ग्राम सड़क योजना में 2 लाख-कितने और 25 हजार किलोमीटर के लगभग हमारे राजस्थान में प्रधानमंत्री सड़क योजना में सडकें बनी हैं। उसका एक नया पैसा नहीं देना पड़ा।

सर्व शिक्षा अभियान में माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से भी पर्याप्त पैसा आ रहा है। अब तो कालेजों के लिए भी 2-2 करोड़ रुपये आये हैं।

इसी प्रकार से पहली बार 2 लाख 87 हजार करोड़ रुपये गांवों की पंचायतों के लिए केन्द्र के बजट में। 17 हजार करोड रुपये से लेट्रिन-बाथरूम बनायेंगे। सीधा खाते में और सीधा दिल्ली से पैसा आ रहा है 12,000 रुपये देकर, स्वच्छता के लिए। गांवों में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया समाजवादी समाज और आर्थिक विषमता कभी प्रयास नहीं किया। पहली बार हरेक घर को 12,000 रुपये वहां से दिये जा रहे हैं और 17,000 करोड रुपये का उसमें प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार से 1.70 लाख करोड़ रुपये सड़कों के लिए आ रहे हैं। ये मैंने कुछ नमूने दिये हैं।

इसी तरह से, किसान गरीब होता चला गया, उसके कारण से बीमा स्कीम पहली बार लाये हैं। प्रीमियम कम देना पड़ेगा, लाभ ज्यादा मिलेगा। उसमें केवल प्राकृतिक खराबा नहीं, वैसे भी अगर खराबा होगा, तो उसका लाभ मिलेगा। ऐसा पहली बार हुआ है किसान के लिए।

इसी प्रकार से मृद्रा स्वास्थ्य कार्ड राजस्थान से शुरू हुआ।

वसुंधराजी ने अभी जो 9 परसेंट ट्रैक्टर पर लगता, मैं याद दिला रहा हूं, धीरजजी, आप नाड हिला रहे हो, किसान के ट्रैक्टर-ट्रोली पर टैक्स लगता था, इमरजेंसी में ट्रैक्टर पर टैक्स माफ हुआ था, अब 9 परसेंट को 1 परसेंट किया है। यह मैं आपको याद दिला रहा हूं, आप नाड हिला रहे हैं, इसलिए। गरीब किसान और गांव की जो यह सरकार है, उसके कुछ नमूने मैंने कांग्रेस के बंदों को बताये हैं।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इसी प्रकार से अनुदान में वृद्धि की गई है। समग्र विकास की जो बात कर रहे हैं, शिशु, बच्चा, युवक, प्रौढ़ सबके लिए; स्त्री-पुरुष सबके लिए; श्मशान के लिए भी पैसा; बच्चे के पालन के लिए भी; पहली क्लास में लड़की आ गई तो उसके लिए भी; जन्म लिया तो उसके लिए भी। सब प्रकार से, जिसे समग्र कहते हैं, कृषक, मजदूर, व्यापारी, उद्यमी, विद्यार्थी, सबके लिए यह बजट है।

बजट प्राथमिकताओं में मैं कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि 100 से ज्यादा पैरें हैं जन के लिए। आदमी को ध्यान में रखकर, सीवरेज हो, स्वच्छ ग्राम योजना हो, खेलकूद हो, मुक्तिधाम हो, दीनदयाल कौशल हो, विकास कौशल हो, सेंट्रल एक्सीलेंस हो, गुणात्मक कौशल हो, रिसर्जेंट राजस्थान, 3.16 लाख करोड रुपये के एम ओ यू हो गये। पहले कांग्रेस ने भी देखे-देख यह नाटक किया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। धीरज जी, कुछ नहीं मिला। यह मैं वाद-विवाद कर सकता हूं। अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। इसी प्रकार से एम बी बी एस में साढे तीन सौ, 70 साल बाद साढ़े तीन सौ सीटें बढ़ना। इसी प्रकार से शारदे बालिका विद्यालय, पहले 700 करोड़ रुपये लेप्स हो गया, सक्षम योजना, राजश्री योजना, आंगनबाड़ी के लिए मानदेय बढ़ाना भी गरीब के पक्ष में पैसे का हस्तानांतरण है। कुपोषण प्रबंध, कालेजों में वाई-फाई, जन सहभागिता, विद्यालय विकास, 770 विद्यालयों में कक्षा कक्ष नहीं हैं, पहली बार इतने विद्यालयों को चुना गया। व्यावसायिक शिक्षा बढ़ेगी। ये सब बातें हैं।

अब मैं जल पर आता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जल के बारे में, मैं पहली बार माननीया वसुंधराजी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पानी का उपयोग करने की योजना बनाई, उन्होंने अपने बजट में घोषणा की। अब तक इस देश को कांग्रेस ने अंधेरे में रखा। बड़ी-बड़ी परियोजनाएं, बड़ी-बड़ी परियोजनाएं, जिनका बी:सी रेश्यो निकालें, तो माइनस में चला जाता है। पहली बार उन्होंने स्वीकार किया और यह कहा, छोटी परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर हम करेंगे। बांसवाड़ा के बारे में मैं चार साल से उठा रहा था कि वहां माही का पानी चार दिन बाद समुद्र में चला जाता है। उसके लिए डी पी आर बनाने के लिए पहली बार बजट दिया है। नदियों को जोड़ने में, माही, कालीसिंध, पार्वती, चंबल, सरस्वती बेसिन, अम्बापुरा लिफ्ट चंबल अधूरी परियोजना, रवन सिंचाई परियोजना, व्यास, सतलज, घग्घर के बाढ का पानी 63 मध्यम और 370 लघु सिंचाई योजनाओं का प्रावधान किया है। गंग कैनाल

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

के बारे में, सिद्धमुख के बारे में, अमरसिंह और बीसलपुर परियोजना, ये सब बातें जल के बारे में हैं। जल स्वावलंबन का महत्वपूर्ण कदम है, जो सीधा ही पानी रिचार्ज होगा।

अब मैं जानवर पर आता हूं। यहां कृषि मंत्रीजी बैठे हैं, मैं उनको विशेष धन्यवाद दूंगा, जो पशु मुंह से बोलता नहीं, उनके बारे में एक हजार स्वास्थ्य केन्द्र खोले। 67 साल में पहले कभी नहीं हुआ इस प्रकार से। गायों के लिए गोपालन विभाग बनाया राजस्थान में। सबसे बड़ा गौ धन है। गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर 10 परसेंट सरचार्ज, पहले जो व्यापारी धर्मादा निकालता था, यह जो धर्मादा निकालने का जो प्रावधान किया है, इससे गायों का कल्याण होगा। गौ अभयारण्य के बारे में भी सरकार चिंता कर रही है।

अब मैं कुछ आय-व्यय के बारे में भी निवेदन करूंगा। ये भाई कह सकते हैं, 13 परसेंट था। इन्होंने 2012-13 से 2013-14 में वृद्धि की थी, जब इन्होंने बजट पास किया, केवल 13.80 परसेंट वृद्धि की थी। अब के माननीया वसुन्धराजी ने 24.6 परसेंट वृद्धि की है। एक साल की तुलना करके मैं इनको बता रहा हूं, ताकि थोड़ा-सा आइना दिख जाये। कर राजस्व में भी साढ़े 9 परसेंट वृद्धि थी इनके आखिरी वर्ष में; अब के 25.80 परसेंट वृद्धि कर राजस्व में हो रही है।

इसी प्रकार से जो पांच सेक्टर है, कृषि क्षेत्र में मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि 5.62 परसेंट एग्रीकल्चर पर खर्च किया जा रहा है, इनकी परम्पराओं के कारण से मैं निवेदन करूंगा कि इसको कैसे न कैसे 10 परसेंट किया जाये।

एक धन्यवाद दूंगा कि पहली बार शिक्षा पर 10 परसेंट से ऊपर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक संगठन है, जो पूरे विश्व का संगठन है, वह बार-बार मांग करता था कि शिक्षा पर 6 परसेंट से 10 परसेंट किया जाये; राजस्थान में पहली बार 11 परसेंट शिक्षा पर व्यय भार है, जो बजट में किया गया है।

इसी प्रकार से पेयजल में, प्लान बजट की मैं बात कर रहा हूं, पीछे के बजट रेकरिंग की नहीं, जो साधन चल रहे हैं, चलते रहेंगे। इनके समय में 2012-13 में इन्होंने केवल 559 करोड़ का बजट प्रावधान किया था, हमने उसको 70 परसेंट बढ़ाकर 951 करोड़ किया है। मैं प्लानिंग बजट कर रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 2015-16 में खर्चा कितना किया, वह तो बताओ। आप तो सत्यवादी हैं, सत्य बोलो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं मूल की बात कर रहा हूं। चिकित्सा पर 3366 करोड़ इनका, इनसे 125 परसेंट हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा है। सड़कों के बारे में भी 92 परसेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है।

मैं साक्षरता के बारे में थोड़ा-सा विशेष निवेदन करूंगा कि महिला शिक्षा में हमारा 35वां स्थान है। हमारे माननीय सचेतक जी कुछ कह रहे हैं। जब 1951 में महिला शिक्षा 3 परसेंट थी, आपके पूरे टाइम में 40 साल में 3-3 परसेंट बढ़ी। पहली बार जब हमारी सरकार 1990 से 2002 तक रही, भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री रहे, उस समय शिक्षा में एकदम जम्प लगाया, 20 परसेंट से 43 परसेंट। 23 परसेंट वृद्धि महिला शिक्षा में पहली बार दस साल में। उसके बाद फिर आप दुबारा आ गये और वह फिर डाउन होकर 9 परसेंट आ गई। क्या करें दुर्भाग्य है। जनता बदल देती है तो मानना पड़ता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप 2016 पर आओ।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): वह भी निवेदन करूंगा।

इसी प्रकार से गुणात्मक शिक्षा की बात ये करते हैं, आपके समय में 33 बच्चों पर एक अध्यापक था और उसको घटाकर अब हमने 28 पर एक अध्यापक कर दिया है और मिडल स्कूल में 14 पर एक कर दिया, जबकि आपके समय पर 18 पर एक था। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये। एक मिनट और लूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके मूल मुद्दे पर आओ, तीसरी संतान वाले पर। वह तो रह ही गया।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हां, आ रहा हूं।

एक तो विधायक कोष में वृद्धि की जाये।

शिक्षा का बजट, नई ग्राम पंचायतों में 10वीं और 12वीं की स्कूल खोली जायें। मेरे विराटनगर में ...

श्री उपाध्यक्ष: विधायक कोष में कितनी वृद्धि की जाय? आपने कहा कि विधायक कोष में वृद्धि की जाये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): पांच करोड़।

श्री उपाध्यक्ष: हां, तो बोलिए ना।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): विराटनगर के बारे में चार बातें कहूंगा, एक मिनट लूंगा, 7 वार्डों में जल व्यवस्था नहीं है, यहां जल मंत्रीजी बैठी हैं, मेरी स्कीम पास करवाई जाये।

धार्मिक पर्यटन स्थल बनाया जाये।

चिकित्सा मंत्रीजी नहीं हैं, मापदण्ड के अनुसार मेढ़ और आनूता में दो सी एच सी खोली जायें।

सरकारी कालेज, आई टी आई खोले जायें और कृषि संकाय को कालेज का दर्जा दिया जाये।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी सब मांगें पिछले दो साल की हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोपाल कृष्णजी। आप लिखत में या...।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): आपको अगर एतराज नहीं हो, तो थोड़ा-सा मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोल लें थोड़ा-सा।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): मैं लगातार अभी बोला नहीं। तबीयत थोड़ी कई दिनों से दुश्मनों की खराब है। इसलिए बोलने का अवसर नहीं मिला। आपने दिया यह अवसर, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

'सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय', यशस्वी श्रीमती वसुंधराजी, मुख्य मंत्रीजी द्वारा पेश बजट 2016-17 प्रदेश के विकास की रूपरेखा है मैप प्लान है।

(14.40 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

इसके लिए 2016-17 का ही नहीं, भविष्य में भी विकास की गंगा बहती रहे; 'सबका विकास, सबका उत्थान' होता रहे, यह कोई रेंडम सोच या अचानक आइडिया मन में आया, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रदेश की भौतिक, आर्थिक रिसोर्सेज की उपलब्धता और उसकी जरूरत की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए, 'सर्व जन हिताय' के रूप में sustainable, inclusive, equitous growth की तीन-वर्षीय रूपरेखा है।

इस क्लासिक बजट के निर्माण में शुरुआत होती है 'परिवर्तन यात्रा', फिर 'सुराज संकल्प यात्रा' के अनुभव व अन्य कई विशेषज्ञों की राय, जैसे

(श्री गोपाल कृष्ण)

डाक्टर्स, इंजीनियर्स, अर्थशास्त्री, प्रशासनिक पंडित, आदि की राय लेकर, उनके अनुभव से पूर्व की खामियों को दूर करते हुए, सात करोड़ से अधिक जनसंख्या की राय, नए भोर के सूर्य की भांति अपनी सुनहरी-सुनहरी रश्मियां बिखरेते, प्रगति के अनंत पथ पर प्रस्थान किया हुआ यह एक दिव्य दर्शन है, यह एक फिलोसोपी है। नूतन विचार के साथ नई नीतियों जैसे MSME, mines, startups, Rajasthan agro-processing, agro-marketing promotions. ITES, new tourism units and bio-technological polices के अतिरिक्त, 'राजस्थान रिसर्जेंट' के द्वारा 3 लाख 21 हजार करोड़ के निवेश के साथ 295 एम.ओ.यू. से इसको अमलीजामा पहनाया गया है। इसकी क्रियान्विति के लिए भी मानिटरिंग सिस्टम जो है, वह भी तैयार किया हुआ है, ताकि इस तरह के प्रयासों से और सबकी क्रियान्विति से अर्थव्यवस्था में वृद्धि और युवाओं को रोजगार सृजन का अवसर मिलता रहे। इस तरह से यह अग्रसर होता रहेगा। इस बजट का मूल उद्देश्य यही है।

एक तरह से है, it is an epic. 'एपिक', आप जानते हैं, महाकाव्य को कहते हैं। महाकाव्य जब लिखा जाता है तो ईश प्रार्थना भी की जाती है, भगवान की प्रार्थना की जाती है। मैं एक उदाहरण देता हूं रामचरित मानस का। इसमें तुलसीदासजी ने कहा है कि मैं यह जो रामचरित मानस लिख रहा हूं, इसमें कोई बाधा नहीं पड़े, तो सबकी वंदना की। सभी लोगों की वंदना की। इस तरह से वंदना की कि कोई मेरे इस बीच के अन्दर कोई अटका नहीं करे, बाधा नहीं करे। तो उन्होंने कहा-

बंदउं संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना।
बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं, मिलत एक दारुन देहीं।।

मैं वंदना करता हूं सज्जन और असज्जन, दोनों की। दोनों ही दुखप्रद हैं, कष्ट देने वाले हैं। लेकिन इनके बीच में कुछ अंतर वर्णन किया गया है। वह अंतर वर्णन क्या है, कि एक सज्जन तो जब जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। 'बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं. मिलत एक दारुन देहीं'। मिलते ही एक जो असज्जन होता है, वह कष्टों का भरमार है, आपके अन्दर डाल देता है। इसलिए ऐसे लोगों को, उन लोगों को, बाधा नहीं पहुंचाएं, उनकी भी वंदना करते हैं। सबके हाथ जोड़कर वंदना करते हैं कि कोई बाधा नहीं डाले। बाधा नहीं डाले कोई।

लेकिन अब इनकी तो क्या बात बतावें? इस एपिक को, इस महाकाव्य

(श्री गोपाल कृष्ण)

को पूर्ण होने दें और इसमें जो कुछ इस राजस्थान की जनता के लिए किया गया है, उसका पूर्ण होकर के, उनका फल प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, इस तरह का रास्ता साफ रखें। यही मेहरबानी होगी।

यह बजट एक मैराथन एक्ट है, Marathon walk of progress. For three hours, budget speech, without taking a drop of water. throughout standing, like a rock. The budget was presented to this august House. This is very well planned and very well thought of, beneficial to the subject of Rajasthan, people of Rajasthan, equal to all. सभी के लिए यह ऐसा बजट आपके सामने हमारी यशस्वी वसुंधराजी ने पेश किया है।

इस बजट को प्रदेश के उत्थान के लिए प्लांड वे में प्राथमिकता के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। आधारभूत ढांचा यह आवश्यक है, कई चीजों की आवश्यकता है, आधारभूत आर्थिक ढांचे की जरूरत है, महिला विकास की आवश्यकता है, बाल विकास की आवश्यकता है, किसान के विकास की आवश्यकता है; पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, आवास, ग्रामीण विकास, व्यापारियों, आदि सभी के लिए, उन सब की जरूरत है, उन सबके लिए यह बजट बनाया गया है। तो आर्थिक ढांचा किस ढंग से तैयार किया जाए, फिर उसमें किन-किन चीजों के लिए क्या-क्या प्रावधान किया जाए, यह तो एक आंकड़े का खेल है वैसे तो।

मैंने एक किस्सा सुना हुआ था कि जब बकरे को काटते हैं, मुसलमान के लोगों में काटते होंगे; मैंने सुना है, मैंने नहीं काटा; तो काटते हैं तो उससे पहले कलमा पढ़ते हैं, और कलमा पढ़कर उसको काट लेते हैं। फिर दूसरा आता है उसके लिए फिर कलमा पढ़ते हैं। तो यों करते-करते जब वह देखा कि हर कलमा पढ़ना पड़ता है तो फिर यों कहने लगे, जैसे एक बकरे के लिए कलमा पढ़ दिया, दूसरा जब आया, तो 'एनो सो तैनू; जो इसको कलमा पढ़ा, वही तैनू, तेरा को; ऐसा का ऐसा तेरा। तो यों समझ लीजिए।

मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। आंकड़ों का जो जाल, आंकड़ों की बात, आय-व्यय और किसमें कितना, यह सब आप के लोगों ने, यहां के लोगों ने मिलकर के उसको विस्तार से बताया। उसके बेनिफिशियल जो रिजल्टस हैं, उनके बारे में बताया। तो वह जो कुछ आपने कहा, जैसे 'एनो सो तैनू', तो जैसे आपने कहा, वैसे ही मैंने कहा समझ लीजिए आप। इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन इतनी बात तो जरूर कहूंगा, अब हमारे माननीय रामेश्वर जी तो हैं नहीं, वे कुछ भी बोल

(श्री गोपाल कृष्ण)

सकते हैं, यह बात सही है और इसलिए मैं यह कहता हूं उनके लिए, वे होते तो उनको बोलता, लेकिन आप कहो तो आपको बोल देता हूं, आप कह देना। ठीक है? उनका ऐसा रवैया है-

मेरा मुंह मेरी जुबां, मेरा मुंह मेरी जुबां, मुझपे किसी का जोर क्या।
मेरा मुंह मेरी जुबां, मेरा मुंह मेरी जुबां, मुझपे किसी का जोर क्या।
शिकवा ए बेदाद बेजा है तो बेजा ही सही।

भले ही इसे बेजा समझो, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। +++ माफ करना, वह यहां पर तो देखिए, अपोजिशन लीडर हैं, एल.ओ.पी.। यह 'एल' जो होता है लफ्फाजेबाजी होती है; ओ.पी. – ओप्रेसिव । लफ्फाजी ओपरेसिव वे में कहना और +++

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूं। माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं बीकानेर से।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): नहीं, नहीं, मैं उनकी कद्र करता हूं...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): इस तरह की लफ्फाजेबाजी तो आप कर रहे हैं, हुक्म। जिस तरह से सर्कस की बाते की हैं इन्हें बीकानेर के बारे में कुछ बोलना चाहिए। बीकानेर को एक धेला नहीं मिला है इस बजट में। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सम्मानीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): नेता प्रतिपक्ष भी बीकानेर से ही हैं और उनकी प्रशंसा में बोल रहे हैं। आपको क्या तकलीफ हो रही है इनसे?

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सदस्य रेल फाटकों की पिछले तीन सालों से कह रहे हैं, रेलवे के एलीवेटेड रोड बनाने की बीकानेर की जनता मांग कर रही है। बीकानेर को कुछ नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): यही मैं इनसे कह रहा था कि बाधा नहीं पड़े।

श्री सभापति : आप बैठिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): फिर बाधा करनी शुरू कर दी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): बीकानेर के हितों के साथ लगातार कुठाराघात हो रहा है। बीकानेर से माननीय दूसरी बार विधायक हैं, बीकानेर की जनता इनसे काफी उम्मीदें कर रही है, सरकार से, लेकिन बीकानेर को कुछ नहीं मिला और बीकानेर के विकास की बात नहीं कहकर (व्यवधान) सिर्फ लफ्फाजेबाजी की बातें कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): कह दिया ना आपने। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय नेता प्रतिपक्ष के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, मैं समझता हूं, हालांकि बहुत ...(व्यवधान) सदस्य है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): व्यक्तिगत टिप्पणी करना ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): पूरे सदन का अपमान है। माननीय नेता प्रतिपक्ष...

श्री सभापति: आसन पैरों पर है। आप बैठिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सारे विधायक दल का नेतृत्व करते हैं।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): मैंने कोई डेरोगेटरी रिमार्क नहीं कहा है।

श्री सभापति: बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, आप अपनी बात करो। कौन क्या करता है, छोड़ो ना उसको आप।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): व्यक्तिगत टिप्पणी उचित नहीं है।

श्री सभापति: कौन कैसी एक्टिंग करता है, क्या मतलब अपना? आप अपने बजट की बात करो।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): किसी भी वक्तव्य में प्रस्तावना करनी पड़ती है।

श्री सभापति: आप बैठें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): बीकानेर को क्या मिला, क्या नहीं मिला, उस सम्बन्ध में बात करें।

श्री सभापति: आप बैठें।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): यह तो प्रस्तावना है। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: आप बैठिये। आसन ने निर्देश दिया, कह दिया, फिर आपको क्या दिक्कत है? (व्यवधान) आसन ने निर्देश दे दिए इनको, फिर क्या दिक्कत है? बैठो ना आप।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं अनुमति ले रहा हूं।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): नहीं, नहीं, कोई बात...। देखिए, मैं तो क्या है...

श्री रमेश (सपोटरा): जो टिप्पणी है उसको निकलवाइये। अगर किसी को कुछ कहना है तो नोटिस दें। नियमों में बात है। नोटिस दें उसके खिलाफ। (व्यवधान)

श्री सभापति: निर्देश दे दिया आसन ने।

श्री रमेश (सपोटरा): उसको निकलवाइये आप।

श्री सभापति: आप बैठो। आप बैठो।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): बात सुनिए मेरी। मैं तो ऐसा आदमी हूं....

श्री भंवरसिंह (कोलायत): इस तरह की टिप्पणियां करना उचित नहीं है।

श्री सभापति: नेता प्रतिपक्ष इस सदन के सदस्य हैं।(व्यवधान) इस सदन के सदस्य हैं वे।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): मैं चालीस साल बाद यहां आया हूं, तो आपने वह कहानी सुनी होगी कि पप्पू पास हो गया।

श्री सभापति: आसन ने माननीय सदस्य को निर्देश दे दिया किसी की बात नहीं करें बजट की बात में। कह दिया आसन ने। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): मैं अपने आपको पप्पू नहीं कह सकता क्या? (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, जो टिप्पणी की गई है ... (व्यवधान) सदन की कार्यवाही से निकाली जाए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): मैं कहता हूं कि चालीस वर्ष बाद मेरे को मौका मिला यहां आने का ...(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सदस्य ने जो भी बातें कही हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के बारे में, कार्यवाही से निकाली जाएं। इतना ही निवेदन है आपसे।

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच-बीच में1 इतने सीनियर सदस्य बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): आप इसको बुरा मानते हैं तो माफ कीजिए। मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। बाहर तो आप यह समझते हो कि आपको मैं कुछ भी कह सकता हूं, रामेश्वर जी को भी कुछ भी कह सकता हूं। अब यहां पर....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन को इंगित करके अपनी बात कहें। समय वैसे भी बहुत कम है, आपकी तबीयत भी खराब है। आप आसन को इंगित करके अपनी बात करें। (व्यवधान)

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): चलो, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं तो चाहता था कि मेरा लिखा हुआ मैं यहां पर रख दूं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यह सारी चीज, क्योंकि लम्बा-चौड़ा, बहुत बड़ा बजट है, इस बजट के अन्दर बहुत सारी बातें हैं, जिनको कहना पड़ेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको जो कुछ कहना है, वह आप टेबल कर दें।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): आप अगर आज्ञा दें तो मैं लिखित में भेज दूं? यहां दे दूं? (व्यवधान) पप्पू पास हो गया। तो मैं बोल रहा हूं ना, साहब। चालीस साल बाद में पप्पू पास हुआ है, इसलिए कुछ तो मिठाई हो जाए। बात तो यह है। अब मेरे को आप बोलने ही नहीं दोगे। यह कोई बात हुई क्या? (व्यवधान) मैं तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी कुछ नहीं बोला, बजट पर कुछ नहीं बोला। थोड़ा समय तो मुझे दो, अपनी बात को कहने में, जमाने के अन्दर। भैया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों जोर से बोलते हो ऐसे? अभी थोड़ा मेरे को बोलने दो। ऐसा नहीं है। मैं तो एक-एक करके छोटी-छोटी बातें कह दूंगा। मेरे को ज्यादा नहीं कहना।

श्री सभापति: बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, आपने खुद ने कहा था कि मैं अपना लिखित वक्तव्य टेबल करूंगा। आप अपना वक्तव्य टेबल कर दो।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): इन्होंने बीकानेर के लिए बहुत अच्छे काम किये हैं। बड़ी सुलभता के साथ चिकित्सा के सम्बन्ध में, भंवरसिंह जी आप भी जानते हैं कि चिकित्सा के बारे में इन्होंने कितना काम किया है। जल के लिए जितनी आप मांगें मांगो, उतनी मांगें आपकी मानने को जलदाय मंत्री किरण जी माहेश्वरी तैयार हैं। सारे के सारे आपके लिए तैयार हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, आप मेरी बात को पूरा सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आपकी बातों को तो तवज्जोह मिलेगी। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बोलने दो। सभापति महोदय, यह कोई तरीका थोड़े ही है। इतने बुजुर्ग आदमी हैं। बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो।

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): मैं बजट की सारी बातें, टोटल कितने रुपये लगे, कितने रुपये आये, कितने गये; इन्होंने 300 करोड़ रुपयों की तो आय की है, 325 करोड़ की राहत दी है। यह देखिए, मूल बात यह है। अगर अपन ज्यादा से ज्यादा बजट की बात करें तो राहत भी दी है। लिया तो कुछ नहीं है। कई जगहों पर छूट दे दी, चाहे पानी हो, बिजली हो, चाहे कहीं हो। कृषकों के लिए, बच्चों के लिए, खास तौर से बच्चियों के लिए, इन्होंने जन्म से लेकर उनके हाई एजुकेशन तक सब स्टेज पर उनको पैसा देने का और प्रोत्साहित करने का इसका अन्दर उल्लेख किया है, और ये देंगे भी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं माफी चाहूंगा, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है। अगर आप मुझे कहें तो मैं वापस रख देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक शेर सुना दो।

श्री बंशीधर (खण्डेला): एक शेर सुना दो फिर टेबल कर दो।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): शेर नहीं, देखिए Abuse as much, abuse as much as you can, or as you will, but it often has a benefit, rather than an injury. It would be a benefit to us, rather than an injury. जितने भी आप एब्यूज करोगे, तो उससे हमको फायदा होगा। इसलिए आप शांति से, जो कुछ थोड़ा कहते हैं, सहन भी कर लो। क्या हर्ज है? कभी इस उम्र का आदमी कह देता है तो आप माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं है।

मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, मेरे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए यह पेपर आप कहो तो मैं रख देता हूं।

श्री सभापति: आपको अनुमति है।

श्री धीरज गुर्जर।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): इसके साथ मैं अपनी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपना वक्तव्य टेबल कर दें।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): आभार प्रकट करता हूं चेयर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। और आगे समय आएगा तो कुछ एक बातें, कुछ एक शेर, कुछेक इधर-उधर की बातें, गपशप भी करेंगे। बुरा मत मानना। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

(माननीय सदस्य श्री गोपाल कृष्ण के द्वारा आय-व्ययक पर अपना शेष वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया) (लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो आसन का आभार कि मुझे बोलने का मौका दिया, लेकिन बड़ा दु:ख है कि सदन के अन्दर बजट को कलमा कहा जा रहा है, राजस्थान की जनता को बकरा कहा जा रहा है, सदस्यों को, सरकार को बकरा काटने वाला कहा जा रहा है। अभी बजट रखा उस बजट को कलमा, ...(व्यवधान) मैने नहीं उठाया, माननीय सदस्य की बात को।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): आपकी मानसिकता जनता के सामने भी आ गई और सदन के सामने भी आ गई।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मेरी मानसिकता तो मुझे पता है, लेकिन आज मैं बजट पर अपनी बात इन शब्दों के साथ शुरू करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता जिस मकसद से विधायिका का गठन करती है, विधान सभा के अन्दर हमें चुनकर भेजती है, वह इस मकसद के जो महत्वपूर्ण काम होते हैं, उसके अन्दर दो बहुत महत्पूर्ण काम होते हैं। इसके अन्दर एक काम यह भी है कि राजस्थान की जनता, उनके द्वारा कमाई गई गाढ़ी मेहनत की कमाई से, जो पैसा वे कमाते हैं, टैक्स देते हैं, उस पैसे पर निगाह रखने के लिए हमारे को मुनीम बनाकर भेजती है। सरकारों के द्वारा जो बजट दिया जाता है, वह बजट जब पेश किया जाता है, उस पेश करने के अन्दर राजस्थान के विधायकों की हैसियत सिर्फ इतनी रह गई है कि जो सत्ता पक्ष के अन्दर होंगे, चाहे उनको बजट समझ में आए, पसंद आए, या नहीं आए, उनको 'हां' बोलना है और 'ना' पक्ष के अन्दर है उनका 'ना' बोलना है।

(श्री धीरज गुर्जर)

बजट बनाने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया अक्टूबर महीने के अन्दर शुरू होती है। उसके अन्दर जब वित्त विभाग परिपत्र जारी करता है, अलग-अलग डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखकर पूछते है कि आपको अपने डिपार्टमेंट के अन्दर क्या खर्चा चाहिए, आपको अपने डिपार्टमेंट के अन्दर कितना पैसा चाहिए, आपको अपने डिपार्टमेंट के अन्दर सरकार से क्या अनुदान लेना है। उसके बाद विभाग के अन्दर जो कमेटियां बनी रहती हैं, बजट निर्धारण समितियां, वे मीटिंग करती हैं। अक्टूबर से जनवरी तक मीटिंग्स चलती हैं। जनवरी के अन्दर वह अपनी मांग वित्त विभाग के सामने पेश कर देते हैं। उसके बाद फरवरी के अन्दर उनका जो विभाग है, सेन्ट्रलाइज करके उस चीज को सरकार के पास भेज देते हैं, वित्त विभाग के पास भेज देते हैं। उसके बाद, सरकार किसी भी पार्टी की हो उस सरकार के वित्त मंत्री उस बजट को सदन के अन्दर पेश कर देते हैं।

जब बजट सदन के अन्दर पेश हो गया, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा करने का, उसके बाद बात करने का, फिर उसके बाद जब हाथ ही खड़ा करवाना है..; राजस्थान की जनता ने जब हमें अपना मुनीम बनाकर भेजा है तो इस बजट की प्रक्रिया के अन्दर, जिस दिन से यह प्रक्रिया शुरू होती है, उस दिन से राजस्थान की जनता का और राजस्थान के विधायकों का हस्तक्षेप होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट के अन्दर कितना पैसा जाएगा, किस डिपार्टमेंट के अन्दर कैसा काम होगा। यह प्रक्रिया जब तक हम निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने विधायी कार्यों का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, यह सिर्फ बी जे पी की बात नहीं है, चाहे बी जे पी सत्ता में रही, चाहे कांग्रेस सत्ता के अन्दर रही, राजस्थान के अन्दर जो विधायक है उनका हस्तक्षेप, जनता हैं, एन जी ओ है, इनका हस्तक्षेप, जब बजट निर्धारण होता है, जब विभागों के द्वारा पैसे की, अनुदान की मांग की जाती है, उनके अन्दर पहले मौका होना चाहिए, बहस पहले होनी चाहिए, उसके बाद बजट पेश होना चाहिए, ताकि उस बजट के अन्दर उन विधायकों की भावनाएं आ सकें, क्षेत्र के विकास की बात आ सके।

(15.00 बजे)

दूसरा महत्वपूर्ण काम, जनता हमें इसलिए भेजती है कि राजस्थान के अन्दर, या पूरे देश में कहीं भी हो, विधायकों के द्वारा ये जो बेलगाम घोड़े हैं अफसर, आज जन तंत्र के अन्दर और लोकतंत्र के अन्दर शासन इसलिए

(श्री धीरज गुर्जर)

बनता है कि जनता के द्वारा, जनता के चुने हुए आदमी, जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा है, इस देश का दुर्भाग्य आज भी है कि जनता तो बन गई है गरीब और जनता के ऊपर शासन करते हैं ये अधिकारी। क्योंकि इन्होंने इस बात को गांठ लिया है कि ये नेता हैं, ये 'हां' पक्ष और 'ना' पक्ष में बंटे हुए लोग हैं; ये राजनीतिक दलों की विचारधारा से बंटे हुए लोग हैं। इस सदन का दुर्भाग्य देखिये, इस देश का दुर्भाग्य देखिये, यहां पर चपरासियों की यूनियन है, यहां पर तहसीलदारों की यूनियन है, यहां पर आई.पी.एस. और आई.ए.एस. की यूनियन है, लेकिन नेताओं के अन्दर देखो। पुलिस कभी पुलिस का विरोध नहीं करती, अधिकारी कभी दूसरे अधिकारी का विरोध नहीं करता, लेकिन नेताओं को मौका मिलना चाहिए, एक नेता के तकलीफ आते ही, सारे नेता टूट पड़ते हैं कि इसका इलाज हो जाये। नेता आपस में लड़ते हैं, हम लोग। उसका फायदा इस राजस्थान के अन्दर ये अधिकारी उठा रहे हैं।

आज राजस्थान के अन्दर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह दिल का दर्द है कि जो विधायक जीत कर आते हैं, ये भी जानते हैं कि 5-5 साल के अन्दर, राजस्थान के अन्दर पलटा लग रहा है, इनको पांच साल सहन करना है। पांच साल तक ये उस आदमी को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ऐसी नीतियां बनवाते हैं सरकार से कि सरकार गलती करे। आप उदाहरण देख लीजिये। हमें क्या पता, जब हम प्रश्न उठाते हैं, हम पहली बार सदन के अन्दर आये विधायक बनकर, तब हमारे मन के अन्दर यह था कि इस सदन के अन्दर बात रखने का बड़ा महत्व होता होगा, इस सदन के अन्दर किसी बात की जानकारी मांगते होंगे तो उस जानकारी से अधिकारी हिलते होंगे, लेकिन मैंने इस बात को महसूस किया कि कैसा दुर्भाग्य है हमारा और इस जनता का कि जिसकी हम शिकायत करते हैं, आज गांव का एक आदमी शिकायत करे कि मेरे पास में रोड़ी पड़ी हुई है, उस रोड़ी को हटवा दिया जाए। वह कलक्टर के पास जायेगा, कलेक्टर उस शिकायत को एस.डी.एम. को भेज देगा, एस.डी.एम. उस शिकायत को तहसीलदार के पास भेज देगा, तहसीलदार उस शिकायत को उसी पटवारी के पास भेज देगा, उसके गांव के अन्दर। वह पटवारी कहेगा, अच्छा, मेरी शिकायत करता है; जा, बेटा, तेरी रोड़ी किसी से नहीं हटेगी। यह कैसा दुर्भाग्य है। इसी तरह विधायक प्रश्न लगाता है, उस प्रश्न का जवाब सरकार नहीं देती है, सरकार के मुंह से उस प्रश्न का जवाब कहलवाया जाता है, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर ये अधिकारी बनाते हैं।

(श्री धीरज गुर्जर)

ये अधिकारी, जब विधायकों की सैलेरी बढ़ जाती है तो पूरा देश कठघरे में खड़ा कर देता है। चौबीस घण्टे इस देश के अन्दर जो आदमी काम कर रहा है, वह विधायक ही तो है। आप किसी गांव के आदमी को कहो कि रात को 11 बजे एस.पी. के फोन लगा ले; गांव के किसी आदमी को कहो कि रात को 12 बजे तेरे गांव के अन्दर चोरी हो गई, तू थानेदार को फोन लगा ले। रात को एक बजे भी लाइट कट जाएगी तो उस एम.एल.ए. को फोन लगाएंगे। और कैसा साधन, राजस्थान के अन्दर आपने प्रोटोकाल, मैं तो कहता हूं, हमारे प्रोटोकाल को बंद कर दीजिये। राजस्थान के विधायक का प्रोटोकाल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होगा। कोई पुलिस का सिपाही देखकर तो हमें खड़ा नहीं होता और आप कह रहे हो, चीफ सेक्रेटरी के बराबर होगा। जब इनके कलक्टर के कुत्ते को घुमाने के लिए, राजस्थान के एक-एक एस.पी. को 16-16 सिपाही दे रखे हैं आपने। वह एस.पी. क्या करता है। जूते पालिश करने वाला सिपाही अलग; कपड़ों के प्रेस करवाने वाला सिपाही अलग; उसके घर पर राशन लाना है, उस राशन को लाने वाला अलग; उसकी पत्नी को घुमाने ले जाना है, उसकी पत्नी को घुमाने ले जाने वाला ड्राइवर अलग। उसके डिपार्टमेंट की जितनी गाड़ियां हैं, एक मंत्री अगर किसी गाड़ी को मंगवा ले तो उस मंत्री के ऊपर अख़बार के अख़बार रंग दिये जाते हैं और ये अपने डिपार्टमेंट के अन्दर काम करने वाले हर आदमी को, अपने डिपार्टमेंट के हर संसाधन को, ये लोग अपना जर खरीद गुलाम समझते हैं। कलक्टर के कुत्तों को भी घुमाने के लिए गार्ड लगा रखे हैं। राजस्थान के विधायकों ने अगर सिपाही मांग लिये, तो 'माननीय को सुविधा चाहिये'। राजस्थान के विधायकों ने अगर अपने हित में कोई मांग कर ली, तो उसको कह देंगे, यह नहीं। ये नहीं सोचते कि राजस्थान का जो विधायक होता है, या कोई भी जन-प्रतिनिधि, प्रधान हो, सरपंच हो, सी.आर. और डी.आर. हो, उन लोगों को इन शासकों ने, जो जनता का भला करने के लिए इनको सिस्टम को बनाना चाहिये, उस सिस्टम के ऊपर ये कब्जा करके बैठ गये। ये देख लेते हैं कि यह मंत्री दबने वाला है तो मंत्री फोन करता रहे, उसका फोन नहीं उठाएंगे। ये देख लेंगे कि यह मंत्री हमारा काकाजी है, हमारे दबाव में नहीं आने वाला है, तो उसके हाथ से कोई गलत काम करवा देंगे और विपक्ष को सवाल पकड़वा देंगे। गड़बड़ भी ये करवाएंगे, सवाल भी ये पकड़ाएंगे और उसका जवाब भी ऐसा दिलवाएंगे उस नेता के मुंह से कि उस नेता की किरकिरी हो जाएगी; आइन्दा वह अधिकारी के सामने बोलना बंद कर देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर हमें कम से कम

(श्री धीरज गुर्जर)

एक बात पर एक होना होगा कि जब जनता की भलाई की बात आये, जब जनता के लिए काम करवाने की बात आये, तब हम सब एक होकर इन अधिकारियों के लगाम डालें और इनसे काम करवाएं।

मैं इस बजट के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से एक मांग भी करना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो। जिस तरह से केन्द्र सरकार ने प्रत्येक जिला मुख्यालय के ऊपर सांसद का एक कार्यालय बनवाया, जिसके अन्दर वह अपनी जन सुनवाई करता है, प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर हर विधायक का एक जन संवाद कार्यालय होना चाहिये। आज आप कहते हो कि राजस्थान का विधायक प्रोटोकाल में चीफ सेक्रेटरी से भी बड़ा है; राजस्थान का जो तहसीलदार है ना, उसके पास भी सरकारी गाड़ी है; राजस्थान के तहसीलदार के पास भी पूरा स्टाफ है, उसके पास भी पूरे बाबू हैं; विधायक के पास क्या है? कुछ नहीं। विधायक के पास कुछ भी नहीं है। विधायक से आप कहते हैं, सुबह 8 बजे आप मोबाइल का रिकार्ड निकाल लीजिये, आज आप सत्ता पक्ष के या विपक्ष के, सुबह छह बजे से गांव का आदमी घण्टी करता है। रात को 2 बजे भी अगर किसी का ट्रक पकड़ लेगा, और मैंने तो यह भी देखा है, यह हमारा दुर्भाग्य नहीं है क्या कि अगर कोई सिपाही मोटरसाइकिल, एक नई परम्परा शुरू हुई है राजस्थान के अन्दर मोबाइल टेप करने की कि नेता फोन करे, हर अधिकारी ने राजस्थान के अन्दर अब अपने मोबाइल्स के अन्दर एप्लिकेशन डाउनलोड कर ली कि जैसे ही किसी नेता का फोन आये, सत्त या विपक्ष के आदमी का, इसके मोबाइल की रिकार्डिंग कर लो। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि हमने किसी के लिए फोन कर दिया कि भैया, यह गांव का आदमी जा रहा है, तूने इसकी मोटरसाइकिल पकड़ ली, छोड़ दें। तो उसकी आवाज को रिकार्ड करके वायरल कर देंगे। सौ-सौ रुपये लेकर आप रोज मोटरसाइकिल नहीं छोड़ते हो क्या? अगर आप इतने ईमानदार हो तो कोई नेता आपको फोन करके नहीं कहेगा कि तू मेरा यह काम कर दे। और बार-बार विधायकों को कठघरे में खड़ा करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कितने विधायक फोन करके यह कहते हैं कि मेरे मकान का पट्टा बनवा दे? कितने विधायक फोन करके कहते हैं कि मेरा यह मुकदमा हटा दे? कितने विधायक या जन-प्रतिनिधि फोन करके यह कहते हैं कि तू मेरा व्यक्तिगत काम कर दे? अगर कोई भी जन-प्रतिनिधि है तो वह जनता के काम के लिए फोन करता है। इसलिए रोक लगाई जाए इनके ऊपर। इनको ऐसे मोबाइल दिये जाएं, जिनके अन्दर टेपिंग नहीं होती।

(श्री धीरज गुर्जर)

आप लाते कहां से हो? आप कहते हो, हमारे तो तनख्वाह ही नहीं मिल रही। जब आपको तनख्वाह नहीं मिल रही, तो एप्पल का आई-फोन कैसे लेकर आ रहे हो आप? यह सब बेईमानी की कमाई से लाये हुए फोन हैं, जिन फोनों के अन्दर ये लोगों की आवाज टेप करते हैं, लोगों को ब्लेकमैल करते हैं। राजस्थान की जनता को अगर, सत्ता हो या विपक्ष हो, अगर लूटने का काम किया है तो इन अधिकारियों ने किया है। धीरज गुर्जर इतनी मर्दानगी से इसलिए बोल रहा है, मुझे पता है, किसी न किसी मामले में दो-पांच दिन के अन्दर लपेटे में ले लेंगे। मैं लपेटे में नहीं आऊंगा तो मेरे परिवार के किसी आदमी को लपेटे में ले लेंगे। लेकिन फिर भी मैं सदन के अन्दर बोल रहा हूं कि राजस्थान की जनता को अगर भ्रष्टाचार से मुक्त करवाना है, 2 प्रतिशत और 3 प्रतिशत कमीशन कोई नेता खाता है क्या? एम.बी. भरने के अन्दर सरपंच से पैसा कौन लेता है? पी.डबल्यू.डी. की सड़कों की एम.बी. भरने के अन्दर पैसा कौन लेता है? बदनाम नेता होता है। क्योंकि जब हम सत्ता में होंगे तो आप पर अंगुली उठाएंगे कि भ्रष्टाचारी हैं, आप चोर हैं, आप खा गये, खा गये, खा गये। अभी जो जेल में हैं, वह आई.पी.एस., आई.ए.एस. जेल में हैं, या कोई विधायक जेल में हैं, भ्रष्टाचार के मामले के अन्दर? पैसा ये खाते हैं, लूट ये करते हैं और बदनाम राजस्थान के जन-प्रतिनिधियों को करते हैं।

इसलिए मैं सदन के अन्दर कहता हूं कि या तो हमें दे दिया जाये, एक दर्जा दे दिया जाये कि विधायक का कोई प्रोटोकाल नहीं है, यह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। एक झुन्झुना पकड़ा दिया, प्रोटोकाल, प्रोटोकाल। हम मन में खुश होकर घूमते थे, हम कालेज के अन्दर सोचते थे कि एम.एल.ए. बन जाएंगे तो कमाल हो जाएगा, पर पता लग गया कि जिस आदमी में खुद में ताकत है तो उसकी बात तो कलक्टर भी मान लेगा। किसी की बात अगर कोई मान रहा है, और बात किनकी मानते हैं? बहुतों में एक कमी यह भी रही कि राजस्थान के अन्दर जो मंत्री बनते आ रहे हैं, आज मान लीजिये, अशोक गहलोतजी, मैं नाम नहीं लूं, हमारी तरफ के जो मुख्य मंत्री रहे हैं, बी.जे.पी. के राज में अगर वे फोन करेंगे तो वे काम कर देंगे; हमारे समय में कोई गृह मंत्री रहा है, आज वह किसी अधिकारी को फोन कर दें, तो उसका काम कर देंगे; लेकिन जो पहली, दूसरी बार के विधायक रहते हैं, जो मंत्री नहीं बने हैं, वे अगर फोन करते हैं, तो सत्ता पक्ष के अन्दर जो लोग नमस्कार करते थे, कांग्रेस के राज के अन्दर हारे हुए आदमी को भी, आज वे बी.जे.पी. के राज के

(श्री धीरज गुर्जर)

अन्दर जीते हुए विधायक से राम-राम नहीं करते। यही हालत आपकी कर देंगे। जब कांग्रेस का राज होगा, तब आपका फोन नहीं आ जाये, चेहरा छुपा लेंगे।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह बात मैंने इसलिए कही क्योंकि मुख्य मंत्री तक इस बात की आवाज पहुंचे, क्योंकि इसी सदन ने ऐसे-ऐसे विधायक दिये हैं...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दर्द बहुत गहरा है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जोगारामजी, यह दु:ख मेरा नहीं है। मेरे बारे में तो...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप ही की बात कही है कि दर्द बहुत गहरा है। सबका है, आप ही नहीं। (व्यवधान) क्योंकि दर्द बहुत गहरा है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, जो विधायक मन की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के प्रत्युत्तर में प्रधान मंत्रीजी ने इस पीड़ा को बहुत गम्भीरता से, यह कितना बड़ा भ्रष्ट ककस पूरे हिन्दुस्तान की व्यवस्था में बन गया होगा कि भारत के प्रधान मंत्री को भी +++ पूर्वक भाषण देकर इसे चैलेंज के रूप में प्रतिपक्ष और सदन के सामने रखना पड़े। यह गम्भीर विषय है। साधारण बात नहीं है। माननीय विधायक के वक्तव्य को हंसी-मजाक में नहीं टाला जा सकता।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, +++ पूर्वक भाषण नहीं था। उन्होंने तो जो सच्चाई थी, वह पेश की। +++ शब्द उनके लिए उपयुक्त नहीं है। वह +++ शब्द आप हटा दें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): प्रधान मंत्री सच्चाई से रूबरू हों... (व्यवधान) और इस काकस की ताकत को स्वीकार करें, तो यह पूरे हिन्दुस्तान की डेमोक्रेटिक व्यवस्था के लिए चैलेंज है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि इस ताकत को...

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): यह माननीय विधायक के इस वक्तव्य को साधारण हंसी-मजाक का, एक आत्म-स्वीकारोक्ति; ये सही बोल रहे हैं, पक्ष-विपक्ष, इस विषय में नहीं लिया जा सकता।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): प्रहलादजी, प्रहलादजी ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): यह इतना बड़ा गम्भीर विषय है। यह सदन में चर्चा करके और सदन में फैसला करने का सब्जेक्ट है, माननीय सभापति महोदय। इस पर कोई न कोई रेग्यूलेटरी बोर्ड बनाने की और कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। यह साधारण बात नहीं है। यह बहुत बड़ा गम्भीर विषय है। डेमोक्रेसी की व्यवस्था को लील रही है यह व्यवस्था। (व्यवधान) ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, एक-एक मेम्बर।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): प्रहलादजी, आप बिलकुल सही कह रह हों और वे विधायक महोदय भी सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा इस पर निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, इसका जिम्मेदार कौन है? 59 साल तक तो राज इन्होंने ही किया है और यह सब इनका ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): कृपालानीजी, आप मेरी; माननीय सदस्य, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): पक्ष-विपक्ष में इनका और इनका रहा, तभी तो खराब हो गये। तभी तो आपकी सुनने से रह गये लोग। तभी तो नहीं सुने। यह पूरे सदन की ही बात है। ...(व्यवधान) आप सुधार लो। आप आज पाँच साल में सुधार दो, अब तो बना दो कुछ। हम यही निवेदन कर रहे हैं कि आप बना दो, ताकत से आज। अब तो बना दो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हम करेंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अब तो आपके पास है पूरी शक्ति।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): निम्बाहेड़ा से आने वाले हमारे आदरणीय माननीय सदस्य, ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मेरी बात सुनो। एक मिनट। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, हमारा इस बात का दुर्भाग्य है कि हम जब इस सदन के अन्दर कदम रखते हैं तो अपनी पार्टी की विचारधारा से इतने बंधे हुए होते हैं कि हमको जब जनता की बात करनी चाहिए, तब भी कांग्रेस, बी.जे.पी., बसपा और सपा के अन्दर बंट कर एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं, लेकिन जिन पर लगाम लगानी चाहिए, वे हमारा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम चुनाव लड़ेंगे, एक-दूसरे के खिलाफ बोलेंगे लेकिन उससे पहले जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा है, जिस जनता ने हमें जिम्मेदारी देकर भेजा है कि उनको बेहतर गवर्नेंस मिले, क्योंकि जनता के शासन के अन्दर जनता भगवान होती है; हमें पांच साल के अन्दर 500 बार परीक्षा देनी पड़ती है। रोज सुबह एक नई परीक्षा होती है कि कहीं अख़बार में उलटा-सीधा नहीं आ

(श्री धीरज गुर्जर)

जाए, कहीं लोगों में हमारी छवि खराब नहीं हो जाए। ये जीवन में एक बार परीक्षा देकर पास होते हैं। ये किताबों को जीत कर आते हैं और हम लोगों के दिलों को जीत कर आते हैं। इस बात का इनको अहसास होना चाहिए।

इन अधिकारियों ने एक परम्परा बना ली है कि राजस्थान के अन्दर हर पांच साल में सत्ता परिवर्तित होती है, ये मंत्री को कुछ नहीं समझते। मैंने देखा है कि राजस्थान सरकार में किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये खुद अखबारों में, ख़बरें लीक करते हैं, ये खुद जनता के सामने विधायकों को कठघरे के अन्दर खड़ा करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य, आज सदन में लड़ाई हो रही थी, सांगानेर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया, श्लोक का जो प्रश्न था और एक हमारे भाई महरियाजी ने बजट के आंकड़ों का, सरकार की किरकिरी सरकार ने करवाई क्या? यह बजट, आप सब भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि इन शब्दों को लिखकर किसी भी पार्टी का मुख्य मंत्री हो, किसी भी पार्टी का मंत्री हो, ये अधिकारी उसको तैयार करके लाते हैं। इन्होंने जानबूझकर किरकिरी करवायी सरकार की। जो जनता के भले के लिए मंत्र पढ़ना चाहिए था, उसकी जगह राज्यपाल महोदय के मुंह से इन्होंने श्मशान घाट पर पढ़ने वाला मंत्र कहलवा दिया; अंतिम संस्कार का मंत्र कहलवा दिया। इन्होंने बजट के आंकड़ों के अन्दर, जो मुख्य मंत्री को पेश करना था, उसके आंकड़ों में परिवर्तन कर दिया।

अब सवाल इस बात का नहीं है कि हमने उसके ऊपर प्रश्न उठा लिया। सवाल इस बात का है कि जब तक हम इनकी, विपक्ष कोई प्रश्न पूछता है सत्ता पक्ष से तो सत्ता पक्ष इकट्ठा होकर उसका विरोध करता है, उस अधिकारी की बेईमानी सामने क्यों नहीं आने देते, जो अधिकारी जनता को दोनों हाथों से लूट रहा है? आज सरकार कांग्रेस की रही हो या बी.जे.पी. की रही हो, कांग्रेस ने अगर आर.टी.आई. के माध्यम से जनता की मांग उठाई, कांग्रेस ने अगर सुनवाई का कानून दिया, तो आप लोगों ने भी पोर्टल के माध्यम से विधायकों की और जनता की समस्याओं को उसमें दर्ज करवाने का काम करवाया है, लेकिन हमारा शासन था या आपका शासन था, दोनों शासनों के अन्दर उन शिकायतों पर कार्यवाही कौन करता है, ये अधिकारी, जो अधिकारी जनता की सुनना नहीं चाहते। ये अपने आपको सुपीरियर ही मानते हैं कि हम तो बहुत समझदार हैं, हम तो पढ़-लिख, किताब पास करके आये हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम लोग भी जो जीत कर आते हैं, वे ढाई लाख, तीन

(श्री धीरज गुर्जर)

लाख आदमियों के दिलों को जीतकर, उनकी भावना..., कोई विधायक बोलता है तो उसके अपने शब्द नहीं होते हैं। कोई विधायक या कोई राजनीतिक पार्टी अगर कोई बात कहती है तो वह उस पार्टी के शब्द नहीं होकर वे शब्द होते हैं, उस जनता के जो जनता...। आज कितने अधिकारी, हर सरकार सर्कुलर निकालती है कि अधिकारी रात में जाएं, गांवों के अन्दर रहें, कितने अधिकारी गांवों में जाते हैं? कितने अधिकारी गांव के गरीब के घर पर बैठते हैं? कितने अधिकारी गांव के उस नंगे लड़के को अपनी गोद पर लेते हैं? इनको शर्म आती है। ये भूल जाते हैं कि जिस परिवार में इन्होंने जन्म लिया था, जब इनको नौकरी लगनी थी तब तो इन्होंने जूतियां चटका दीं, लेकिन जब ये कुर्सी पर आ जाते हैं, जब इनके हाथ में कलम आ जाती है तो उस कलम का दुरुपयोग ये लोग जिस काम के लिए करते हैं, उस काम को हमें समझना पड़ेगा।

हमें आपस में एक होना होगा। मैं यह नहीं कहता कि आप हमारी विचारधारा से मिल जाओ, या हमारे काम कर दो, लेकिन इस चीज को हमें कहीं न कहीं तो सोचना होगा न कि जहां पर...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

खतम करने की बात आ रही है, तो मैं अपनी इस बात को यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन मेरा एक दायित्व है कि जिस पार्टी से मैं जीत कर आया हूं, उसकी बात भी आपके सामने रखूं। राजस्थान, और मैं अभी आपके सामने आलोचना जो करूंगा, उस आलोचना को आप यह मानकर आलोचना मत मान लेना कि हमारी आलोचना कर रहा है, हम आलोचना इसलिए करते हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने काफी बातें रख दीं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मात्र दो मिनट।

श्री सभापति: और जितना समय आपका था, उससे ज्यादा समय आपको सदन ने, आसन ने दे दिया।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आखिरी दो मिनट।

राजस्थान का एक किसान था, उस किसान के खेत के अन्दर फसल की पैदावार बहुत अच्छी हो गयी। तो उसने सोचा कि मैं हरिद्वार जाऊं और मैं जाकर अपने, जो पैसा आया है, भगवान के चरणों में धोक लगा आऊं, गंगा स्नान कर आऊं, कुंभ के अन्दर जाकर आ जाऊं, या इलाहाबाद, उज्जैन, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। तो जब वह अपनी बस के अन्दर चढ़ा और वहां

(श्री धीरज गुर्जर)

जाकर उतरा तो उतरते ही उसको सफेद कपड़े के अन्दर एक सज़ा-सजाया आदमी मिल गया और उसने कहा कि...। मैंने अब तक जो बात कही, आपको समझ में आई, लेकिन अब थोड़ा आपको बुरा लग सकता है। तो जैसे ही वह आदमी पहुंचा और वहां उतरा, तो उतरते ही उसको एक आदमी मिला कि रामू काका, आप कैसे आए यहां? तो उसने कहा कि मैं तो यहां पर हरिद्वार घूमने आया हूं, लेकिन आप कौन हो? उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपके घर के पास जो गंगाबाई रहती है, उसका लड़का जमना। जमना का लड़का मैं माद्यो, मुन्ना और यह मुन्ना आपको लेने के लिए आया है। आप मेरे गांव के हो, आपको मैं ले चलता हूं। चलो, हरिद्वार के अन्दर आपको गंगा का स्नान भी करवाऊंगा और मंदिर का दर्शन भी करवाऊंगा। तो उस किसान को लेकर वह रवाना होता है। उसको जलेबी की दुकान पर ले जाता है, उसको मिठाई की दुकान पर ले जाता है, उसको रबड़ी भी खिलाता है, कपड़े भी पहनाता है और फिर कहता है कि मामा, आप जाओ और नदी के अन्दर जाकर स्नान कर लो गंगाजी का, मैं आपका और आपके सामान का ध्यान रख लूंगा। तो वह गरीब किसान, जो भी चांदी के अपने जेवर, कपड़े-पैसे, जो भी होते हैं उसको सौंप देता है और वह सौंप कर गंगाजी के अन्दर डुबकी लगाता है और जैसे ही डुबकी लगाकर वह बाहर निकलता है तो वह मुन्ना होता है, वह गायब हो जाता है। वह भी चला जाता है और उसका सारा सामान भी ले जाता है।

वही हाल राजस्थान की जनता का हुआ। मदनजी, टोको नहीं। वही हाल राजस्थान की जनता का हुआ। राजस्थान के लोगों को आपने सपने दिखाये कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो आपको हर सुख-सुविधा देंगे, आपका पूरा मान रखेंगे, आपका पूरा सम्मान रखेंगे। जैसे ही राजस्थान के किसान ने वोटों की पेटी में डुबकी लगाई और वह डुबकी लगाकर बाहर आया और वह मुन्ना वहां से गायब हो गया। वह उसकी बी.पी.एल. की पेंशन भी ले गया, वह उसका खेती का पैसा भी ले गया, वह उसके मुख्य मंत्री आवास का पैसा भी ले गया, वह उसकी निःशुल्क दवाई योजना का पैसा भी ले गया और उस गरीब किसान को भूखे पेट छोड़ दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इन शब्दों के साथ नहीं कि आप लोग इस बात को आगाज समझें, बल्कि इन शब्दों के साथ कि-

> यह कैसे-कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, नाचते-गाते लोग चिल्लाने लगे हैं।

(श्री धीरज गुर्जर)

बदल दो इस ठहरे हुए पानी को, अब तो कमल के फूल मुरझाने लगे हैं।

अभी भी आपके पास ढाई साल हैं। इन ढाई सालों के अन्दर, सामाजिक सरोकार की सरकार बनी है, इन ढाई सालों के अन्दर गरीब के विकास का काम करिए; इन ढाई सालों के अन्दर गरीब आदमी के पेट में रोटी डालने का काम करिए; इन ढाई सालों के अन्दर जिस आदमी को पेंशन नहीं मिल रही है, उसको पेंशन दिलाने का काम करिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि राजस्थान का नौजवान आपके दर पर खड़ा है, राजस्थान का किसान आपके दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ है और यह तब हो पाएगा जब आप लोग मन में एक संकल्प ले लेंगे कि, अभी मैं कालीचरणजी को देख रहा हूं तो मुझे बार-बार कालेज की याद आ जाती है, जहाजपुर की कालेज आपने राजनीतिक द्वेषता से छीन ली।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान का युवा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी काफी बातें आ गयीं, आपकी पूरी बातें आ गयीं।

श्री नरेन्द्र नागर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आसन ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप सबने मेरी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह लास्ट में एक बात कहना भूल गये कि यह तरह-तरह की पगड़ियां बांध कर आने से प्रदेश का भला नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठें। अब आप बोल लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): एक निवेदन है...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठें। अब आपका कोई अंकित नहीं होगा। आप बोल भी जाएंगे तो अंकित नहीं होगा आपका।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्री सभापति: मैंने दूसरा नाम पुकार लिया। माननीय सदस्य, मैंने दूसरा नाम पुकार लिया। वह खड़े हो गये हैं, आप बैठें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्री सभापतिः आपकी बहुत बातें आ गयीं। बैठो न आप तो अब। नहीं, अब क्या टेबल करेंगे? पूरी बात आ गयी।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, एक बात है, राजस्थान में पगड़ी को सम्मान, राजस्थान का यह गौरव है, राजस्थान की शान है और मुख्य सचेतक महोदय बोल रहे हैं। पगड़ी पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकते क्योंकि पगड़ी हमारी आन-बान-शान की तरह है। उसे आप ... (व्यवधान) इस तरह पगड़ी के लिए आप नहीं बोल सकते हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इतनी शानदार पगड़ी की आपने लाज कहां रखी? इतनी शानदार पगड़ी की लाज कहां रखी? मंत्री कब बनाया इनको?

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मंत्री की बात छोड़ो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले भी मंत्री रहे हैं और आज मंत्री ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): इसको हंसी-मजाक में नहीं ले सकते आप। पगड़ी राजस्थान की शान है। आप उसका अपमान नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, इस बात पर मेरा विरोध है। इस बात पर जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। जिस राजस्थान में हम पले-बढ़े हैं, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, उसमें अगर यह बात होती है, तो मेरा इसमें विरोध है।

श्री सभापतिः आप बैठिये। श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, आपका, आसन का, बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा बजट अनुमान 2016-2017 आठ मार्च को प्रस्तुत किया गया। सर्व जन उत्थान और सर्व जन विकास के मूल मंत्र को लेकर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से यह प्रदेश की तरक्की और उन्नति के लिए एक वरदान साबित होगा।

नवम्बर, 2015 को आयोजित 'रिसर्जेंट राजस्थान' में स्वदेशी ही नहीं, बल्कि विदेशी कम्पनियों द्वारा 3 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए 295 एम.ओ.यू. हुए, साइन हुए हैं। वे वास्तव में इस प्रदेश के लिए वरदान साबित होंगे। साथ ही, तीन माह बाद 11,531 करोड़ रुपये के 51 एम.ओ.यू. साइन किये गये। यह जो दोनों एम.ओ.यू. हुए हैं उनसे प्रदेश के

(श्री नरेन्द्र नागर)

विकास के साथ-साथ युवाओं को रोजगार निश्चित रूप से मिलेगा। माननीया मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

विशेष रूप से सरकार द्वारा 'न्याय-आपके-द्वार' कार्यक्रम रखा गया। मैं मानता हूं कि राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 'न्याय-आपके-द्वार' के माध्यम से 21 लाख से अधिक जो प्रकरण थे, उनका निस्तारण हुआ। बहुत-सी जगह जाने का अवसर बहुत-से माननीय सदस्यों को मिला है। जो विवाद वास्तव में बरसों से चल रहे थे, विवाद कोई ज्यादा बड़े नहीं होते, माननीय सभापति महोदय, छोटे-मोटे विवादों को लेकर, एक परिवार में विघटन हो जाता है, आपस में पड़ोसी लड़ता है और जिस दिन 'न्याय-आपके-द्वार' के माध्यम से एस डी एम मुख्यालय पहुंचे और भाग्य से वहां जन-प्रतिनिधि भी गये और अन्य लोग भी वहां गये, सबकी समझाइश के बाद वहां बहुत सारे डिसिजन हुए हैं। उन लोगों ने भी वास्तव में यह सोचा कि कोई बड़ा काम नहीं है, इसको अपन को निपटाना चाहिए। इससे बहुत सारा नुकसान वास्तव में किसानों का हो रहा था। उनके इतने पैसे वकीलों के चक्कर काटने में लग रहे थे और इतना समय उनका बरबाद हो रहा था। यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि राजस्थान सरकार की है। इसके लिए वास्तव में जितना धन्यवाद दें, उतना कम है।

'राजस्थान सम्पर्क' पोर्टल के माध्यम से पहली बार अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़े। सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से आपकी जो भी समस्या है, आप उसके माध्यम से रख सकते हैं। उसमें आपकी समय सीमा तय है। आपकी हर समस्या का डिस्पोजल निश्चित रूप से करना पड़ता है, सरकार के द्वारा। 7 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं और 89 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण हुआ। यह सरकार की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

माननीय सभापति महोदय, सड़क के क्षेत्र में पहली बार, मैं मानता हूं, राजस्थान के इस इतिहास में गांवों की सुध पहली बार राजस्थान सरकार ने ली। हमेशा पी एम जी एस वाई रोड, मेगा हाइवे रोड, स्टेट हाइवे रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ऐसे-ऐसे रोड सरकार के द्वारा बनाये जाते थे। पहली बार ग्रामीण गौरव पथ के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सोचा, जिससे राजस्थान के इतिहास में हर गांव के आदमी को एक गर्व महसूस होता है कि मेरे यहां पंचायत हैडक्वार्टर पर एम-30 सड़क बन रही है, नालियां बन रही हैं। माननीय सभापति महोदय, एम-30 सड़क वास्तव में गांव में बनती है और नालियां

(श्री नरेन्द्र नागर)

बनती हैं, तो उस गांव का गौरव बढ़ता है और यह गौरव बढ़ाने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। जितना धन्यवाद वास्तव में इस सरकार को दें और इस राजस्थान में पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी को दें, वास्तव में उतना कम है।

नान-पैचेबल सड़क, हमने देखा है, 2013 तक जब हम सत्ता में नहीं थे, पिछली सरकार द्वारा जिस प्रकार की दुर्दशा सड़कों की थी, सड़कों पर चलना दुश्वार था, सड़कों पर चल नहीं पाते थे, सड़क नाम की चीज नहीं थी। सरकार आने के बाद माननीया मुख्य मंत्रीजी ने नान-पैचेबल सड़क, पैच बनाने का काम सरकार ने नहीं किया, सरकार ने तय किया, हम पैच नहीं बनायेंगे; हम नान-पैचेबल सड़क के रूप में हम उस सड़क को दुबारा बनायेंगे। तो सड़कें बनाने का काम राजस्थान सरकार ने किया और इस साल नवीनीकरण, सड़कों के कार्य के लिए 600 करोड़ लागत का जो प्रावधान किया गया है, निश्चित रूप से बहुत सारी सड़कें इस साल बनेंगी।

ऊर्जा के क्षेत्र में, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान की मुख्य मंत्री द्वारा 40 हजार कृषि कनेक्शन देने का इस साल प्रावधान रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, जिस आदमी के पास, जिस उपभोक्ता के पास, कृषि कनेक्शन नहीं होता है, उसको कितनी दिक्कत और कितनी समस्या आती है। मैं दर्द बयान करना चाहता हूं, मैं अपना दर्द बताना चाहता हूं, किसान का दर्द बताना चाहता हूं कि वह उसकी मोटर को चला नहीं सकता। आज स्थिति यह हो रही है कि धीरे-धीरे वाटर लेवल, माननीय सभापति महोदय, इतना डाउन जा रहा है कि 400-500-600 फीट पर मोटर चलती है और उसको न तो वह जनरेटर से चला सकता और यदि वह उसको जनरेटर से चलाता है तो चार-पांच लीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसको डीजल वहन करता पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने यदि कनेक्शन देने की बात की है, तो निश्चित रूप से किसानों को फायदा मिलेगा।

जब-जब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार रही है, चाहे वह 2003-2008 में रही हो, चाहे 2013 से लगातार अभी वर्तमान में सरकार है, पिछली सरकार के द्वारा भी फीडर सुधार कार्यक्रम चलाये गये; इस बार भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने आदेश दिये हैं जिन फीडर पर वास्तव में दिक्कत आ रही है, या जिन फीडरों या खम्भों में गैप है, उनमें एक-एक खम्भा और लगाया जा रहा है। इससे जो तेज अंधड़ चलता है, उससे निजात मिलती है और लाइट नियमित रूप से किसानों को मिलती है।

(श्री नरेन्द्र नागर)

फिर भी अभी बहुत सारे सुधार वास्तव में ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार को करने चाहिए।

मैं अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं, हमेशा बार-बार, जब भी मुझे मौका मिला है सदन में बोलने का, तब मैंने हमेशा कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि भ्रष्टाचार निश्चित रूप से कम हो। पहली बार जब डिमांड नोट किसानों को मिलता था, तो वह अब फिक्स किया है डिमांड नोट कि 20,500 रुपये डिमांड नोट होगा, जबकि पहले यह तय होता था कि कितने-कितने पोल लगेंगे, कितना तार लगेगा, फिर उसके बाद उसका डिमांड नोट निकलता था। उसमें हेराफेरी यह होती थी कि वह अधिकारी मिलकर, कि मैं तेरा 20 हजार रुपये डिमांड कम कर दूंगा, मैं इधर से इधर लाइन बना दूंगा, तो उसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार होता था। पर सरकार ने यह तय किया है, 20,500 रुपये जब डिमांड नोट फिक्स किया, तो उसमें भ्रष्टाचार की कहीं बू नहीं आती।

अब दिक्कत जो आ रही है, माननीय सभापति महोदय, कि आज वी सी आर भर रहे हैं। किसान का यदि मीटर जल जाता है, ओ.सी. भी ट्रिप मार जाती है, सामान इतने खराब होते हैं कि बार-बार ओ.सी. भी ट्रिप मार जाती है, उसको डायरेक्ट करना पड़ता है। आप उसकी वेल्डिंग खोल नहीं सकते। आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपने यदि छेड़छाड़ की है तो आपकी वी सी आर भर दी जाएगी। जबकि आप नियमित अपने खेत पर ही पानी काम ले रहे हो, अपनी मोटर चला रहे हो। तो ऐसी सब चीजों से निजात पाने के लिए सरकार को फिक्स करना चाहिये। जैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने फिक्स कर रखा है कि हम 1,200 रुपये प्रति एच पी के हिसाब से किसानों से पैसा लेंगे, ऐसा फिक्स हो, ताकि न तो वी सी आर भरने की नौबत आये, न कभी मीटर जलने का नम्बर आये। इतना सारा भ्रष्टाचार जो हो रहा है, वह इसी में हो रहा है। इन सारी चीजों से मुक्ति पाने के लिए वास्तव में यह चीज सरकार को करनी चाहिये। मैं हमेशा बार-बार यह कहता हूं।

कृषि के क्षेत्र में कहूंगा, माननीय कृषि मंत्रीजी यहां विराज रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा भी फसल बीमा योजना लागू की गयी है। उसमें वास्तव में कम प्रीमियम में पहली बार किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी।

सरकार द्वारा बजट में 1,170 किसान सेवा केन्द्र क्रियाशील करने के लिए 5 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से फर्नीचर दिया जा रहा है। सरकार

(श्री नरेन्द्र नागर)

ने किसान सेवा केन्द्र खोल दिये और पहली बार जब उसमें बजट दिया, तो निश्चित रूप से उसमें किसानों को बैठने की जगह मिलेगी, उससे किसानों को फायदा मिलेगा। किसानों को खेती की जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से इससे किसानों को लाभ होगा।

पिछले साल माननीय प्रधान मंत्रीजी द्वारा राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की गयी। उसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। 6 लाख 28 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदेश की सरकार द्वारा बनाये गये हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनने के बाद उस किसान को पता चल जाता है कि वास्तव में मेरी इस जमीन में किस तत्व की कमी है; तो जिस तत्व की कमी होती है, उसका वह उपयोग करता है; नहीं तो अनायास वह वेस्टेज खाद डालता रहता है, अनायास उसमें दवाई डालता रहता है। माननीय सभापति महोदय, किसान यह मानता है कि मैं जितना डी ए पी दूंगा, जितनी यूरिया दूंगा, जितनी कीटनाशक दवाई छिड़कूंगा, उतना ही मुझे लाभ मिलेगा, पर वास्तव में उसकी आवश्यकता क्या है, उसके अनुरूप ही यदि अपन उसमें उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से किसानों को उससे फायदा मिलेगा। सरकार के द्वारा पहली बार सूक्ष्म तत्वों की कमी पायी गयी है। इसकी पूर्ति के लिए किट वितरण किये जाएंगे तो किट वितरण से उस किसान को फायदा मिलेगा, उसकी जमीन में सुधार होगा।

साथ ही एक जैविक खेती की सरकार ने बात की है। जैविक खेती वास्तव में, आज के बरसों पूर्व जब हम बच्चे थे तो उस जमाने में कीटनाशक से किसान कतराता था। व्यापारी जाता था, उसको समझाता था कि आपको रासायनिक खाद डालनी चाहिए, रासायनिक खाद डालने से आपका इतना उत्पादन बढ़ेगा, पर किसान डरता था कि नहीं, मैं रासायनिक खाद नहीं डालूंगा, मेरी जमीन खराब हो जाएगी, मैं बरबाद हो जाऊंगा, मेरी जमीन बंजर हो जाएगी। पर आज स्थिति यह हो गयी है, सभापति महोदय, रासायनिक खाद जितनी अधिक डाल सकें, वह किसान डाल रहा है और वापस आज वही स्थिति आ गयी, किसानों की वह जमीन बंजर होने की स्थिति में आ गयी है। सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पैदावार पहले से पचास प्रतिशत के आस-पास आ चुकी है।

जब से यह खरपतवार का उपयोग अपन कर रहे हैं, पहले, सभापति महोदय, अपन खरीफ की फसल किया करते थे तो खरीफ की फसल में निराई-

(श्री नरेन्द्र नागर)

गुडाई करते थे, हम उसमें कलप नहीं निकालते थे। आज बिलकुल खरपतवार के लिए अब दवाई छिड़क देते हैं और सारी खरपतवार उससे नष्ट हो जाती है। ऐसी-ऐसी खरपतवार और आने लग गयीं, जो उन दवाइयों से भी नहीं मिटतीं और नयी-नयी खरपतवार पैदा होने लगी हैं। यह खरपतवार वास्तव में मिटनी चाहिये।

दुबारा जैविक खेती के लिए सरकार ने जो प्रयास किया है, वास्तव में धन्यवाद देना चाहता हूं और जितने सारी कीटनाशक दवाइयों का अपन खाद्यान्न खा रहे हैं, आज जो सारी बीमारियां हो रही हैं, वे सारी इसी की वजह से होती हैं। सभापति महोदय, मैं खुद किसान हूं और मैं खुद के खाने के लिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं खुद जैविक खेती करता हूं और खुद के खाने के लिए, कम से कम गेहूं तो मैं खुद का ही खाता हूं। खुद का मतलब, उसमें खाद-वाद कुछ नहीं; खाद जो डालता हूं, वह जैविक खेती के द्वारा, जो गोबर की खाद है, वह डालता हूं।

ऐसी स्थिति हो गयी। पहले जो 8-10 बोरी, माननीय सभापति महोदय, जो हमारे गेहूं निकलते थे, आज गेहूं की पैदावार होगी तो सात बोरी पर आ गये। पहले धनिया 10-12 बोरी निकलता था, माननीय सभापति महोदय, आज चार बोरी, पांच बोरी पर आ गये। सभापति महोदय, धीरे-धीरे पैदावार भी कम होती जा रही है और जमीनों की स्थिति खराब होती जा रही है। माननीय कृषि मंत्री जी यहां विराज रहे हैं, जैविक खेती के ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि अपन इस प्रदेश को बचा सकें, किसानों को बचा सकें। इस प्रकार का अपने को प्रयास करना चाहिए।

साथ ही, दस प्रगतिशील किसानों को भी सरकार के द्वारा, जो उनका मार्गदर्शन होगा, उसमें उनको मानदेय दिया जायेगा। निश्चित रूप से प्रगतिशील किसान हर जिले में किसानों का मार्गदर्शन करेंगे। अभी भी वास्तव में प्रगतिशील किसान हैं, अधिकारियों से ज्यादा बात किसानों की वास्तव में लोग मानते हैं। वे प्रैक्टिकल सारी जानकारी समझते हैं, अधिकारी तो किताबी ज्ञान पढ़ते हैं। जो किसान प्रगतिशील होता है, वह वास्तव में एक-एक चीज खुद करता है। ऐसे प्रगतिशील किसानों की वास्तव में बात मानते हैं। तो ऐसे प्रगतिशील किसान यदि अपना कहीं न कहीं उद्‌बोधन देंगे, तो उनको भी मानदेय दिया जायेगा। इस पर सरकार ने जो प्रावधान रखा है, उसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

(श्री नरेन्द्र नागर)

पशुपालन, वास्तव में खेती के साथ पशुपालन किसानों के लिए एक वरदान साबित होता है। खेती के साथ पशुपालन, दोनों जुड़ कर यदि काम करें तो उसका लाभ का सौदा होगा, क्योंकि खेती से लाभ नहीं हो सकता। माननीय सभापति महोदय, यदि उसमें पशुपालन भी करता है तो उससे किसानों का लाभ हो सकता है। पशुपालन के लिए, धीरे-धीरे जितने कीटनाशक हो रहे हैं, ऐसे अपन खाद छिड़क रहे हैं, और दवाई छिड़क रहे हैं, और उनको अपन पशु को खिलाते हैं, तो पशु वास्तव में इतने बीमार होते हैं, जो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं तो ...

श्री सभापति: आसन ने पहले ही बोलने वाले प्रत्येक सदस्य के लिए दस मिनट निर्धारित कर रखे हैं।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): सभापति महोदय, अब दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति: आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): आपकी आज्ञा का बिलकुल पालन करूंगा।

जो पशु उप केन्द्र खोले हैं, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं।

साथ ही, किसान का उत्थान तब ही हो सकता है जब उसके पास पानी हो। पानी के लिए माननीया मुख्य मंत्री जी ने, हाड़ौती की बहुत पुरानी मांग थी, परवन सिंचाई परियोजना, बहुत गम्भीर विषय था हाड़ौती के लिए, उसका इस बार वास्तव में 700 करोड़ रुपये माननीया मुख्य मंत्रीजी ने प्रावधान किया है। उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछली सरकार के द्वारा, माननीया मुख्य मंत्रीजी 2003 से 08 में जब मुख्य मंत्री थीं, उन्होंने इसकी डी.पी.आर. बनायी, उन्होंने इसके सारे काम किये और पांच साल जब पिछली सरकार रही तो सरकार की स्थिति यह रही कि जाते-जाते, मैंने पहले भी कहा, जाते-जाते, विपक्ष के जिनको युवा मानते हैं माननीय राहुल गांधी जी उनसे उसका शिलान्यास करवा दिया, जबकि वास्तव में उसके जितने भी नोर्म्स थे वे भी पूरे नहीं हुए। जितनी भी दिक्कतें थीं, सरकार वह भी पूरी नहीं कर पायी। मैं मुख्य मंत्रीजी को वास्तव में दिल से जितना धन्यवाद देना चाहता हूं, वह कम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री नरेन्द्र नागर)

माननीय सभापति महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो यह बजट पेश किया गया है, उससे निश्चित रूप से पूरे राजस्थान का विकास होगा, किसानों का विकास होगा, सभी का विकास होगा। यह राजस्थान उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में वर्ष 2016-17 के बजट पर चर्चा हो रही है और आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं।

राजस्थान के विकास के लिए हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने एक विजन पेश किया है कि राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए यह बजट पेश किया गया है। वसुन्धरा जी को पिछले दो-ढाई साल पहले जब भारी बहुमत से जनता ने यह सत्ता सौंपी थी, तब से लगाकर के आज तक राजस्थान के विकास के लिए हमेशा काम करती रही हैं। हमारी सरकार के विजन 'सब-जन-विकास, सब-जन-उत्थान' के मूल मंत्र को ध्यान में रखकर के सरकार हमारी जनता की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने अनेक घोषणाएं करके अनेक काम करने का वादा किया है, कई योजनाएं हैं, उनमें से कुछ योजनाओं को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और उसके लिए पर्याप्त बजट भी उपलब्ध कराया है। 'मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना', इसमें 125 करोड़ का बजट रखा गया है। 'मुख्यमंत्री खेल मैदान विकास योजना' में दो हजार खेल मैदानों के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। श्मशान व कब्रिस्तान के विकास के लिए 'मुक्तिधाम विकास योजना' के नाम से 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में 'गुरु गोलवलकर जन-भागीदारी विकास योजना' के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

इसके साथ ही नवीन आई.टी.आई. भवनों के लिए 155.50 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान रखा गया है। महाविद्यालय के भवनों के निर्माण के

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

लिए 104.50 करोड़ रुपया बजट के लिए रखा गया है। इसके साथ ही महाविद्यालयों में इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रांट के लिए 173 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया है। पूर्ववर्ती सरकारें बजट तो पेश करती थीं लेकिन बजट का प्रावधान नहीं किया। इसके कारण राजस्थान विकास में हमेशा पिछड़ा रहा। इसी तरह से, माध्यमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए, उसके लिए विद्यालयों की आधारभूत संरचना के निर्माण और विकास के लिए 'मुख्यमंत्री जन-सहभागिता विद्यालय विकास योजना' लागू करके 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसी प्रकार से मुख्य मंत्रीजी ने 'राजश्री' योजना को भी प्रारम्भ किया है। इसके साथ ही कई चीजें हमारी सरकार कर रही है।

हमारी सरकार का मूल मंत्र है, सामाजिक न्याय, सुशासन और रोजगार उपलब्ध कराने का सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इसके तहत सरकार ने अपने वादों के अनुसार काम करना प्रारम्भ किया। मुख्य मंत्रीजी ने जब सुराज संकल्प यात्रा प्रारम्भ की थी, उस समय कहा था, हमारी सरकार गांव-गांव और घर-घर तक जाकर के लोगों के हालचाल सुनेगी, उनके दुख-दर्द को समझकर के उनका समाधान करने का काम करेगी। इसके निमित्त सरकार-आपके-द्वार कार्यक्रम प्रारम्भ किया और समस्याओं को एकत्रित करके उनका समाधान करने का काम भी किया। मैं इस अवसर पर हमारी मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

इसके साथ ही हमारी सरकार ने लोगों को न्याय सुलभ कराने के लिए न्याय-आपके-द्वार कार्यक्रम प्रारम्भ किया और मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम प्रारम्भ करके 21 लाख मुकदमों, उनके प्रकरणों का निस्तारण किया, एक ऐतिहासिक कार्य किया। आज ही मैंने एक प्रश्न लगाया था, उसमें मेरे यहां पर भी लगभग 17 हजार मुकदमों का निस्तारण हुआ है।

इसी प्रकार से मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने और मुख्य मंत्रीजी ने मिल करके आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य शिविर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगा करके बहुत बड़ा अनुकरणीय काम किया है। पहली बार यह सरकार आयी है जिसने कि उस बीमार आदमी का ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जा कर के हालचाल पूछा, उससे जानकारी ली कि आपको किसी प्रकार की दु:ख-तकलीफ तो नहीं है। भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड बनाकर के 30 हजार से लगाकर के तीन लाख रुपये तक इलाज करने का

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

काम किया है तो वह हमारी सरकार ने किया है। आज के पहले ऐसी कोई सरकार नहीं आयी थी। उस गरीब व्यक्ति के परिवार में कोई भी व्यक्ति यदि हार्ट का पेशेंट हो, कैंसर का पेशेंट हो, दो-तीन लाख रुपये खर्च होते हों, उसका इलाज करने का उसमें बलबूता नहीं था, लेकिन सरकार ने ऐसा काम करके जनता के साथ में बहुत बड़ा न्याय किया है।

इसी तरह से, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी का और श्रम मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक मजदूर की भी सुनी और एक जनवरी, 2016 से मजदूर पंजीयन कार्यक्रम प्रारम्भ करके उस मजदूर की सुध ली। जिस मजदूर को आज दिन तक किसी ने नहीं पूछा, उस मजदूर की सुध इस हिसाब से ली कि आज तक उस मजदूर की नहीं सुनी, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार वसुन्धराजी के नेतृत्व में सुन रही है।

कुछ बातें, हमारी मंत्रीजी द्वारा जो घोषणाएं की गयी हैं उस पैम्प्लेट की ओर दिलाना चाहूंगा। जिस मजदूर का पंजीयन हो जायेगा, उस मजदूर का बच्चा यदि छठी क्लास से लगाकर के शैक्षणिक योग्यता एम.ए. क्लास तक भी पढ़ेगा तो उसको 8 हजार से लगाकर के 15 हजार रुपये तक अधिकतम दो बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। यह पहली बार काम किया है। यदि उसका बच्चा आई.टी.आई. करता है, इंजीनियरिंग करता है, डाक्टरी करता है, तो उसको 25 हजार से लगा कर के 35 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का काम हमारी सरकार करेगी। यदि उस मजदूर का घर नहीं है और उसका घर बनाना है, तो उसको डेढ़ लाख रुपये देकर के उसका घर बनाने का काम करेगी तो हमारी सरकार करेगी।

इसी प्रकार से कोई महिला मजदूर है और उसकी डिलिवरी होती है और उसमें यदि उसके पुत्र का जन्म होता है, तो उसको 20 हजार रुपये लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से दिलाया जायेगा; यदि बालिका का जन्म होता है तो 21 हजार रुपये उसको घर बैठे दिये जायेंगे। उस मजदूर की बेटी जब 18 साल की होगी और यदि आठवीं तक पढ़ी हुई है, तो उस बालिका के पीले हाथ करने के लिए सरकार की ओर से उसको 55 हजार रुपये देने की घोषणा हमारी सरकार ने की है। मैं इसके लिए वसुंधरा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना बड़ा काम उन्होंने किया है।

सभापति महोदय, जो पंजीकृत मजदूर हैं, उस परिवार को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन रक्षा योजना, जीवन

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

ज्योति योजना, आम आदमी बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़कर के उनको संबल प्रदान करने का काम किया है, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वसुंधरा जी के नेतृत्व में किया है। पंजीकृत बीमा योजना से जोड़ने के बाद सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उस मजदूर का परिवार मजबूत होगा, उस परिवार की सामाजिक सुरक्षा भी हो जायेगी। यदि वह मजदूर काम करके लौट रहा है, किसी साधन से आ रहा है, पैदल आ रहा है और दुर्घटनावश, भगवान ना करे, किसी के घर में इस प्रकार की दुर्घटना हो, लेकिन उसकी यदि रास्ते में दुर्घटना हो जाये और उसकी मृत्यु हो जाये, तो उसके बच्चों को पालने वाला कौन रहेगा, इसके लिए हमारे श्रम मंत्रीजी ने बीमा योजना के साथ जोड़कर के उसको पौने 10 लाख रुपये देने की घोषणा की है। यह सबसे बड़ा काम किया है। इसी प्रकार से यदि पंजीकृत मजदूर का दुर्घटना में अंग-भंग हो जाये, तो उसको सवा 6 लाख रुपये देने की घोषणा की है। यदि सामान्य रूप से भी, घर बैठे हुए भी किसी मजदूर की मृत्यु हो जाये, तो भी उसको सवा 3 लाख रुपये देने की घोषणा की है। यह बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए, घटते हुए जल स्तर को ध्यान में रखते हुए, माननीया वसुंधरा जी ने एक योजना प्रारम्भ की है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रारम्भ किया है और इसके तहत राजस्थान के समस्त लोगों को इससे जोड़ने का काम किया है। निश्चित रूप से इस अभियान को पूरा करने के लिए हम सब अग्रणी रहें और राजस्थान के भू-गर्भीय जल स्तर को ऊंचा बढ़ाने में हमारा योगदान देवें।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार की मुखिया आदरणीया वसुंधरा जी ने किसानों के लिए भी काम किया है। किसान राजस्थान की नहीं, पूरे हिन्दुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। हम जानते हैं कि किसान जब खेती करता है तो वह मानसून का जुआ है। जब भी खेती होती है और फसल पकने के बाद कटकर के घर में आ जाती है तो किसान मालामाल हो जाता है, लेकिन यदि बीच रास्ते में ही ओलावृष्टि हो जाये, आगजनी हो जाये और वह फसल नष्ट हो जाये, तो उसके पास उसके परिवार को पालने का कोई और साधन नहीं रहता है। गत वर्ष हमारे यहां भारी ओलावृष्टि हुई थी और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

किसानों के साथ रही, करोड़ों रुपयों का मुआवजा लाखों किसानों को राजस्थान में दिया गया। इसके नामित मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी हजारों किसानों को करोड़ों रुपयों का मुआवजा देकर के किसानों को संबल प्रदान करने का काम किया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारें तो आजादी के बाद चलती आ रही हैं; प्रजातंत्र जब से हुआ है तब से चलता आ रहा है, कांग्रेस की भी सरकारें रहीं, पहले भी ओलावृष्टि होती रही, लेकिन पिछली सरकार में मुझे याद नहीं आता कि कभी 100 रुपये का मुआवजा भी ओलावृष्टि पर दिया हो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सहायता राहत मंत्रीजी को कि उन्होंने किसानों की मदद करने का काम किया है।

सभापति महोदय, किसान मजबूत होगा तो राजस्थान मजबूत होगा; किसान मजबूत होगा तो हिन्दुस्तान मजबूत होगा; किसान यदि मजबूत है तो हम भी मजबूत हैं। मैं इसके लिए माननीया वसुंधराजी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो हमने घोषणा-पत्र के अन्दर कहा था, आज की तारीख में हमने गौ-वंश को छोड़ दिया। गौ-वंश वैसे ही घूम रहा है। रोजड़ों से हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है। कांटेदार तारों पर सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। उसके अन्दर और प्रगति की आवश्यकता है।

दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली हमारे राजस्थान के अन्दर अच्छी तरह से आ रही है, किसानों को खेती के लिए 6-7 घंटे बिजली मिल रही है, सिंगल फेज बिजली तो 22 से 24 घंटे मिलती है। किसानों को कृषि के लिए कभी दिन में बिजली मिलती है, कभी रात में भी बिजली आती है। यदि दिन में बिजली आ जाये तो हमारा काश्तकार मालामाल हो जायेगा।

सभापति महोदय, इससे आगे चलकर के, किसानों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने और हमारी मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि महानरेगा को खेती के साथ और गाय के साथ जोड़ा जायेगा। इसके अन्दर इतना निवेदन है कि यदि गौ-वंश को बचाना है, जो व्यक्ति, जो काश्तकार एक यूनिट, 5 गाय की एक यूनिट मानकर के, गाय को पालता है, महानरेगा से उसको एक वर्ष में 100 दिन की हाजिरी दी जाये। इससे गायें भी दर-दर भटकेंगी नहीं। गाय का गोबर भी काम आयेगा, गाय का मूत्र भी काम आयेगा और गाय का दूध भी हमको मिलेगा। इससे राजस्थान स्वस्थ रह सकेगा। खेती के लिए भी, जो व्यक्ति एक हेक्टेयर में खेती करता है, अच्छा पानी है, उसको भी एक हाजिरी देकर के, जो निराई, गुड़ाई, कटाई में काम आता है, तो किसान हमारा मजबूत होगा।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

सभापति महोदय, मैं हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि गत बजट में आपने मुझे 55 किलोमीटर सड़क 77 करोड़ रुपये की, जो नारेला चौराहे से लगाकर के मातृकुंडिया, सूरजपुरा होते हुए, धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए, सीधी-सीधी भोपाल सागर, करेड़ा पार्श्वनाथ तक निकाली थी, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। गौरव पथ भी हमारे क्षेत्र में बने हैं। सबसे ज्यादा गौरव पथ मेरे यहां बने हैं। मिसिंग लिंक सड़कें और सड़कों की मरम्मत कराने का काम भी हमारे यहां पर हुआ है।

मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, राठौड़ साहब को धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि आपने आपकी पी एच सी बाद में स्वीकृत की और मुझे कपासन में सीधी डिस्पेंसरी देकर के बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

हमारी मुख्य मंत्रीजी ने धार्मिक स्थलों के विकास के लिए मातृकुंडिया जैसे धार्मिक स्थल को डवलप करने के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान किया है।

मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा और मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने भी मुझे हमारे महाविद्यालय में भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये दिये। कपासन महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय खोलकर के बहुत बड़ा उपकार किया है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। 2 मिनट। एक कागज और है।

एक मेरे पूर्व विधान सभा क्षेत्र बेगूं में महाविद्यालय खोलने की और आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, यह काम भी आप कर दें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी सारी बातें आ गयी हैं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): बस, दो मिनट। दो मिनट। शिक्षा के क्षेत्र में बोलना बहुत जरूरी है।

श्री सभापति: आपका जितना समय निर्धारित था, उससे ज्यादा समय दे दिया है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सर, दो मिनट। दो मिनट।

शिक्षा के क्षेत्र में मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम वसुंधरा जी ने किया और हमारी पूर्ववर्ती सरकारों

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

ने किया, वह शायद किसी ने नहीं किया। यदि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को पीछे रखने का किसी ने पाप किया है, तो वह कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है। हमारे देश में हमारा प्रदेश केरल से 60 साल पीछे है।

पहली बार जब मैं चुनाव जीतकर आया था 1993 में, तब शेखावत साहब थे, तब उन्होंने एक आदेश पारित करके यह कहा था कि समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आठवीं के स्कूल खोल दिये जायें। उस समय गुलाब जी कटारिया हमारे शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। इसके बाद 2003 में जब हम आये, तो हमारी वसुंधरा जी ने एक आदेश में कहा कि सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को दसवीं तक क्रमोन्नत कर दिया जाये और इस बार जब हम 2013 में आये, तो समस्त स्कूलों को सीनियर हायर सेकण्डरी में क्रमोन्नत करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में...

श्री सभापति: अब, माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ दो बात।

श्री सभापति: आप बैठें। आप बैठें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक मिनट।

श्री सभापति: आप 5 मिनट से 2-2 मिनट ही कर रहे हैं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सर, 2 मिनट।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठ जायें। आपने 5 मिनट पहले भी यही कहा। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सभापति महोदय, एक मिनट। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी; श्री देवेन्द्र कटारा; श्री रतनलाल जलधारी; श्री संदीप शर्मा; श्री शंकरलाल; श्री शत्रुघ्न गौतम; श्री मंगलाराम; श्रीमती कीर्ति कुमारी; श्री कैलाश चौधरी; यदि अपना लिखित वक्तव्य टेबल करना चाहते हैं तो उनको आसन की अनुमति है।

श्री अजीत सिंह।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय सभापति महोदय, ..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, अपना लिखित वक्तव्य टेबल करना चाहते हैं तो अनुमति है।

श्री देवेन्द्र कटारा।[1] उनको भी अनुमति है।

श्री रतनलाल जलधारी। उनको भी अनुमति है।

श्री संदीप शर्मा। उनको भी अनुमति है।

श्री शंकरलाल। उनको भी अनुमति है।

श्री शत्रुघ्न गौतम। उनको भी अनुमति है।

श्री मंगला राम। उनको भी अनुमति है।

सुश्री कीर्ति कुमारीजी। आपको भी अनुमति है।

आप लिखित वक्तव्य टेबल करना चाहें, तो कर दें।

श्री कैलाशजी चौधरी, उनको भी अनुमति है।

श्री अजीत सिंह।[2]

(माननीय सदस्य श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, श्री रतन लाल जलधारी, श्री संदीप शर्मा, श्री शंकर लाल शर्मा, श्री शत्रुघ्न गौतम, श्री मंगलराम, सुश्री कीर्ति कुमारी, श्री कैलाश चौधरी एवं, श्री ओम प्रकाश के द्वारा आय व्ययक पर अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया (लिखित वक्तव्यों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

सूचना

राजस्थान स्वायत्तशासी संस्थान के चुनाव

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है। आज राजस्थान स्वायत्तशासी संस्थान, टोंक रोड, जयपुर में चुनाव हो रहे थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इंफोर्मेशन की तो अनुमति दें। ऐसी क्या जल्दी पड़ी है?

तो वहां चुनाव हो रहे थे और वहां से सर्वसम्मति से केवलचंद गोलछा

---

1. माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र कटारा द्वारा वक्तव्य सदन पटल पर नहीं रखा गया।

2. माननीय सदस्य श्री अजीत सिंह द्वारा अपना वक्तव्य सम्पादित कर नहीं भेजा गया।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जो है, वे चुनाव जीत गये। उसके बाद में जब चार्ज लेने गये, वहां जब चार्ज लेने गये, तो, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, वहां कोई चुनाव नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार के इशारे पर वहां पर पुलिस फोर्स आ गई और उनको चार्ज नहीं लेने दिया गया। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपने पाइंट आफ इंफोर्मेशन के लिए कहा था ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उनको चार्ज नहीं लेने दिया जा रहा है।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): आपके पास बिलकुल गलत सूचना है। वहां पर ऐसे कोई चुनाव ही नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) उनको वहां बंधक बना लिया गया है। इतना सत्ता का दुरुपयोग हमने कभी देखा नहीं जिंदगी में। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, बिलकुल गलत बात है। सदन को गुमराह कर रहे हैं। कोई चुनाव नहीं हुए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र में जो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, सर्वसम्मति से जीत गया है, उसको क्या चार्ज नहीं दिया जाएगा? (व्यवधान) यह कौनसा नियम है, माननीय सभापति महोदय? (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, वहां कोई चुनाव ही नहीं हुए। यह क्या बात हुई! (व्यवधान) सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): केवलचंद गोलछा जो सर्वसम्मति से राजस्थान स्वायत्तशासी संस्थान के अध्यक्ष चुन लिए गये हैं, उनको चार्ज नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब कोई बात अंकित नहीं होगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सभापति: आपने पाइंट आफ इंफोर्मेशन कह दिया। सरकार की जानकारी में आ गया। अब आप विराजो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सभापति: आपकी बात अंकित नहीं होगी। आपने सूचना दे दी।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री सभापति: आसन पैरों पर।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय सभापति महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2016 को प्रस्तुत वर्ष 2016-17 के इस बजट भाषण पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला को समर्पित बजट है। इस सदन में अनेक बजट प्रस्तुत हुए हैं। यह सदन इस बात से सहमत होगा कि आजादी के बाद इस राज्य के इतिहास में जितने बजट प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें यह बजट सर्वश्रेष्ठ बजट में शुमार होगा। यह बजट आर्थिक विकास की उड़ान का बजट है, राज्य की उड़ान का बजट है।

माननीय सभापति महोदय, मैं चार पंक्तियां कहकर अपनी बात को आरम्भ करता हूं-

हौसले बुलंद हो तो पत्थर भी पिघलते हैं,
पर्वतों को चीर कर रास्ते निकलते हैं।
रग-रग में जोश और संकल्प हो मन में,
वही व्यक्ति प्रदेश की तस्वीर बदलते हैं।।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि बजट ए सी कमरों में बैठकर तैयार किया जाता है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी बजट को तैयार करने के लिए सरकार-आपके-द्वार के लिए गई हैं, सरकार ने सम्भाग स्तरों पर जाकर जनता की और कार्यकर्ताओं, जन-

(श्री अजीत सिंह)

प्रतिनिधियों की भावना को बजट में संजोया है। मुझे खुशी है कि यह बजट किसी क्षेत्र या किसी सम्भाग को समर्पित बजट नहीं है, यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा, मुहिलाओं को समर्पित बजट है।

जिस तरह बजट के अन्दर सारे समाजों का प्रतिनिधित्व किया है, आप देखिये, बजट के अन्दर शिक्षा को लेकर, अन्न का दान श्रेष्ठ दान होता है, परम, परन्तु विद्या का दान उससे भी श्रेष्ठ होता है। क्योंकि अन्न से क्षण भर की तृप्ति होती है और शिक्षा तो जीवन को ही तृप्त कर देती है। ऐसी भावना को ध्यान में रखकर माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने शिक्षा को अपने बजट में प्रमुखता दी है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया का धन्यवाद कि आपने इस बजट में 23,177 करोड़ 15 लाख रुपये का प्रावधान किया है जो कि वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमानों से 14.47 प्रतिशत से अधिक इस बजट में दिया गया है। हमें देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में यह खड़ा करेगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में जो विशेष उल्लेखनीय बात है, वह यह है कि 628 विद्यालयों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया है। विद्यार्थी अब तक गर्मी से बेहाल रहते थे, अभी तक किसी ने चिंता नहीं की थी, हमारी मुख्य मंत्री ने इस बाबत 13 करोड़ रुपये की घोषणा की है।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जितना हमारी सरकार ने कार्य किया है, उतना कांग्रेस की सरकार पिछले 60-62 वर्षों में भी नहीं कर पाई है। गत वर्ष में 5,500 विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है; 56 हजार शिक्षकों को डी पी सी कर पदोन्नति दी गई है। यह ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए शिक्षा राज्य मंत्री महोदय को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारी मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शिक्षा के स्तर को, गांव-गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई।

बालिका शिक्षा के लिए 47 करोड़ 88 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। बालिकाओं को कक्षा 9 में साइकिल उपलब्ध करवाने के लिए 85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आठवीं, दसवीं, बारहवीं में बोर्ड की मैरिट में आने वाले विद्यार्थियों को लैपटाप वितरित करने के लिए 60 करोड़

(श्री अजीत सिंह)

रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु आदर्श विद्यालय मंदिर, स्वामी विवेकानंद माडल स्कूल, शारदे छात्रावास, 770 राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों को वर्चुअल क्लास रूम जैसी अभिनव योजनाएं हमारी सरकार ने लागू की हैं।

इस बजट में मुख्यमंत्री राजश्री योजना में 1 जून, 2016 के बाद जन्म लेने वाली बेटी के जन्म की पहली वर्षगांठ पर 2,500 रुपये, प्रथम कक्षा में राजकीय विद्यालय में प्रवेश पर 4000 रुपये, कक्षा छह में पहुंचने पर 5,000 रुपये, कक्षा दस में 11,000 रुपये और कक्षा बारह में पहुंचने पर 25,000 रुपये उसके खाते में जमा कराने का प्रावधान किया है। यह योजना न केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देगी, अपितु बालिका के लालन-पालन को भी सुगम बनायेगी और बिगड़ते हुए लिंगानुपात को भी ठीक करेगी और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का जो अभियान हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने लाल किले से कहा था, उसको भी साकार होते हुए हम देखेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए। हमारे देश के दूरदर्शी प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया था। उसकी सम्पूर्ण देश में सर्वप्रथम क्रियान्विति माननीया वसुन्धराजी ने इस योजना से की है। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। हमारे यहां कहा गया है कि यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता, परन्तु कालांतर में दुर्भाग्य से इस मंत्र को भूल गये और बेटी को बोझ समझने लगे और परिणाम हमारे सामने बिगड़ता लिंगानुपात है।

आज मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक में विज्ञान संकाय नहीं है, वहां विज्ञान संकाय खोला जाये तथा कन्या महाविद्यालय को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाये। यह मेरा उनसे निवेदन भी है। राजकीय महाविद्यालय टोंक में छात्र-छात्राओं को अध्ययन के लिए अन्य जिलों में जाना पड़ता है। अतः स्नातकोत्तर कक्षाओं में जीव विज्ञान एवं संस्कृत के विषय खुलवाये जायें। ऐसा मेरा माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है।

चिकित्सा के क्षेत्र में टोंक शहर में हमारे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दो माननीय मंत्रीजी ने दिये हैं। हमारे एन आर एच एम के माध्यम से हमारा 100 बेडेड अस्पताल टोंक में बनकर तैयार है। माननीय मंत्रीजी ने 15 करोड़ रुपये की लागत से सआदत अस्पताल में भी चिकित्सा के लिए 75

(श्री अजीत सिंह)

लाख रुपये धर्मशाला के लिए हमारे टोंक में दिये। वह भी बनकर तैयार है। टोंक जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य भवन के लिए 150 लाख रुपये की राशि आपने स्वीकृत की है। इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी का और माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, राठौड़ साहब का मैं हृदय से स्वागत भी करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे गर्व भी है कि हमारे राठौड़ साहब जब टोंक में पधारे थे, औचक निरीक्षण आपने किया, मुझे भी सूचना दी। जब अस्पताल जाकर उसकी दुर्दशा देखी, मुझे खुशी है कि आपने टोंक के अस्पताल की स्वच्छता को लेकर देखा, वहां की समस्याओं को देखा। मुझे गर्व है कि आपके आने के बाद टोंक में जो स्वच्छता की बात है और टोंक में हमारे अस्पताल की जो मूलभूत आवश्यकता थी, समस्या थी, आपने उसी वक्त बजट स्वीकृत करके सआदत अस्पताल में स्टाफ की भी बढ़ोतरी की है और उसको भी किया है।

मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन और आग्रह करना चाहूंगा, हमारे टोंक का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद, कांग्रेस के शासन में हमारे टोंक

(16.00 बजे)

की स्वास्थ्य मंत्री थीं, लेकिन उन्होंने कभी हास्पिटल की तरफ ध्यान नहीं दिया; मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा टोंक का 200 बेडेड हास्पिटल है, उसके अन्दर एवरेज 250 मरीज हमेशा एडमिट रहते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि टोंक के हास्पिटल को आप 300 बेडेड में क्रमोन्नत करेंगे, तो टोंक की गरीब जनता पर आपकी मेहरबानी होगी।

मेरा आपसे एक निवेदन है कि जिला मुख्यालय होने के नाते टोंक में सी टी स्कैन और एक एम आर आई की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे टोंक के हाइवे पर आये दिन एक्सिडेंट होते हैं और टोंक के अन्दर एक्सिडेंट केस को लाया जाता है, तो इन छोटी-छोटी मशीनों के नहीं होने की वजह से उसको जयपुर रेफर कर दिया जाता है। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे और इसकी आपने घोषणा भी कर रखी है। कलर सोनोग्राफी व हार्ट की जांच करने वाली 2डी ईको मशीन मय विशेषज्ञ चिकित्सक के उपलब्ध कराने की कृपा करें, यह मेरा राठौड़ साहब से विनम्र निवेदन है।

पेयजल योजना के तहत माननीया मुख्य मंत्रीजी व माननीया किरणजी माहेश्वरी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने टोंक के अन्दर पुनर्गठित शहरी पेयजल योजना हेतु 47.20 करोड़ की पिछले बजट में घोषणा की थी और उसका कार्य भी प्रगति पर है।

(16.01 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त।

प्रतिपक्ष के नेता, माननीय रामेश्वरजी डूडी। (व्यवधान) चार बज गये। (व्यवधान) नो। नो। उसी समय घोषणा कर दी थी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप उदार आदमी हो। इतने बड़े दिल वाले आदमी को क्या हो गया? इतने महान् व्यक्ति को यह शोभा देता है क्या?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं, और मुझे आसन ने आश्वस्त कर रखा है।

श्री अध्यक्षः बैठिये आप। कुछ घोषणाओं की गरिमा रखनी पड़ेगी। मैंने सवेरे उस समय ही कह दिया था कि 4 बजे तक जितने बोल सकें, बोलेंगे; अन्यथा 4 बजे प्रतिपक्ष के नेता का भाषण होगा और 5 बजे वसुन्धरा जी का भाषण होगा, मुख्य मंत्रीजी का भाषण होगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारी क्या गलती है?

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा तो कर लेने दो। (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन तो सुन लो।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): भाषण टेबल तो करवा दो।

श्री अध्यक्षः आप बैठिये।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): टेबल तो करवा दो। आप टेबल तो करवा दो।

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। आप बैठिये। मैं कह रहा हूं।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप टेबल तो करवा दो।

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। भाषण समाप्त। जरूरी नहीं हरेक बोले।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): टेबल कराने के लिए कह रहा हूं।

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। मैं कह रहा हूं, आप बैठिये।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): टेबल कराने के लिए कह रहा हूं, टेबल कराने के लिए।

श्री अध्यक्ष: नो। नो। प्रतिपक्ष के नेता।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन तो सुनिएगा। मुझे आसन ने आश्वस्त कर रखा है बोलने के लिए। मैं तब से बैठा हुआ हूं। आसन ने मेरे को आश्वस्त कर रखा है।

श्री अध्यक्ष: 4 बजे का टाइम फिक्स था।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): आप सभापति महोदय से पूछ लें। उससे पहले उपाध्यक्ष महोदय से पूछ लें।

श्री अध्यक्ष: नो। नो। नो।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): उन्होंने मुझे तब से आश्वस्त कर रखा है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे कैसे हो सकता है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपने कोई उदारता नहीं दिखायी है। 5-5 मिनट का टाइम नहीं दे सकते।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे निवेदन करता हूं। नेता प्रतिपक्ष अलाउ कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष अलाउ कर रहे हैं। प्लीज। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक शब्द रिकार्ड में नहीं जाएगा। एक शब्द रिकार्ड में नहीं जाएगा। कुछ घोषणाओं की गरिमा होती है। मैंने सदन में निवेदन किया था कि 4 बजे प्रतिपक्ष के नेता का भाषण होगा, आपसे पूछकर, और 5 बजे मुख्य मंत्रीजी का भाषण होगा, रिप्लाई। यह एक गरिमामयी घोषणा थी। अब उसको मैं आगे नहीं बढ़ा सकता। आपकी सहमति से मैंने किया है।

प्रतिपक्ष के नेता।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री अध्यक्ष: नो, नो, एक भी शब्द रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष के अलावा एक भी शब्द अंकित नहीं हो। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता के अलावा एक शब्द अंकित नहीं हो।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रतिपक्ष के नेता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आज माननीया मुख्य मंत्रीजी के बतौर वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत राज्य के वार्षिक बजट

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

2016-17 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बजट प्रदेश के समग्र विकास का एक पवित्र दस्तावेज होता है। इसकी भावना और संकल्पों की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। विधायिका और कार्यपालिका से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बजट में वर्णित संकलनों की अनुपालना के लिए पूरी प्रतिबद्ध रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, इस साल जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और सदन की नेता के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया, उनके आंकड़ों में अंतर आना बहुत ही गम्भीर विषय है; चिन्ता का विषय है। मेरे पूर्व में फतेहपुर से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने इस बात को रखा, सदन का ध्यान भी आकर्षित किया। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। जैसा जानकारी में आया है कि राज्यपाल महोदय ने इसको बहुत गम्भीर रूप से लिया और सरकार को यह कहा व सरकार से रिपोर्ट भी मांगी, यह बहुत गम्भीर विषय है। पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। हमारी सदन की नेता से मांग है कि इसके बारे में वे विस्तृत रूप से बताए कि विसंगति क्यों हुई। इसके बारे में हम सदन की नेता से निवेदन करना चाहेंगे कि वे इसके बारे में वस्तुस्थिति हमें बताएं।

आर्थिक समीक्षा की बुक्स हमें दी गयी। आर्थिक समीक्षा में ऊर्जा के जो दावे किये गये, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अपन बात कर लें सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा के अन्दर आर्थिक समीक्षा के पृष्ठ 84 पर अंकित "दिसम्बर, 2015 तक 766.85 मेगावाट उत्पादन किया गया।" अब राज्यपाल का अभिभाषण देखिए, अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 21 के बिन्दु 40 पर अंकित है "राजस्थान 1,264 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित कर राष्ट्रीय स्तर पर पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला राज्य बन गया।" इन्होंने प्राइज भी ले लिया। जबकि एक्चुअल में, फील्ड और धरातल पर आप देखो तो 766 मेगावाट सौर ऊर्जा की बिजली आपने पैदा करने का काम किया। यह आंकड़ों का मकड़जाल, हर आदमी इस बात को समझता नहीं; गांव का किसान, गांव का मजदूर, आपके इस बजट के आंकड़ों को समझता नहीं।

जिस तरीके से हर आंकड़ें के अन्दर, हर बिन्दु के अन्दर जो विरोधाभास झलकता है, उससे यह लगता है, जी डी पी आपने बढ़ा दी, लेकिन आपका राजस्व घट रहा है। इसके क्या मायने हैं? एक तरफ आपने, सरकार ने बजट में जो तथ्य प्रस्तुत किये, वे बहुत ही अधिक प्रामाणिक प्रतीत नहीं होते। क्योंकि राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश में सकल उत्पादन वर्ष 2014-15 में

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

5 लाख 49 हजार करोड़ था, वर्ष 2015-16 में 6 लाख 12 हजार करोड़ का दावा किया गया। वर्ष 2016-17 में 6 लाख 74 हजार 137 करोड़ का लक्ष्य रखा; जब प्रदेश में जी डी पी का आकार हर साल बढ़ रहा है, राजस्व आय है वह राजस्व आय निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए, लेकिन जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये वे विश्वसनीय नहीं लगते, क्योंकि सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2015-16 में 182.25 लाख टन होगा जो वर्ष 2014-15 में 196.22 लाख टन से कम है। ऐसे हालात में सकल उत्पाद की वृद्धि पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। आप जी डी पी बढ़ा रहे हो और आपका राजस्व घट रहा है, यह कभी हो नहीं सकता। प्रदेश के अन्दर नई इण्डस्ट्रीज लगेंगी, नये कारखाने लगेंगे, प्रदेश का विकास होगा, तो राजस्व भी बढ़ना चाहिए, लेकिन राजस्व घट रहा है और जी डी पी बढ़ रही है। मैं समझता हूं, बजट के अन्दर जिस तरीके से इन्होंने आंकड़ों में मैनिपुलेशन किया है इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न लग रहा है।

मैं एक और उदाहरण दूं, औद्योगिक विकास नकारात्मक स्तर पर पूरे देश के अन्दर है; पूरे देश के अन्दर निर्यात 16 प्रतिशत घटा है। जी डी पी में वृद्धि के दावे पर जो सवालिया निशान है क्योंकि प्रदेश देश के अन्दर औद्योगिक निवेश नीचे आ रहा है, निर्यात आपका घट रहा है, देश में मंदी का दौर है, प्रदेश में मंदी का दौर है और इतना होते हुए भी वर्ष 2015-16 में राजस्व आय का जो सरकार ने दावा किया, सरकार ने जो लिखा आर्थिक समीक्षा के अन्दर कि 1 लाख 11 हजार 361.66 करोड़ का लक्ष्य रखा था और 1 लाख 6 हजार 790.49 करोड़ राजस्व आय हासिल हुई, इससे जाहिर है, सरकार की राजस्व आय का लक्ष्य ये जुटा नहीं पाये।

कांग्रेस के कार्यकाल के अन्दर, हमने पिछले 5 साल के अन्दर बेहतर कुशल वित्तीय प्रबन्धन किया और उस कुशल वित्तीय प्रबन्धन की वजह से, 2 साल के अन्दर आप 2015-16 की बात कर लो तो अच्छा राजस्व इस प्रदेश को मिला था इन दो सालों के अन्दर, 2015-16 के अन्दर राज्य सरकार को 45 हजार 670 करोड़ रुपये का राजस्व मिला लेकिन फिर भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं। ये उसको पटरी पर नहीं ला सके। पिछले 28 महीनों में सरकार ने 43 हजार 700 करोड़ का कर्जा लिया। दो साल में, 28 महीनों में 43 हजार 700 करोड़ का जो कर्जा लिया, यह उदय योजना रहित है, इस कर्जे के बावजूद प्रदेश में कोई भी आर्थिक सुधार का माहौल नहीं बना।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

जबकि कांग्रेस के शासन में 5 साल के अन्दर कुल 49 हजार 800 करोड़ रुपये का कर्जा हमने लिया था। हमने राजस्थान के अन्दर एक आधारभूत ढांचा खड़ा किया, हम राजस्थान को विकास की गति की ओर ले गये और बड़े पैमाने पर विकास हुआ।

सरकार के हर बजट में कांग्रेस के सिर पर ठीकरा फोड़ने की आदत है। पहले भी जो बजट पेश किया, उसमें भी कहा कि कांग्रेस ने यह कर दिया, कांग्रेस ने घाटा कर दिया, कांग्रेस ने तिजोरियां, खजाना खाली कर दिया। कांग्रेस ने अच्छा वित्तीय प्रबन्धन आपको करके दिया था, तब आपके यह 28 महीने चला है।

श्री अध्यक्ष: शांत रहें। कृपया शांत रहें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अब देख लो, आगे ढाई साल और रहे हैं। यह स्थिति मैं आपको बता रहा हूं।

आपके बजट में जो आर्थिक समीक्षा है उसके अन्दर आपने लिखा है, और इसमें आंकड़ों में फर्क आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार का जो प्रशासनिक खर्च है, वह आपने बढ़ाया है, 85 हजार करोड़ रुपये वह आपका हो गया।

फिस्कल रेस्पोंसिबिलिटी एक्ट की अपन बात करें, तो एक्ट के अनुसार राजस्व घाटा 3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता। फिस्कल रेस्पोंसिबिलिटी एक्ट बना, उस एक्ट के अनुसार आपका राजस्व घाटा 3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, परन्तु इन्होंने कर दिया, इन्होंने कर दिया और, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी साल 9.9 प्रतिशत हो गया। तीन गुना राजस्व घाटा कर दिया। तो उस एक्ट को तो आपने बिलकुल किनारे करके ही छोड़ दिया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह किसका प्रतिशत है?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह फिस्कल रेस्पोंसिबिलिटी एक्ट जो केन्द्र सरकार ने बनाया था; राजकोषीय घाटा, इसमें एक्ट बनाया....

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, टोकें नहीं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें एक्ट बनाया और उस एक्ट के अनुसार 3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह कहां से निकाल कर लाये हो?

श्री अध्यक्षः माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, हस्तक्षेप मत कीजिये। (व्यवधान) आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने जो वर्ष 2015-16 में 71 हजार करोड़ रुपये की वार्षिक योजना प्रस्तुत की थी, आपने 2015-16 में खर्च कितना किया, उस योजना का 54 प्रतिशत। पैसा आपने खर्च ही नहीं किया। आपने योजना लम्बी-चौड़ी बना दी और 54 प्रतिशत खर्च हुआ। अबकी बार की वार्षिक योजना का आकार इन्होंने 99 हजार करोड़ रुपये का बना दिया। न तो आपने कोई रोड-मैप तैयार किया। 99 हजार करोड़ रुपये की आपने वार्षिक योजना बना दी लेकिन इसका आपका कहीं कोई रोड-मैप नहीं, कि कहां आप लगाओगे, क्या करोगे। फिर आखिर में जो अगला बजट आयेगा, उसमें भी आपका सिर्फ 30 प्रतिशत खर्चा आयेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अक्षय ऊर्जा की अपन बात करते हैं तो ऊर्जा की, बिजली की सख्त जरूरत है। अक्षय ऊर्जा के अन्दर आपने खाली 5 प्रतिशत खर्च किया है। अक्षय ऊर्जा के अन्दर आपने 494 करोड़ का जो संशोधन करके रखा; पहले आपने 2015-16 में 576 करोड़ रुपये का रखा और उसमें संशोधन करके 494 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया, 2015 तक मात्र 24.60 करोड़ रुपये उसमें खर्च हुआ। आपने आकार उसका 494-500 करोड़ रुपये के खर्च का कर दिया और खर्च हो रहा है मात्र 24.60 करोड़ रुपये। यह परियोजना, इसका प्रतिशत आप देखें, तो यह परियोजना 900 करोड़ रुपये की थी और इस 900 करोड़ रुपये में सिर्फ 56 करोड़ रुपये अभी तक खर्च हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रीन एनर्जी की अपन बात करें, तो 2015-16 के अन्दर इस योजना के अन्तर्गत ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना को लिया था। इस परियोजना के अन्तर्गत विद्युत प्रसारण तंत्र जिसकी कुल लागत 1018.30 करोड़ रुपये थी, दिसम्बर, 2015 तक 60.82 करोड़ रुपये इनसे खर्च हुए।

राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास, आर यू आई डी पी की अपन बात करें, तो तृतीय चरण में 3,660 करोड़ रुपये की योजना इन्होंने बनाई। इसमें 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक मात्र 46.23 करोड़ रुपये खर्च हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पूरी तैयारी नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक व्यय में इनकी भागीदारी घटी है। राज्य सरकार ने 2016-17 में

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

सामाजिक व्यय में सिर्फ 37.52 प्रतिशत हिस्सेदारी निभायी, जबकि वर्ष 2013-14 में कांग्रेस से सरकार ली थी तब भागीदारी 41.70 प्रतिशत थी। मतलब, सामाजिक व्यय नहीं करना चाहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): किसकी भागीदारी?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): सामाजिक व्यय जो है, सामाजिक व्यय आपके बजट में है। अच्छा, सामाजिक व्यय क्या होता है, वह आप समझते नहीं हो? सामाजिक व्यय को ही नहीं समझते नहीं हो। समाज के जो काम हैं।

श्री अध्यक्षः कृपया शांत रहें। आप बैठिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): प्रदेश के अन्दर जो समाज के काम हैं। अब प्रदेश के विकास की बात करो, तो वह विकास का काम सामाजिक व्यय होता है। आप यदि प्रदेश के विकास की बात करो, तो उसमें सामाजिक व्यय के अन्दर आपकी भागीदारी घटी है। वर्ष 2013-14 में हमारे टाइम में 41.70 थी और आपके टाइम में 37.52 प्रतिशत है।

मनरेगा की बात करो, तो अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि मनरेगा हमने बन्द नहीं की, मनरेगा के अन्दर हमने बजट को बढ़ाने का काम किया है। आपने मनरेगा के अन्दर 2014-15 में 1,685.36 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किये थे और 2,109.4 करोड़ रुपये मजदूरी का भुगतान किया था, लेकिन वर्ष 2015-16 में दिसम्बर माह तक 1,430.4 लाख मानव दिवस का ही रोजगार सृजन किया गया है और सिर्फ 1621 करोड़ रुपये की मजदूरी का भुगतान किया गया है। आपने रख दिया पर खर्च कितना हुआ? यह आपकी आर्थिक समीक्षा के अन्दर है। मनरेगा के हालात खराब हैं। प्रदेश के अन्दर आज उस गांव के आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है। वह ढाणी में बैठा है। इतनी बड़ी योजना और उस योजना को आपने समेटकर रखकर छोड़ दिया और उस योजना को बन्द करने का कृत्य आप लोग कर रहे हो।

इन्दिरा आवास योजना की अपन बात करें, अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा आवास योजना की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इन्दिरा आवास योजना, 2015-16, दिसम्बर, 2015 तक 55,220 आवासों का निर्माण किया गया, जो कुल लक्ष्य का मात्र 64.84 प्रतिशत है। उसमें भी आप कम हैं।

मैं सदन का ध्यान जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वर्ष 2015-16 में सरकार ने 1,773 बस्तियों को

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

योजना में शामिल किया था लेकिन दिसम्बर, 2015 तक सिर्फ 372 बस्तियों का काम हुआ। उसमें आपने 20.98 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण की बात कर लो, पेट्रोलियम उदय-रहित पूंजीगत खर्च की बात कर लो, 5,152 करोड़ रुपये से घटाकर 3,413 करोड़ रुपये आपने करके उसको छोड़ दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण पर जिक्र करना चाहूंगा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह अब तक क्या किया आपने? ये जिक्र अब कर रहे हैं?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं और कर रहा हूं। सरकार ने पिछली जो घोषणाएं कीं, अधिकतर धरातल पर आई नहीं। मैं आपके बजट 2014-15 और 2015-16 की बात कर रहा हूं। उसके अन्दर, आप देखो, क्योंकि बजट गणित का मायाजाल है, इस गणित के मायाजाल को या तो जिसने बजट पेश किया है, वह समझते हैं, या जो अधिकारी बजट बनाते हैं, जो बजट बनाने वाले हैं, वे समझते हैं। गांव का एक ग्रामीण, मजदूर और किसान उस गणित को नहीं समझता। वह तो जब बजट पेश होता है, तो पूरा प्रदेश देखता है, क्योंकि बजट के अन्दर प्रदेश का पूरा विकास छिपा हुआ होता है। पूरा प्रदेश देखता है, जब बजट पेश होता है तो पूरा प्रदेश टीवी देखता है, राजस्थान प्रदेश पूरा ठहर जाता है। पूरा प्रदेश देखता है कि अब बजट के अन्दर हमारे प्रदेश के विकास की बात होगी। दूसरे दिन पेपर्स के अन्दर आता है। न्यूजपेपर्स जो देखते हैं, पढ़ते हैं और पूरी आशा लगाकर रखते हैं कि प्रदेश की सरकार ने हमें विकास का बजट दिया है, इसमें विकास होगा। लेकिन एक साल गुजरने के बाद यदि उस बजट के अन्दर जो घोषणाएं करते हैं और उन घोषणाओं पर धरातल पर काम नहीं होता है, तो उस प्रदेश के वासी पर क्या गुजरेगी? यही स्थिति 2014-15 और 2015-16 के बजट की है।

हमारे माननीय सदस्य जो आदर्श नगर से आते हैं, आज भी वे बजट पर बोले थे, और पहले की हम बात करें तो 29 मार्च, 2012 को बजट पर वाद -विवाद पर बोलते हुए जो उन्होंने कहा था, उनकी कुछ पंक्तियां मैं यहां उल्लिखित करना चाहता हूं, जब हम सत्ता में थे, उन्होंने कहा था कि ''जनता की आकांक्षाओं को बजट में सम्मिलित किया जाता है, जो जनता हमें चुनकर यहां भेजती है। फिर यहां बजट के माध्यम से घोषणाएं होती हैं और दूसरे दिन

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)
अखबारों में छपती हैं। राजस्थान प्रदेश की जनता उन घोषणाओं को पढ़ती है और हर्ष महसूस करती है कि यह सरकार राजस्थान प्रदेश के लिए कुछ करना चाहती है।'' मैं अशोक परनामीजी की इस बात से पूरा सहमत हूं, उनके विचारों का आदर करता हूं। परनामीजी ने आगे और कहा था बजट के बारे में, क्योंकि वे आपके प्रदेशाध्यक्ष हैं,

एक माननीय सदस्य: विचारधारा से भी।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, विचारधाराओं से नहीं। उन्होंने जो बात कही है, उसका हम आदर करते हैं। ''बजट की घोषणा करना और उस बजट की घोषणा को पूरा करना, यह दोनों जिम्मेदारियां सरकार की होती हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। यदि वह उनको नहीं पूरा कर पाती, तो यह सरकार की बिलकुल निष्क्रियता है।'' यह उन्होंने कहा था।

आज अपने ऊपर राजस्थान के करोड़ों लोगों की निगाह हैं। बजट पेश किया है, उस बजट पर अपन बात करें, क्योंकि किसान भी उम्मीद लगा रखा है; वह मजदूर, ग्रामीण भी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है। बजट के अन्दर घोषणाएं होती है, युवा रोजगार और शिक्षा की बात कर रहा है, उसकी भी आकांक्षा है कि बजट के अन्दर ये सारी बातों को सरकार पूरा करेगी। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि जब बजट की समीक्षा होती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट 2014-15 और 2015-16 के ऊपर अपन बात कर रहे थे कि उन बजटों की घोषणाएं धरातल पर नहीं आईं। बजट से पहले एक समीक्षा होती थी, पहले के बजट की, कि उस बजट में जो घोषणाएं की गयी थीं, वे कितनी पूरी हुईं? जो हमने बजट रखा, वह पूरा का पूरा बजट जनता की भावनाओं के अनुरूप खरा उतरा, कि नहीं उतरा? इसकी समीक्षा पहले हुआ करती थी, लेकिन अब कई सालों से वह समीक्षा होती नहीं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि ऐसी समीक्षा उस बजट पर वापस होनी चाहिए, बजट से पूर्व। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली कम्पनियों की अपन बात करें। (व्यवधान) पानी पी-पीकर ही काम करेंगे आपका। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। शांत रहें। शांत रहें। अभी पानी पिला रहे हैं सबको ये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं बिजली कम्पनियों की बात करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 2013 के अन्दर आपको सरकार सौंपी थी। हम पांच साल 2008 से लेकर 2013 तक सत्ता में थे। (व्यवधान) हम

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

प्रदेश के सेवादार थे और इन पांच सालों के अन्दर जब हमने 2008 में सत्ता संभाली थी, उस टाइम में बिजली कम्पनियों पर 36,000 करोड़ रुपये का कर्जा था। आपने हमें कर्जा दिया 36,000 करोड़ रुपये और... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हाउस को आर्डर में लाइये।

श्री अध्यक्ष: मैं कंट्रोल कर रहा हूं ना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये बीच-बीच में ऐसे टोंट मार रहे हैं, तो हम नहीं मार सकते क्या? हम भी इनकी तरह ही जीतकर आये हैं। ये कोई ऊपर से आये हैं क्या? नेता बोल रहे हैं और बीच-बीच में मजाक चल रही है। यह ठीक नहीं है। यह परम्परा ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जब इनको सत्ता सौंपी, ये सत्ता में आये, तब 72,000 करोड़ रुपये बिजली कम्पनियों पर कर्जा था। तो 36,000 करोड़ रुपये पांच साल के अन्दर कर्जा बढ़ा। इन्होंने दो साल के अन्दर, क्योंकि पिछली बार बहस हुई, सम्माननीय राजपालसिंहजी ने भी एक बात कही थी, मंत्रीजी की मदद करते हुए। 36,000 करोड़ रुपये पांच साल के अन्दर कम्पनियां और ज्यादा घाटे में गईं। 36,000 से 72,000 करोड़ रुपये पांच साल के अन्दर कम्पनियां घाटे में आयीं। आपने दो साल के अन्दर 28 से 30,000 करोड़ रुपये और उन कम्पनियों को घाटे में कर दिया। दो साल के अन्दर एक लाख करोड़ के करीब कम्पनियां घाटे में पहुंच गईं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

आप ''उदय'' योजना लाये और सरकार बजट के अनुमान में हमें बताती है, जनता को, 9,000 करोड़ रुपये का घाटा पूरे वर्ष का आप दर्शा रहे हो, जबकि पूरे वर्ष में यह घाटा 15,000 करोड़ से पार है। प्रदेश की जनता की, आम आदमी की आकांक्षाओं का दौर शुरू हो गया। सरकार ने बिजली कम्पनियों का भार अपने कंधों पर लिया है, उसे लेकर हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। हम सब जानते हैं कि बिजली कम्पनियों की कार्यशैली और साख कितनी सुधरी है। सरकार से मेरा सवाल है कि क्या देश का बांड बाजार इतना मजबूत है, क्या इन बिजली कम्पनियों की इतनी साख है कि आप रुपये जुटा लेंगे? आप 60,000 करोड़ के बांड बेचने जा रहे हैं; कम्पनियां खुद अपनी 25 प्रतिशत भागीदारी बेचकर आपको कर्जा उतारने की कोशिश कर रही हैं। यह कर्जा कैसे पूरा होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय?

जो हालात बिजली कम्पनियों के हैं उन बिजली कम्पनियों में बिजली

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

की दरें, हमें कह दिया कि आपने बिजली कंपनियों को बहुत-बड़े घाटे में कर दिया। हमने पांच साल तक उस किसान के डोमेस्टिक कनेक्शन की रेट नहीं बढ़ाई और आपने यह तय कर लिया, 13 प्रतिशत से ज्यादा घरेलू बिजली दर आप बढ़ा रहे हो। किसान की अपन बात करें, एग्रीकल्चर में बढ़ाने की बात आई तो 85 रुपये पर-एच पी उसके कनेक्शन की अभी रेट है जनरल कनेक्शन का और उसको करीब 215 रुपये पर एचपी करने जा रहे हो। यह भी रिकमंड कर दिया सरकार की तरफ से डिस्काम कंपनियों को। तो पांच साल में रेट नहीं बढ़ाना, हमने कंपनियों की लीकेज कम करने और प्रोडक्शन बढ़ाने का भी काम किया। आपने दो साल में एक मेगावाट बिजली भी नहीं बनाई। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने चार हजार मेगावाट बिजली दो साल में बना दी, चार हजार मेगावाट आपने दो साल में बना दी?

एक तरफ आप निजीकरण का जो मामला कर रहे हो, आपने बैठकर यह तय कर लिया कि इन कम्पनियों को, जो राजस्थान की जनता की सम्पत्ति है, उसको आप बेचने पर उतारू हों। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी गवर्नर साहब के अभिभाषण पर कहा था कि 13वीं लोक सभा में अटल बिहारी वाजपेयीजी जब प्रधान मंत्री थे उस समय में डिस्इन्वेस्टमेंट का, माननीय सदन की नेता भी वहां स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थीं, उस समय डिस्इन्वेस्टमेंट का एक मंत्रालय बनाकर और इस देश को बेचने का काम किया गया, और वहीं काम आप प्रदेश में कर रहे हो। आज निजीकरण की तरफ जा रहे हो, उन कम्पनियों को आप बेच रहे हो। चाहे छबड़ा की बात करो, चाहे कालीसिंध पावर प्रोजेक्ट की बात करो, उनको आप बेचने पर उतारू हों। आप कह रहे हो कि वे इकाइयां घाटे में हैं। बिजली बनाना तो बहुत दूर की बात रही, जो जनता की गाढ़ी कमाई से जनता ने जो खड़ी कीं, उनको आप बेचने पर उतारू हों।

मैं मांग करता हूं, हमारे लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी, बिजली के बारे में वे अच्छा बोले, उन्होंने श्वेत पत्र की मांग की; मैं अपनी बात उनसे सहमत करते हुए मांग करता हूं कि बिजली कम्पनियों का श्वेत पत्र आपको जारी करना चाहिए। उनकी आडिट होनी चाहिए। अभी पिछली बार इसी सदन में चर्चा हुई थी कि बिजली कम्पनियों की आडिट होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा दिल्ली सरकार का, उन्होंने 'कैग' से बिजली कम्पनियों की आडिट करवाई। चार हजार करोड़ रुपये का उसमें

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

गड़बड़-घोटाला मिला। उसमें भ्रष्टाचार हुआ चार हजार करोड़ का। आप यहां इन बिजली कंपनियों की आडिट करवाते हो तो पता नहीं, क्या नतीजा आयेगा। तो मैं मांग करता हूं कि उसकी आडिट करवायी जाए और श्वेत पत्र जारी किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली कम्पनियों का जिस तरीके से, आपने पहले देखा होगा, कितनी बड़ी घटना हुई थी और कितनी शर्मनाक बात इन बिजली कंपनियों के लिए है। 12 जून, 2015 की उस घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह दिन प्रदेश की बिजली कंपनियों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब जाने जैसी बात है और इन कंपनियों की कार्यशैली पर एक काला अध्याय है। इस दिन टोंक जिले की मालपुरा तहसील के बासेड़ा गांव की बारात बस में जा रही थी और सड़क पर झूलते हुए तारों से बस में करंट दौड़ा और बीस बाराती मौके पर मर गये। दो अभी भी सवाई मानसिंह हास्पिटल में जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं। उसमें आज तक आपने क्या किया? उन कंपनियों के अफसरों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, 302 का उन पर मुकदमा होना चाहिए। आज कंपनियां कुछ नहीं कर रही है। आज क्या आपने ठीक कर दिया झूलते हुए तारों को प्रदेश में? यह सबका ध्येय और लक्ष्य है। यह सबका दायित्व बनता है। आज बिजली के क्या हालात हैं? कंपनियां दिन-प्रतिदिन घाटे में जा रही हैं। यह बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की बू आ रही है उसमें। आप इनकी आडिट करवाओ, तब आपको पता लगेगा कि इन कंपनियों के क्या हालचाल हैं। आज तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया, आज तक उनकी कोई खैर-खबर नहीं ली।

ये बिजली कम्पनियां सफेद हाथी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके दफ्तर में एक गांव वाला जा नहीं सकता, अपनी बात कह नहीं सकता। आपने मोटे-मोटे अक्षरों में लिख दिया कि हम चौबीस घंटे में ट्रांसफार्मर बदलेंगे। वह पांच हजार रुपये देकर, और आप 72 घंटे ले लो, मैं यह कह रहा हूं कि उसको महीना-पन्द्रह दिन ट्रांसफार्मर नहीं मिलता। जब तक उन कम्पनियों के अधिकारियों को उनके एक्स ईएन, ए ईएन को पांच हजार रुपये नहीं दे, तो। आप राज़ी हो रहे हो। आपके कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, आपको भी कहते होंगे। यह सबके लिए शर्म की बात है। हमें इसके बारे में सोचना है, उसमें चिन्तन करने की जरूरत है। आज चाहे आपका कार्यकर्ता हो, एक गांव का जो कार्यकर्ता है, एक गांव का ग्रामीण, एक गांव का किसान अपनी गाड़ी में

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)
ट्रांसफार्मर लेकर आता है और उस ट्रांसफार्मर को रखे हुए पन्द्रह दिन के बाद लगाते हैं और इस दौरान उसकी फसल बगैर बिजली के जल जाती है। पांच हजार से कम में उसका ट्रांसफार्मर नहीं बदलते। यह जांच का विषय है। आप इसमें जांच कराइये न। इसमें कोई बहसबाजी की जरूरत नहीं है। मैं कोई एक-दूसरे पर टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि ये हालात प्रदेश में हैं। इन हालात को सुधारने की जरूरत है।

आज क्या आपने जो आदमी मरे हैं, उनको मुआवजा दे दिया? सरकार का दायित्व बनता है। आपका कोई भी नुमाइन्दा वहां उनसे मिलने नहीं गया।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सात लाख रुपये दिये हैं। (व्यवधान) प्रत्येक को सात लाख रुपये दिये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, विराजिये। कृपया विराजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने कालीसिंध और छबड़ा केन्द्रों के निजीकरण का आपको बता दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये। माननीय विधायक, कृपया विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बैठ जाओ। मुख्य मंत्री जी बोलेंगी, तब वे जवाब दे देंगी।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): मुआवजा सात-सात लाख रुपये सबको दिया है और सबसे ज्यादा अच्छी कार्यवाही की है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, बीच में जवाब मत दो, मुख्य मंत्रीजी जवाब दे देंगी।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान) पूछते हो मुआवजे के लिए और फिर मना करते हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। आज नेशनल हैल्थ मिशन के अन्तर्गत 2015-16 में कुल आबंटित राशि 2,608.12 करोड़ रुपये है, लेकिन वास्तविक व्यय 1,246.60 करोड़ रुपये ही रहा, जो कि करीब 47 प्रतिशत है। इस राशि से शुभलक्ष्मी योजना, सुरक्षित मातृत्व एवं प्रसूति नियोजन दिवस, सामुदायिक आधारित अति कुपोषित शिशुओं का प्रबंधन, मिशन इन्द्रधनुष, आदि कई योजनाएं संचालित होती हैं।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में आज हालात ये हैं, डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो बहुत गम्भीर हालात हैं। प्रदेश में 86,942 पद अराजपत्रित श्रेणी में चिकित्सा विभाग में स्वीकृत हैं, जिनमें से 42,500 पद खाली पड़े हैं; प्रदेश में 5,764 चिकित्सा अधिकारी के पद हैं जिनमें 1,145 पद खाली पड़े हैं; लैब टेक्निशियन के 3,931 पदों में से 2,413 पद खाली पड़े हैं। आपके वार्ड ब्वाय, नर्सिंग स्टाफ, प्रयोगशाला सहायक के बिना हास्पिटल चल रहे हैं। हैं ही नहीं आपके हास्पिटल्स में। स्थिति यह है कि आपके पास में 12,646 वार्ड ब्वाय के पदों में से 6,439 पद खाली हैं; नर्सेज श्रेणी-द्वितीय में 18,923 में से 9,174 पद खाली हैं; प्रयोगशाला सहायक के 2,348 पदों में से 1,702 पद खाली हैं तो कहां तो आप नेशनल हैल्थ मिशन चलाओगे? कहां आपकी भामाशाह योजना? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आपने चला दी। आज हास्पिटल में डाक्टर नहीं हैं। (व्यवधान) मैं बोल लूं, उसके बाद जवाब दे देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं आपके दफ्तर में करेक्ट फिगर भिजवाऊंगा। ये किसने दिये आपको? आप उसके खिलाफ कार्यवाही करना। करेक्ट फिगर भिजवाऊंगा आपको। मैं टोकूंगा नहीं आपको।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके फिगर में तो फर्क आ रहा है न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं आपको सही आंकड़े भिजवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: हैल्थ मिनिस्टर साहब, विराजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, इसको गम्भीरता लिया है; महामहिम राज्यपाल ने गम्भीरता से लिया है। (व्यवधान) आप क्यों बोल रहे हो बीच में? (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): (व्यवधान) जोगेन्द्र शर्माजी ने दिये हैं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ये आंकड़े आपकी आर्थिक समीक्षा में देखो, आपको मिल जाएंगे। यह आपकी ही सरकार द्वारा जारी की हुई हैं, ये आंकड़े उसी में लिए हुए हैं।

शिक्षा की बात कर लें, तो शिक्षा के क्षेत्र के आज स्थिति इतनी बुरी

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

है, एक भी महाविद्यालय खोला नहीं, विश्वविद्यालय आपने खोले नहीं और जो हमने खोले थे, उनको बंद करने का काम आपने करा। (व्यवधान) मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर की जो तकनीकी यूनिवर्सिटी थी, उसको दो साल आपने बंद रखा। 9 महीने से काम कर रही थी, वह 9 महीने से चालू थी; वाइस-चांसलर लग गये, उसके गाड़ी-घोड़े पहुंच गये, उसका बजट पहुंच गये और उसको आपने आते ही बंद कर दिया। (व्यवधान) तो क्या घोड़े से आप यूनिवर्सिटी चलाओगे?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। केवल दो साल में वाइस-चांसलर लगाकर अपन उस यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं। कौनसी यूनिवर्सिटी का मेसेज देना चाहते हैं?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): डेढ़-डेढ़ सौ गज के प्लाटों में; डेढ़ सौ गज के प्लाट के दो कमरों में।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमने तो कर दी, तो आपने उसको बंद क्यों किया? आप दो साल बाद अब प्रस्तावित कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: शांत रहें। शांत रहें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अभी तो प्रस्तावित हुई है, खुलेगी, पता नहीं, कब।

स्कूली शिक्षा के हालात ये हैं कि शिक्षा विभाग में 2,76,616 पद हैं, उन पदों में से 1,18,734 पद रिक्त पड़े हैं, यानी, 42 प्रतिशत पद आपके पूरे विभाग में खाली पड़े हैं। शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल फर्स्ट में 22,629 और लेवल सेकंड में 18,308 पद खाली पड़े हैं। आप स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने की बात कहते हैं, आपके पास 3,374 पी टी आई के पद हैं, अभी आपने खेल में हजार करोड़ रुपये दिये हैं, इनमें 1,245 पद रिक्त पड़े हैं। प्रयोगशाला सहायक के आपके पास 3664 पद हैं, इनमें 2,561 पद रिक्त पड़े हैं।

आपने 17 हजार से अधिक स्कूलें बंद कर दीं, 4 हजार स्कूलें आप और बंद कर रहे हो। 17 हजार स्कूल आपने वे बंद की हैं जिन स्कूलों में ढाणियों के बच्चे पढ़ रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन ढाणियों के जो गरीब किसान और गरीब मजदूर हैं उनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे थे और सरकार ने उठाकर उन स्कूलों को बंद कर, गांव की एक जो बड़ी स्कूल थी,

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

उस स्कूल में लाकर भेड़-बकरियों की तरह भर दिया। आज पहली क्लास का बच्चा चार किलोमीटर आगे आकर पढ़ नहीं सकता। और भवन नहीं। (व्यवधान) ये आंकड़े आपके ही दिये हुए हैं। आपके पास कोई नये आंकड़े हों तो वह मुझे दे देना।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): एक भी प्राइमरी स्कूल चार किलोमीटर पर हो, तो आप बता दो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या बोल रहे हो? आपको +++ मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। आपके विभाग का मामला है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): +++

श्री अध्यक्ष: +++ इसको ड्राप किया जाय।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): +++ खाते हैं। यह असंसदीय भाषा है?

श्री अध्यक्ष: आपने लगने के लिए कहा है। आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूं। +++ ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): +++ कौन नहीं खाता? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आज शिक्षा विभाग के हालात प्रदेश में बहुत ज्यादा खराब हैं। आज स्कूलों में मास्टर नहीं हैं। बच्चे प्राइवेट स्कूलों के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप कहीं भी गांव की स्कूल जाकर देख लो। शहरों की स्कूल में जहां 30 बच्चे हैं, वहां आपके मास्टर भी 30 हैं, एक बच्चे के ऊपर एक मास्टर है। आप शहरों की स्कूलें देख लो, रोड पर लगती हुई शहर के नजदीक की स्कूलों पर जाकर देखो। हमने पहली बार समानीकरण का काम किया था; हमने शहरों में से गांव की स्कूल में टीचर भेजने का काम किया था। आप कर सकते हो क्या? आप में हिम्मत ही नहीं है। आप शहरों में स्कूलें देखो तो एक लड़के पर एक टीचर है और गांव में 400-400 बच्चों पर एक मास्टर है। खाली उनको पानी पिलाने में और उनको बाहर भेजने का ही काम कर सकता है। वह गेट बंद करके बाहर लट्ठ लेकर बैठा रहता है। यह हालात गांवों के स्कूलों की है।

आप रोडवेज का निजीकरण कर रहे हो। माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, सरकार ने एक पूरा रोड-मैप बना दिया, लोक परिवहन सेवा और रोडवेज के निजीकरण का मानस बना लिया। लोक परिवहन सेवा आपने चालू की लेकिन

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

धरातल पर वह नहीं आई। उन लोगों को ठगने का काम किया। आज कम से कम सैकड़ों बसें, हजार से ऊपर बसें बनाकर आपने खड़ी कर दीं। उन बसों का परमिट नहीं दे रहे हैं। पहले आपने इश्तहार निकाल दिया, उसमें आपने अपनी टर्म्स एण्ड कंडीशंस लिखीं, उसमें कहा कि आप कम्प्लीट बस बनाओगे, हमारे ये-ये रूट हैं, उस रूट पर आपकी बस कम्प्लीट होनी चाहिये, उसका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होना चाहिये, तब आप एप्लाई कर सकते हो। एक-एक बस 25-25 लाख रुपये में, 30-30 लाख रुपये में बनती है। उस गरीब की बस बनाकर छोड़ दी। आज सैकड़ों बसें धूल चाट रही हैं। उनको परमिट नहीं दे रहे। आपका मानस क्या है?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बोल दूं?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बाद में बोल देना।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अभी बोल दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 77 परमिट दे दिये और बाकी आज पेशी थी, 30 तारीख की पेशी है। जिस दिन कोर्ट का फैसला आ जायेगा उसी दिन शाम को परमिट दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जिन लोगों को परमिट दे दिया, उनको चलने दे रहे हैं क्या? परमिट देने से क्या होगा? प्राइवेट वाले तो घर पर बैठे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): टोटल कितने परमिट हैं? अध्यक्ष महोदय, 12 महीने हो गये और इन 12 महीनों में, मेरी समझ में आपके टोटल 600-700 के करीब परमिट होंगे और आपने अभी तक 77 परमिट दिये हैं। बाकी बसों के पैसे लगाकर छोड़ दिये आपने। उनको आप परमिट नहीं दे रहे। एक बस 30 लाख रुपये में पड़ती है और उनको कह दिया। यह बंदरबांट हो रही है। जिस रूट में आलरैडी बसें चल रही थीं, आपके ही विभाग के द्वारा परमिट दिये हुए थे, वे बसें आलरैडी उस रूट पर चल रही हैं। आपने 77 परमिट दिये हैं, उस रूट पर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी बस उस रूट पर नहीं चल रही, क्योंकि आपस में झगड़ा हो रहा है। इन्होंने झगड़ा पैदा करने का काम कर दिया क्योंकि आलरैडी प्राइवेट बस परमिट दी हुई, आपने पहले उसको परमिट दिया और वह बस उस रूट पर

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

चल रही है। आपको देखना चाहिये कि इस रूट पर किसने एप्लाई किया। आलरैडी जिसकी बस चल रही है, उसको आलरैडी आपका परमिट दिया हुआ है, उसको आप नया परमिट इश्यू करते, तो यह झगड़े वाली स्थिति नहीं होती। आज झगड़ा है और इन 77 रूटों पर एक भी रूट की बस नहीं चल रही है। रोजाना थाना-कचहरी होती है। ये हालात आपके लोक परिवहन सेवा के हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, यह बड़े वादे और कमजोर इरादों की सरकार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, समय बढा दें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीया मुख्य मंत्रीजी का जवाब पूरा हो, तब तक के लिए बढाया जाये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या पूरा हो? पूरा तो बोलो।

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्रीजी का भाषण पूर्ण हो जाये, तब तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कब तक? (व्यवधान) मुख्य सचेतक जी ने तो कहा, मुख्य मंत्रीजी के पूरा होने तक बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष: आपने नहीं सुना।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के किसान की बात करना चाहूंगा। आज पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के तहत भी यह मामला उठा था। एटा सिंघरासन माइनर सूरतगढ़ में, यहां सूरतगढ़ के माननीय सदस्य भी बैठे होंगे, पिछली बार जब हम सत्ता में थे तो हमारी सरकार ने उसको मंजूर किया।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): नहीं, मंजूर नहीं किया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपको फायदा मिल गया। आप वहां धरने पर बैठे थे।

श्री अध्यक्ष: भादू साहब, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है, मैं जानकारी रखता हूं इस विषय में। इन्होंने मंजूर नहीं किया, यह गलत कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने 20 करोड़ रुपये एटा सिंघरासन माइनर को दिये। सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य धरना लगाकर बैठे थे, ये धरना लगाकर बैठे थे, ये धरना लगाकर बैठे थे, माननीय अध्यक्ष महोदय और उसी धरने से, उन लोगों की आवाज, उन किसानों की आवाज आपने वहां रखी। आप सड़क पर बैठे रहे। उन किसानों के बीच में। तब आप उस एटा सिंघरासन माइनर की वजह से जीतकर आये थे। अब आपके हालात खराब हैं क्योंकि वह सिंघरासन माइनर आप नहीं बना रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। आज भी उसके सर्वे के पैसे हैं। सिर्फ सर्वे करने के पैसे बाकी पड़े हैं आज की तारीख में। आप रिकार्ड मंगवाकर देख लो। माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को उस इलाके की एक-एक तिल की बात याद है, क्योंकि मैं उस इलाके से मेम्बर पार्लियामेंट भी रह चुका हूं, एक सांसद के रूप में प्रतिनिधि कर चुका हूं। मुझे एक-एक ढाणी, एक-एक खेत का पता है। आज आपने कह दिया कि सर्वे का पैसा, उसका हमने पैसा दिया, उसको मंजूर किया, लेकिन दो साल के अन्दर आपने क्या किया? आपने सिर्फ उसको बंद करने का काम किया। आज किसान उस धरने पर बैठा है माननीय अध्यक्ष महोदय, और वह ही आप लोग, जिस तरीके से कर रहे हो, गोली और लाठी की सरकार चलाकर, उन पर गोलियां और लाठियां चला रहे हो आप। आपने देखा होगा ना। आप भी उस आंदोलन के अन्दर थे, जब रावल और घड़साना का आंदोलन हुआ था। आप ही थीं सत्ता के अन्दर। आपने किस तरीके से उन किसानों के साथ दमन करने का काम किया है। आपने लाठी और गोली से राजस्थान प्रदेश के अन्दर 90

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

से ऊपर किसानों को मारने का काम किया था। किया था, कि नहीं किया था? सिर्फ लाठियां और गोलियां चलीं। सिंघरासन माइनर के लिए वहां के किसान शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस लोकतंत्र के अन्दर अपनी बात कहने एक जरिया है धरना और प्रदर्शन करने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, वे शांति से धरना-प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे और सरकार ने क्या किया। गोली चला दी, लाठियां चला दीं और उन पर मुक़दमे और कर रहे हो। छांट-छांट कर कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कौन है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस तरीके से ढूंढ-ढूंढ कर द्वेषतापूर्ण राजनीति कर रहे हो और उन पर झूठे मुकदमे करने का आप षड्यंत्र कर रहे हो। आज वे किसान दुःखी हैं।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं सदन की नेताजी से कि आप अपने रिप्लाई के अन्दर इस बात का भी जिक्र करें कि आप एटा सिंघरासन माइनर बनाओगे कि नहीं बनाओगे। नहीं बनाओ तो यह घोषणा कर दो। तीन साल तक, वे किसान इंतजार कर लेंगे, और हम सत्ता में आएंगे और हम वह बनाएंगे। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, पहले भी हमने शुरुआत की, उसको पूरा करने का काम भी हम लोग करेंगे। आप जो है

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मुंगेरी लाल के हसीन सपने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहें। कृपया शांत रहें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं उस इलाके में हनुमानगढ़-गंगानगर, उन किसानों की सेम की समस्या के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। कुंभाराम लिफ्ट की क्या हालत हुई है?

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): धरने पर हम भी बैठेंगे, लाठी-गोली चलाएंगे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लाठी-गोली तो इनकी फितरत में है।

श्री अध्यक्ष: आपके विधायक आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, भंवरलालजी शर्मा कांग्रेस में हैं कि नहीं हैं, कांग्रेस में हैं कि नहीं भंवरजी? पता नहीं, कहा चले जाते हो। रोज पार्टियां चेंज कर देते हो।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): आवाज समझ नहीं आ रही आपकी।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि सेम की समस्या ने बहुत विकराल रूप ले रखा है और इसमें एक विस्तृत कार्ययोजना बनाकर काम करने की जरूरत है। 1 लाख 45 हजार बीघा जमीन उनकी किसानी जो है (व्यवधान)। उन किसानों के सामने, वे बेघर हो गये। रावसर से लेकर हनुमानगढ़ आपके जाखड़ा वाली तक, मतलब, 1 लाख 45 हजार बीघा जमीन उस सेम समस्या के अन्दर आ गई। उस समस्या का कोई समाधान नहीं।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का मामला है। पिछले पांच साल में कुछ भी नहीं हुआ था। इस बार नया ट्रांसफार्मर लगा है, नई पंप मोटर लगी है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्षजी, सदन के लिए ऐसी परंपराएं अच्छी नहीं हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ये सभी जो माननीय सदस्य उस इलाके से आते हैं, मतलब, बहुत भयंकर रूप ले रखा है इस सेम की समस्या ने। यह कोई हमारे अकेले का नहीं, अपन सब का दायित्व बनता है। एक वह समय देखो आप कि उस इलाके का किसान सबसे रिचेस्ट था, आज उनके लड़के कुंआरे घूम रहे हैं। उनके परिवार वालों के लड़कों को कोई लड़की नहीं दे रहा, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। वह जमीन पूरी सेम समस्या में आ गई। एक साल से वह किसान धरने पर बैठा है। हम गये, वहां इलाके अंदर गये; हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधीजी, जब पैदल यात्रा में गये (व्यवधान) क्या ओ हो कर रहे हों।

श्री अध्यक्ष: शांत रहें कृपया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हम गये वहां पैदल, उन किसानों के बीच में गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने उनको पूछा, उनसे बैठकर हमने बात की। हम उस इलाके के अन्दर जाकर आये।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, गये ही नहीं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी सरकार का एक नुमाइंदा उन किसानों के आंसू पोंछने के लिए नहीं गया।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): असत्य बोल रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज भी वे त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। आपको अपने फर्ज और दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, जो ये निर्वाह नहीं कर रहे, माननीय अध्यक्ष महोदय। उनके बारे में भी आप सोचो कि उनके सामने भी यह बड़ी भयंकर समस्या है।

कल और परसों, अभी दस-पंद्रह दिनों से ओलावृष्टि का मामला चल रहा है। माननीय प्राकृतिक आपदा मंत्री बार-बार जो बात सही कह रहे हैं कि हम इसका करवाएंगे, गिरदावरी रिपोर्ट चल रही है, लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं मंत्री महोदय, जिस तरीके से पटवारी, आपका तहसीलदार और आपका डिस्ट्रिक्ट कलक्टर जो हैं, या तो उनको आप सही निर्देश दो। खराबा आपका 100 पर्सेंट और वो बता रहा है कि 33 परसेंट के अन्दर है खराबा। इसबग़ोल है, आपका जीरा है, आपका चना है, ये छोटी फसलें हैं, इसबग़ोल और जीरा तो आपका; मतलब बरसात की चार बूंद आते ही खतम हो जाता है। तो उसमें आप जो बता रहे हो कि 33 परसेंट से कम है उनको कोई मुआवजा ही नहीं मिल रहा। ज्यादा से ज्यादा, उन्होंने जो बताया है कि पूरा बिलकुल खतम हो गया और उसको ये मान नहीं रहे। या तो आप उनको सख्त दिशा-निर्देश दो। मुझे तो लगता है कि उसमें आपकी सरकार की मिलीभगत है और आपने यह निर्देश दे रखा है कि आपको कहीं खराबा बताना ही नहीं। यही पिछली बार हुआ; यही भीलवाड़ा के अन्दर हुआ; यही हमारे जहाजपुर के माननीय सदस्य जो आ रहे हैं, वो दस दिन तक वहां बैठे रहे, पटवारियों ने सही रिपोर्ट की नहीं। उसमें जीरो परसेंट खराबा बताया जीरो परसेंट। अब बरसात आई, ओलावृष्टि आई, अंधड़ चला। उसमें आप जीरो परसेंट खराबा बता रहे हो कि जीरो परसेंट खराबा हुआ है। आप को तो पता ही नहीं है कि बाजरे का बूटा कितना होता है और चने का कितना होता है? आपको इसबगोल और जीरे के बारे में क्या पता? इनको कोई पता ही नहीं है। बोल ही नहीं रहे। खराबा हुआ है उन किसानों का, उनको मुआवजा दो। उसकी सही रिपोर्ट करवाओ और रिपोर्ट सही होनी चाहिए। जब जीरा और इसबगोल में 100 परसेंट खराबा हुआ है तो उसको 100 परसेंट खराबा बताओ।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, चने का होता है... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी परम्परा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यह अच्छी परम्परा नहीं है। हमें भी बोलना आता है। हम नेता को सुनना चाहते हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका है क्या ? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदन की नेता को हम सुनना चाहते हैं। ये नगरपालिका के चेयरमैन क्या बन गये, बड़ा जोश आ रखा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यू.आई.टी., यू.आई.टी... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गलत परम्परा मत डालो। कद घटा है, बढ़ा नहीं है। इसलिए बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए। आप ये माननीय विपक्ष के नेता फसल के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी लाल-मिर्च और हरी मिर्च में फर्क नहीं जानते और ये फसल की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह +++ देख लेना ढाई साल बाद में +++ याद रख लेना मेरी बात। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++ सरकार जाएगी। राजस्थान में नई गवर्नमेंट आएगी। आपका अता-पता नहीं लगेगा। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप ही बोलना जानते हो क्या?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): +++ नाम बता दो। (व्यवधान)

(17.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। आप भी बैठिये। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): डोटासरा जी, +++ नाम तो बता दें, +++ नाम क्या है। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): कौनसा +++ है वह? (व्यवधान)

डोटासरा जी, +++ नाम तो बताओ। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++ मोदीजी का और भारतीय जनता पार्टी का +++ ...(व्यवधान) राहुल गांधीजी को कम समझने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) आप अडानी और अंबानी की बात करते हो, राहुल गांधी गरीब की और किसान की बात करता है ...(व्यवधान) मजदूर की बात करता है।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आपके नेता का अपमान कर रहे हो। (व्यवधान) +++ वह तो देशद्रोही के साथ में खड़े रहने का भी काम करते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान) आप बार-बार नहीं बोल सकते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्षजी, हमारा अधिकार है। हमारे नेता को नहीं बोलने दे रहे। हमारे नेता को नहीं बोलने दे रहे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। बैठिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नगरपालिका, यू आई टी के चेयरमैन क्या बन गये, बीच में डिस्टर्ब करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या कर रहे हैं विपक्ष के नेता? (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): बैण्ड तो तब बजता है ...(व्यवधान) पहले शादी तो कराओ।

श्री अध्यक्ष: इनको समझाओ। आप विपक्ष के नेता हो। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): डोटासराजी, पीछे से इशारा करते हो बोलने के लिए और फिर बाद में खड़े होते हो। (व्यवधान) आप हमें तो इशारा करते हो वहां, खड़े हो जाओ ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राहुल गांधी सपने में दिख रहा है आपको। (व्यवधान) नींद नहीं आती राहुल गांधी के नाम से।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): आप हाथों से इशारा कर रहे हो बार-बार कि बोलो-बोलो और पीछे से मना करते हो। यह गलत बात है, डोटासराजी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय ने भाषण दिया, किसी ने उनको नहीं टोका।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई नहीं टोका।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह अच्छी परम्परा नहीं है। आप इनके विचारों से सहमत नहीं हो सकते हैं...

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी बात से सहमत हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं इन सबसे कह रहा हूं। आप मेरी बात से असहमत हो सकते हैं लेकिन आप मुझे बोलने से क्यों रोकते हैं? माननीय मुख्य मंत्रीजी उत्तर देगी, सक्षम हैं, अनुभवी हैं। लेकिन ये मुख्य मंत्रीजी के सामने जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी निगाह में आने के लिए, सिर्फ उनकी निगाह में आने के लिए कि ये बड़े वफादार हैं, यह मुनासिब और उचित नहीं है। हम सम्मान करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिए। अगर यह परम्परा पड़ गई, आज ही परनामीजी बोले थे, सबने आराम से बैठकर सुना। किसी ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। अगर यह परम्परा पड़ गई, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ से, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, अगर आप ही हाउस के नियमों का, श्रीमान्, पालन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विपक्ष के नेता।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपसे मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: विराजिए, राजाखेड़ा वाले माननीय विधायक।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): भले ही हम कम हैं पर आप समझ लीजिए...

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा वाले माननीय सदस्य, विराजिए आपने अपनी बात कह दी ...(व्यवधान) बहुत ढंग से कह दी। सब मान गये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के हित के काम थे। एक डिग्गी निर्माण का मैं एक लाया हूं, सर। किसान को हम तीन लाख रुपये सब्सिडी डिग्गी में देते थे। किसान खुद अपने खेत में मजदूरी करके तीन लाख में पांच लाख के बराबर डिग्गी बनाता था। इसका पांच लाख का पूरा एस्टिमेट दिया हुआ था ।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

वह अपनी मजदूरी करके उसमें वह बना सकता था। आपने उसको डेढ़ लाख रुपये कर दिया। डेढ़ लाख रुपये आपने कर दिये। लेकिन आपने जो टारगेट डिग्गियों का दिया, वह टारगेट 2015-16 के अन्दर दिया था 75 सौ डिग्गयों का, सिर्फ 645 आपने डिग्गी बनायीं, क्योंकि आपको बनानी ही नहीं। सिर्फ आपका टारगेट दिया हुआ है। किसान चक्कर लगा रहा है उस विभाग के आगे, डिपार्टमेंट में, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। 75 सौ की जगह सिर्फ 645 डिग्गियां बनी है।

प्रदेश में 800 जल होज निर्माण का लक्ष्य रखा और उपलब्धि सिर्फ 291 । इसी तरह कृषि यंत्र का लक्ष्य 69 हजार 970 और उपलब्धि रही सिर्फ 11 हजार 872 की। किसानों के हितैषी की आप बात कर रहे हैं कि हमने बजट के अन्दर किसानों को यह दे दिया, वह दे दिया, डिमांड किसानों के भरे पड़े हैं, उसकी फाइलें लगी हुई हैं, उस किसान को आप कनेक्शन दे नहीं रहे। 15 लाख रुपये का टयूबवेल वह किसान अपने खेत में बना चुका और उसकी कोई सुनने वाला नहीं।

विभागों की अपन बात करें, पदों की, चाहे अपन किसी भी विभाग की बात कर लें, अपन बात कर लें गृह मंत्रीजी के, स्वायत्त शासन विभाग में 58 प्रतिशत; सहकारिता विभाग में 50 प्रतिशत; पटवारियों के 40 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं; कारागार विभाग में 58 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। पुलिस बेड़े में बहुत बड़ी नफरी की कमी है। सरकार के पास में 46 हजार विद्यार्थी मित्र, उनको आपने निकाल दिया, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। 40 हजार तृतीय श्रेणी के, वे कहां गये, मंत्रीजी चले गये क्या? 40 हजार तृतीय श्रेणी के, 2012 के अन्दर भर्ती की गई...

श्री अध्यक्ष: आप चेयर की तरफ....

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपको देख रहा हूं, सर। आपसे ही निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आपने उनको....

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके माध्यम से सरकार को निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 40 हजार शिक्षक 2012 में भर्ती कर दिये, उनका नियमितीकरण नहीं हुआ। वे लटकते फिर रहे हैं कि नौकरी पर रखेंगे, या नहीं रखेंगे। यह उनकी स्थिति है, हालत है।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

बजट में अपन बात करें कटौती की, हर विभाग के अन्दर इन्होंने बजट के अन्दर कटौती की है, उसमें पैसे की कटौती की। अपन बात करें महिला बाल विकास की, उसमें आपने 34 करोड़ रुपये कम कर दिये। अनुसूचित जनजाति और जनजाति कल्याण के पिछली बार 517 करोड़ रुपये दिये थे, इस बार आपने 502 करोड़ रुपये दिये हैं। समाज कल्याण विभाग के पिछले 7 हजार 592 करोड़ दिये इस बार आपने 7 हजार 119 करोड़ रुपये दिए। प्रदेश में 20 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र भवन रहित हैं, उनके भवन ही नहीं हैं, आपने बजट में कोई प्रावधान ही नहीं रखा। इस बारे में कोई घोषणा नहीं।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): ध्यान नहीं रखा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। जवाब दे देंगे, जो भी होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): ऐसा असत्य नहीं कहें कम से कम।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): तकनीकी कर्मचारी, उनको भर्ती करने की हमने शुरुआत की थी, उसका कोई अता-पता नहीं।

सरकार बात कर रही है विजन की...

श्री अध्यक्ष: अब आप संक्षिप्त कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं दस मिनट और लूंगा। दस-पन्द्रह मिनट मेरे को डिस्टर्ब किया है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, दस मिनट आप और लीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 15 मिनट।

श्री अध्यक्ष: 10 मिनट।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हाउस बढ़ा हुआ है, सदन की नेताजी बोलेंगी, तब तक।

श्री अध्यक्ष: वह तो तब तक बढ़ा है। आपका समय एक घंटा है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सरकार के विजन की बात करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: 10 मिनट में कर लीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बजट के अन्दर विजन, विजन, विजन की बहुत जगह बात की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपन विजन की बात करें, यदि सरकार का विजन होता, आपने विजन 2020 की बात की थी, तो आप बाड़मेर रिफाइनरी कभी भी बंद नहीं करते; आपका विजन होता। अब सदन की नेताजी, फिर वे कहती है बाड़मेर रिफाइनरी की बात आ गई; सिर पर आप हाथ लगा रहे हो कि बाड़मेर रिफाइनरी की बात आ गई। बाड़मेर रिफाइनरी राजस्थान प्रदेश की लाइफलाइन है। अध्यक्ष महोदय, आज उस बाड़मेर रिफाइनरी की बात करें, प्रदेश के अन्दर अपन विजन की बात करें, प्रदेश के अन्दर राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी कैनाल वह भी लाए थे, यह हमारा विजन था; हमने माही बांध बनाया, यह हमारा विजन था; रावतभाटा परमाणु बिजली घर हमने बनाया यह हमारा विजन था। हमने कोटा बैराज बनाया यह हमारा विजन था। राणा प्रताप सागर की बात करो चाहे सांभर में हिन्दुस्तान साल्ट की बात करो। उदयपुर में जिंक था, हमने हिन्दुस्तान जिंक खोला। खेतड़ी के अन्दर हिन्दुस्तान कापर यह हमारा विजन था। आज आप विजन की बात कर रहे हो 2020 की। उदयपुर के अन्दर डबोक एयरपोर्ट ले लो, इन्होंने ही विरोध किया था कि यह दूर है। एयरपोर्ट का विरोध किया। यह हमारा विजन था। किशनगढ़ एयरपोर्ट हमने चालू करा, उसको रोकने का काम आपने किया, दो साल तक रोके रखा। यह आपका विजन है। यह विजन नहीं आपका रिविजन है। राजस्थान प्रदेश के अन्दर हम सत्ता में थे, हम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आये, उनको रिविजन करने का और उनको बंद करने का काम आपने किया।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप बैठिये।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): कैसे चलेगा? इतना असत्य, किशनगढ़ एयरपोर्ट का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, आपका प्रमोशन नहीं होने वाला। आप कृपया बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान) हमारे नेता के बीच में नहीं बोलें। क्यूं मुख्य मंत्रीजी को परफोर्मेंस दिखा रही हैं? (व्यवधान) क्या बात हुई यह?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, बात असत्य की है। नेताजी को सत्य बोलना चाहिए। (व्यवधान) आप कृपया सत्य बोलें, असत्य मत बोलें। बस।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने रिफाइनरी पर रोक लगाई; आपने जयपुर मेट्रो को कछुआ चाल पर चलाया; सेकण्ड फेज, आपने उसको बंद कर रखा है। फर्स्ट फेज चलाकर आप उसके लिए कह रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन में फायदा नहीं है, अनवाएबल है। यह दोनों प्रोजेक्ट आपने अनवाएबल बताये थे। डूंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा रेल प्रोजेक्ट दो साल से अटका हुआ पड़ा है। (व्यवधान) वह उदयपुर सम्भाग का है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय, मैं संकेत दे रहा हूं आपको।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं पांच मिनट में बोलता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पांच तो हो गये पहले ही आपके। दस मिनट। हो गये पहले ही।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पांच मिनट। (व्यवधान) इसमें क्या, लेट चले जाएंगे घर पर। हमारी सदन की नेताजी को बोलना है।

श्री अध्यक्ष: समय की भी कुछ सीमा है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं अपनी बात तो पूरी रखूं ना।

श्री अध्यक्ष: वह सब है, लेकिन अब; अच्छा, पांच मिनट में खतम कीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज उदयपुर सम्भाग, यह सबसे बड़ा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको आपने दो साल तक बंद करके रखा। यह आपका रिविजन है, विजन नहीं है। परवन सिंचाई परियोजना, दो साल से रोक लगा रखी है। हमने उसका उद्घाटन किया था। (व्यवधान) आपने उसकी दो साल तक रोक लगाकर रखी। ईसरदा बांध की परियोजना, दो साल से रोक लगा रखी है। 530 करोड़ की परियोजना थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको 1,856 करोड़ रुपये आपने कर दिया। नि:शुल्क दवा की बात करो, नि:शुल्क जांच की बात करो, सामाजिक पेंशन योजना आपने बंद कर दी। पत्रकारिता विश्वविद्यालय आपने बंद कर दिया।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): नि:शुल्क दवा भी बंद कर दी?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): भामाशाह योजना से जोड़ रहे हो, एक को भी पेंशन नहीं मिल रही है। आप अपने इलाके में जाकर पूछो। या तो अपने इलाके में आप जाते नहीं हैं। जाओ, तो इस बात का आप जिक्र करना। लोग रो रहे हैं आप पर। अम्बेडकर विश्वविद्यालय इन्होंने बंद किया। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की आपने वापस घोषणा की कि हम इसको प्रस्तावित करते हैं। यह है इनका विजन।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह है इनका विजन। मैं विजन की बात करूं। (व्यवधान) वह विजन था, माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश के अन्दर ऐसे महापुरुष हुए हैं, विजन था पंडित जवाहर लाल नेहरू का।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप पहली बार कह रहे हो यह बात। (व्यवधान) आज तक हमने सुना नहीं। (व्यवधान) सी.एल.पी. लीडर बोल रहा हो और अध्यक्ष मना कर रहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने दस मिनट ज्यादा ले लिये । (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज जो प्रदेश का विकास और गति है, हमारे महान नेताओं ने दी है।

श्री अध्यक्ष: और भाषण देने के अवसर आयेंगे, और आयेंगे। आज जितना समय आपने मांगा, उतना मैंने दिया। ईमानदारी से दिया। अब आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पांच मिनट और चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। पांच-पांच मिनट बहुत हो गये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं दस मिनट तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात, बस मेरा थोड़ा ही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट कहकर तो आप पन्द्रह मिनट बोल लिये ।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): विजन था, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जयपुर की अपन बात करें, तो सन् 1727 के अन्दर जयपुर बसा था। महाराजा सवाई जयसिंहजी का विजन था।

एक माननीय सदस्य: मानसिंहजी।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मानसिंहजी नहीं, जय सिंहजी। उनका विजन था। उन्होंने उस वक्त जयपुर के अन्दर, पूरे के अन्दर कागज लिखे थे कि आप आओ, हम जगह देंगे; हम यह करेंगे; हम टैक्स में छूट करेंगे; आप व्यापार लगाओ, दुकानें खोलो। यह उनका विजन था। आपका विजन नहीं है। आप रिविजन की तरफ जा रहे हो। आपकी गाड़ी का गीयर रिवर्स लगा हुआ है। आप राजस्थान प्रदेश को पीछे...

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिये, कृपया। प्रतिपक्ष के नेता, कृपया, मैं निवेदन करता हूं, अब आप विराजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं एक बार खतम तो करूं ना, सर, एक बार इसको।

श्री अध्यक्ष: खतम हो गया। खतम हो गया अब।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का लीडर बोलता है तो कोई टाइम नहीं होता है। (व्यवधान) आप तो पहली बार कह रहे हो। यह क्या तरीका है?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं एक बात कहना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मैंने प्रतिपक्ष के नेता से पूछा था, इन्होंने एक घण्टा मांगा था, मैंने एक घण्टा दिया और एक घण्टा दस मिनट ले चुके हैं। (व्यवधान) आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): दो मिनट में करता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप यह बताओ, सी.एल.पी. लीडर बोलता है तो बोलता है। कभी टाइम ही नहीं होता।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): अध्यक्ष महोदय, आप भी विपक्ष में रहे हो, कभी विपक्ष के नेता का और सदन के नेता का टाइम नहीं होता है। आप नई परम्परा डाल रहे हो। आप भी विपक्ष में रहे हो, हम रहे हैं विपक्ष में। नई परम्परा डाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मुझे परम्परा डालने का अधिकार है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, आज माननीय परनामीजी, जो प्रदेश बी.जे.पी. के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बहुत बात की, बाड़मेर रिफाइनरी के बारे में, राज धर्म

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

के बारे में आपने बात कही। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने जिस तरीके से, मैंने यह बताया कि बाड़मेर रिफाइनरी रोकना, राजधर्म है? आज 15 लाख नौकरियों का आपने कह दिया, उसमें एक नौकरी आपने लगाई नहीं। यह राजधर्म है? मैं कई बातें कहता, काफी समय लगेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिये। एक मिनट में विराजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन सिर्फ, आदर्श नगर के जो माननीय सदस्य हैं, जो इन्होंने कहा, उसके बारे में ...(व्यवधान) उन्होंने जो कहा था, उसके बारे में; उन्होंने कहा कि वहां तेल का पता नहीं। (व्यवधान) तेल का इन्होंने कहा कि बाड़मेर के अन्दर जो क्रूड आयल है, वह कांग्रेस को पता नहीं और वे बाड़मेर रिफाइनरी की बात कर रहे हैं। वहां 40 प्रतिशत, आपके ही उसमें लिखा हुआ है, आपके ही डाक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि राजस्थान में 40 प्रतिशत देश का, प्रदेश का, 40 प्रतिशत तेल का उत्पादन हो रहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): हमने जानकारी करवाई थी।

श्री अध्यक्ष: आपका भाषण समाप्त हुआ। आपका भाषण समाप्त हुआ।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मैं इनकी बात तो पूरी करूं। मैं परनामीजी की बात तो पूरी करूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, हो गया। एक-एक बात पर नहीं। आपने एक घण्टा मांगा था, सवा घण्टा हो गया। (व्यवधान) सदन की नेता से निवेदन करूंगा, वे अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: पन्द्रह मिनट ज्यादा ले लिये आपने।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बोलेंगे? जवाब देंगे आप?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मेरे को दे दें आप।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, माननीय अध्यक्षजी। सदन की नेताजी से मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से आपने बजट पेश किया, जनता की आकांक्षाएं हैं, जनता की भावनाओं पर, मुझे नहीं लगता कि आप उनकी कद्र करके कोई खरा उतरोगे...

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आपके सामने नतमस्तक हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन मेरा निवेदन है कि आपने जो बजट पेश किया है, धरातल पर उसका काम...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अमेरिका के एक प्रेसिडेंट जार्ज बुश का नाम तो सबने सुना होगा, उन्होंने बजट के बारे में यह कहा था, "It's clearly a budget, it's got a lot of numbers in it." मेरे को आज याद आ रही थी वह, नम्बर्स का मायाजाल सुनने को मिला है। इसी तरीके से उन्होंने भी अपने बजट को और बजट के आंकड़े जो भी हैं, उनको एक आंकड़े के मायाजाल के अन्दर फंसाने की कोशिश की। वह तब की, जब कुछ और बाकी था नहीं। यह जार्ज बुश और यह उनका एक सोच था अपने बजट के बारे में।

परन्तु एक दूसरी सोच भी थी, और ये थे Jacob Lew, U.S. Secretary of Treasury] उनकी सोच यह थी कि "Budget is not just a collection of numbers but an expression of our values and our aspirations." यह हमारी सोच है। हमारा जो बजट है, वह इस चीज को दर्शाता है। हमारा बजट हमारी सात करोड़ जनता की आशा, उनकी आकांक्षा, उनकी अपेक्षाएं, इनका वह एक प्रतिबिम्ब है। हम अपने बजट के आंकड़ों को टुकड़े-टुकड़े में नहीं बांटते। हमने अपने इस दस्तावेज को एक कम्पलीट दस्तावेज के रूप में देखकर, जो इसके अन्दर वायदे किये थे, उनको पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने का काम हम लोगों ने किया है। यह जो हमारा डाक्यूमेंट है, यह हमारी सोच को, हमारे विजन को, हमारी दिशा को और हमारे संकल्प को अच्छी तरह से दर्शाता है। उसको पढ़ लें, अच्छी तरह से पढ़ लें।

इसके बाद हमने प्रेस वार्ता में जो कहा था, उसके अन्दर भी हमने इसकी खासियत, हमारे बजट की खासियत को संक्षिप्त में सबके सामने रखने की कोशिश की। हमने कहा यह टिकाऊ, समावेशी, सामयिक बजट है; in other words, inclusive, growth-and reform-oriented budget; a budget towards the healthy and happy Rajasthan, एक बजट जो राजस्थानियों को खुशहाल रखेगा और राजस्थान को खुशहाल बनायेगा। एक सोच को मूर्त रूप देने वाला बजट है। यह हमने प्रेस वार्ता के अन्दर सबके सामने देने की कोशिश की थी।

आज के इस सौहार्दपूर्ण वातावरण के अन्दर जिन-जिन लोगों ने भाग

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लिया था और जिन्होंने लगातार घण्टों बहस की थी, 22 घण्टे लगातार बहस हुई है, करीबन 68 माननीय सदस्यों ने इसके अन्दर भाग लिया है, उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। उनके सुझावों को असेप्ट भी करती हूं; जरूर उसको देखूंगी, क्या-क्या आप लोगों ने कहा है।

इस बीच में मैंने देखा कि कुछ माननीय सदस्यों ने जो क्षेत्र की समस्याएं थीं, उनको उठाने की कोशिश की। कुछ सदस्य थे, जिन्होंने सरकार की आलोचना की; नेचुरली। कुछ ऐसे थे, जिन्होंने छोटी-छोटी कमियां भी गिनाने की कोशिश की थी। आवश्यकता, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की है, मैं मानती हूं कि सदन राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठने की कोशिश करे, राज्य हित में और एक नये राजस्थान को बनाने की कोशिश में सब एक जुट होकर आगे बढ़ने की कोशश करें, तो मैं समझती हूं कि हमारा यह बजट सार्थक रहेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने अभिभाषण के अन्दर क्या आंकड़े आए और बजट भाषण में क्या आंकड़े आए, इनके अंतर के मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश की। मुद्दा तो भले ही उठाओ, मैं तो समझती हूं कि इस हाउस के अन्दर यह फ्रीडम है कि कोई भी ऐसा मुद्दा उठा सकता है, परन्तु सदन का एक बहुत कीमती समय है, उस कीमती समय को राजस्थान के निर्माण के साथ अपने को जोड़ना चाहिए न कि मायाजाल में, आंकड़ों के मायाजाल में फंसकर और अनावश्यक विश्लेषण करने में। क्या किस चीज में लिखा है, किस तरीके से उसको पढ़ा जा रहा है, वह कांटेक्स्ट क्या हैं, वह तो सामने आना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब चीज एंटर होती हैं हमारे हाउस के रिकार्ड के अन्दर। यह बहुत जरूरी है कि जो भी आंकड़े उसके अन्दर आते हैं, जो भी बात उसके अन्दर आती है, उसमें कहीं इधर से उधर असत्य बात न हो, ताकि जो हिस्टरी और बाद के जो पुश्तैनी लोग आकर इसको देखकर जाएंगे, वे कभी यह बात नहीं कहेंगे कि हमारे आगे के लोगों ने क्या कहा और किस तरह की दिशा राजस्थान को बताने की कोशिश की। मुद्दा उठाएं, कोई प्राब्लम नहीं है।

मैं तो आप सबको यह बताना चाहूंगी कि ये अंतर कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। आपके अन्दर भी मैंने देखा अभी, इसको पढ़ने की कोशिश की और मैंने देखा, कुछ वर्षों के आंकड़े जब निकाले तो 2010 और 2017 के अन्दर ही 17 बार उस आंकड़े का फर्क, अभिभाषण के अन्दर और बजट के अन्दर देखने को मिला। उदाहरण के तौर पर, मैं 17 नहीं गिनने वाली हूं, मैं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सिर्फ एक आपके सामने रखूंगी, 2012 के अन्दर 2 लाख 20 हजार से अधिक सेल्फ-हेल्प-ग्रुप्स के गठन की बात कही गयी, बजट भाषण के अन्दर 2 लाख से अधिक एस.एच.जी.; 20 हजार तो वैसे ही गायब हो गये। 2013 में 2 हजार 719 गांवों की सड़क को जोड़ने की बात की, बजट के भाषण में 2 हजार गांव का लेखा-जोखा आपने जरूर दिया, 719 गांव नजरंदाज हो गये।

यानी, यह आंकड़े की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आते हैं, क्योंकि मैं यह मानती हूं कि अभिभाषण लगभग दिसम्बर के महीने में होता है और जो बजट है वह फरवरी के महीने में, फरवरी-मार्च के महीने में होता है और इसीलिए दिसम्बर वाले, उस समय के आंकड़ों के ऊपर लिखा जाता है और फरवरी के उस समय के आंकड़ों के ऊपर लिया जाता है। हम लोग आंकड़ों के ऊपर नहीं जाते। हम लोग यह देखते हैं कि उसके पीछे क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या राजस्थान की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है। यह आंकड़ों से नहीं, बल्कि आंकड़े इसके मददगार होते हैं। आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद साबित कर सकते हैं, मदद दे सकते हैं, परन्तु इनके ऊपर ही यह पूरा चले, यह मैं नहीं मानती कि होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016-17 के आंकड़े भी मैं आपको देना चाहूंगी और इसके भी कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी। जैसे अभी कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में 4 हजार 167 मेगावाट की विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई, तो यह 30 नवम्बर, 2015 तक की बात है, बजट-भाषण के अन्दर 4 हजार 283 मेगावाट; नवम्बर तक का उत्पादन था, प्लस नवम्बर से फरवरी तक के जो उत्पादन हुए थे, उन फिगर्स को भी उसमें जोड़ा गया है। किसने किसको गुमराह करने की कोशिश की और किसने कहां कौनसी गलत रिपोर्टिंग की, मुझे यह समझ में नहीं आया।

एक और उदाहरण ले लीजिए। राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर 2 हजार 182 किलोमीटर मिसिंग लिंक की अपन ने बात की है और लागत बतायी है 608 करोड़ 35 लाख, बजट भाषण में इसको राउंड-आफ करके 608 करोड़ की बात की है। उसमें क्या गलत बात है? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है।

फिर मुद्दे की बात तो यह है, और मुझे जो समझ में आती है कि यह मुद्दे की बात को अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है; मुद्दे की बात ये आंकड़े नहीं हैं, मुद्दे की बात तो यह है कि सरकार ने 1 हजार 9 किलोमीटर के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मिसिंग लिंक का निर्माण किया। इससे कितने सारे गांवों के लोग, कितनी सारी ढाणियां, कितने दूर-दराज के गांव-वासी उसके साथ जुड़े हैं, रास्ते के साथ जुड़े हैं और उनको कितने लोगों को राहत प्रदान की गयी है, उस मुद्दे की बात को हमें सोचने की जरूरत है। Not the other way round.

फिर आप आएं, 'भामाशाह योजना'। भामाशाह योजना के ऊपर तो सब लोग ही आते हैं। एक और मुद्दा उठाया गया और यह कहा गया कि दिसम्बर, 2015 तक 10 लाख 69 हजार परिवार को राशि हस्तांतरित की गयी, यह था आपके अभिभाषण में; बजट पर आया कि 16 लाख 48 हजार फेमिलीज में राशि हस्तांतरित की गयी। इसमें क्या बुरा हुआ? जैसा मैं समझती हूं कि 6 लाख लोग उसमें बढ़ गये हैं, तो बहुत अच्छी बात हुई यह। इसमें तो बधाई की बात है। मुझे यह नहीं समझ में आया कि इसमें क्या बुराई अपने को निकलकर आई है।

मैं तो कहती हूं कि यह सब आंकड़ेबाजियों को आपको छोड़ देना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना ही बताइए कि महिला सशक्तिकरण की बात थी, इस भामाशाह योजना के द्वारा फाइनेंशल इंक्लूजन के साथ जोड़ने की बात थी। मैं यह पूछना चाहती हूं कि इस भामाशाह योजना को बंद क्यों किया गया? क्यों बंद किया? इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी योजना, जिसको दिल्ली की सरकार ने आगे बढ़ाया और यही नहीं, आप ही की सरकार ने और उसके बाद हमारी सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी योजना को बंद करना क्या यह रिग्रेसिव स्टेप नहीं है। यह है मुद्दे की बात। इसके ऊपर डिबेट क्यों नहीं होती है। इसके ऊपर अगर डिबेट होती है तो पूरी जनता को मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या है।

एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि भामाशाह के अन्दर लोग आकर और फिर उसमें चक्कर काटते हैं; इसमें कोई लाभ हमको नहीं मिलता है। मैं यह बताना चाहती हूं कि भामाशाह के अन्दर अभी तक 2 करोड़ 32 लाख ट्रांजेक्शंस हुए हैं और 1,426 करोड़ रुपये लोगों के खाते में सीधे गये हैं। आंकड़े तो इसमें क्षण-क्षण में बदलते हैं। डिस्पले बोर्ड अभी अम्बेडकर सर्किल पर कोई भी चला जाएगा तो आपको इलेक्ट्रोनिक डिस्पले बोर्ड वहां पर देखने को मिलेगा, जो रेगुलर आम जन को जानकारी दिये जा रहा है। वेबसाइट पर अगर चले जाएंगे तो वेबसाइट के अन्दर आपको मालूम हो जाएगा कि हम किस लेवल तक, अभी यहां तक पहुंचे हैं। मैं सब लोगों से

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आग्रह करना चाहूंगी, मेहरबानी करके, प्लीज, एक तो वह इलेक्ट्रोनिक बोर्ड को देख लीजिए और अगर आपको समय मिल जाता है और वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको भी आंकड़े देखने को मिल जाएंगे। फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह की मिस-अंडरस्टैंडिंग होगी। आपको यह मालूम पड़ेगा कि मिनट-टू-मिनट आंकड़े आपके बदलते जा रहे हैं।

इंडिविजुअल बेनिफिशयरी प्रोग्राम्स जो भी हैं, जैसे पेंशन है, जैसे छात्रवृत्ति है, यह पहले गरीबों के पास मनी-आर्डर के द्वारा जाया करते थे, आज यह राशि डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में चली जाती है। पैसा अगर आपको निकालना है तो को-ब्रांडेड-कार्ड, जो भामाशाह वाला है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, माइक्रो ए.टी.एम. के ऊपर चले जा सकते हो, बैंकिग करेसपोंडेंट के पास चले जा सकते हो, या बैंक में जाकर अपना पैसा वापस निकाल सकते हो। यह तो इतने सारे आप्शंस लोगों को मिले हैं। इसमें लोगों को खुशी है। मुझे लगता है कि कोई दु:खी इससे नहीं है। बहस का मुद्दा तो एक दूसरा ही होना चाहिए।

मैं तो कह रही हूं, वापस फिर वही स्वर्गीय राजीव गांधी के ऊपर, जिन्होंने कहा था कि एक रुपये में से 15 पैसे अगर पहुंच जाते हैं तो बड़ी बात होती है। यही आपके राहुल गांधीजी ने कहा कि 10 रुपये में से 10 पैसे अगर पहुंच जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। हमने तो पारदर्शिता दिखाते हुए, सम्मानजनक रूप से, बिना लीकेज के, उसके बैंक खाते के अन्दर पैसा पहुंचाने का काम किया है। आपको तो इसके अन्दर हम सब लोगों को बधाई देने की जरूरत है। लीकेज की बात तो बहुत ही दूर है। मैं यह कह रही हूं कि आज सालाना इस मनी-आर्डर के पेटे हम 100 करोड़ रुपये बचा रहे हैं, 100 करोड़ रुपये बचा रहे हैं और लोगों को इसके अन्दर राहत मिली है। लोगों का इसमें विश्वास बढ़ा है।

मुझे लगता है कि यह स्कीम लोगों को अच्छी तरह से पसंद आई है और मैं इसके एक-दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूं। यह श्रीमती पार्वती बिजोड़, यह ग्राम पंचायत सिसोद, बिछीवाड़ा की और डूंगरपुर जिले की हैं और वे कहती हैं कि पहले मेरी पेंशन डाक से आती थी, जो समय पर भी नहीं मिलती थी तथा कभी-कभी पूरी भी नहीं मिलती थी। बाद में पेंशन सीधे ही बैंक में आने लग गयी। मुझे पेंशन लेने के लिए अब बैंक जाना पड़ता था, जिससे किराया-भाड़ा भी लगता था। अब मैं पेंशन गांव के ई-मित्र से ही

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

निकाल लेती हूं, जिसमें मुझे कोई परेशानी नहीं आती। यह तो आपको डायरेक्ट गांव में और जो वहां की महिलाएं और वहां के सज्जन लोग जिनके मन के अन्दर यह बात, यह स्कीम बैठ गयी है, वे तो इस तरीके से इसके बारे में बात करते हैं।

एक श्री इस्माइल हैं, ये बावुचा, अरण्या, बाड़मेर के हैं और वे कहते हैं कि भामाशाह योजना की बदौलत मेरी पेंशन और नरेगा का पैसा सीधे ही मेरे बैंक खाते में जमा होने लगा है। मुझे पेंशन व नरेगा की राशि निकालने हेतु पूर्व में या तो डाक-खाने जाना पड़ता था या फिर बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अब मैं अपने गांव के ई-मित्र से ही राशि निकाल लेता हूं। मेरा परिवार एक बी.पी.एल. परिवार है। अतः मेरी पत्नी के खाते में भी भामाशाह योजना के माध्यम से 2 हजार रुपये जमा हो गये हैं। अब हम पैसे निकालने के लिए बैंक में नहीं जाते और जरूरतानुसार गांव में ही ई-मित्र पर जाकर अपने पैसे निकाल लेते हैं।

एक और टेस्टिमोनी है और मैं समझती हूं कि इसके जो कथन हैं, इसमें क्या हम लोगों को, आप लोगों को, किसी में गर्व नहीं पैदा हो जाता? क्या आपको नहीं लगता कि इससे राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ा है? डिजिटल राजस्थान की जो इतनी बात हम लोग सुनते हैं, इसका सपना साकार होने जा रहा है, क्या आपके मन में यह बात नहीं आ रही है? हमें तो गर्व होता है कि ई-मित्र और अटल सेवा केन्द्र जो हैं, अब गांव वालों के लिए पूरी तरह से कार्यशील होकर काम करने लगे हैं। अगर प्रतिपक्ष की बेहतर सोच होती तो आपके पास पांच साल थे, आप पांच साल में कुछ और अच्छी स्कीम को ले आते और criticism for the sake of criticism नहीं होता। I believe, this should be avoided.

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जल संरक्षण के कार्यों के आंकड़ों के अन्दर भी अन्तर है। अभिभाषण के अन्दर यह है कि फर्स्ट यीअर में 3,529 विलेजेज में कार्य करवाये जाने का उल्लेख है; बजट भाषण, जनवरी, 2016 तक जल स्वावलम्बन के तहत 3,318 गांवों में कार्य प्रारम्भ करने का उल्लेख है। अभिभाषण के समय आप तो खाली बता रहे थे कि यह कार्यसूची में, हम आगे चलकर यह काम करेंगे और जो स्वीकृत डी पी आर है, उसके ऊपर इसको बेस करके इसको आगे ले जाने की बात करेंगे, परन्तु बजट में हमने यह कहा कि कार्य हमने प्रारम्भ कर दिया है और मौके की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर इसको हाउस में हम ला रहे हैं, लेकिन सिर्फ 40 दिन, अध्यक्ष

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

महोदय, यह बहुत कम समय है, 40 दिन के अन्दर 3,318 गांवों के अन्दर कार्य शुरू हो गया है। यह कितनी बड़ी उपलब्धि है।

एक दूसरा मुद्दा भी उठा है कि जल स्वावलम्बन अभियान में राशि ली जा रही है, कुछ माननीय सदस्यों ने उस बात को भी कहा, उन्होंने कहा कि उसमें से आधी राशि तो अभियान में लगती है और आधी राशि अफसर रख लेते हैं। यह तो बहुत गलत बात है। मैं तो कहती हूं, अध्यक्ष महोदय, यह जो योजना है, यह पूरी तरह से पारदर्शी है। कोई भी आनलाइन पोर्टल पर चला जाए, इसका आनलाइन पोर्टल का नम्बर है और उसको जाकर आप आराम से देख सकते हो कि कितना पैसा आया और कहां वह पैसा लगा। ऐसी मनगंढ़त बातों को करके, मैं नहीं समझती हूं कि आप किसी को खुश कर रहे हैं। इनफैक्ट, उन लोगों के साथ तो अन्याय है जिन्होंने तन, मन और धन से इस बहुत बड़े अभियान के अन्दर भाग लिया है। इसमें राजनेता भी हों, इसमें कर्मचारी भी हों, इसमें अफसर भी हों, इसमें एन.जी.ओ. भी हों और इसमें जनता भी हो। मैं तो यह कहती हूं कि उन्होंने अपनी तनख्वाह, अपनी मशीनरी, अपना समय, अपनी मेहनत इसके अन्दर लगायी है। तभी तो इतना सक्सेसफुल यह हो रहा है। अच्छा तो यह होता कि इतने पुनीत काम के अन्दर अगर आप लोग भी थोड़ा-सा जुड़ जाते तो एक मिसाल बन जाती और राजस्थान की जनता आपकी ऋणी होती।

अब इसी तरीके से आप देख लीजिए, माडल स्कूल, स्वामी विवेकानन्द माडल स्कूल, उसके बारे में; हास्पिटल की संख्या, उसके बारे में; मां-बाड़ी केन्द्र, उसके बारे में; गुरु गोलवलकर योजना में कार्य पूर्ण कैसे हुए, कब हुए, उनकी संख्या; प्रारम्भ किये गये अन्नपूर्णा भंडारों की संख्या; छात्राओं और महिलाओं की संख्या, जिन्होंने यह आत्म-रक्षा प्रशिक्षण लिया है; सब मुद्दे उठाये गये, पर कहीं पर भी, मैं आपको बताना चाहती हूं, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहीं भी भ्रामक सूचना नहीं दी और न ही कहीं गलत सूचना दी है। क्योंकि हम मानते हैं कि यह बहुत बड़ा मंदिर है, इसके अन्दर जो भी बात हम करते हैं, उसको नोट किया जाता है, आगे के लिए नोट किया जाता है और किसी भी तरीके से अगर हमने कोई गलत इसमें लाने की कोशिश की तो आगे वाले और हमारे राजस्थान की जनता हमें छोड़ेगी नहीं।

कुछ माननीय सदस्यों ने और भी मुद्दे उठाये। मैं कहना चाहती हूं कि यह जरूरी होता है कि जब अपन हाउस में आते हैं तो क्या सही है, क्या नहीं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

है, उसके बारे में अपन पता करें और कुछ स्टडी करके, कोई इश्यू उठते हैं, उसके ऊपर कोई स्टडी करके अपन हाउस में आएं।

एक माननीय सदस्य ने कह दिया कि राजकोष में सिर्फ 50 करोड़ रुपये ही शेष हैं। माननीय सदस्य अगर वित्त विभाग से यह पता कर लेते तो आपको मालूम हो जाता कि कैश बैलेंस जो होता है न, उसके दो भाग होते हैं। एक भाग तो वह है कि चालू खाते में जो आपके पास उपलब्ध राशि शेष होती है। आपको तो मालूम है, माननीय सदस्यजी, तो यह बातें तो उठनी भी नहीं चाहिये। दूसरा जो भाग है उसका, उसमें है कैश बैलेंस और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना पैसा है। एक का तो आपने प्यार से दे दिया कि 31.3.2015 में रिजर्व बैंक में चालू खाते की उपलब्धि शेष राशि 50 करोड़ है और आपने 31.3.2015 का जो कैश बैलेन्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट था, उसको तो छोड़ ही दिया; उसमें आप यह बताना भूल गये कि 7,628.5 करोड़ भी रखे हुए हैं। अब जो सलेक्टिव मेमोरीज जो हो जाती हैं, अध्यक्ष महोदय, यह गलत है और मैं समझती हूं कि लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है।

इस सम्बन्ध में आपको यह बता दूं, वर्ष 2009-10 और 2015-16 तक के रिजर्व बैंक के पास जो अन्तिम शेष राशि का विवरण है, वह मैं आपके सामने हाउस में रखना चाहती हूं। 2009-10 के अन्दर माइनस 357.47, अभी हमारे तो 50 हैं, माइनस 357.47; 2010-11 में माइनस 971.16, आप सब लोग इसको ध्यान से सुन रहे हैं; 2011-12 में गनीमत है, 38.65 की इनके पास शेष राशि थी, 2012-13 में 265.28 राशि थी और 2013-14 के अन्दर फिर से माइनस हो गये, माइनस 510.14, पांच साल में तीन बार आपके चालू खातों के अन्दर यह नेगेटिव बैलेंस था। नेगेटिव अकाउंट आपके हैं और हमने तो कभी इसको इश्यू नहीं बनाया, क्योंकि हम जानते हैं कि दो अकाउंट्स हैं। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा कि एक का उल्लेख कर दो, क्योंकि हम किसी को गुमराह करना नहीं चाह रहे थे।

बजट अनाउंसमेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन, यह भी मुद्दा उठा है। यह जरूरी नहीं है कि सारे अनाउंसमेंट्स वे एक साल में पूरे हो जाएं। यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि अनांउसमेंट कैसे और किस तरीके के अनांउसमेंट्स हैं। कुछ शार्ट टर्म, कुछ मीडियम टर्म, कुछ लोंग टर्म अनाउंसमेंट एवरी यीअर होते हैं। मैं यह खुशी से आपको कह सकती हूं कि पिछले कार्यकाल में हमने पूरे पांच वर्ष के अन्दर 96 परसेंट बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की है। बेचैन होने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम पूरा करके छोड़ेंगे। परन्तु मैं आपका थोड़ा-सा रिकार्ड बताना चाहती हूं।

यह बजट घोषणा है 2009-10 की, अगर अपने को उसी लाइन पर चलना है, तो अपने घर के और अपने गिरहबान के अन्दर भी झांक लेना चाहिए। यहां आप लिखते हैं, बिन्दु नम्बर-66, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में ट्रोमा सेंटर की स्थापना। क्रियान्वित 2014-15 में आपने की। फिर आप चलिए, नम्बर-71, मैं तो एक ही विभाग का ले रही हूं, जोधपुर के एम.डी.एम अस्पताल में मातृ एवं शिशु विंग की स्थापना, क्रियान्वित 2014-15 में। मेडिकल कालेज अजमेर में प्लास्टिक सर्जरी, बर्न यूनिट, लेप्रोस्कोपिक थियेटर्स, सेंट्रल गैस सिस्टम की स्थापना, क्रियान्वित कब हुई?

ऐसे में अपने को इन चीजों में फंसना नहीं चाहिए। These are all numbers. इतना क्लेयरिटी अपने को होनी चाहिए कि अनाउंसमेंट्स जो होते हैं। वे शोर्ट टर्म अनाउंसमेंट्स कभी होते भी नहीं हैं। तीन किस्म के अनाउंसमेंट्स हैं, एज लोंग एज। आपने अपने अनाउंसमेंट्स को, लोंग टर्म अगर वे हैं, तो अपने पांच साल के अन्दर उनकी क्रियान्विति करके छोड़ दी है और अगर आपका अच्छा नम्बर है, 96 परसेंट, 90 परसेंट, 92 परसेंट अगर आपने कर दिया है, तो मैं समझती हूं कि प्रदेश के लिए आपने अच्छा काम किया है। यह तो आपके हैं।

अब मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहती हूं। यह परवन की बात, Parwan is a major irrigation project. 2012-13 में इसकी लागत थी 2,334 करोड़ रुपये। आपके पिछले कार्यकाल के अन्दर जो प्रोविजन किया था आर.ई. में, वह 2010-11 के अन्दर आपने इस बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए 1.3 करोड़; 2011-12 में 1 करोड़; 2012-13 में 0.5; और 2013-14 में 4.65, मतलब यह है कि 7.45 का आपने प्रोविजन आर.ई. के अन्दर किया। इतने में तो चैक डैम बन जाते हैं, एनिकट बन जाते हैं और आपके तालाब बन जाते हैं। आप बताओ, मेजर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट। कितने सीरियस थे आप, यह इससे क्लीयर मालूम हो जाता है। फिर अगर आपने वित्तीय प्रावधान सही टाइम पर करके और काम भी चालू कर दिया होता, तो यह 2,334 करोड़ रुपये आज 4,824 करोड़ रुपये नहीं हो जाते। It is really shameful.

काम करने की अगर आपकी अच्छी नीयत थी, तो यह होता नहीं। परन्तु आपकी नीयत थी ही नहीं। इश्यू सिर्फ इतना ही था कि राहुल गांधी को

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जल्दी से बुलाएं, चुनाव के जस्ट पहले बुलाकर, जनता को जल्दी से गुमराह करने की कोशिश करें, वहां पट्टा लगा दें और जनता बातों में आ जाएगी। ऐसा ही रिफाइनरी के चक्कर में हुआ। परन्तु मैं नहीं समझती हूं कि अब कोई भी बातों में आने वाला है। वह तो सब लोग सब समझ गये हैं कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है आप लोगों में।

फिर एक और एग्जाम्पल, पूर्ववर्ती सरकार ने 81 आई.टी.आई. खोलने की घोषणा की थी, 81 । अब आप लोग सब जानते हो, एक-एक आई.टी.आई के अन्दर, उसके भवन निर्माण के लिए, उसके उपकरण के लिए कितने पैसे लगते हैं, 6 करोड़, 7 करोड़। इतना तो लगता ही लगता है। आपने 81 आई.टी.आइज. के लिए 46 करोड़ आपने ईयरमार्क करके रख दिये। अदरवाइज कह दूं, तो इसके अन्दर से तो 8 आई.टी.आई. से ज्यादा तो बनने वाले हैं नहीं परन्तु जनता के सामने तो अपन ने कह दिया कि 81 आई.टी.आइज. हम पूरा करेंगे। हमने क्या किया है, हमने 2014-15 से 2016-17 तक आई.टी.आइज. के लिए 400 करोड़ रुपये का उसका प्रावधान करके रख दिया है। 9 times the amount of finances. जो आपने किये हैं।

एक्चुअली मुझे खुशी भी हो रही है एक किस्म से, लगता है कि आलोचना करने का कोई मुद्दा ही नहीं है और इसीलिए आपके हाथ में ऐसी कोई बात आ भी नहीं रही है, तो बहस को अपन आंकड़े में किस तरीके से उलझा लें, ताकि इधर वाले, उधर वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, सब उसमें आ जाएं तो हम आराम से अपने इस बजट को किसी तरीके से भी पार करा लें। पर, जैसा मैंने आपको कहा, बातों में अब जनता आने वाली नहीं है।

अब आप आयें प्राकृतिक आपदा पर। फिर वहां भी आपने गोलमोल किया और कुछ बताया कुछ नहीं बताया। मैं आपको एक बताना चाहती हूं, राहत की ओर मैं आपका सब का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। हम लोग पूरी तरह से इसमें संवेदनशील और गम्भीर हैं, और कितने हैं, वह आपको मालूम है। जब पिछले समय ओलावृष्टि हुई थी तो आपको याद होगा कि अपन ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था और सब विधायक गण अपने-अपने क्षेत्र में चले गये थे। आपने भी बड़ी कृपा की थी और वहां जाकर नुकसान का आकलन किया, किसानों के साथ रहे, बैठे और उनके साथ दु:ख की घड़ी में पूरी तरह से साथ दिया। सेंट्रल टीम दिल्ली से तुरन्त आयी। यहां तक कि फाइनेंस मिनिस्टर खुद आये, उन्होंने भी यहां बैठकर मीटिंग की और उन्होंने हमारी मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अब पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के 2009-10 और खरीफ 2012-13 के दौरान भारत सरकार को अपने मेमोरेंडम्स प्रस्तुत तो किये और अतिरिक्त राशि भी मांगी, उसका विवरण थोड़ा-सा मैं यहां देना चाहती हूं। 2009-10 ...(व्यवधान) हां, उनका भी दौरा हुआ। 2009 और 2010 में 12,690 करोड़ का मेमोरेण्डम आपने ऊपर दिया, आपको जो अमाउंट मिला 115 करोड़। A sum of 115 crores। 2012 और 2013 के अन्दर आपने मेमोरेण्डम बना कर भेजा कि 2,835.5 करोड़ हमें चाहिए; मिला, बिलीव नहीं करोगे, जीरो। जीरो। हां। 2014-15 के अन्दर, अपने टाइम का था, 11 हजार, वह हेलस्टोर्म्स के अन्दर हुआ था, उसमें अपने को 1,378.13 मिले और अभी 2015-16 के अन्दर मेमोरेण्डम के पेटे स्वीकृति हमारे पास आ गयी है 1,193.74 करोड़।

मैं इसलिए कहती हूं कि अपन जब बात करते हैं तो अपन उस तरफ से भी देखें कि उधर वाली बात भी क्या है, ताकि कम्पेरिजन इतना गम्भीर न हो कि हम लोगों को आउट-आफ-लाइन दिखा दें।

गत कुछ दिनों के अन्दर ओलावृष्टि भी हुई थी और वर्तमान में जो भी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की है, उसके अनुसार 21 जिलों की 71 तहसीलों के 1,265 गांव प्रभावित हैं। 15 दिवस में विशेष गिरदावरियां, मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या यहां बताया जा रहा था, परन्तु 15 दिवस के अन्दर विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश हम लोगों ने 11 मार्च को दे दिये। जो भी कन्सर्न्ड आफिसर्स हैं, उनको यह बात हम लोगों ने बता दिया है। इसके पश्चात् भी अन्य स्थानों पर भी कोई इस तरह की अगर प्राकृतिक आपदा की सूचना मिलती है, तो वहां भी विशेष गिरदावरी का आकलन, इंक्वायरी करने का, हम लोगों ने आलरेडी सब लोगों को कह दिया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार एक-दूसरे के कांटेक्ट में हैं और काश्तकारों को राहत पहुंचाने का काम, राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास करेगी। इसी जिम्मेदारी के साथ तो हम यहां बैठे हुए हैं। अगर ऐसी कोई प्राब्लम होती है तो सबसे पहले, पहले भी हम लोगों ने किया है, बाद में भी, और अब आने वाले के अन्दर भी कोई ऐसी प्राब्लम होती है, तो हम पीछे नहीं रहेंगे, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा बजट के कुछ प्रमुख विषयों के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगी। हमारा यह एक रुटीन का बजट नहीं है, अध्यक्ष महोदय, हमने इसको ग्रोथ और रिफोर्म-ओरिएंटेड बजट के रास्ते पर लाने की

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कोशिश की है। इसके अन्दर कुछ नवाचार भी हमने जोड़े हैं और हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमारा जो यह विजन डाक्यूमेंट 2020 है, उसके लक्ष्य जो हैं, उसको जल्दी से जल्दी जमीन पर हम कैसे ला सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जानती हूं कि कोई भी रिफोर्म होता है, कोई भी नई चीज होती है। तो बदलाव लाना कोई आसान बात नहीं होती है। सबसे पहले तो उसके सामने, उसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए लोग तो खड़े ही हो जाते हैं परन्तु रिफोर्म और ग्रोथ की प्रक्रिया साहस से शुरू करने की जरूरत है और इसमें खाली इधर वालों की बात नहीं है, हम सब की बात है। रिफोर्म को हम सब को समझने की और पहचानने की जरूरत है और उस रिफोर्म को just for the sake of criticising करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको लगे कि यह काम अच्छा है और ठीक हो रहा है तो हम लोगों को मिलकर, हमारे डिफरेंसेज को छोड़कर राजस्थान की क्या परिस्थिति आगे बनेगी, कैसे हम इसको बढ़ायेंगे, उसको सोचकर, एक मिनट को यह सब डिफरेंसेज को बरी करके और आगे किस तरीके से ले जायेंगे, उसके लिए हम लोगों को बैठकर बातचीत भी करने की जरूरत होनी चाहिए।

मैं समस्त प्रदेशवासियों को, आप सब को यही कह सकती हूं कि अगर हमको माडर्न राजस्थान बनाना है, नया राजस्थान अगर हमको बनाना है, तो अकेले-अकेले नहीं, हम लोगों को सब को मिलकर काम करना होगा और एक ऐसा राजस्थान बनाना होगा जिसमें गांव का और शहर के बीच का जो विकास है वह भी जोरदारी से हो, ताकि कोई डिफरेंसेज एक-दूसरे के बीच में हो ही ना।

अब यह हम सब कर रहे हैं, despite the challenges of UDAY. मैं उसके अन्दर फिर जाना नहीं चाहती हूं, क्योंकि मैंने एक दफा बहुत विस्तार से उसके बारे में आपको बताया है और बजट डाक्यूमेंट्स के अन्दर भी वह पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया है।

इस चैलेंज के बावजूद भी, मैंने भी आपके लिए आंकड़े लाकर रखे हैं। पिछली सरकार के पांच साल के एवरेज एन्युअल एलोकेशन को हमारे 2016-17 के एन्युअल एलोकेशन के साथ, हमने भी थोड़ा-सा कम्पेरिजन करके, और मैं थोड़ी-सी इसकी तस्वीर आपके सामने रखना चाहूंगी।

यह स्पष्ट है, आप इन्फ्रास्ट्रक्चर का एरिया ले लीजिए, बिजली, सड़क, पानी, पिछली सरकार की तुलना में एवरेज 88 टू 192 परसेंट तक की

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

वार्षिक वृद्धि हमने की है और मैं इसलिए कह रही हूं, कुशल वित्तीय प्रबन्धन। इसी प्रकार से अगर आप सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखें, तो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्किल डवलपमेंट, रोजगार, पिछली सरकार की तुलना में एवरेज 142 परसेंट से लगभग 687 परसेंट तक की वार्षिक वृद्धि हुई है। हां। मैं इसका थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगी। जहां पिछली सरकार के कार्यकाल में 'आरमोल' माने राजस्थान-मिशन-आन-लायबलिहुड, आर एस एल डी सी, आई.टी.आई. को शामिल करते हुए एवरेज फोर और फाइव ईयर्स लगभग था 54 करोड़, वार्षिक बजट एलोकेशन था; हमारे लिए तीन वर्ष के अन्दर हमने जो एलोकेट किया, एवरेज एलोकेशन किया है, वह 251 करोड़, यानी 360 परसेंट वृद्धि और अब वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह राशि को बढ़ाकर, 428.90 करोड़ यह हो गये हैं। यानी कि पिछली सरकार की तुलना में लगभग 687 परसेंट की वृद्धि हुई है। (व्यवधान) एक्सप्लेनेशन दे रही हूं।

ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जल ग्रहण, कृषि, सिंचाई के क्षेत्र में बजट जो दिया गया है, उसमें जो वृद्धि हुई है, 30 टू 208 परसेंट। पिछली सरकार की तुलना में पर्यटन और देवस्थान में एवरेज लगभग 218 से 385 परसेंट; युवा मामलात और खेल में एवरेज 186 परसेंट; वन और पर्यावरण में एवरेज 92 परसेंट; और सूचना प्रौद्योगिकी में लगभग 8 गुणा वार्षिक वृद्धि हुई है। 8 टाइम्स, और आप बार-बार कहते रहते हैं कि आपके नेता स्वर्गीय राजीव गांधीजी यह कम्प्यूटर क्रांति पूरे देश के अन्दर लाये हैं। तो क्यों नहीं उनके पद चिह्नों पर चल रहे?

मैं यह मानती हूं कि अगर आप इसको देख लें, आपके पांच साल के कार्यकाल में average yearly allocation in this Sector is 84.13 crores और इस फाइनेंशल यीअर, खाली अकेले इस फाइनेंशल यीअर में हमने 719.84 करोड़ का बजट इसमें अलाट किया है। अगर आप तीनों को लें, पिछले 719 को भी लेकर, 3 साल से हमारा एवरेज एलोकेशन लेते हों। तो इट इज 583.28 करोड़। यह तो रेस्पेक्टेबल है जी। मैं तो यह कहती हूं कि जो लोग राजीव गांधी की बात करते हैं और कहते हैं कि वे आई.टी. का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाये थे, वह सब कुछ लाये थे, उनकी यह हालत है तो फिर It worrys us.

अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी जो मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह जो आर एस एल डी सी और इसमें जो काम हुआ है, उसमें कुछ हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। अभी आप इसको देखें, तो रोजगार की बात भी आपने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

की थी, मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि हम जाब क्रिएशन रिफार्म की बात करते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एम्पलायमेंट, एम्प्लायेबिलिटी, स्किल अपग्रेडेशन, स्किल ट्रेनिंग एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट यह सब जुड़े होते हैं। इनको सेपरेट एक-दूसरे से हम कर नहीं सकते हैं because they come up for one another. यह एलोकेशन जो हमने किये हैं इसके अन्दर यह इस कमिटमेंट को दर्शाता है, and so I am not counting private sector contribution in this at all. We are not counting the Private sector contribution. सर, मैं इसमें आपको यह कहना चाहूंगी कि 'एसोकैम' ने राजस्थान को लगातार दूसरी बार बैस्ट स्टेट इन स्किल डवलपमेंट के अवार्ड के लिए चयन किया है। This is a wonderful thing, हम लोगों के लिए। We are very happy. हमारे लिए यह बहुत बड़े गर्व की बात है। मैं आर एस एल डी सी की पूरी टीम को इस बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बहुत सारी, मंत्रीजी को और आपकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब कई सेक्टर्स जो राजस्थान की इकोनोमी के अन्दर अपना योगदान देते हैं और उन सैक्टर्स के अन्दर क्या एम्प्लायमेंट पासिबिलिटीज हैं, वह भी अपने को देखने की जरूरत है so contribution to Rajasthan राजस्थान की इकानामी through the Service Sector is 50%. And employment is about 40% per cent approximately. So contribution to Rajasthan's economy through the Manufacturing Sector is about 30.5% and 8% approximately is employment. Similarly. Agricultural Sector, the contribution to Rajasthan's economy through this sector is 19.5% and 44% approximately is the employment employability in this sector. इसको इम्प्रूव करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। इसके ऊपर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो फेवरेबल पॉलिसी, उसके बाद एक अच्छा ठोस और फेवरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनली ए पीसफुल ला एंड आर्डर सिचुवेशन ताकि इन्वेस्टमेंट, आ सके, काम बढ़ सके। पैसा लगे, निवेश आये और उससे एम्पलायेबिलिटी भी बढ़े। इसके लिए मैंने सदन का ध्यान उस रिफार्म, ग्रोथ एवं इनोवेटिव मैजर्स के ऊपर लाने की कोशिश की है।

इसमें सबसे पहले हम देखना चाहते हैं डी-सेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग। मैं इसके ऊपर आप सबका ध्यान इसलिए दिलाना चाहती हूं कि यह ग्राउंड लेवल की बात है। इसके ऊपर अपने को जरूर ध्यान देना है, क्योंकि यह नीचे के लोगों को एम्पावर करता है। एम्पावरमेंट के साथ-साथ इनको उनकी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

रेस्पोंसिबिलिटी भी महसूस करवाता है। यह बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ऊपर-ऊपर कहां तक और कब तक यह रेस्पोंसिबिलिटी अपने कंधों पर लें। यह जरूरी है कि now a lot of youngsters have come, एजुकेटेड यंगस्टर्स भी आए हैं, वे अपनी-अपनी रेस्पोंसिबिलिटी अपने कंधों पर ले लें और साथ में एम्पावर्ड होकर के चलें। इसलिए डी-सेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ इंस्टिट्यूशनल सेक्टर्स रिफार्म्स, यह भी हम लोगों को करना है और उसके ऊपर ध्यान देना है। हमने इसको बजट के अन्दर लाने की कोशिश की है। भामाशाह एक्ट की बात हमने कही है, भामाशाह अथॉरिटी की कही है। हमने यह भी बताया है कि पंचायती राज संस्थाओं में कुछ संशोधन हमें चाहिए, पंचायती राज अधिनियम में हमें कुछ संशोधन चाहिए। वर्ष में 2 बार तो ग्राम सभा होनी चाहिए। भामाशाह के तहत जो नकद और गैर-नकद लाभ का विवरण है, वह उनके सामने आना चाहिए। All individual beneficiary programmes must come on the Bhamashah programme, whether it is cash or whether it is non-cash. And amendments in the Act need to be made. so that गवर्नेंस इफेक्टिव हो जाये। एग्जाम्पल, जाब क्रियेशन का रिफार्म हमने अभी किया और पूरे देश ने उसको सराहा। कांट्रेक्चुअल लेबर एक्ट, फैक्टरीज एंड बायलर एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये आप सबके सामने हैं।

वैट के अन्दर भी रेशनलाइजेशन, सिम्पलिफिकेशन, कम्प्यूटाइजेशन, यह भी बहुत जरूरी है। इसको भी हमने इस बजट के अन्दर लाने का काम किया है।

'रिप्स 2015' के अन्दर हमने यह देखा कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो डिस्ट्रिक्ट्स इकोनोमिकली साउंड और आगे थे, वे पिछले 60 साल के अन्दर वैसे ही रहे और जो बैकवर्ड थे वह बैकवर्ड ही रहे। इसको करेक्ट करने के लिए बैकवर्ड एरिया एंड मोस्ट बैकवर्ड एरिया की नई डेफिनेशन शामिल की ताकि रीजनल जो इम्बैलेंस हमारा है, उसको हम दूर कर सकें। हमने इसको एरिया स्पेशिफिक बनाया। डिफरेंट सेक्टर्स आफ सोसायटी को देखा कि यह डिफरेंसेज क्यों हैं; जो सोसायटी को छुए, ऐसा साउंड बनाया। एम्प्लायमेंट और इन्वेस्टमेंट अपोर्च्यूनिटीज को किस तरीके से बढ़ावा दें, इसके ऊपर भी हम लोगों ने ध्यान दिया।

इसके साथ-साथ, अब एक तो रि-सेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग, दूसरा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इंस्टिट्युशनल सेक्टर रिफार्म्स तीसरा प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, इस चीज को भी हमने बजट के अन्दर लाने की कोशिश की। हमने पुराने रूल्स एंड एक्ट्स को वीड-आउट करने का काम, वह आपको बताया भी थी हमने कि 61 प्रिंसिपल एक्ट एंड 187 एमेंडिंग एक्ट्स का हमने किया।

फिर गवर्नमेंट प्रोसीजर्स को रिक्वायरमेंट्स-आफ-दी-डे के साथ-साथ सिंक करने की हमने कोशिश की। जैसे आज आप डिजिटली साइन्ड सर्टिफिकेट थ्रू ई-मित्र ले सकते हो। इसी तरीके से स्टार्टिंग बिजनिस में सेल्फ सर्टिफिकेशन इन इलेक्ट्रिसिटी में 33 केवी के कनेक्शन के लिए आप सेल्फ सर्टिफिकेशन करवा सकते हो। सिंगल विंडो क्लीयरेंस अब एक रियलिटी बनने जा रहा है। हमने फंक्शंस, फंक्शनरीज और क्लीयरेंसेंज, उनको एक साथ लाकर एक ही जगह पर उसको यूज करने की कोशिश की है। सिमिलरली, पब्लिक वर्क्स एंड फाइनेंस रूल्स के अन्दर बदलाव लाकर के और डेलीगेशन आफ फाइनेंस पावर भी हम लोगों ने करने का काम चालू कर दिया है।

ये अपने आप में 3-4 सेक्टर्स हैं, जिन पर हमने ध्यान देने की कोशिश की है।

फिर इनोवेंशंस, यह भी बहुत जरूरी हैं। किसी भी बजट के अन्दर इनोवेशंस लाना बहुत जरूरी है। उसके हैड में पी पी पी इन स्पोर्टस फार दी फर्स्ट टाइम, पहली दफा राजस्थान के अन्दर हो रहा है।

एक पहली दफा हमने तय किया कि लोकल कन्जर्वेशन फीस फार टाइगर रिजर्व, 10 किलोमीटर की दूरी में, फ्रोम दी रिजर्व, संचालित जो होटल्स हैं, रिजोर्ट हैं, they can give us a certain amount of local conservation fee, जो एरिया के अन्दर ही रह जायेगी। वहां के लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं, या छोटे-मोटे काम कराने हैं, उसके लिए उनको किसी के सामने जाने की जरूरत नहीं है। उसको वे यूज कर सकेंगे।

वेस्ट-टू-एनर्जी पावर प्लांट, हमने उनको कह दिया है, ये गारंटीड पावर प्रोजेक्ट्स हैं।

भामाशाह पशु बीमा योजना को अब हम जोड़ रहे हैं।

ई-हैल्थ कार्ड को हम लोगों ने चालू कर दिया है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना, उसमें सबने कहा कि हां, शुभलक्ष्मी योजना और उसको आपने फिर ऐसा करके, वैसा करके दिया है। हमने उसको इम्प्रूव

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

किया है। शुभलक्ष्मी योजना के अन्दर आपको कुछ पैसा दिया करते थे, बर्थ पर, फर्स्ट बर्थ डे एंड फर्स्ट क्लास, 7 हजार रुपये अप्रोक्समेटली। हम लोगों ने राजश्री योजना के अन्दर इन तीनों को इस्तेमाल किया है। इसके साथ-साथ छठी, दसवीं और बारहवीं इनको भी जोड़ा है, ताकि बच्ची पूरी तरह से फ्रोम बर्थ टू ट्वेल्व्थ और 50 हजार रुपये बढ़ाया है।

मोबाइल डेंटल वैन, क्योंकि हमने कहा, one of the most important thing हैल्थ के अन्दर जो हम लोगों को लग रहा है, दांतों की प्रोब्लम। इसलिए मोबाइल डेंटल वैन।

Community based management of mal-nourished children programme. हमको यह मालूम है कि यह कोई एक व्यक्ति या एक हास्पिटल नहीं कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि पूरी कम्युनिटी को इसके बारे में समझाया जाये, ताकि इसकी रेस्पोंसिबिलिटी वे भी ले सकें।

Start-up of ventures to clear industrial waste. This is being promoted by Pollution Control. फिर लाइवलीहुड बिजनेस इन्क्यूबेटर जो हैं, उनको स्टार्ट करने की।

खेल प्रतिभा खोज योजना This is also starting for the first time. इसमें खिलाड़ियों को आउट आफ टर्म, सीधे आवेदन करने पर नियुक्ति प्रदान करने का काम, and this is for the first time that it is going to happen. बायोटेक एरिया को थ्रस्ट एरिया बनाया 'रिप्स' 2015 के अन्दर।

यह हुआ आपके इनोवेशन के अन्दर।

आज के जमाने के अन्दर इन सब चीजों को इकट्ठा करने का काम आई.टी. करता है। आई.टी. हम लोगों के लिए, आप यह समझिये कि अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग आज, गांवों से लेकर के, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं through Facebook and various other things. वह इसलिए कर सकते हैं कि इस चीज को वह समझ रहे हैं। इसलिए आई.टी. को अपनी जिंदगी के अन्दर लाना, यह एक किस्म से हम सब लोगों के लिए अनिवार्य हो गया है। आई.टी. इनएबेलमेंट को भी हमने अपने इस बजट के अन्दर जोड़ा। इसके अन्दर 'रिप्स' को आनलाइन पोर्टल, 2 चीज तो मैंने आपको आलरेडी बता दी थीं, इस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, उसके साथ आनलाइन पोर्टल है रिप्स का। एमएसएमई के इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर को हमने ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए कर दिया है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ई-मंडी अब आपकी चालू हुई है, जिसके अन्दर more value for your crops, एग्रीकल्चर के अन्दर हो जाता है क्योंकि वह किसान can reach out anywhere in the country और आराम से प्राइसेस, वगैरह सब पता कर सकता है। उसको और कोई बीमारी है, या और किसी चीज के बारे में जानकारी लेनी है, तो वह भी अपनी बात आनलाइन कर सकता है।

(18.00 बजे)

ई-धरती रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा करने की कोशिश कर रहे हैं, अगले तीन साल के अन्दर ही we would like to finish this.

जी एस टी के अन्दर State-of-the-art' capacity, building and I.T. training centre की स्थापना हम कर रहे हैं।

आनलाइन हैंडमेड-इन-राजस्थान पोर्टल की हमने स्थापना कर दी है। यह ग्रामीण दस्तकारों के लिए है और यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि उनकी आनलाइन सेल्स अगर हो जाती है, दैन बीच का आदमी उनसे ज्यादा पैसा लेकर उनकी हालत खराब नहीं कर सकता है।

इन सब चीजों के लिए फैसिलिटेशन की भी जरूरत होती है और यह फैसिलिटेशन यंगस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें एजुकेशन लोन, इसमें स्किल डवलपमेंट के लिए लोन, इसमें मुद्रा बैंक के लोन, स्टार्ट-अप पालिसी 2015 जो हमने चालू की है उसके अंतर्गत 10 लाख का जो लोन है, उसके ऊपर हमने स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दे दी है ताकि इसमें यह थोड़ी-सी गति पकड़ सकें।

इन सब चीजों को हमने अपने इस बजट के अन्दर लाने की कोशिश की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह एक चहुंमुखी विकास वाला बजट सबके सामने पेश हो। यह महिलाओं के लिए अलग दिखाता है, बच्चों के लिए अलग है, डिस्एबल्स के लिए कुछ देता है। मुझे तो लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत डिविजंस के अन्दर भी दौरे किये और अलग-अलग लोगों से भी मुलाकात की और हमने यह कोशिश की कि एक ऐसा समग्र बजट हम बनाकर सबके सामने पेश करें जिसमें कुछ-कुछ थोड़ा-सा सबके लिए मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर में, मेरा मानना है कि every Budget must be a step forward, towards a better future. Every Budget must build on next Budget or the Budget before it. यह तभी सम्भव होगा जब पूरे प्रदेश के लिए एक निश्चित सोच, कंफ्यूजन नहीं, एक रास्ता, क्लीयरली मैप्डआउट,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अगर clear roadmap सबके सामने हो जाता है तो It becomes much easier to follow. और इसीलिए विकास की गंगा को बहाने में, अध्यक्ष महोदय, हम कोई भी, हम लोग जो सब लोग यहां बैठे हुए हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। यह केवल अकेले मेरा सपना नहीं है, हमारी सरकार का सपना नहीं है, यह सब प्रदेशवासियों का सपना है और सभी का, मैं समझती हूं, कमिटमेंट है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके द्वारा प्रतिपक्ष से भी आग्रह करना चाहूंगी, वैसे मैं बार-बार ही करती हूं कि इस विकास के सफर में ये सब हम सबका साथ दें और 'सबका साथ, सबका विकास' जो हमारा स्लोगन है, उसकी परिकल्पना को हम लोग सब मिलकर साकार कर सकें।

आखिर में मैं हमारे जो मार्गदर्शक, पूर्व प्रधान मंत्री, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजी, उनकी कविता की कुछ पंक्तियां आप सबको समर्पित करना चाहती हूं, जिसमें उन्होंने लिखा है,-

उजियारे में, अंधकार में,
उजियारे में, अंधकार में,
कल कहार में, बीच धार में,
घोर घृणा में, पूत प्यार में,
क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में,
जीवन के शत-शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा।

तभी राजस्थान आगे बढ़ पायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं माननीय सदस्यों को, सबको होली की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। बहुत सारी शुभकामनाएं सबको। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 15 मार्च 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.04 बजे मंगलवार, दिनांक 15 मार्च 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

पीलीबंगा में फसलों को आवारा पशुओं से बचाने की कार्ययोजना

184. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के किसान सर्दी में भी अपनी फसल बचाने के लिए रात भर रखवाली करते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार आवारा पशुओं को गौशाला/नंदीशाला में रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि किसान अपनी फसल नील गाय के नुकसान से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ तारबंदी करते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा तारबंदी करने के लिए किसान को अनुदान दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, आवारा पशुओं के बाहुल्य क्षेत्र में अपनी फसल को बचाने के लिए कृषकों द्वारा रखवाली की जाती है।

असहाय, आवारा एवं अपंग गौवंश की समस्या के निराकरण हेतु शहरी क्षेत्र में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 247-248 में तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 114 से 121 में निहित प्रावधानों के अनुसार पशुधन को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पकड़कर काजी हाउस में रखे जाने का प्रावधान है।

पकड़े गये ऐसे गौवंश को पशुधन मालिक के प्रार्थना पत्र पर व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात् नियमानुसार भरण-पोषण, आदि की राशि एवं जुर्माना वसूल किये जाने के उपरान्त पशुमालिक को सुपुर्द करने का प्रावधान है। निर्धारित समयावधि में पशु-मालिक द्वारा पशु को नहीं छुड़ाने की स्थिति में जब्त करने का प्रावधान है।

असहाय, विकलांग एवं आवारा गौवंश के भरण-पोषण एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में गोपालन निदेशालय द्वारा सम्भाग स्तर पर एक-एक गौशाला को गो-अभयारण्य के रूप में विकसित करने हेतु गो-अभयारण्य नीति तैयार कर प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।

(कृषि मंत्री)

(2) किसानों की फसलों को नील गाय के नुकसान से बचाने के लिए तारबंदी पर अनुदान देने हेतु उद्यान विभाग द्वारा संचालित किसी योजना में कोई प्रावधान नहीं है।

कोटा जिले में खेल सामग्री क्रय करने में व्यय राशि

185. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत 5 वर्षों में जिला खेल अधिकारी कार्यालय, कोटा को किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि खेल सामग्रियों के क्रय एवं विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए सरकार तथा स्थानीय सांसद एवं विधायक निधि कोष द्वारा जारी की गई? मदवार राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला खेल अधिकारी कार्यालय, कोटा में किस-किस खेल को प्रोत्साहित करने एवं खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने हेतु कोचों की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो उक्त कोचों का मासिक पारिश्रमिक क्या-क्या तय किया गया है?

(3) उक्त कार्यालय द्वारा विगत पांच वर्षों में कहां-कहां किस-किस खेल पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(4) गत पांच वर्षों में जिला खेल अधिकारी कार्यालय, कोटा द्वारा क्रय की गई सामग्रियों व नियमित एवं संविदा-कर्मियों को देय वेतन की आडिट रिपोर्ट तथा बिलों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में जिला खेल अधिकारी कार्यालय, कोटा को जारी की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा के कार्यालय में खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने हेतु नियमित वेतन श्रृंखला एवं अल्पकालीन प्रशिक्षकों का विवरण मय वेतन के परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा को परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि खेल अनुसार नहीं कराई जाती है। कार्यालय को परिषद द्वारा वेतन मद में एवं कार्यालय संचालन हेतु इम्प्रेस्ट के रूप में तथा ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु राशि उपलब्ध करवाई जाती है, जिसका विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

(4) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा राज्य के जिला मुख्यालयों पर स्थापित जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र कार्यालयों पर कार्यरत कार्मिकों के वेतन बिलों को तैयार कर राशि सीधे ही कार्मिकों के खाते में स्थानांतरित की जाती है। परिषद मुख्यालय की समय-समय पर आन्तरिक एवं महालेखाकार कार्यालय द्वारा आडिट की जाती है।

इसी प्रकार कार्यालयों के संचालन हेतु इम्प्रेस्ट राशि मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों को उपलब्ध कराई जाती है, जिनका अंकेक्षण समय-समय पर परिषद मुख्यालय पर आन्तरिक एवं महालेखाकार कार्यालय द्वारा आडिट की जाती है।

गत पांच वर्षों में क्रय की गई सामग्री का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-घ पर संलग्न है। जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा द्वारा गत पांच वर्षों में क्रय की गई खेल सामग्री की आडिट नहीं हुई है।

जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा कार्यालय पर कार्यरत कार्मिकों को विगत पांच वर्षों में देय वेतन का विवरण परिशिष्ट-ड पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भोपालगढ़ में श्मशान की भूमि पर अतिक्रमण

186. श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में कितने स्थानों पर श्मशान भूमि पर अतिक्रमण है?

(2) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में श्मशान भूमि पर अतिक्रमण की सूचना शून्य है।

(2) अतिक्रमणों की सूचना शून्य है।

चौमूं के आंगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकित बच्चे

187. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामलाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने सेक्टर हैं और उक्त सेक्टरों में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? आंगनबाड़ी केन्द्रों में काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी एवं सुपरवाइजर की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कितने बच्चे किस-किस केन्द्र पर नामांकित हैं और वर्ष 2015-16 में किस-किस केन्द्र को कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र चौमूं के अन्तर्गत दो बाल विकास परियोजनाएं गोविन्दगढ़-प्रथम और गोविन्दगढ़-द्वितीय (चौमूं) संचालित हैं। उक्त विधान सभा क्षेत्र में परियोजना गोविन्दगढ़-प्रथम के 6 सेक्टर एवं परियोजना गोविन्दगढ़-द्वितीय (चौमूं) के 7 सेक्टर हैं, जिनमें परियोजनाएं गोविन्दगढ़-प्रथम के 156 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, परियोजना गोविन्दगढ़ द्वितीय (चौमूं) के 165 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों में काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी एवं सुपर-वाइजर की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नामांकित बच्चे और वर्ष 2015-16 में आंगनबाड़ी केन्दों को किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति

188. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में राज्य के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति के अवसर प्रदान करने की घोषणा की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि चुनाव घोषणा पत्र को मंत्रिमण्डल से अनुमोदित करवाकर इसे सरकारी दस्तावेज बना दिया गया था? जिसके अनुसरण में मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा आज्ञा जारी कर इसकी पालना

(डा. राजकुमार शर्मा)

सुनिश्चित की गई थी? यदि हां, तो तत्सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विभिन्न सेवा संवर्गों के वरिष्ठतम पदों की पूर्व में चली आ रही पदों की संख्या के प्रतिशत में कमी करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार के समक्ष आर.ए.एस., आर.पी.एस. एवं राजस्थान लेखा सेवा सहित कई संवर्गों में हायर सुपरटाइम के पदों में 1 अप्रैल, 2016 से कटौती करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कितने व इसका क्या आधार रखा गया है? सम्बन्धित आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। तत्सम्बन्धी आदेश की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) राज्य सेवाओं (राजस्थान अधीनस्थ सेवाओं को छोड़कर) एवं राजस्थान सचिवालय सेवा (राजपत्रित) के उच्चतम पदों की अधिकतम संख्या सम्बन्धित सेवा के कुल पदों की 3 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। अशा. टीप प. 14(93)वित्त/नियम/2014 पार्ट-I दिनांक 19.06.2015 की प्रति परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(4) 1. राजस्थान पुलिस सेवा एवं राजस्थान लेखा सेवा के सम्बन्ध में निर्णय बिन्दु संख्या 3 में अंकित टिप्पणी के अनुसार है।

2. राजस्थान प्रशासनिक सेवा के उच्चतम सेवा पदों की संख्या के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

चौरासी में लिफ्ट परियोजना के प्रस्ताव

189. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में जनजाति कल्याण निधि मद के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिए स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुशील कटारा)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में लिफ्ट परियोजना के प्रस्ताव कहां-कहां प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार लिफ्ट परियोजना के प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में निम्नलिखित कार्यों हेतु राशि स्वीकृत की गई :—

क्र.सं.	कार्य का नाम	(राशि लाख रु.)
1.	छात्रावासों में क्षमता वृद्धि हेतु निर्माण कार्य	250.00
2.	जनजाति छात्रावास निर्माण कार्य	456.71

विवरण सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में 12 लिफ्ट के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त योजना में राशि प्राप्त होने पर राशि की उपलब्धता-अनुसार परीक्षण-उपरान्त समुचित निर्णय लिया जावेगा।

परिशिष्ट-अ

वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत स्वीकृत किए गए कार्यों का विवरण

विधान सभा क्षेत्र चौरासी जिला डूंगरपुर

(राशि रु. लाखों में)

क्र. सं.	योजना का नाम	नाम स्थान	पंचायत समिति	वित्तीय स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1.	जनजाति आश्रम छात्रावासों में छात्र क्षमता वृद्धि	रास्तापाल (बालक)	सीमलवाड़ा	50.00
2.	जनजाति आश्रम छात्रावासों में छात्र क्षमता वृद्धि	बांसीया (बालिका)	सीमलवाड़ा	50.00

1	2	3	4	5
3.	जनजाति आश्रम छात्रावासों में छात्र क्षमता वृद्धि	मालचौकी (बालक)	डूंगरपुर	50.00
4.	जनजाति आश्रम छात्रावासों में छात्र क्षमता वृद्धि	झलाप (बालक)	बिच्छीवाडा	50.00
5.	जनजाति आश्रम छात्रावासों में छात्र क्षमता वृद्धि	गन्धवापाल (बालक)	बिच्छीवाडा	50.00
6.	जनजाति आश्रम छात्रावास जीर्ण-शीर्ण एवं आंशिक जीर्ण-शीर्ण छात्रावासों का पुनर्निर्माण	गन्धवापाल (बालक)	बिछीवाडा	112.74
7.	जनजाति आश्रम जर्जर जनजाति बालक छात्रावासों का पुनर्निर्माण	सुराता (बालक)	डूंगरपुर	343.97

परिशिष्ट-ब

विधान सभा क्षेत्र चौरासी में स्वच्छ परियोजना से लिफ्ट के प्राप्त प्रस्ताव कार्यों की सूची

क्र. सं.	जिला	नाम कार्य	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति
1	2	3	4	5
1.	डूंगरपुर	उबापाणा	मालाखालडा	चिखली
2.	डूंगरपुर	रामसौर बड़ा	रामसौर जुना	चिखली
3.	डूंगरपुर	ढूंढरीया	पुनावाड़ा	चिखली
4.	डूंगरपुर	बांकड़ा	बांकड़ा	सीमलवाड़ा
5.	डूंगरपुर	पुनावाड़ा	पुनावाड़ा	चिखली
6.	डूंगरपुर	खिरखाइया	जोरावरपुरा	चिखली
7.	डूंगरपुर	मसाणीयाफला	पोहरी खातुरात	झौथरी
8.	डूंगरपुर	घोडाखरा	पोहरी खातुरात	झौथरी

1	2	3	4	5
9.	डूंगरपुर	रास्तापाल नागेश्वरीमाता	रास्ता	सीमलवाड़ा
10.	डूंगरपुर	चकचडीयाला नई बस्ती	बडगामा	चिखली
11.	डूंगरपुर	वादीफला नई बस्ती	बडगामा	चिखली
12.	डूंगरपुर	यादवफला	बडगामा	चिखली

जलालपुर (तिजारा) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण

190. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा की ग्राम पंचायत मुण्डाना के ग्राम जलालपुर में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्वयं का भवन नहीं है?

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायत मुण्डाना के ग्राम जलालपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में संचालित है।

(2) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षो में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करवाने के प्रयास किये जायेंगे।

पाली जिले में कृषि उपयोगी कार्यो हेतु देय अनुदान

191. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में वितीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक किस-किस कृषि उपयोगी कार्य हेतु कितना-कितना अनुदान जारी किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(2) उक्त निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस तहसील के किस-किस कृषक को दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कृषकों को अपने खेत की तारबंदी व धोरा निर्माण कार्य हेतु पूर्व में दिये जा रहे अनुदान को पुन: शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली जिले में वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक में विभिन्न कृषि एवं उद्यानिकी योजनाओं अन्तर्गत कृषि उपयोगी कार्यों के लिए अनुदान जारी किये जाने हेतु आबंटित वित्तीय लक्ष्यों का विवरण प्रपत्र-1 पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक में विभिन्न कृषि एवं उद्यानिकी योजनाओं अन्तर्गत कृषि उपयोगी कार्यों हेतु आबंटित वित्तीय लक्ष्यों के विरुद्ध अनुदान राशि का भुगतान सीधे ही जिन कृषकों एवं सूक्ष्म सिंचाई योजनान्तर्गत सम्बन्धित फर्म को किया गया है, उसका कार्यवार, गतिविधिवार तहसीलवार विवरण प्रपत्र-2 पर संलग्न है।

(3) कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा कृषकों को खेतों की तारबंदी, धोरा निर्माण कार्य हेतु पूर्व में कोई अनुदान नहीं दिया गया तथा वर्तमान में संचालित कृषि एवं उद्यान विभागीय योजनाओं में तारबंदी व धोरा निर्माण कार्य हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नीमराना (अलवर) में होंडा कम्पनी को आबंटित जमीन

192. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अलवर जिले के नीमराना में होंडा मोटरसाइकिल कम्पनी को सरकार द्वारा किस दर से कितनी जमीन उपलब्ध कराई गई है? उक्त फैक्टरी की स्थापना से सरकार को क्या लाभ होगा एवं इस फैक्टरी से कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला अलवर के नीमराना में रीको द्वारा (मोटरसाइकिल) होंडा कम्पनी को जमीन का आबंटन नहीं किया गया है। तथापि, औद्योगिक क्षेत्र, नीमराना-

(उद्योग मंत्री)

II, जिला अलवर में भूखण्ड संख्या एस पी-101 से 109, कुल क्षेत्रफल 82.30 एकड़ भूमि का आबंटन मै. हीरो मोटोकोर्प लि. को रु. 15 लाख प्रति एकड़ की दर से आटो कम्पोनेंट मैन्यूफैक्सरिंग यूनिट लगाने हेतु दिनांक 06.07.2005 को किया गया था। उक्त आबंटित भूखण्डों पर आबंटी कम्पनी के द्वारा दिनांक 20.06.2014 से उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

इस कम्पनी की स्थापना से राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार के करों के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति होगी। इस फैक्टरी में दिनांक 31.12.2015 तक 4,493 कार्मिकों को रोजगार प्राप्त हो चुका है।

कपासन में सेटलमेंट के गलत इन्द्राज का दुरस्तीकरण

193. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में वर्षों पूर्व सेटलमेंट किया गया था? यदि हां, तो सेटलमेंट के कारण कितने भूमि मालिकों की भूमि का गलत इन्द्राज किया गया है तथा गलत इन्द्राज के कारण इन्द्राज दुरुस्ती के कितने प्रकरण तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी तथा जिला कलक्टर स्तर पर विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सभी प्रकरणों के निस्तारण हेतु तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी व जिला कलक्टर स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन कर इन्द्राज दुरुस्ती के प्रकरणों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा चलाये गये न्याय-आपके-द्वार कार्यक्रम में कपासन विधान सभा क्षेत्र के कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा शेष प्रकरणों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन के अन्तर्गत आने वाली तहसीलों में किये गये सेटलमेंट का विवरण निम्नानुसार है :-

(राजस्व राज्य मंत्री)

क्र.सं.	नाम तहसील	अंतिम पैमाइश संवत्
1	कपासन	2051
2	भूपालसागर	2051
3	राशमी	2031
4	भदेसर	2061

इन्द्राज दुरुस्ती के प्रकरण उपखण्ड अधिकारी एवं जिला कलक्टर स्तर निम्नानुसार विचाराधीन है :-

क्र.सं.	नाम न्यायालय	लम्बित प्रकरण
1	जिला कलक्टर	0
2	उपखण्ड अधिकारी, कपासन	11
3	उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर	07
4	उपखण्ड अधिकारी, राशमी	09
5	उपखण्ड अधिकारी, भदेसर	71
	कुल लम्बित प्रकरण	**98**

(2) लम्बित प्रकरणों की संख्या के दृष्टिगत विशेष शिविर आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकरणों की नियमित सुनवाई कर निस्तारण किये जा रहे हैं।

(3) सरकार द्वारा चलाये गये राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय-आपके-द्वार 2015 कार्यक्रम के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कपासन में कुल 17,867 प्रकरणों का निस्तारण कर लोगों को न्याय प्रदान किया गया है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। शेष प्रकरणों की नियमित सुनवाई कर निस्तारित किये जाने की कार्यवाही जैरकार है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सूरतगढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण

194. श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में कई वर्षों से

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण नहीं हुआ है? क्या सभी आंगनबाड़ी केन्द्र विद्यालय या सामुदायिक केन्द्रों में चल रहे हैं? क्या सरकार नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना, सूरतगढ़ संचालित है। जिसके अन्तर्गत 319 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, जिसमें से 305 केन्द्र संचालित हैं। गत वर्षों में इस परियोजना के अधीन 46 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण हो चुका है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। सभी आंगनबाड़ी केन्द्र सामुदायिक एवं विद्यालयों में संचालित नहीं हैं, अपितु संचालित केन्द्रों में से 46 विभागीय भवनों में, 162 राजकीय विद्यालयों एवं 72 केन्द्र अन्य राजकीय नि:शुल्क भवनों तथा 25 केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं।

जी हां। आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

परिशिष्ट-अ

उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर

विभागीय आंगनबाड़ी भवनों की सूची विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़

क्र. सं.	सेक्टर	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	भवन की स्थिति	भवन निर्माण किन योजना में हुआ
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	सूरतगढ़ I	मानकसर I	पूर्ण	नाबार्ड योजना
2		मानकसर II	पूर्ण	बीएडीपी
3		वार्ड नं. 7 I	पूर्ण	बीएडीपी
4	वीरमाना	वीरमाना I	पूर्ण	बीएडीपी
5		गुडली	पूर्ण	मिशनमोड योजना
6	ढाबां	भगवानगढ़ I	पूर्ण	बीएडीपी

1	2	3	4	5
7		22 एलजीडब्ल्यू	पूर्ण	बीएडीपी
8	जानकीदासवाला	जानकीदासवाला	पूर्ण	मिशनमोड योजना
9		13 एसडी	पूर्ण	बीएडीपी
10		11 एसडी	पूर्ण	बीएडीपी
11	ढाबां	6/8 डब्ल्यूबीएन	पूर्ण	मिशनमोड योजना
12	राजियासर	हिन्दौर I	पूर्ण	बीएडीपी
13		मलोट I	पूर्ण	बीएडीपी
14		मलोट II	पूर्ण	बीएडीपी
15		हरिसिंहपुरा	पूर्ण	बीएडीपी
16		राजियासर गांव	पूर्ण	बीएडीपी
17		बछरारा	पूर्ण	बीएडीपी
18		देदूरामपुरा	पूर्ण	बीएडीपी
19		लघेर	पूर्ण	बीएडीपी
20		सांवलसर	पूर्ण	बीएडीपी
21		सिंगरासर I	पूर्ण	बीएडीपी
22		श्योनाथपुरा I	पूर्ण	मिशनमोड योजना
23		मोकलसर	पूर्ण	बीएडीपी
24		डीडवाना	पूर्ण	बीएडीपी
25	रामावाली	फरीदसर	पूर्ण	बीएडीपी
26		रामावाली II	पूर्ण	बीएडीपी
27		चाडसर	पूर्ण	बीएडीपी
28		185 आरडीएल	पूर्ण	मिशनमोड योजना
29		ऐटा 2	पूर्ण	बीएडीपी

1	2	3	4	5
30		गुजाईसर	पूर्ण	बीएडीपी
31		कालूसर	पूर्ण	बीएडीपी
32		स्तासर I	पूर्ण	बीएडीपी
33		सोमासर	पूर्ण	बीएडीपी
34		ठूकराना I	पूर्ण	बीएडीपी
35		ठूकराना II	पूर्ण	बीएडीपी
36	रामसरा	घमंडिया	पूर्ण	बीएडीपी
37		5 जीएमडी	पूर्ण	मिशनमोड योजना
38	पिपरेन	कानौर	पूर्ण	बीएडीपी
39		करड़ II	पूर्ण	बीएडीपी
40		भोजसूर	पूर्ण	बीएडीपी
41		बिरघवाला गांव	पूर्ण	बीएडीपी
42		चक सदानी	पूर्ण	बीएडीपी
43		उदयपुर गोदाराण	पूर्ण	मिशनमोड योजना
44		उदयपुर मुसलमान	पूर्ण	मिशनमोड योजना
45		लालगढिया	पूर्ण	बीएडीपी
46		भोपालसर	पूर्ण	बीएडीपी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण

195. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर बिजली उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र के आवासों का विद्युतीकरण किया जावेगा। उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य के अनुसार आगामी दो वर्षों में विद्युतीकरण का कार्य किया जाकर लगभग 20.57 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है। योजना की क्रियान्विति प्रगति पर है, जिसका जिलेवार/योजनावार विवरण परिशिष्ट- अ व ब पर उपलब्ध है।

RGGVY 12th Plan

Annexure-A

S. No.	District	Rural HHs Covered		
		BPL	APL	Total
1	2	3	4	5
Jaipur Discom				
1	Alwar	12557	111054	123611
2	Barana	15234	20941	36175
3	Bharatpur	13309	89606	102915
4	Bundi	7903	30334	38237
5	Dausa	12937	26263	39200
6	Dholpur	0	0	0
7	Jaipur	0	0	0
8	Jhalawar	11200	24213	35413
9	Karauli	34011	80570	114581
10	Kota	12052	52421	64473

1	2	3	4	5
Jaipur Discom				
11	Sawai Madhopur	13304	24113	37417
12	Tonk	2864	6443	9307
TOTAL		**135371**	**465958**	**601329**
Ajmer Discom				
1	Ajmer	7699	11361	19060
2	Banswara	0	0	0
3	Bhilwara	23607	20912	44519
4	Chittorgarh	10473	18320	28793
5	Dungarpur	63938	26127	90065
6	Jhunjhunu	2137	23402	25539
7	Nagaur	6312	9602	15914
8	Pratapgarh	18147	22248	40395
9	Rajsamand	11554	18301	29855
10	Sikar	5722	27069	32791
11	Udaipur	0	0	0
Total		**149589**	**177342**	**326931**
Jodhpur Discom				
1	Barmer	0	0	0
2	Bikaner	32645	37818	70463
3	Churu	31806	14181	45987
4	Hanumangarh	0	0	0
5	Jaisalmer	13298	31773	45071
6	Jalore	21206	23375	44581
7	Jodhpur	11447	73327	84774
8	Pali	23737	30564	54301
9	Sirohi	11237	13643	24880
10	Shriganganagar	10217	19358	29575
11	PS Ladnu	3204	4695	7899
Total		**158797**	**248734**	**407531**
G. Total		**443757**	**892034**	**1335791**

Coverage of DDUGJY Scheme

Annexure-B

S. No.	Name of District	Total BPL	Total APL	Total RHH
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Jaipur Discom				
1	Alwar	758	2902	3660
2	Barana	12	21	33
3	Bharatpur	736	1581	2317
4	Bundi	31	67	98
5	Dausa	2257	3747	6004
6	Dholpur	5366	13287	18653
7	Jaipur	15146	105214	120360
8	Jhalawar	146	215	361
9	Karauli	34	71	105
10	Kota	18	246	264
11	Sawai Madhopur	0	0	0
12	Tonk	290	743	1033
TOTAL		**24794**	**128094**	**152888**
Ajmer Discom				
1	Ajmer	605	1013	1618
2	Banswara	45408	33216	78624
3	Bhilwara	382	3316	3698
4	Chittorgarh	1384	2589	3973
5	Dungarpur	1977	2511	4488
6	Jhunjhunu	377	3402	3779
7	Nagaur	2973	23727	26700
8	Pratapgarh	304	1056	1360
9	Rajsamand	1470	1848	3318
10	Sikar	385	2799	3184
11	Udaipur	56446	26696	83142
Total		**111711**	**102173**	**213884**

1	2	3	4	5
Jodhpur Discom				
1	Barmer	50816	193790	244606
2	Bikaner	7823	10307	18130
3	Churu	241	198	439
4	Hanumangarh	894	2400	3294
5	Jaisalmer	734	1761	2495
6	Jalore	20166	22590	42756
7	Jodhpur	15428	24221	39649
8	Pali	6	14	20
9	Sirohi	0	0	0
10	Shriganganagar	1596	2664	4260
TOTAL		**97704**	**257945**	**355649**
G. Total of 3 Discoms		**234209**	**488212**	**722421**

बीकानेर जिले में अग्निकांड पीड़ितों के सहायता राशि के लम्बित आवेदन

196. श्री भंवरसिंह (कोलायत) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2014-15 व 2015-16 में प्रदेश में जिलेवार कितने लोगों के द्वारा कच्चे या पक्के मकान व झोंपड़े में आग लग जाने पर सहायता हेतु आवेदन किया गया? उनमें से कितने लोगों को सहायता राशि प्रदान की गई? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बीकानेर जिले में गत दो वर्षों में कितने आवेदन लम्बित हैं तथा कितनों को सहायता राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे झोंपड़े व पक्के मकान जल जाने पर सरकार द्वारा कितनी राशि की सहायता दी जाती है तथा इसके नियम व मानदण्ड क्या हैं?

(4) क्या सरकार आगजनी होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि कर नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री भंवरसिंह)

(5) क्या सरकार आगजनी की घटना होने के बाद सहायता राशि वितरण में देरी करने वाले जवाबदेह अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में भुगतान देरी से करने वाले कार्मिकों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2014-15 व 2015-16 में प्रदेश में कच्चे या पक्के मकान व झोंपड़े में आग लग जाने पर सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रों की संख्या व सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) बीकानेर जिले में गत दो वर्षो में आगजनी के प्रकरणों में 199 आवेदन प्राप्त हुए थे, किन्तु नियमानुसार_पात्र नहीं पाये जाने के कारण उक्त आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये गये।

(3) भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस डी आर एफ मानदण्डों के अनुसार सहायता राशि प्रदान की जाती है। मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) दिनांक 8 अप्रैल, 2015 को जारी संशोधित आदेशों द्वारा सहायता राशि में वृद्धि कर दी गई है।

(5) निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पात्र प्रभावित व्यक्ति को भुगतान कर दिया गया है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

बांसवाड़ा में जनजाति क्षेत्रों हेतु आबंटित राशि

197. श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में वित्तीय वर्ष 2015-16 में कितनी राशि का आबंटन जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु किया गया तथा आबंटित राशि में से किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में विधान सभा

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्षेत्र बांसवाड़ा में 579.44 लाख रुपये के 13 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये। 4 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 1 कार्य अप्रारम्भ है तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं, आश्रम छात्रावास संचालन, मां-बाड़ी केन्द्र संचालन, कुओं का ऊर्जीकरण एवं पम्प-सेट वितरण योजना अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में माह फरवरी, 2016 तक 410.51 लाख रुपये व्यय हुए हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाड़ा (राज.)

विधान सभा क्षेत्र बांसवाडा में वर्ष 2015-16 में जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु (निर्माण) आबंटित एवं व्यय राशि का विवरण फरवरी 2016 तक

क्र. सं.	स्वीकृति संख्या/वर्ष	मद	स्थान	कार्यकारी एजेंसी	स्वीकृति राशि लाखों में	व्यय राशि	भौतिक स्थिति	विशेष विवरण
	सडक निर्माण							
1	3380-91/03-02/2016 45/2015-16	275 (1)	देवगढ से सुरजी पाडा अमरपुरा तक सड़क निर्माण	पी.डब्ल्यू.डी. बांसवाड़ा	147.33	0.00	प्रक्रियाधीन	
	पेयजल सुविधा							
2	13323-29/ दिनांक 21.06.2015	275 (1)	जनजाति अहम छात्रावास बालक एवं बालिका छोटी सरवन में पेयजल सुविधा	पीएचईडी	12.30	6.15	प्रगति पर	
	हेण्डपम्प निर्माण							
3.	2007-18/29.01.2015	ज.क.नि.	आश्रम छात्रावास खेडावडलीपाडा बालक	स्वच्छ	0.73	0.73	पूर्ण	
	सामुदायिक भवन निर्माण							
4	237796-825 दिनांक 24.08.2015	275 (1)	जनजाति बालक छात्रावास	स्वच्छ	22.28	4.55	प्रगतिरत	

क्र. सं.	स्वीकृति संख्या/वर्ष	मद	स्थान	कार्यकारी एजेंसी	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय राशि	भौतिक स्थिति	विशेष विवरण
5	237796-825 दिनांक 24.08.2015	275 (1)	जनजाति बालक छात्रावास छोटी सरवन	स्वच्छ	22.28	10.33	प्रगतिरत	
6	237796-825 दिनांक 24.08.2015	275 (1)	सवाईमाता	स्वच्छ	40.00	0.20	प्रगतिरत	
	शौलालय ब्लाक/शौचालय एवं नलकूप निर्माण							
7	8/2015-16	ज.क.नि.	बालिका बांसवाड़ा मु.	स्वच्छ	6.50	5.13	पूर्ण	
8	8/2015-16	ज.क.नि.	बालिका छोटी सरवन	स्वच्छ	6.50	5.12	पूर्ण	
	बाउण्ड्रीवाल मय फैंसिंग निर्माण कार्य							
9	1/2015-16	ज.क.नि.	बालिका छोटी सरवन	स्वच्छ परि. बांस.	3.38	3.00	पूर्ण	
	चार दिवारी निर्माण मय तार फैंसिंग कार्य							
10	122/2014-15	275 (1)	जनजाति खेल छात्रावास बालक लोधा	स्वच्छ	15.56	6.53	प्रगित पर	
	डायनिंग हाल निर्माण							
11	34183-243/22.12.15	275 (1)	कन्या बांसवाड़ा मुख्याल	स्वच्छ	21.29	0.18	निविदा स्तर पर	

क्र. सं.	स्वीकृति संख्या/वर्ष	मद	स्थान	कार्यकारी एजेंसी	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय राशि	भौतिक स्थिति	विशेष विवरण
12	34183-243/22.12.15	275 (1)	बालक खेल छात्रावास लोधा	स्वच्छ	21.29	0.17	निविदा स्तर पर	
13	8906-21/10.04.15 120/2014-15 एवं स्वीकृति संख्या 140/2014/15	275 (1)	जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास नवागांव तलवाड़ा	कृषि विपणन बोर्ड	260.00	0.00	अप्रारम्भ	भूमि विवाद शौचालय पंचायत समिति तलवाड़ा में बनाने हेतु प्रस्तावित
					579.44	42.09		

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा

परिशिष्ट-ब

परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाड़ा (राज.)

विधान सभा क्षेत्र बांसवाडा में वर्ष 2015-16 में जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु (शिक्षा) आबंटित एवं व्यय राशि का विवरण फरवरी 2016 तक

क्र. सं.	मद	योजना का नाम	योजना सम्बन्धित विभाग	आबंटित राशि	व्यय राशि	भौतिक उपलब्धि	विवि
1	महा. पै 2202-03-796-04-02	महिला उच्च शिक्षा प्रोत्साहन	महाविद्यालय स्तर	101.00	82.05	1641	
2	महा. पै 2202-03-796-04-02	छात्र गृह किराया	महाविद्यालय स्तर	57.50	44.16	1104	
3	महा. पै 2202-02-796-17-04	नि:शुल्क स्कूटी वितरण योजना	टीएडी	0.00	9.20	23	
4	महा. पै 2202-02-796-17-04	माध्यमिक स्तर की छात्राओं को प्रोत्साहन	शिक्षा विभाग	37.65	37.62	1075	
5	महा. पै 2202-02-796-17-04	प्रथम श्रेणी छात्रवृत्ति	शिक्षा/महाविद्यालय	21.10	15.43	441	
6	महाराष्ट्र पैटर्न	मां बाड़ी डे केयर योजना	स्वच्छ परियोजना	30.00	22.50	46	
7	महाराष्ट्र पैटर्न	मां बाड़ी केन्द्र योजना	स्वच्छ परियोजना	16.00	12.20	46	

क्र. सं.	मद	योजना का नाम	योजना सम्बन्धित विभाग	आबंटित राशि	व्यय राशि	भौतिक उपलब्धि	विवि
8	महाराष्ट्र पैटर्न	आश्रम छात्रावास संचालन	टीएडी	216.60	162.45	13 (950 छात्र/ छात्राएं	
9	वि.के.स.	डीजल पम्प सेट वितरण	टीएडी	20.00	16.10	46	
10	वि.के.स.	कूप ऊर्जीकरण/ईपीएस वितरण	टीएडी	22.00	8.80	88	स्वीकृति जारी

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा

धोद में प्याज मण्डी की स्थापना

198. श्री गोरधन (धोद) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शेखावाटी क्षेत्र में वर्ष 2016 में कितने हेक्टेयर में प्याज की बुआई की गई है? क्या इस वर्ष प्याज का अधिक उत्पादन होने व प्रदेश में इसकी खपत नहीं होने के कारण सरकार कृषकों को निर्यात करने की छूट देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों।

(2) विधान सभा क्षेत्र धोद में स्वीकृत प्याज मण्ड़ी कब तक चालू की जावेगी? किसानों को प्याज भण्डार गृह के लिए इसी वर्ष कितनी राशि स्वीकृत व वितरित की गयी है? आगामी प्याज भण्डारण के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शेखावाटी क्षेत्र में प्याज की 33,450 हेक्टेयर में बुवाई एवं उत्पादन 6,85,080 मै. टन रहने का अनुमान है। इस वर्ष प्याज का अधिक उत्पादन होने का अनुमान है। राज्य में इसकी खपत होने की सम्भावना है। वर्ष 2015-16 में जिलेवार प्याज की बुवाई एवं उत्पादन के अनुमानों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	जिला	बुवाई (हे.)	उत्पादन (मै. टन)
1	सीकर	14,670	4,40,100
2	झुन्झुनूं	8,000	240,000
3	चूरू	640	4,980
4	नागौर	10,140	3,14,340
योग		**33,450**	**6,85,080**

प्याज के उत्पादन एवं बाजार भाव के अनुसार प्याज निर्यात का निर्णय समय-समय पर भारत सरकार द्वारा लिया जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र धोद के रसीदपुरा ग्राम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की हाइवे फैसिलिटी सेन्टर योजना के तहत चिह्नित भूमि पर प्याज मण्डी की स्थापना हेतु भूमि कृषि विपणन विभाग को हस्तान्तरित हो चुकी है। उक्त भूमि का मण्डी समिति, फतेहपुर द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। मण्डी समिति, फतेहपुर की आर्थिक स्थिति उक्त प्याज मण्डी विकसित करने योग्य नहीं होने के कारण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

(कृषि विपणन मंत्री)

से उक्त प्याज मण्डी की स्थापना हेतु योजना तैयार कराकर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शेखावाटी क्षेत्र में किसानों को प्याज भण्डार गृह के लिए इस वर्ष स्वीकृत राशि व वितरित की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

जिला	प्याज भण्डारण हेतु वर्ष 2015-16 में स्वीकृत व वितरित अनुदान राशि (लाख रुपये)	
	स्वीकृति जारी/स्वीकृत राशि	वितरित अनुदान राशि
सीकर	28.00	5.25
झुन्झुनूं	50.75	37.625
चुरू	14.00	2.63
नागौर	87.50	36.625

प्याज भण्डारण के लिए बागवानी विकास योजनाओं के तहत कम लागत प्याज भण्डारण संरचना (25 मैट्रिक टन) स्थापना हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 87500/- रुपये अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

ऋषभदेव (खैरवाड़ा) में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

199. श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय खैरवाड़ा एवं ऋषभदेव में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में रीको औद्योगिक क्षेत्र ऋषभदेव एवं खैरवाड़ा में व्यावसायिक भूखण्ड हेतु कितनी भूमि आबंटित की गई? आबंटित भूमि एवं व्यावसायिक भूखण्ड का साइजवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2013 से जनवरी, 2016 तक कितने पात्र व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया एवं किन-किन उद्योगों के लिए कितनी-कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय खैरवाड़ा व ऋषभदेव में रीको के स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पूर्व में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि को चिह्नित किया गया था, परन्तु भूमि औद्योगिक क्षेत्र हेतु उपयुक्त नहीं पाने के फलस्वरूप आगामी कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।

(2) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में ऋषभदेव एवं खैरवाड़ा में रीको का कोई औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान में स्थापित नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में जनवरी, 2013 से जनवरी, 2016 तक निम्न पात्र व्यक्तियों को बैंकों एवं राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से निम्न प्रकार से ऋण उपलब्ध करवाया गया :-

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम-कुल लाभान्वित 4 व्यक्ति

क्र.सं.	उद्योग/व्यवसाय	ऋण राशि (लाख रूपये में)
1.	टैन्ट हाउस	2.00
2.	रेडीमेड गारमेंट	5.00
3.	इलेक्ट्रोनिक्स रिपेयरिंग	2.00
4.	स्क्रीन प्रिंटिंग	3.00
	कुल योग	**12.00**

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन रोजगार योजना 2013-कुल लाभान्वित 6 व्यक्ति

क्र.सं.	उद्योग/व्यवसाय	ऋण राशि (लाख रुपये में)
1.	अगरबत्ती व्यवसाय	1.50
2.	किराणा स्टोर व आटा चक्की	0.50
3.	मोबाइल रिपेयरिंग	1.00
4.	इलेक्ट्रिकल्स	3.00
5.	ब्यूटी पार्लर	0.75
6.	किराणा स्टोर	0.75
	कुल योग	7.50

(उद्योग मंत्री)

राजस्थान वित्त निगम (राशि लाखों में)

इकाई का नाम	ऋण स्वीकृति		योजना
	दिनांक	राशि	
अशोक भाणावत मार्बल्स प्रा.लि. ऋषभदेव जिला उदयपुर	16.05.2013 07.12.2015	40.00 25.00	फ्लेक्सी गोल्ड कार्ड

जोधपुर जिले में उपखण्ड मुख्यालयों का कार्यक्षेत्र

200. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में कितने उप-खण्ड अधिकारियों के कार्यालय हैं और इनकी स्थापना कब-कब, किस-किस भौगोलिक क्षेत्र (तह. व उप-तहसील) के लिए की गई थी? उक्त उपखण्ड अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में कौन-कौनसी तहसीलें व उप-तहसीलें रखी गई थीं तथा इनका मुख्यालय कहां-कहां पर है? आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में कार्यरत सभी उपखण्ड अधिकारी अपने-अपने मुख्यालय पर ही कार्य कर रहे हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौनसे उपखण्ड अधिकारी उनके गठन की अधिसूचना में वर्णित मुख्यालय/स्थान के अलावा अन्यत्र, किसके आदेश से, कहां-कहां पर कार्य कर रहे हैं व क्यों? आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में कुल 11 उपखण्ड कार्यालय निम्नानुसार हैं -

नाम उपखण्ड/ मुख्यालय	स्थापना वर्ष	सम्मिलित क्षेत्र	
		तहसील	उप तहसील
1	2	3	4
जोधपुर	1956	जोधपुर	डांगियावास
फलौदी	1956	फलौदी व लोहावट	आऊ
लूणी	2009	लूणी	झंवर
ओसियां	2002	ओसियां व तिंवरी	मतोड़ा

(राज्य मंत्री , राजस्व)

1	2	3	4
भोपालगढ़	2009	भोपालगढ़	
शेरगढ़	2002	शेरगढ़	सेतरावा
पीपाड़शहर	1998	पीपाड़शहर	
बावड़ी	2013	बावड़ी	
बालेसर	2013	बालेसर	
बिलाड़ा	2013	बिलाड़ा	
बाप	2013	बाप	घंटियाली, शेखासर

अधिसूचनाओं की प्रतियां परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं।

(2) उपखण्ड अधिकारी लूणी के अलावा जोधपुर जिले में कार्यरत सभी उपखण्ड अधिकारी अपने- अपने मुख्यालय पर कार्य कर रहे हैं। उपखण्ड लूणी का भौगोलिक क्षेत्र जोधपुर के नजदीक ग्रामों से जुडा होने के कारण अधिवक्ताओं की मांग को दृष्टिगत रखते हुए उपखण्ड अधिकारी लूणी का कार्यविभाजन बुधवार से शुक्रवार तक न्यायालय कोर्ट जोधपुर में व अन्य कार्य दिवस लूणी उपखण्ड कार्यालय में किया गया है। कार्यविभाजन आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में संचालित स्वयं सहायता समूह

201. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने स्वयं सहायता समूह संचालित हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वयं सहायता समूहों का संचालन निर्धारित मानदण्डानुसार हो रहा है? यदि हां, तो प्रदेश में कितने स्वयं सहायता समूहों द्वारा उक्त की पालना की जा रही है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि लम्बी अवधि से एक ही स्थान पर पदस्थापित सुपरवाइजरों के कारण उक्त स्वयं सहायता समूहों के कार्यकलापों

(श्री धीरज गुर्जर)

में अनियमितताएं हो रही हैं, जिसकी सरकार को समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार एक स्थान पर सुपरवाइजरों के पदस्थापन के सम्बन्ध में कोई समय सीमा तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में पोषाहार की आपूर्ति स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से की जा रही है तथा अनेक निष्क्रिय स्वयं सहायता समूहों द्वारा फर्जी बिल देकर भुगतान उठाये जा रहे हैं? इस प्रक्रिया में सुधार के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में 92,845 स्वयं सहायता समूह संचालित हैं, जिनका जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त स्वयं सहायता समूहों का संचालन निर्धारित मानदण्डानुसार हो रहा है। सभी 92,845 संचालित स्वयं सहायता समूहों द्वारा उक्त की पालना की जा रही है, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पर्यवेक्षकों के एक स्थान पर रखने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

(4) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 196/2001 में दिनांक 07.10.2004 को पारित आदेशों की पालना में राज्य में पूरक पोषाहार की आपूर्ति स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ली जा रही है। पोषाहार आपूर्ति हेतु स्वयं सहायता समूहों के चयन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा- दिशा निर्देश जारी किये हुए हैं, जिनके अनुसार स्वयं सहायता समूह कम से कम एक वर्ष से सफलतापूर्वक कार्यरत होना चाहिए एवं समूह की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए तथा समूह द्वारा राष्ट्रीय अथवा अनुसूचित बैंक में खाता संचालित होना चाहिए। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी निर्देश परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। प्रदेश में निष्क्रिय स्वयं सहायता समूहों द्वारा फर्जी बिल देकर भुगतान का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

व्यावसायिक काम्प्लेक्सों (बिल्डिंग) में विद्युत कनेक्शन के नियम

236. **श्री कैलाश वर्मा** (बगरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) व्यावसायिक काम्प्लेक्स (बिल्डिंग) में विद्युत कनेक्शन हेतु क्या-क्या औपचारिकताएं/नियम/दिशा-निर्देश निर्धारित हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विद्युत सेवा हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया में वर्णित प्रावधानों के अनुसार व्यवसायिक काम्प्लेक्स में क्या-क्या मूलभूत आवश्यकताओं व शर्तों की पूर्ति किया जाना आवश्यक है? दिशा-निर्देशों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मैसर्स आदिनाथ बिल्डकान प्रा. लि. के द्वारा प्लाट नं. ए-5, न्यू आतिश मार्केट, गोपालपुरा बाइपास, जयपुर द्वारा अपने वाणिज्यिक काम्प्लेक्स में विद्युत कनेक्शन सम्बन्धी सभी शर्तों तथा सभी मूलभूत आवश्यकताओं/शर्तों की पालना की जा रही है? यदि नहीं, तो विजिलेंस टीम ने विरुद्ध कब-कब दोषी के क्या-क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या दोषी द्वारा बिल्डिंग में कार्यरत सभी कार्यालयों से अवैध रूप से विद्युत शुल्क वसूला जा रहा है और सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) व्यावसायिक काम्प्लेक्स (बिल्डिंग) में विद्युत कनेक्शन निगम के द्वारा जारी आदेश क्रं. जेपीआर 5-709, जेपीआर 5-533, जेपीआर 5-547, जेपीआर 5-625 एवं पत्र संख्या 2022 दिनांक 29.12.2012 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं। आदेशों की प्रतियां प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया पार्ट-8 बिल्डिंग सर्विसेज सेक्शन-2 इलेक्ट्रिकल एण्ड अलाइड इन्स्टालेशन में मूलभूत आवश्यकताओं एवं शर्तों की पूर्ति का उल्लेख है, जिसकी प्रति प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) मैसर्स आदिनाथ बिल्डकान प्रा. लि., प्लाट नं. ए-5, न्यू आतिश मार्केट, गोपालपुरा बाइपास, जयपुर को विद्युत कनेक्शन सम्बन्धी सभी शर्तें तथा मूलभूत औपचारिकता पूर्ण करने पर ही दिनांक 2.5.2008 को विद्युत कनेक्शन दिया गया था। जिसकी कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड 400 केवीए व कनेक्टेड लोड 1,500 किलोवाट है। उपभोक्ता द्वारा वर्तमान में विद्युत बिल समय पर जमा कराये जा रहे हैं एवं उक्त कनेक्शन पर कोई राशि बकाया नहीं है।

(4) उपभोक्ता द्वारा बिल्डिंग में कार्यरत कार्यालयों से अवैध रूप से शुल्क वसूल करने के सम्बन्ध में कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विद्युत निगम को उपभोग की गई विद्युत का विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार पूर्ण भुगतान प्राप्त हो रहा है। अत: निगम को किसी भी प्रकार की राजस्व हानि नही हो रही है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयी)

नावां औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत बिलों में अनियमितताएं

237. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में नावां औद्योगिक क्षेत्र में मीटर लगे होने के बावजूद एवरेज बिल उपभोक्ताओं को दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों एवं किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में ग्राम नावां के नमक उत्पादन वाले क्षेत्र जावटी नगर, खाखड़की, नावां, मोहनपुरा तथा बबलीबुढा क्षेत्र में कितने घंटे प्रति दिन बिजली सप्लाई की जा रही है एवं क्या यह अन्य उद्योगों को दी जा रही सप्लाई की अपेक्षा कम है? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा सरकार उनके विरुद्ध क्या कठोर कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नावां क्षेत्र की नमक उत्पादन इकाइयों से विद्युत छीजत के नाम पर वसूली की जा रही है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत एवं कितनी? सम्बन्धित आदेशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि नावां नमक क्षेत्र में बिजली अभियन्ता अपनी मनमर्जी से बिल जारी कर रहे हैं तथा नियम के अनुसार बिल देने का

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अनुरोध करने वाले उपभोक्ताओं की डी.पी. उतारकर कनेक्शन काट दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अभियन्ताओं के विरुद्ध कब तक कठोर कार्यवाही कर उपभोक्ताओं से मीटर की रीडिंग के अनुसार ही वसूली करना प्रारम्भ करेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। क्योंकि अधिकतर उपभोक्ताओं के मीटर बक्से/टर्मिनल सील टूटी हुई हैं। अतः उनको TCOS के प्रावधानों के अनुसार एवरेज के बिल जारी किये जा रहे हैं।

(2) नावां क्षेत्र के नमक उत्पादन श्रेणी उपभोक्ताओं को मांग व आवश्यकतानुसार माह अगस्त 2015 से फरवरी 2016 तक 10 से 14 घण्टे विद्युत सप्लाई उपलब्ध कराई गई है जो उपभोक्ताओं की मांग व आवश्यकतानुसार पर्याप्त है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। किन्तु यदि किसी उपभोक्ता का मीटर सही है, उनको मीटर रीडिंग के अनुसार विद्युत बिल दिये जाने के आदेश दिये जा रहे हैं।

प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर देय अनुदान

238. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मकानों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए वर्तमान में किस-किस क्षमता के संयंत्र में कितनी-कितनी लागत आती है और सरकार द्वारा कितनी-कितनी लागत के संयंत्र लगाने में कितनी-कितनी राशि का अनुदान किस माध्यम से दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर शहर में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु क्या-क्या प्रयास कब-कब किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2014 जारी की गयी है। इस नीति के तहत

(ऊर्जा मंत्री)

निवेशक राज्य में निम्न योजनाओं के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं:-

1. नेशनल सोलर मिशन के तहत एन टी पी सी या सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन आफ इण्डिया (SECI) द्वारा जारी प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया में भाग लेकर।

2. अक्षय ऊर्जा प्रपत्र (आर ई सी) स्कीम;

3. कैप्टिव (निजी उपयोग) स्कीम; एवं

4. थर्ड पार्टी विक्रय/ओपन एक्सेस स्कीम।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटाप परियोजना का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है।

(2) ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटाप पावर प्लान्ट स्थापना पर लगभग रुपये 80,000/- प्रति किलोवाट की लागत आती है। MNRE, भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत घरों की रूफटॉप पर ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से 30 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

प्रदेश के अविद्युतीकृत गांवों एवं ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे निम्न 3 माडल (स्टैण्ड-अलोन सोलर घरेलू लाइटिंग सिस्टम) की लागत एवं देय अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :-

माडल नम्बर	विवरण	कुल कीमत रु.	देय अनुदान रु.	लाभार्थी द्वारा देय राशि रु.
1	37 वाट पी वी क्षमता	9,500	4,750	4,750
2	100 वाट पी वी क्षमता	20,573	10,000	10,573
3	200 वाट पी वी क्षमता	27,573	10,000	17,573

अनुदान राशि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से दी जाती है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) सरकार प्रदेश में रूफटाप सोलर प्रोजेक्टस को बढ़ावा देने हेतु सतत् प्रयासरत है एवं इसके प्रचार-प्रसार हेतु निगम एवं राजस्थान सोलर एसोसिएशन द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में राज्य में क्रियान्वित किये जा रहे कुल 6,000 किलोवाट पीवी क्षमता के रूफटॉप पावर प्लान्ट कार्यक्रम में से जयपुर शहर के लिए लगभग 3,200 किलोवाट पी वी क्षमता के रूफटाप पावर प्लान्टों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

संयुक्त निदेशक (संस्थापन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

239. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के अधिकारियों के विरुद्ध सरकार एवं निदेशक, राज्य बीमा स्तर पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में प्राप्त शिकायतों की प्रतियां एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य बीमा के वर्तमान संयुक्त निदेशक (संस्थापन) के विरुद्ध सरकार एवं निदेशक राज्य बीमा को प्राप्त शिकायती पत्रों को दफ्तर दाखिल कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं किसके द्वारा? उक्त शिकायती पत्रों के पर की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार संयुक्त निदेशक (संस्थापन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर को प्राप्त शिकायतों के आधार पर पद से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायतों की प्रतियां परिशिष्ट-1 (पृष्ठ संख्या 1 से 97) एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 (पृष्ठ संख्या 1 से 3) पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त शिकायती पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण बिन्दु संख्या 1 में समाहित है।

(3) जी नहीं। क्योंकि प्राप्त शिकायतें परीक्षणाधीन हैं।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राज्य विद्युत नियामक आयोग, जयपुर को जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतें

240. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य विद्युत नियामक आयोग, जयपुर की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं एवं स्थापना से अब तक विद्युत उपभोक्ताओं के हितों व उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए कब-कब जनसुनवाइयां आयोजित की गयीं, जनसुनवाइयों में कितने लोगों ने कब-कब भाग लिया व कितनी शिकायतें प्राप्त हुयीं? बैठकवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जन सुनवाइयों में प्राप्त शिकायतों पर आयोग ने कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की तथा किस-किस के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कर शिकायतकर्ता को राहत पहुंचाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विद्युत की दरें बढ़ाने के संदर्भ में विद्युत वितरण निगमों द्वारा आयोग के समक्ष कब-कब याचिका प्रस्तुत की गई तथा कब-कब आयोग ने उक्त याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए उपभोक्ताओं से आपत्तियां मांगीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) कितने उपभोक्ताओं ने आपत्तियां दर्ज करवायीं तथा कितनी आपत्तियों पर आयोग ने कब-कब क्या निर्णय लिया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर की स्थापना के उद्देश्य परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध हैं।

भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(5) के तहत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा संरचित राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (शिकायतों के निवारण हेतु लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त) विनियम 2008 के तहत प्रत्येक विद्युत वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर मंचों की स्थापना की गई है। उपभोक्ताओं को यदि कोई शिकायत है, तो उनके निवारण हेतु वे इन फोरमों में जा सकते हैं। यदि उपभोक्ता की शिकायत का निवारण उपभोक्ता शिकायत फोरम द्वारा 45 दिवस के अन्दर नहीं होता है तो उसे विद्युत लोकपाल के पास जाने के अधिकार हैं, जो कि उपभोक्ता व वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सुनने के पश्चात्

(ऊर्जा मंत्री)

शिकायत के निवारण का आदेश देगा। सम्बन्धित वितरण निगम द्वारा लोकपाल के इस निर्णय की पालना करनी होगी। यदि वितरण निगम द्वारा निर्णय की पालना नहीं की जाती है, तो उपभोक्ता विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के तहत आयोग में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच/लोकपाल के आदेश की पालना कराने के लिए याचिका दायर कर सकता है।

भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 में दी गयी उपभोक्ता की शिकायत के निवारण की उपरोक्त प्रणाली पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग बनाम रिलायंस एनर्जी लि. ((2007) 85 SCL 381) के केस में यह निर्णय दिया कि जहां राज्य में उपभोक्ता की शिकायत के लिए उचित फोरम स्थापित हैं, वहां इस प्रकार के विवादों के निपटारों के मामले राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं होंगे। विद्युत अधिनियम के प्रावधानों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार विद्युत विनियामक आयोग उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने के लिए अधिकृत नहीं है। हालांकि आयोग ने ऐसी याचिकाओं पर विचार किया है जिनमें उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच/लोकपाल के आदेशों की पालना नहीं की गई थी, तथा पालना हेतु उचित आदेश/निर्देश दिये हैं।

(2) उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अनुसार।

(3) विद्युत दरें बढ़ाने के लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा विनियामक आयोग के समक्ष दायर की गई याचिकाओं सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(4) आपत्तियां दर्ज कराने वाले उपभोक्ताओं/संस्थाओं का संख्या विवरण प्रपत्र 'स' पर उपलब्ध है। सभी आपत्तियों पर विचार कर आयोग द्वारा "टैरिफ आर्डर" जारी करने का निर्णय लिया गया/जाता है, जिसका विवरण प्रपत्र 'स' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में देशी/विदेशी मदिरा के संचालित कारखाने

241. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में कुल कितने शराब उत्पाद व शराब पैकिंग हेतु

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

देशी/विदेशी मदिरा के कारखाने संचालित हैं? कारखानों के नाम, पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कुल कितनी शराब का उत्पादन/पैकिंग अलवर जिले के शराब कारखानों में होता है? कारखानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में उत्पादित कुल शराब का कितना प्रतिशत देशी/विदेशी शराब का उत्पादन जिले में स्थित कारखानों में होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश में स्थित/संचालित शराब कारखानों को कोई राहत/सहायता प्रदान करती है? यदि हां, तो गत 7 वर्षों में उक्त कारखानों को सरकार द्वारा दी गई राहत का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में कुल 19 देशी/विदेशी शराब उत्पाद के कारखाने हैं। विवरण परिशिष्ट-। पर उपलब्ध है।

(2) विभागीय आंकड़ों के मुताबिक दिनांक 01.04.2015 से 15.02.2016 तक अलवर जिले में भारत निर्मित विदेशी मदिरा का 317 लाख बल्क लीटर, देशी मदिरा का 518 लाख बल्क लीटर एवं बीयर का 1,862 लाख बल्क लीटर, कुल 2,697 लाख बल्क लीटर का उत्पादन हुआ। विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) प्रदेश में दिनांक 01.04.2015 से 15.02.2016 तक भारत निर्मित विदेशी मदिरा का 743 लाख बल्क लीटर, देशी मदिरा का 1,679 लाख बल्क लीटर एवं बीयर का 2,048 लाख बल्क लीटर, कुल 4,470 लाख बल्क लीटर हुआ। विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। राज्य के कुल मदिरा उत्पादन का 60.31 प्रतिशत अलवर जिले में होता है।

(4) जी नहीं। प्रदेश में स्थित/संचालित शराब कारखानों को कोई राहत/सहायता वर्तमान में प्रदान नहीं की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पंजीकृत समाचार-पत्रों को देय सुविधाएं

242. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में समाचार-पत्रों के पंजीकरण कराने हेतु क्या कोई नियम/

(श्री हीरालाल)

पात्रता अथवा मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? नियम/पात्रता अथवा मानदण्डों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक एवं दैनिक समाचार-पत्र पंजीकृत अथवा अधिस्वीकृत हैं? उक्त समाचार-पत्रों की प्रसार संख्या, पत्र-व्यवहार का पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर व ई-मेल पते सहित पूर्ण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समाचार-पत्रों को सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं अथवा रियायतें दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) समाचार पत्रों के पंजीयन का कार्य, प्रेस पंजीयक, भारत के समाचार पत्र पंजीयक का कार्यालय (आर.एन.आई.), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है।

समाचार पत्र द्वारा आवेदन करने पर राजकीय विज्ञापन हेतु मान्यता इस विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा वर्तमान में राज्य से प्रकाशित 17 मासिक, 365 पाक्षिक, 226 साप्ताहिक एवं 310 दैनिक समाचार पत्रों को राजकीय विज्ञापनों हेतु मान्यता दी गई है, जिनकी प्रसार संख्या व पत्र व्यवहार का पता सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। दूरभाष नम्बर व ई-मेल का पता विभाग में संधारित नहीं किया जाता है।

(3) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम-2003 की संलग्न अनुसूची-प्रथम की प्रविष्टि संख्या 97 के अनुसार "न्यूजप्रिन्ट" को कर मुक्त रखा गया है जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

नगरीय विकास विभाग द्वारा समाचार पत्रों को भूखण्ड आबंटन के सम्बन्ध में विभागीय परिपत्र दिनांक 07.03.1998 व 19.12.1998 जारी किये गये हैं। परिपत्रों की प्रतियां " परिशिष्ट-3 " पर संलग्न हैं।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

मृतक होम गार्ड के जवानों के आश्रितों को देय सुविधाएं

243. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार होम गार्डों के जवानों की तैनाती के दौरान मृत्यु हो जाने

(श्री गिर्राज सिंह)

पर उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

गृह रक्षा सदस्य सरकारी कार्मिक नहीं होने से राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अनुसार नियुक्ति दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। होम गार्ड जवानों की डयूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर प्रत्येक मृतक सदस्य के आश्रितों को निम्नानुसार आर्थिक सहायता देय है :-

(अ) राजस्थान पेंशन सेवा नियम 75 एवं 76 के अनुसार अधिकतम 20.00 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान राशि देय होती है।

(ब) सामूहिक दुर्घटना दावा अधिकतम 1.50 लाख रुपये सामान्य प्रावधायी निधि विभाग द्वारा देय है।

(स) गृह रक्षा विभाग कल्याण निधि से अधिकतम 75,000/- की आर्थिक सहायता देय है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75(2)(ख) के अनुसार उक्त तीनों निधियों व अन्य स्रोतों की कुल राहत/अनुग्रह अनुदान राशि रु. 20.00 लाख से अधिक नहीं होगी।

प्रदेश में मानव तस्करी रोकने हेतु कार्य योजना

244. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में प्रदेश में मानव तस्करी के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? इनमें से कितने प्रकरणों में पीड़ितों को मुक्त कराया गया और कितने प्रकरणों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मानव तस्करी में सबसे अधिक पीड़ित बच्चे और महिलाएं हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि ताजा आंकड़ों के अनुसार मानव तस्करी में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है?

(4) प्रदेश में सर्वाधिक मानव तस्करी प्रकरण किन-किन जिलों में दर्ज किये गये? गत चार वर्षों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(5) प्रदेश के किन-किन व्यवसायों/स्थानों पर सर्वाधिक बाल मजदूर पकड़े गये तथा सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार मानव तस्करी रोकने हेतु सख्त कानून बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत दो वर्षों में प्रदेश में मानव तस्करी के 427 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इनमें से 426 प्रकरणों में पीड़ितों को मुक्त कराया गया और 376 प्रकरणों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ में संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) विगत चार वर्षों में प्रदेश में सर्वाधिक मानव तस्करी के प्रकरण (1) जयपुर-उत्तर में - 211, (2) जयपुर-पश्चिम में 80 एवं (3) श्रीगंगानगर जिले में - 74 दर्ज किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(5) प्रदेश में सर्वाधिक बाल मजदूर होटलों, ढाबों पर कार्य करते हुए पाये गये हैं तथा दोषियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(6) वर्तमान में किशोर न्याय अधिनियम 2000 लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2012; बालश्रम प्रतिशेध और विनियमन अधिनियम 1986; अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956; बन्धित श्रम पद्ति (उत्सादन) अधिनियम 1976; एवं मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के तहत एवं मानव तस्करी रोकने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों की पालना में राज्य के सभी जिलों में मानव तस्करी विरोधी यूनिट स्थापित कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है। उपरोक्त नियम एवं अधिनियम पर्याप्त होने के कारण अतिरिक्त कानून की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में गौ-तस्करी के दर्ज प्रकरण

245. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में गत दो वर्ष में कुल कितने गौ-तस्कर पकड़े गये? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गौ-तस्करों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बढ़ती गौ-तस्करी को रोकने हेतु विशेष थाने/पुलिस दल स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विगत दो वर्षों में कुल 1,131 गौ-तस्कर पकड़े गये हैं। पकड़े गये गौ-तस्करों का जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ पर है।

(2) उक्त गौ-तस्करों के विरुद्ध प्रदेश के विभिन्न जिलों में पशु क्रूरता (निवारण) अधिनियम 1960 एवं राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत कार्यवाही कर कुल 632 मुकदमे दर्ज किये जाकर गौतस्करी में प्रयुक्त वाहनों को जप्त किया गया एवं 1,131 गौ-तस्कर गिरफ्तार किये गये, जिनके विरुद्ध चार्जशीट किता की गई। चार्जशीट का विवरण परिशिष्ट-अ के कॉलम संख्या 6 पर अंकित है।

(3) प्रदेश में गौवंश को कत्लखाने में जाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा आदेश दिनांक 20.01.2016 से जिला अलवर में 6 एवं जिला भरतपुर में 6, कुल 12 पुलिस चौकियों का सृजन किया गया है। इन पुलिस चौकियों में 12 सहायक उप निरीक्षक व 72 कांस्टेबल के पदों का सृजन किया गया है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब पर है। राज्य में गौवंश के अवैध परिवहन एवं गौकशी पर नियन्त्रण हेतु परिपत्र जारी किया गया है, जो संलग्न परिशिष्ट-स पर है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में सैनिक स्कूल की तर्ज पर पुलिस स्कूल खोलने की योजना

246. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सुराज संकल्प घोषणा-पत्र 2013 में सैनिक स्कूल

(श्री बाबू सिंह)

की तर्ज पर पुलिस कार्मिकों के बच्चों हेतु ''पुलिस स्कूल'' खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घोषणानुसार ''पुलिस स्कूल'' खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां, कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

यह सही है कि सुराज संकल्प घोषणा पत्र-2013 में सैनिक स्कूल की तर्ज पर पुलिस कार्मिकों के बच्चों हेतु 'पुलिस स्कूल' खोलने की घोषणा की गई है। यह स्कूल बारां जिले में खोला जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित पुलिस स्कूल के लिए जिला कलक्टर, बारां से 21.66 हेक्टेयर भूमि आबंटन का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न संख्या-247

(स्थगित)

प्रदेश में गांवों को माडा योजना में सम्मिलित करने के मानदण्ड

248. श्री दलीचन्द डांगी (मावली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा माडा योजना में गांवों को सम्मिलित करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं?

(2) क्या सरकार उक्त मानदण्डानुसार मावली विधान सभा क्षेत्र के जनजाति बहुल राजस्व गावों को माडा योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माडा लघु खण्डों के गठन के सम्बन्ध में भारत सरकार से मापदण्ड निर्धारित किये हुए हैं। भारत सरकार से माडा लघु खण्डों के गठन हेतु निर्धारित मापदण्ड परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं। इन प्रस्तावों के स्वीकार होने के उपरान्त माडा लघू खण्डों के प्रस्ताव मानदण्डों के आधार पर तैयार कर भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले के किशनगंज-शाहाबाद सहरिया बहुल क्षेत्र के विकास की योजना

249. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों के लिए अलग से बजट का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या बारां जिले के किशनगंज-शाहाबाद सहरिया बहुल क्षेत्र के विकास के लिए सरकार आने वाले वर्षों में कोई ठोस कार्य योजना तैयार कर सहरियाओं के जीवन स्तर को सुधारने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनजाति विकास हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति कल्याण निधि, विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सी एस एस) अन्तर्गत राशि का प्रावधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प4(21) वित्त-1(1) आ.व्य./2010 दिनांक 25.11.2011 एवं आयोजना विभाग की अर्द्धशासकीय टिप्पणी एफ10(25)आयो/ग्रुप5/09 दिनांक 30.09.2010 एवं परिपत्र क्रमांक एफ10(10) आयो/ग्रुप-5/2009 दिनांक 06.02.2012 की अनुपालना में प्रत्येक विभाग द्वारा अपने बजट में से भी जनजाति उपयोजना हेतु बजट उपशीर्ष 796 (मांग संख्या 30) में जनजाति प्रवाह के रूप में प्रावधान किया जाता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से सहरियाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उन्नयन हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। योजनाओं के संचालन हेतु आगामी वर्ष 2016-17 में संचालित योजनाओं एवं बजट प्रावधान का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर न्यू बोर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट की स्थापना

250. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अभिषेक मटोरिया)

(1) क्या प्रदेश में किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर न्यू बोर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट की स्थापना की गई है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों पर इस यूनिट का सुचारु रूप से उपयोग करने के लिए कितने विशेषज्ञ, डाक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त केन्द्रों पर माता-पिता एवं नवजात बच्चों के लिए कौन-कौनसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त केन्द्रों पर इसके प्रारम्भ से लेकर अब तक कितनी राशि व्यय की गई? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में चिह्नित 304 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर न्यू बोर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट की स्थापना की गई है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) इन यूनिट के उक्त केन्द्रों पर सुचारु रूप से संचालित करने हेतु पृथक से विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की गई है। इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत चिकित्सकों को इन यूनिट के संचालन हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इन यूनिट के संचालन हेतु स्वीकृत पैरामेडिकल स्टाफ की संविदा नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

(3) उक्त केन्द्रों पर माता-पिता को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, अपितु नवजात को नि:शुल्क उपचार, नि:शुल्क दवा, नि:शुल्क रेफरल एवं परिवहन और नि:शुल्क जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(4) उक्त केन्द्रों पर इसके प्रारम्भ से लेकर नवम्बर 2015 तक केन्द्रवार व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

आर.पी.एस.सी. से चयनित चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. का लाभ

251. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1992 में आर.पी.एस.सी. से चयनित चिकित्सा अधिकारियों में से डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत 133 चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति लम्बित है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री गोतम कुमार)

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1992 में आर.पी.एस.सी. से चयनित शेष 133 चिकित्सकों को, जिनकी पदोन्नति वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में हुई है, उनको डी.ए.सी.पी. का लाभ देने हेतु नियमों में संशोधन की कार्यवाही लम्बित है? यदि हां, तो कब से एवं क्यों तथा इसे कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? अब तक की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 से पूर्व पदोन्नत चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. के साथ-साथ 20 वर्ष की सेवा अवधि का भी लाभ दिया गया है, जबकि वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत चिकित्सा अधिकारियों को डी.ए.सी.पी. या 20 वर्ष की सेवा अवधि में से किसी का भी लाभ नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में पदोन्नत चिकित्सा अधिकारियों को भी नियमों में शिथिलता प्रदान कर पदोन्नति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष 2009-10 व 2010-11 में पदोन्नत 133 चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति का लाभ दिये जाने हेतु राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 में संशोधन नहीं होने के कारण पदोन्नति अभी भी लम्बित है। उक्त चिकित्सकों को पदोन्नति का लाभ दिये जाने हेतु राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.06.2015 के द्वारा सेवा नियमों में जोड़े गये 3 विकल्पों के बाद डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत रही विसंगति को दूर करने के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में संशोधन हेतु एकल पत्रावली दिनांक 15.9.2015 द्वारा प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। इन प्रस्तावों पर वित्त विभाग, कार्मिक विभाग एवं विधि विभाग की सहमति लिये जाने के उपरान्त सेवा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इन चिकित्सकों की पदोन्नति हेतु शीघ्रताशीघ्र कार्यवाही की जायेगी। एकल पत्रावली पर अब तक की गई कार्यवाही से सम्बन्धित नोटशीट की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) जी हां। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 से पूर्व पदोन्नत चिकित्सकों में 20 वर्ष की नियमित राज्य सेवा दिनांक 11.07.2011 से पूर्व पूर्ण करने वाले चिकित्सकों को 20 वर्ष की द्वितीय ए.सी.पी. का लाभ दिया गया है।

वित्त विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक एफ.14(9)एफडी (रूल्स)/2011 दिनांक 09.08.2011 के द्वारा चिकित्सकों को ए.सी.पी. के स्थान पर दिनांक 11.07.2011 से 6, 6 एवं 6 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण करने पर डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति का प्रावधान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत चिकित्सकों को दिनांक 11.7.2011 से पूर्व 20 वर्ष की नियमित राज्य सेवा पूर्ण नहीं करने के कारण ए.सी.पी. का लाभ नियमानुसार नहीं दिया गया है।

(4) जी हां। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में पदोन्नत चिकित्सा अधिकारियों को भी राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 में संशोधन होने पर डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति का लाभ दिया जा सकेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

उप स्वास्थ्य केन्द्र, बागौर का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन

252. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बागौर के पुरा बास में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नादौती की दूरी 12 कि.मी. से अधिक है?

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्व में इस उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने हेतु जन प्रतिनिधि एवं जनता द्वारा मांग की गई है? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उप स्वास्थ्य केन्द्र, बागौर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) ग्राम बागौर की जनता के द्वारा फरवरी 2014 में सरकार-आपके-द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत जन-सुनवाई में उक्त ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग की गई थी।

(4) वर्ष 2011 की ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्ड के अनुसार आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर पंचायत समिति नादौती के 1 ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रयास किये जायेंगे।

मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना में आबंटित राशि

253. डा. मंजू बाघमार (जायल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत गत 5 वर्षों में वर्षवार व जिलेवार कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत आबंटित की गई राशि में से वर्षवार व जिलेवार कितनी-कितनी राशि जनवरी, 2016 तक व्यय की जा चुकी है तथा कितनी राशि शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के प्रचार-प्रसार के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं कितनी जनवरी 2016 तक व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना के अन्तर्गत कितने संविदाकर्मी लगे हुए हैं तथा उनको मासिक वेतन कितना मिलता है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजना के तहत किन-किन कम्पनियों से दवाइयां क्रय कर वितरित की जा रही हैं? कम्पनियों के साथ किये गये एम.ओ.यू. की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत राजस्थान

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा सेवा निगम द्वारा समस्त स्रोतों से प्राप्त राशि के विरुद्ध विगत 5 वर्षों में आबंटित राशि का वर्षवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बन्धित चिकित्सालयों में उक्त योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मुख्यालय द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(2) राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत आबंटित की गई राशि में से जनवरी 2016 तक वर्षवार व जिलेवार व्यय की गई राशि एवं शेष राशि का वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बन्धित चिकित्सालयों में उक्त योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि में से जनवरी, 2016 तक व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-'य' पर संलग्न है।

वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मुख्यालय द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि में से जनवरी, 2016 तक व्यय की गई राशि का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रचार-प्रसार पर निम्न राशि व्यय की गई:-

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**राशि रुपये में**
1	2011-12	74,20,505/-
2	2012-13	53,01,616/-
3	2013-14	7,02,273/-
4	2014-15	शून्य
6	2015-16	शून्य
	कुल राशि	**1,34,24,394/-**

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) उक्त योजना के अन्तर्गत राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम में कुल 12 संविदाकर्मी जाब बेसिस पर लगे हुए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	पदनाम	संख्या	प्रति माह प्रति संविदाकर्मी पारिश्रमिक (रुपये में)	कार्यरत स्थान
1	सलाहकार, बायोमेडिकल इंजीनियर्स	10	40,000/-	मुख्यालय जयपुर-03; जोन कार्यालय राजस्थान-07
2	सलाहकार, लाजिस्टिक्स	01	40,000/-	मुख्यालय जयपुर
3	सलाहकार कार्यालय सहायक (सेवानिवृत्त)	01	6,800/-	मुख्यालय जयपुर

मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत जिलों में वर्ष 2015-16 में संविदा के आधार पर 1004 मशीन-विद-मैन, 419 फार्मासिस्ट एवं 438 डी डी सी सहायक (हेल्पर) रखे हुये है। जिन्हें निम्न प्रकार मानदेय देय है:-

1. मशीन-विद-मैन - 8,000 प्रति माह प्रति व्यक्ति
2. फार्मासिस्ट - 5,500 प्रति माह प्रति व्यक्ति
3. डी डी सी सहायक (हेल्पर) - 4,600 प्रति माह प्रति व्यक्ति

जिलेवार विवरण परिशिष्ट-'र' पर संलग्न है।

चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बन्धित चिकित्सालयों में उक्त योजना के अन्तर्गत लगे हुए संविदाकर्मियों का विवरण परिशिष्ट-ल पर संलग्न है।

(5) राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम में वर्तमान में 488 औषधियों

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

एवं 170 सर्जिकल व सूचर्स, कुल 658 आइटमों की दर संविदा उपलब्ध है। सम्बन्धित कम्पनियों का विवरण व एम ओ यू की प्रतियां परिशिष्ट-व पर संलग्न हैं।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उपाय

254. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में मातृ मृत्यु दर क्या है? क्या यह राष्ट्रीय मातृ मृत्यु दर से अधिक है? यदि हां, तो इसे कम करने हेतु सरकार द्वारा गत दो वर्षों में क्या-क्या उपाय किये गये हैं तथा क्या उक्त उपायों से मातृ मृत्यु दर में कमी आई है?

(2) प्रदेश में 5 साल तक के शिशुओं की मृत्यु दर कितनी है? यह राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर से कितनी कम या अधिक है?

(3) गत दो वर्षों में सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भारत सरकार के एस.आर.एस. सर्वे 2010-12 एवं 2011-13 के अनुसार राज्य की मातृ मृत्यु दर निम्नानुसार है:-

वर्ष	राजस्थान में मातृ मृत्यु दर	भारत में मातृ मृत्यु दर
2010-12	255	178
2011-13	244	167

मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म पर है।

जी हां। राज्य की मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय मातृ मृत्यु दर से अधिक है। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए किये जा रहे प्रयास परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) भारत सरकार के एस आर एस सर्वे 2009 से 2013 तक के अनुसार राज्य में 5 साल तक के शिशुओं की मृत्यु दर निम्नानुसार है:-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्ष	राजस्थान में 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों की मृत्यु दर	भारत में 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों की मृत्यु दर
2009	74	64
2010	69	59
2011	64	55
2012	59	52
2013	57	49

उक्त अनुसार वर्ष 2013 के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार राज्य में 5 वर्ष तक के शिशुओं की मृत्यु दर (बाल मृत्यु दर) राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर से 8 बिन्दु अधिक है।

(3) विगत दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किये गये उपायों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांदीकुई में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई गयीं सड़कें

255. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा गत 5 वर्षों में कुल कितनी लम्बाई की कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? गत 2 वर्षों में कौन-कौनसी सड़कों के प्रस्ताव दिये गये व कितनी सड़कों का निर्माण करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विगत 5 वर्षों में मंडी विकास निधि योजना के अन्तर्गत कुल 1.00 कि.मी. लम्बाई में 3 सीमेन्ट कंक्रीट सड़कों का निर्माण कराया गया। विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण के कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं, अपितु राज्य सरकार द्वारा कृषि विपणन विभाग हेतु सड़क निर्माण के मानदण्ड परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध हैं।

(कृषि विपणन मंत्री)

कृषि उपज मंडी समिति बांदीकुई से सड़कों के निर्माण हेतु पिछले दो वर्षों में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, अपितु माननीय विधायक महोदया द्वारा सड़कों के निर्माण प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

गत दो वर्षों में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में कराये गये सड़क निर्माण कार्यों का विवरण परिशिष्ट-द पर उपलब्ध है।

(विवरण, प्रति व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में चारा बैंकों की स्थापना

256. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में चारा बैंक की स्थापना करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब व अब तक कितने जिलों में चारा बैंक की स्थापना की गई है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रत्येक जिले में चारा बैंक की स्थापना किये जाने की कोई घोषणा राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। सुराज संकल्प पत्र 2013 अनुसार प्रदेश के प्रत्येक जिले में चारा बैंक की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकार की ओर से किसी भी जिले में वर्तमान में चारा बैंक की स्थापना नहीं की गई है।

फसल बीमा योजना के संचालन के मानदण्ड

257. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में फसल बीमा योजना संचालित है? यदि हां, तो उसके क्या मानदण्ड निर्धारित हैं एवं उक्त राशि किन-किन एजेंसियों द्वारा किसानों को प्रदान की जाती है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के मानदण्डों में कमियों के कारण किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। फसल बीमा योजनाएं भारत सरकार की योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार ही किया जाता है। वर्तमान में राज्य में फसल बीमे की दो योजनाएं यथा मौसम आधारित फसल बीमा (20 जिलों में) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (13 जिलों में) में क्रियान्वित की जा रही है। उक्त फसल बीमा योजनाओं के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

भारत सरकार द्वारा फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिकृत बीमा कम्पनियों, जो राज्य में फसल बीमा योजना का कार्य कर रही हैं, का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। अधिसूचित जोखिम अवधि समाप्ति के पश्चात् अधिकृत बीमा कम्पनियों द्वारा उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार बीमा क्लेम का निर्धारण किया जाता है।

(2) जी नहीं। किसी भी फसल के लिए आदर्श मौसम परिस्थितियां हर वर्ष एक सी नहीं रहती हैं। कभी प्रतिकूल व कभी अनुकूल मौसम रहता है। फसल बीमा योजनाएं जिले की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों एवं विगत वर्षों में रहे परिणाम तथा राजस्थान किसान आयोग की अभिशंसा के अनुरूप जिलों में क्रियान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। फसल मौसमवार बेंचमार्क को अन्तिम रूप दिए जाने से पूर्व जिले के अधिकारियों/कृषि वैज्ञानिकों, आदि के साथ बैठक आयोजित कर बेंचमार्क कृषक हित में संशोधित किये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैविक फसलों के उत्पादन को बढ़ाने की योजना

258. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कृषि उत्पादन में जैविक खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

(2) क्या यह सही है कि देशी जीरा एवं इसबगोल के जैविक विधि के उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी है और उक्त किस्मों का निर्यात किये जाने से राज्य को राजस्व प्राप्ति हो रही है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने एवं उत्पादन

(श्री नारायण सिंह देवल)

बढ़ाने के लिए कोई कारगर कदम उठाये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, परम्परागत कृषि विकास योजना, फार्मर्स फील्ड स्कूल आधारित जैविक खेती प्रदर्शन एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है।

(2) जीरा व इसबगोल के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। जैविक विधि से जीरा एवं इसबगोल उत्पादन के पृथक से आंकड़े संधारित नहीं किये जाते हैं। राज्य में जीरा एवं इसबगोल का क्षेत्रफल व उत्पादन निम्नानुसार है:-

(वर्ष 2014-15

फसल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन (मैट्रिक टन)
जीरा	4,34,783	1,20,828
इसबगोल	3,55,595	1,17,587

जीरा एवं इसबगोल निर्यात से राजस्व प्राप्ति की सूचना उद्यान विभाग स्तर से संधारित नहीं की जाती है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, परम्परागत कृषि विकास योजना, फार्मर्स फील्ड स्कूल आधारित जैविक खेती प्रदर्शन एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। देय अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

कृषि विभाग के माध्यम से :—

1. जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत कृषकों को रु. 8000/- प्रति हेक्टेयर, खरीफ फसल हेतु 2000 रु. व रबी फसल हेतु 3000 रु. तथा शेष 3000 रु. पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जा रहा है। एक कृषक को अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक अनुदान देय है।
2. फार्मर्स फील्ड स्कूल आधारित जैविक खेती प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति प्रदर्शन 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र में, जैविक आदान लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रु. 2000/- जो भी कम हो, अनुदान देय है।

3. परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत राज्य के चयनित कलस्टर क्षेत्र में सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली आधारित परम्परागत कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु कलस्टर निर्माण 200/- रु. प्रति कृषक, एल.आर.पी. प्रशिक्षण 400/- प्रति एल.आर.पी., मृदा नमूना संग्रहण एवं परीक्षण हेतु 190/- रु. प्रति कृषक 3 वर्ष हेतु, रिकार्ड संधारण 100/- प्रति कृषक, एल.आर.पी. द्वारा कलस्टर प्रक्षेत्र निरीक्षण हेतु 400/- प्रति निरीक्षण, प्रमाणीकरण एवं प्रशासनिक व्यय 26150/- प्रति कलस्टर प्रति वर्ष, भूमि का जैविक परिवर्तन हेतु 1000/- प्रति एकड़ प्रति कृषक, फसल पद्धति एवं जैविक बीज हेतु 500/- रुपये प्रति एकड़ प्रति कृषक, परम्परागत जैविक आदान उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु 1500/- रुपये प्रति एकड़ प्रति कृषक, वानस्पतिक काढा इकाई की स्थापना हेतु 1000/- रुपये प्रति एकड़ प्रति कृषक, वर्मीकम्पोस्ट इकाई निर्माण हेतु 5000/- रुपये प्रति इकाई एवं कृषक जैविक खेती कृषक प्रशिक्षण पर 60000/- प्रति कलस्टर आदि हेतु वित्तीय सहायता देय है।

उद्यान विभाग के माध्यम से :—

1. जैविक खेती प्रोत्साहन हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 10000/- प्रति हेक्टेयर प्रति लाभार्थी, जो तीन वर्षों में प्रथम वर्ष 4000/-, दूसरे वर्ष में 3000/- तथा तृतीय वर्ष में 3000/- प्रति हेक्टेयर अनुदान देय है। एक कृषक को अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु अनुदान देय है। यह कार्यक्रम जैविक खेती प्रमाणीकरण से जुड़ा है।
2. जैविक फसल प्रमाणीकरण हेतु 50 हेक्टेयर क्षेत्र के कलस्टर के लिए राशि रुपये 5.00 लाख जो प्रथम व दूसरे वर्ष में राशि रुपये 1.50-1.50 लाख तथा तृतीय वर्ष में 2.00 लाख की सहायता देय है।
3. वर्मीकम्पोस्ट इकाई (पक्का निर्माण) के निर्माण हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 50000/- प्रति इकाई सहायता देय है। (इकाई का आकार 30 फीट x 8 फीट x 2.5 फीट)
4. एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड इकाई के निर्माण हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 8000/- प्रति इकाई सहायता देय है। (इकाई का आकार 12 फीट x 4 फीट x 2 फीट)
5. राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत जीरा फसल हेतु लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 5500 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति लाभार्थी देय है। यह अनुदान सहायता प्रति लाभार्थी 4 हेक्टेयर तक देय है।

फसल बीमा योजना के तहत किसानों को दिया गया मुआवजा

259. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा योजना कब-कब तथा किन-किन जिलों में लागू की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत किस-किस जिले में कितने-कितने किसानों को कितनी राशि का मुआवजा गत चार वर्ष में प्रदान किया गया तथा इससे सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा खरीफ 2010 से रबी 2015-16 तक राज्य के जिन-जिन जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया गया, उसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) मौसम आधारित फसल बीमा योजना का विगत चार वर्षों में जिन-जिन जिलों में क्रियान्वयन किया गया, उन जिलों के बीमित कृषकों की संख्या, कृषकों से प्राप्त प्रीमियम राशि, राज्यांश/केन्द्रीयांश की राशि एवं लाभान्वित कृषकों की संख्या तथा पात्र बीमित कृषकों को दिए गए मुआवजे (बीमा क्लेम) का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कैथून (कोटा) में फैसिलिटी सेंटर को पुनः चालू करने की योजना

260. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा कोटा जिले के कैथून कस्बे को स्टेट हैंडलूम जोन घोषित किया गया है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा अब तक कितने बुनकरों को कोटा डोरिया उद्योग का प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं इसके उत्थान के लिए अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कोटा डोरिया उद्योग के प्रशिक्षण के लिए कैथून, जिला कोटा में निर्मित फैसिलिटी सेंटर वर्तमान में बंद पड़ा हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त फैसिलिटी सेंटर को पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) 'रुडा' द्वारा अब तक 611 बुनकरों को कोटा डोरिया उद्योग का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कलस्टर विकास कार्यक्रम वर्ष 2005-06 से 2009-2010 तक बुनकरों के विकास हेतु कौशल उन्नयन, डिजाइन विकास कार्यक्रम, एक्सपोजर विजिट, जी आई रजिस्ट्रेशन, बायर-सेलर मीट आयोजित करवाये जा चुके हैं। राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय मेलों में भाग दिलवाया गया है तथा फैशन शो आदि आयोजित किये जा चुके है। बजट घोषणा 206 अन्तर्गत कोटा डोरिया बुनकरों के विकास हेतु 3-वर्षीय कोटा डोरिया कलस्टर हाड़ौती क्षेत्र में संचालित की जा रही है, जिसमें चयनित 500 कोटा डोरिया बुनकरों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

(3) कैथून में दिनांक 27.07.2014 व 07.08.2014 को अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आ जाने से सी एफ सी की मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। सुविधा केन्द्र स्थित वारपिंग मशीन, प्रिन्टिंग खाता तथा हैण्डलूम को रिपेयर करवा दिया गया है तथा ताना मशीन, छपाई खाता, हैण्डलूम कार्यरत हैं, जिन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये गये हैं। साथ ही ताना व तानी बनाने तथा हैण्डब्लाक प्रिन्टिंग का 45-दिवसीय कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डाईंग मशीन्स, कलेण्डरिंग मशीन, वाइडिंग मशीन व टैस्टिंग मशीन के रिपेयर कार्य हेतु निर्माता कम्पनी को कार्य-आदेश दिये जा चुके हैं।

(4) सामान्य सुविधा केन्द्र स्थित वारपिंग मशीन प्रिन्टिंग खाता तथा हैण्डलूम को 'रूडा' द्वारा रिपेयर करवा दिया गया है तथा सुविधा केन्द्र पर इनसे सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। डाईंग मशीन्स, कलेण्डरिंग मशीन, वाइडिंग मशीन, हाइड्रोएक्सट्रेकटर की मशीनों के रिपेयर का कार्य चल रहा है व टैस्टिंग मशीन के रिपेयर का कार्य हेतु निर्माता कम्पनी को कार्य-आदेश दिये जा चुके हैं। सामान्य सुविधा केन्द्र को पूर्ण रूप से शीघ्र चालू किया जावेगा।

श्रीमाधोपुर (सीकर) के खेल स्टेडियम में मूलभूत सुविधाएं

261. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में किन-किन उपखण्ड मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम हैं तथा सरकार द्वारा उक्त स्टेडियमों में क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

किन-किन सुविधाओं का किन कारणों से अभाव है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्रीमाधोपुर में निर्मित खेल स्टेडियम में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण खिलाड़ियों को स्टेडियम का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा सीकर जिले के उपखण्ड मुख्यालय श्रीमाधोपुर पर खेल स्टेडियम निर्माण हेतु निम्नानुसार राशि स्वीकृति की गई है:-

क्र.सं.	स्वीकृति का पत्रांक एवं दिनांक	कार्यकारी ऐजेन्सी	राशि
1	प. 10(5) खेल/2011 दिनांक 26.08.2011	पी डब्ल्यू डी	50.00 लाख
2	प. 10(7) खेल/2011 दिनांक 31.03.2012	पी डब्ल्यू डी	50.00 लाख
	योग		**100.00 लाख**

उपरोक्त स्वीकृतियों से श्रीमाधोपुर उपखण्ड मुख्यालय पर निम्नलिखित निर्माण कार्य किये गये हैं:-

क्र.सं.	निर्मित खेल मैदान	संख्या
1	200 मीटर एथलेटिक ट्रैक	01
2	आफिस ब्लाक के दोनों ओर बैठने की सीढ़ियां	02
3	आफिस ब्लाक मय टायलेट एवं चेंज रूम	01
4	बाउंड्री के गेट पर लोहे का दरवाजा	01
5	बैठने की सीढ़ियां	02
6	बास्केटबाल कोर्ट	01
7	टेनिस कोर्ट	01

युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा समन्वित स्टेडियम (खेल आधारभूत) विकास कार्यक्रम 2015 चलाया गया है जिसमें उल्लिखित

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

प्रावधानानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्टेडियम निर्माण सम्बन्धित आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अमल में लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी नहीं। बिन्दु संख्या 1 में उल्लिखित राशि रुपये 100.00 लाख की स्वीकृति से श्रीमाधोपुर में खेल सुविधाओं का विकास किया गया है। इस राशि से निर्मित खेल संरचनाओं की सुविधाएं खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने हेतु क्रीड़ा परिषद के पत्रांक 893 दिनांक 07.12.2015 के द्वारा सीकर खेल अधिकारी को निर्मित खेल संरचनाओं के हस्तांतरण हेतु लिखा जा चुका है।

प्रदेश में स्थापित उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार

262. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण रहता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में स्थापित उद्योगों में स्थानीय युवाओं को कितने प्रतिशत रोजगार देने का प्रावधान है?

(3) क्या सरकार प्रदेश में स्थापित उद्योगों में स्थानीय युवाओं को ही अधिकतम रोजगार देने का नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजस्थान में स्थापित उद्योगों पर उद्यमी का ही नियंत्रण होता है। उद्योगों पर विभाग का नियंत्रण नहीं होता है, वरन् उद्योग विभाग उद्योगों को सहायता एवं सुविधाएं सुलभ कराता है।

(2) उद्यमी अपने उद्योगों में वांछनीय दक्षता के आधार पर युवाओं को नियोजित करता है। राज्य में स्थापित उद्योगों में राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने सम्बन्धी कोई वैधानिक प्रावधान नहीं हैं।

(3) राज्य में स्थापित उद्योगों में अधिकतम स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के सम्बन्ध में कोई नियम बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जावदा (बेगूं) को उप तहसील बनाने की योजना

263. **श्री सुरेश धाकड** (बेगूं) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बेगूं के कस्बों जावदा (नीमड़ी) में उप तहसील कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जावदा (नीमड़ी) में उप तहसील खोले जाने के प्रस्ताव में अधिकतम 7 पटवार मण्डल सम्मिलित किये जा सकते हैं, जो उप तहसील गठन हेतु निर्धारित मापदण्ड (15 पटवार मण्डल) के अनुरूप नहीं होने के कारण जावदा (नीमड़ी) में उप तहसील कार्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है।

जमवारामगढ़ में राजस्व कर्मियों के रिक्त पद

264. **श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में राजस्व निरीक्षक, गिरदावर, अमीन एवं पटवारी के कितने-कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं एवं इनमें से कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में राजस्व निरीक्षक (गिरदावर), अमीन व पटवारी के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. स.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त	कब से रिक्त है
1	राजस्व निरीक्षक/ गिरदावर	15	7	1. अति. आ. का. आंधी पद का पद जनवरी 2015 से

(राजस्व राज्य मंत्री)

क्र. स.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त	कब से रिक्त है
				2. भू.अ.नि. वृत्त आंधी, भानपुराकलां, नीमला, गठवाडी, खवारानीजी नवसृजित हुये हैं। 3. भू.अ.नि. वृत्त जमवारामगढ़ मई 2015 से सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हैं।
2	पटवारी	49	28	रिक्त पदों की सूची **परिशिष्ट-अ** पर संलग्न हैं।
3	अमीन	शून्य	शून्य	-

(2) जी हां। राज्य के राजस्व जिलों में पटवारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु 4,400 पदों की स्वीकृति जारी की जाकर राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा प्रथम चरण की परीक्षा दिनांक 13.02.2016 को आयोजित की जा चुकी है, जिसका परिणाम आना शेष है। उत्तीर्ण अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापन हेतु जिला कलक्टरों को पटवारियों का आवंटन कर दिया जावेगा।

भू0अ0निरीक्षक के रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हेतु सम्भागीय आयुक्त, जयपुर को निर्देशित किया गया हैं।

परिशिष्ट-अ

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

तहसील जमवारामगढ़ के पटवारियों के रिक्त पदों की सूचना

क्र. सं	पटवार वृत का नाम	कब से रिक्त है
1	**2**	**3**
1.	गांवली	01.01.2013
2.	बहलोड	31.07.2013
3.	रायसर	23.09.2013
4.	महंगी	20.08.2014

1	2	3
5.	थोलाई	21.10.2014
6.	भावनी	21.10.2014
7.	सामरेड कलां	21.10.2014
8.	माथासूला	21.10.2014
9.	डांगरवाड़ा	21.10.2014
10.	खरकड़ा	21.10.2014
11.	लांगड़ियावास	21.10.2014
12.	चांवडिया	21.10.2014
13.	जयचन्दपुरा	21.10.2014
14.	बासना	21.10.2014
15.	थली	31.05.2015
16.	राम्यावाला	01.07.2015
17.	नटाटा	26.02.2016
18.	नेवर	26.02.2016
19.	सानकोटडा	26.02.2016
20.	इन्द्रगढ़	26.02.2016
21.	ताला	26.02.2016
22.	लालवास	26.02.2016
23.	खवारानीजी	26.02.2016
24.	नीमला	26.02.2016
25.	धर्मपुरा	26.02.2016
26.	रूपवास	26.02.2016
27.	बिलोद	26.02.2016
28.	रिसोर्स पर्सन	26.02.2016

जिला कलक्टर
जयपुर

भीलवाड़ा जिले में धर्मादा ट्रस्टों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

265. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनेक धर्मादा ट्रस्ट देवस्थान के अधीन पंजीकृत हैं? यदि हां, तो भीलवाड़ा जिले में कुल कितने धर्मादा ट्रस्ट कब से पंजीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भीलवाड़ा के धर्मादा ट्रस्टों की गतिविधियों के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में किस-किस ट्रस्ट के विरुद्ध कब-कब व क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं? प्राप्त शिकायतों में से किस-किस शिकायत का निस्तारण किया गया व वर्तमान में किस-किस ट्रस्ट की कितनी शिकायतें विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) भीलवाड़ा जिले के जिन-जिन ट्रस्टों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनका गत 5 वर्षों के आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त ट्रस्टों द्वारा अनियमितताएं करने पर उनके विरुद्ध नियमों में क्या-क्या कार्यवाही करने के प्रावधान हैं? भीलवाड़ा जिले में किस-किस ट्रस्ट के विरुद्ध सरकार द्वारा गत 5 वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के अनेक सार्वजनिक प्रन्यास देवस्थान विभाग के अधीन पंजीकृत हैं। भीलवाड़ा जिले में दिनांक 22.01.1963 से 29.02.2016 तक कुल 143 सार्वजनिक प्रन्यास पंजीकृत हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। भीलवाड़ा के सार्वजनिक प्रन्यासों की गतिविधियों के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। गत 5 वर्षों में निम्न शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतें परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध हैं।

क्र सं	प्राप्त शिकायत मय अवधि	निस्तारण
1	सार्वजनिक संपत्ति ट्रस्ट, भीलवाड़ा-फरवरी 2011 से मई 2011	शिकायत के आधार पर रा.सार्व.प्र.अधि. 1959 की धारा 38 में प्रकरण संख्या 20/भीलवाड़ा/2011 दर्ज किया गया । वर्तमान में पत्रावली बयान अप्रार्थी हेतु दिनांक 10.05.16 नियत है ।

(देवस्थान राज्य मंत्री)

क्र सं	प्राप्त शिकायत मय अवधि	निस्तारण
2	श्री बंक्यारानी मातेश्वरी प्रन्यास, माताजी का खेड़ा, पंचायत आमेसर, तह. आसीन्द-जुलाई 2011 से दिसम्बर 2012	शिकायतों की दिनांक 20.06.2012 को जांच कर ट्रस्ट को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये एवं वर्तमान में इस मंदिर के दान पात्रों को विभाग द्वारा सील किया जाकर इन दान पात्रों से जो राशि प्राप्त होती है, उसे प्रधान कार्यालय में विभागीय मुआवजा निजी निक्षेप खाता संख्या 5644 में जमा किया जाता है ।
3	श्री दिगम्बर जैन मंदिर, गुलाबपुरा-सितम्बर 2011 से दिसम्बर 2011	शिकायतों के आधार पर रा.सार्व.प्र.अधि. 1959 की धारा 38 में प्रकरण संख्या 55/भीलवाड़ा/2012 दर्ज किया गया। पत्रावली वास्ते जिरह प्रार्थी दिनांक 05.04.2016 नियत है।
4	श्री पूरणदासजी की बगीची ट्रस्ट, भीलवाड़ा-अगस्त 2012 से अक्टूबर 2012	उक्त प्रन्यास राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक प्रन्यास है । प्रन्यास के सम्बन्ध में शिकायत होने पर पीडित पक्ष द्वारा प्रकरण दर्ज करवाये जाने पर राज. सार्व. प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 38 के तहत कार्यवाही की जाती है जो एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है, परन्तु प्रकरण में किसी की ओर से इस धारा के अन्तर्गत परिवाद दर्ज नहीं करवाया गया ।

(देवस्थान राज्य मंत्री)

क्र सं	प्राप्त शिकायत मय अवधि	निस्तारण
5	चैमुखा महादेव, लादूवास-04.07.2014	उक्त प्रन्यास राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक प्रन्यास है। प्रन्यास के सम्बन्ध में शिकायत होने पर पीड़ित पक्ष द्वारा प्रकरण दर्ज कराये जाने पर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 38 के तहत कार्यवाही की जाती है, जो एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है, परन्तु प्रकरण में किसी की ओर से इस धारा के अन्तर्गत परिवाद दर्ज नहीं करवाया गया।
6	बजरंग मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट, भीलवाड़ा-15.07.14 19.08.15	पत्र क्रमांक 800 दिनांक 15.07.2014 को निरीक्षक को जांच हेतु लिखा गया एवं जांच के आधार पर रा.सार्व.प्र.अधि. 1959 की धारा 38 में प्रकरण संख्या 06/भीलवाड़ा/2015 दर्ज किया गया। वर्तमान में पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थी दिनांक 10.05.2016 नियत है ।
7	देवनारायण मंदिर ट्रस्ट, मालासेरी, तह. आसीन्द-15.09.2014	जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा के स्थाई कमेटी गठन बाबत दिये गये निर्देशानुसार प्रन्यास का पंजीयन दिनांक 20.09.2014 को किया गया ।
8	महाराणा कुम्भा ट्रस्ट, भीलवाड़ा-अगस्त 2015	उक्त प्रन्यास राज.सार्व.प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक प्रन्यास है । प्रन्यास के सम्बन्ध में शिकायत के आधार पर धारा 38 की जांच विचाराधीन है ।

(देवस्थान राज्य मंत्री)

क्र.सं.	प्राप्त शिकायत मय अवधि	निस्तारण
9	श्री नीलकण्ठ महादेव मंदिर ट्रस्ट, माण्डल-दिसम्बर 2015	उक्त प्रन्यास राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक प्रन्यास है। प्रन्यास के सम्बन्ध में शिकायत के आधार पर धारा 38 की जांच विचाराधीन है।
10	हरिणी महादेव मंदिर, भीलवाड़ा-दिसम्बर 2015	उक्त प्रन्यास राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक प्रन्यास है। प्रन्यास के सम्बन्ध में शिकायत के आधार पर धारा 38 की जांच विचाराधीन है।

(3) शिकायतें प्राप्त ट्रस्टों के कार्यालय में उपलब्ध विगत 5 वर्षों की आय-व्यय का विवरण निम्नानुसार प्रन्यासों के संबंध में परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है :-

क्र. सं.	नाम प्रन्यास	आय-व्यय का मानचित्र वर्ष
1	श्री बंक्यारानी मातेश्वरी प्रन्यास, माताजी का खेड़ा, पंचायत आमेसर, तह. आसीन्द	2010-11
2	चैमुखा महोदव, लादूवास	2012-13
3	बजरंग मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट, भीलवाड़ा	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
4	हरिणी महादेव मंदिर, भीलवाड़ा	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

(देवस्थान राज्य मंत्री)

प्रश्न के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार -

क्रम संख्या 1 से 4 के प्रन्यासों को दिनांक 04.03.2016 एवं शेष क्रम संख्या 5, 7, 8, 9 व 10 को दिनांक 08.03.2016 को नोटिस जारी किये गये।

(4) अनियमितताओं के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 38 के तहत सहायक आयुक्त द्वारा प्रकरण दर्ज कर बाद-जांच शिकायत की पुष्टि होने पर आवेदन/शिकायत प्रस्तुतकर्ता को न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं अथवा सहायक आयुक्त स्वयं इस प्रयोजनार्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त शिकायतों पर प्रश्न के क्र.सं. 2 में अंकित अनुसार कार्यवाही की गयी है।

(सूची व प्रतियां में रखी गयीं)

प्रदेश में नई उप तहसील खोलने के मानदण्ड

266. श्री बंशीधर (खण्डेला) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में उप तहसील खोलने के क्या नियम एवं मानदण्ड निर्धारित हैं? नियमों एवं मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में जनवरी, 2011 से जनवरी, 2016 तक कितनी नई उप तहसीलें कहां-कहां पर खोली गईं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सीकर जिले के रींगस में नई उप तहसील खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15 सन्, 1956) की धारा 15 एवं 16 के अन्तर्गत उप तहसील गठन के सम्बन्ध में शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं।

नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर तथा निर्धारित मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जनवरी, 2011 से जनवरी, 2016 तक राज्य में 138 नई उप तहसीलें खोली गईं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(राजस्व राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं। जिला सीकर की तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कस्बा रींगस में उप तहसील खोले जाने के प्रस्ताव में भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार 3 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत के 13 पटवार मण्डल सम्मिलित किये जा सकते हैं, जो उप तहसील गठन हेतु निर्धारित मापदण्ड (15 पटवार मण्डल) के अनुरूप नहीं होने के कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रींगस में उप तहसील कार्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सामूहिक विवाह के आयोजनों में दी जाने वाली अनुदान राशि

267. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में सामूहिक विवाहों के आयोजनों में अनुदान देने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(2) वर्ष 2014-15 में प्रदेश में कहां-कहां सामूहिक विवाह सम्मेलनों में सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम 2009 के अन्तर्गत सामूहिक विवाहों के आयोजनों में अनुदान देने के प्रावधान किये गये हैं। उक्त प्रावधानों में अनुदान देने के मापदण्ड परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। सरकार द्वारा सामूहिक विवाहों के आयोजनों में अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2014-15 में प्रदेश में सामूहिक विवाह सम्मेलनों में सरकार द्वारा कुल राशि रुपये 3,96,59,500 दी गई। राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रेवदर के भवनविहिन आंगनबाड़ी केन्द्र

268. श्री जगसी राम (रेवदर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां कब से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगसी राम)

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर में तीन बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: रेवदर, आबूरोड एवं आबूरोड-शहरी संचालित हैं, जिनमें परियोजना रेवदर के 163, आबूरोड के 87 एवं आबूरोड शहरी के 31, कुल 281 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रेवदर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति निम्नानुसार है :-

विधानसभा क्षेत्र रेवदर के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाएं	विभागीय भवन में संचालित	विद्यालय में संचालित	किराये में संचालित	नि:शुल्क/ सामुदायिक	अधूरा	कुल
आबूरोड	49	9	21	7	1	87
आबूरोड शहरी	1	-	30	-	-	31
रेवदर	112	7	38	6	-	163
कुल	162	16	89	13	1	281

आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण **परिशिष्ट-अ** में ही समाहित है।

(3) जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महिला एवं बाल विकास विभाग में अधिकारी व कर्मचारियों के रिक्त पद

269. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत 5 वर्षों में जिला उप निदेशक परियोजना कार्यालयों में जिला उप निदेशक कार्यक्रम अधिकारियों एवं कार्मिकों की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो कितने व वर्तमान में कितने उपनिदेशक कार्यक्रम अधिकारियों एवं कार्मिकों के पद रिक्त हैं? परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रिक्त पदों के कारण विभाग के कार्यक्रम सुचारु रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं में विगत 5 वर्षों में जिला उप निदेशक कार्यालय एवं अधीनस्थ परियोजनाओं में दी गयी नियुक्तिओं की सूचना परिशिष्ट-अ पर, जिला स्तर पर रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-ब पर एवं परियोजना स्तर पर रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत महिला अधिकारिता विभाग में परियोजना कार्यालय सृजित नहीं हैं। जिला स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी का कार्यालय सृजित है, जिसमें विगत 5 वर्षों में जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं कार्मिकों की दी गयी नियुक्तियों की सूचना परिशिष्ट द पर एवं रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(2) महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं में रिक्त पदों का यथासम्भव अतिरिक्त कार्यभार समकक्ष अधिकारियों को दिया जाकर कार्य करवाया जाता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत महिला अधिकारिता विभाग में रिक्त पदों के कारण विभाग के कार्यक्रमों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए कार्मिक (कार्मिक-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.05.2014 के द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों को नियमित कार्मिक नियुक्त होने तक संविदा पर नियुक्त किये जाने का प्रावधान है, व तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

(3) जी हां। महिला एवं बाल विकास विभाग के पदों को भरने की कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-र पर संलग्न है।

(सूचनाएं व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नवलगढ़ में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव

270. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां स्वीकृत हैं और उनमें से कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में किस-किस प्रकार के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से किस-किस प्रकार के कितने पद रिक्त हैं? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग झुंझुनूं से विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ की मांग पर आधारित आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु प्राप्त प्रस्तावों को निदेशालय के पत्र क्रमांक 7291 दिनांक 28 जनवरी, 2013 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया था? क्या भारत सरकार से उक्त प्रस्तावों के आधार पर नये क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त विधानसभा क्षेत्र के लिये प्रेषित प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पुन: पत्राचार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में दो बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। परियोजना नवलगढ़ के अन्तर्गत 202 आंगनबाड़ी तथा 2 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र व परियोजना झुन्झुनूं के अन्तर्गत 21 आंगनबाड़ी केन्द्र कुल 225 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के अन्तर्गत 223 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 2 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। प्रत्येक मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र पर 1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 1 सहायिका एवं 1 आशा सहयोगिनी के पद स्वीकृत है। मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर 1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद स्वीकृत है।

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 225 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 223 सहायिका एवं 223 आशा सहयोगिनी के पद स्वीकृत हैं। उक्त स्वीकृत पदों में से 3 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के, 25 सहायिका एवं 5 पद आशा सहयोगिनी के रिक्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य के सभी जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को निदेशालय के पत्रांक 7291 दिनांक 28.01.2013 द्वारा भारत सरकार को 1,016 प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये थे, जिनमें से भारत सरकार द्वारा 891 केन्द्रों की संख्या स्वीकृत की गई है। भारत सरकार द्वारा उक्त पत्र में जनसंख्या के निर्धारित नामर्स के अनुसार एवं आंगनबाड़ी केन्द्र की आवश्यकता का पुनः परीक्षण कर ही केन्द्र खोले जाने सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं, जिसके तहत पुनः परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति में पुन: परीक्षण में पात्रता रखने वाले केन्द्रों की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की जाएगी। अत: भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल 891 केन्द्रों के सम्बन्ध में पुन: भारत सरकार से पत्राचार की आवश्यकता नहीं है। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट- स पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

कुशलगढ़ की अन्तरराज्यीय सड़कों का निर्माण

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ, बांसवाड़ा जिले के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है तथा एक तरफ गुजरात व दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है। कुशलगढ़ क्षेत्र में पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 वर्ष तक सड़कों के नाम से एक भी सड़क नहीं बनाई तथा न कोई पैचवर्क ही नहीं किया। जब हमारी सरकार दो वर्ष पूर्व बनी, तब कुशलगढ़ क्षेत्र में डामर की 850 किलोमीटर सड़कें थीं परन्तु 8 किलोमीटर भी सड़क चलने योग्य नहीं थी। मैं हमारी सरकार की मुख्य मंत्री तथा सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले 2 वर्षों में कुशलगढ़ क्षेत्र में 150 किमी. सड़कों का रिन्यूअल एवं नान-पैचेबल सड़कों को स्वीकृत करवाकर कार्य प्रारम्भ करवाया गया है तथा क्षेत्र में गौरव पथ एवं मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृति जारी कर कार्य प्रगति पर है। परन्तु पिछली कांग्रेस सरकार की लापरवाही के कारण कई सड़कें कागजों में बनाई गई हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एक-दूसरे स्टेट को जोड़ने वाली सड़कें समय रहते यथा शीघ्र स्वीकृत करवाना बहुत अति आवश्यक होंगी, जो निम्न सड़कें हैं:-

कुशलगढ़ से थांदला, मध्य प्रदेश सीमा तक, मात्र 3.500, मय पुलिया निर्माण;

कुशलगढ़ से बाजना वाया छोटी सरवा, 20 किमी;

भोयन घाटी से टिमेडा बडा 10 किमी;

कुशलगढ़ से गामदा, 10 किमी;

नाल पाड़ा से कसारवाडी, 7 किमी;

सज्जनगढ़ से तांबेसरा, 7 किमी;

नेशनल हाइवे 113 से जीवा खुटा, 7 किमी;

बावलीया पाडा से करन घाटी, 5 किमी;

छोटी सरवा से चोखवाड़ा मिर्च घाटी, 8 किमी;

सबलपुरा रोड, 5 किमी;

घाट रोड से काकनीया, 5 किमी;

मुंदड़ी से सूरजकुण्ड, 5 किमी;

धोलका नाई से मध्य प्रदेश सीमा तक, 3 किमी;

खेटा बारी से उकाला, 4 किमी;

ठूमट मैन सड़क से वागोल मंदिर तक, 3 किमी;

आमलीपाड़ा बाइपास, 2 किमी; एवं

पोटलिया बाइपास, 2 किमी।

उपरोक्त सड़कें नान पैचेबल श्रेणी में हो चुकी हैं।

अतः मंत्री महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त सड़कों का विभाग द्वारा प्रस्ताव मंगवाकर व यथा शीघ्र स्वीकृत कराकर आम जनता को राहत पहुंचाने का कष्ट करें।

भीमा भाई

(कुशलगढ़)

कालीबंगा ग्राम (पीलीबंगा) को हेरिटेज शहर बनाया जाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कालीबंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में एक गांव है जो कि कालीबंगा सिन्धु घांटी का हिस्सा था। यहां पर हुई खुदाई में सिन्धु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से भी प्राचीन संस्कृति के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इनमें मानव की ओर से करीब पांच हजार वर्ष पूर्व की गई प्रगति शामिल है। यह क्षेत्र कृषि, नगर निर्माण कौशल, दुर्गा निर्माण, आदि क्षेत्रों में हजारों साल पहले ही खूब उन्नति कर चुका था। कालीबंगा संग्रहालय में पुरातत्व अवशेष संजोकर रखे गये हैं। यहां पर देशी-विदेशी पर्यटक समय-समय पर आते रहते हैं। यहां पर आने-जाने, ठहरने, खाने-पीने, इत्यादि के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में नगर पालिका मण्डल एवं वहां के लोग बार-बार इसका विकास करवाने हेतु राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करती हूं कि कालीबंगा को हेरिटेज सिटी बनाने का श्रम करें।

द्रोपती

(पीलीबंगा)

फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर राज्य सेवा में चयन

उपरोक्त विषय में मैं सदन के माध्यम से बड़े ही गंभीर प्रकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह सुस्थापित नियम है कि जाति प्रमाण पत्र का निर्धारण पति की जाति से नहीं होकर, पिता की जाति से होता है और ओ बी सी के मामलों में राज्यमें बाहर से माइग्रेट होरक आने वाले अभ्यर्थी, चाहे वह विवाह कर प्रदेश में आये, या किसी अन्य तरीके से, उन्हें राज्य में ओ बी सी वर्ग का लाभ नहीं मिलता है। जबकि राजस्थान राज्य में बाहरी राज्यों से माइग्रेट होकर आने वाले व्यक्ति, फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरियां हासिल कर राज्य के आरक्षित वर्ग के युवा बेरोजगारों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं।

ऐसा ही एक प्रकरण प्रकाश में लाना चाहता हूं। पंजाब राज्य, ग्राम धर्मपुरा, तहसील फाजिल्का, जिला फिरोजपुर के मूल निवासी श्री रामस्वरूप, जो कि हरियाणा राज्य के एच एस ई बी (विद्युत विभाग) में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता की पुत्रियों, जो कि राज्य में शादी कर माइग्रेट हुई हैं, में से एक ने अपने पिता को अपने पति के सथ ग्राम मजल, तहसील सिवाना, जिला बाड़मेर रहवासी बताकर, 20-4-2005 को तहसीलदार सिवाना से झूठे आवेदन एवं शपथपत्रों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, पहले अध्यापिका, तत्पश्चात राजस्थान प्रशासनिक सेवा की नौकरी में आवेदन कर आर ए एस की नौकरी हासिल की। वहीं उक्त कनिष्ठ अभियंता की दूसरी पुत्री अल्का रानी ने दिनांक 9-3-2005 को अपने पिता को ग्राम सांगरिया, जिला हनुमानगढ़ का रहवासी बताकर झूठे तथ्य शपथपत्रों के आधार पर ओ बी सी कोटे में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), जिला परिषद हनुमानगढ़ में 11-3-2005 को अध्यापिका के पद पर नौकरी हासिल कर ली है। उक्त कनिष्ठ अभियंता के पुत्र हितेश ने अपने पिता को पंजाब कामूल निवासी बताकर हरियाणा में नौकरी हासिल कर रखी है।

उक्त प्रकरण में आर टी आई कार्यकर्ता श्री गजेन्द्र सिंह ने ए सी बी, पाली में प्रकरण दर्ज कराया, जो बाद जांच पी-(78/2015) में परिवर्तित होकर दर्ज व जांच जारी है, जसमें हाल कोटडी, जिला भीलवाड़ा के उपखंड अधिकारी पर झूठे आवेदन एवं शपथपत्रों के आधार पर फर्जी ओ बी सी प्रमाण पत्र बना कर पहले अध्यापिका तथा बाद में आर ए एस परीक्षा में ओ बी सी कोटे में आवेदन करके आपराधिक दृष्कृत्य किया है।

इस प्रकार उक्त पंजाब निवासी पिता की तीनों संतानों ने अपने-अपने नीतित स्वार्थों के चलते उन्हें पृथक स्थलों का मूल निवासी होना बताकर ओ बी सी कोटे में नौकरियां हासिल कर रखी हैं। उक्त आर ए एस अधिकारी के खिलाफ विभागीय एवं ए सी बी में पी ई दर्ज होकर जांच जारी है। आरोपित उपखण्ड अधिकारी ने सिवाणा पदस्थापन के दौरान अपने पिता का नाम बिना एन ओ सी के अपने राशन कार्ड में जुड़ाने हेतु ग्राम पंचायत मजल के सचिव पर भी अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास किया था। इस प्रकार प्रथम दृष्टया आपराधिक कृत्य किया जाना प्रमाणति होते हुए भी, उक्त अधिकारी अपनी पदीय स्थिति, प्रभाव एवं सम्पर्कों का लाभ उठा कर उक्त प्रकरण में निष्पक्ष जांच नहीं होने दे रही है, क्योंकि उक्त प्रकरण में जो कुछ उठा कर उक्त प्रकरण में निष्पक्ष जांच नहीं होने दे रही है, क्योंकि उक्त प्रकरण में जो कुछ भी जांचें हुई हैं, वे आरोपित अधिकारी के समकक्ष आर ए एस अथवा अधीनस्थ स्तरीय अधिकारियों द्वारा की गई हैं, जो विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के सर्वथा प्रतिकूल हैं।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध है कि राजस्थान सरकार में सेवारत उक्त आर ए एस अधिकारी को तत्काल ए पी ओ किया जावें तथा सम्पूर्ण प्रकरण की वरिष्ठ कैडर के अधिकारी से जांच कराई जाकर राज्य के आरक्षित वर्ग के हितों को सुरक्षित रखा जावें।

धीरज गुर्जर

(जहाजपुर)

हरसौली में पुलिस थाना तथा बीबीरानी, जोड़िया व मोठूका (किशनगढ़ बास) में स्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में हरसौली में पुलिस थाना एवं बीबीरानी, जोड़िया व मोठूका में स्थाई पुलिस चौकी खोलना अतिआवश्यक है। विधान सभा क्षेत्र किशगनढ़ बास हरियाणा राज्य की सीमा से जुडा हुआ है। उप खण्ड क्षेत्र कोटकासिम व किशनगढ़ बास काफी बडा होने के चलते पुलिस थाना कोटकासिम, किशनगढ़ बास एवं खैरथल का क्षेत्र भी बडा है, जिसके कारण क्षेत्र में गौ-तस्करी, लूटपाट, चोरी, अवैध शराब एवं अवैध खनन कर हरियाणा राज्य में हजारों की संख्या में डम्परों का अवैध रूप से आवागमन होता है।

उप तहसील मुख्यालय हरसौली में रेलवे स्टेशन एवं विधान सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है, इसकी आबादी लगभग 12,000 है। यहां पर अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित है। कस्बा बीबीरानी, जोड़िया व मोठूका में स्थाई पुलिस चौकी का होना अनिवार्य है। क्षेत्र में गौ-तस्करी एवं अवैध खनन में लगे डम्परों का मुख्य मार्ग बीबीरानी, जोड़िया हरसौली एवं मोठूका है, जो मेवात क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। यहां के स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन कर कस्बा बीबीरानी, जोड़िया व माठूका में स्थाई पुलिस चौकियां और हरसौली में पुलिस थाना खोलने की मांग की जाती रही है।

बीबीरानी कस्बा शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। बीबीरानी कस्बे में राजकीय महाविद्यालय एवं उक्त क्षेत्र में राजकीय व काफी अधिक संख्या में निजी विद्यालय एवं बी एड कालेज भी संचालित हैं, जिससे लगभग 15,000 छात्र-छात्राओं का अध्ययन के लिए आवागमन रहता है।

अत: मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि हरसौली में पुलिस थाना और बीबीरानी, जोड़िया व मोठूका में स्थाई पुलिस चौकियां खोली जावें, जिससे कि उक्त ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली घटना-दुर्घटनाओं की रोकथाम हो और गौतस्करी एवं अवैध खनन में लगे डम्परों पर अंकुश लग सके।

रामहेत सिंह यादव

(किशनगढ़ बास)

सवाई माधोपुर में पेयजल योजना की शीघ्र स्वीकृति

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में पानी की सुचारु व्यवस्था के लिए बनास नदी से लिंक कनेक्शन देते हुए सवाई माधोपुर को पानी उपलब्ध कराने के लिए सदन को अवगत कराना चाहती हूं।

महोदय, शहरी क्षेत्र सवाई माधोपुर वर्तमान में भू-जल पर निर्भर है। पिछले सालों में बारिश कम होने और गिरते भू-जल स्तर के कारण सवाई माधोपुर के पेयजल के साधन hand pump, single phase boring, 3-phase boring सूखने की स्थिति में आ गये हैं। आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए यहां पेयजल की समस्या उत्पन्न होगी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सवाई माधोपुर शहर की पेयजल आवश्यकता 135 LPCD है जिसमें से 100 LPCD पेयजल की आपूर्ति चम्बल-मण्डरायल-नादौती-सवाई माधोपुर परियोजना से होनी है जिसका काम पिछले

10 साल से बन्द पड़ा है और शेष 35 LPCD पानी के लिए विभाग के पास कोई भी योजना नहीं है।

महोदय, सवाई माधोपुर में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य भी चल रहा है, जिसके कारण भी पानी की आवश्यकता रहेगी, किन्तु पर्याप्त पानी के अभाव में सीवरेज लाइन डालने के कार्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। Ground Water Department द्वारा बनास नदी पर जांच की गई और वहां पर उचित मात्रा में पानी होना बताया गया है। यह परियोजना 18.21 crore की है जो सवाई माधोपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित बनास नदी पर 3 Open wells बनाकर Transport Nagar में बने हुए tank में 350 MM की D.I. pipeline बिछाकर पानी लाने की योजना है। यह योजना विभागीय अधिकारियों के अनुसार स्वीकृति योग्य है, साथ ही सवाई माधोपुर को पानी की आपूर्ति के लिए अति आवश्यक भी है।

अत, महोदय, मैं मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगी कि सवाई माधोपुर की पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस योजना को जल्द स्वीकृति प्रदान कर क्षेत्र की जनता को अनुग्रहीत करें।

राजकुमारी दियाकुमारी
(सवाई माधोपुर)

ए एन एम, 2013 में चयन से वंचित NRHM संविदा कर्मियों के पदों में वृद्धि

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हाल ही में हुई नर्स-ग्रेड द्वितीय एवं ए.एन.एम. की नियुक्ति में पदों की संख्या 15,773 नर्स-ग्रेड द्वितीय, 12,278 ए.एन.एम. थी, जिनमें से नर्स-ग्रेड द्वितीय के 11,028 व ए.एन.एम. के 5,335 पदों पर ही वित्तीय स्वीकृति होने के कारण नियुक्ति हो पाई। इससे प्रदेश में लगभग 9 से 15 वर्षों से अल्प वेतन पर दुर्लभ एवं जटिल परिस्थितियों में संविदा पर सेवा दे रहे हजारों नर्सेज नियमित नियुक्ति से वंचित रह गये हैं, जिनमें से अधिकांश निर्धारित आयु सीमा को पार करने के कगार पर हैं, जिससे इन संविदा नर्सेज के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है।

महोदय से निवेदन है कि वर्तमान में हुई नर्स-ग्रेड द्वितीय एवं ए.एन.एम. की नियुक्ति से वंचित रहे संविदा नर्स-ग्रेड द्वितीय एवं ए.एन.एम. के अनुसार क्रमश: 6,000 एवं 4,000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करवाते हुए, नर्सिंग सीधी भर्ती 2013 की द्वितीय सूची जारी करवाकर, चयन से वंचित

संविदा नर्सेज को नियमित नियुक्ति दिलवाने का श्रम करावें।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया के द्वारा भी सुराज संकल्प यात्रा के दौरान सुराज संकल्प घोषणा पत्र मे संविदा नर्सेज को स्थायी नियुक्ति प्रदान करने की घोषणा की गयी थी।

माननीय से पुन: करबद्ध निवेदन है कि चयन से वंचित रहे हजारों नर्सेज के परिवारों का भविष्य निर्धारित करते हुए उपरोक्त विषय में यथाशीघ्र उपर्युक्त कार्यवाही करवाने की कृपा करावें।

अभिषेक मटोरिया

(नोहर)

दौसा शहर में एल ई डी लाइटों द्वारा विद्युतीकरण

राज्य सरकार ने दौसा को वर्ष 1991 में जिला बनाया था एवं दौसा नगरपालिका को वर्ष 2010-11 में नगर परिषद घोषित किया है। जिला बनने के 24 वर्षों के भीतर यहां की आबादी/कालोनियों को बहुतायात में विस्तार हुआ है। दौसा शहर में कलेक्ट्रेट चौराहे से सोमनाथ सर्किल होते हुए, गांधी तिराहा होते हुए, लालसोट रोड स्थित राजकीय चिकित्सालय, दौसा तक एवं गांधी तिराहे से सैंथल चौराहे तक डिवाइडर पर एल ई डी रोड लाइट लगाना अति आवश्यक है। इसके प्रस्ताव विभाग द्वारा कई बार भिजवाये गये लेकिन वित्तीय स्वीकृति आज तक नहीं हो पाई। शहर के मुख्य मार्गों के डिवाइडरों पर स्थित विद्युत पोलों पर लाइटें नहीं होने के कारण हमेशा दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है तथा आपराधिक एवं अप्रिय घटनाओं का अंदेशा बना रहता है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया की घोषणा-अनुसार प्रदेश के सभी नगर निकायों को ऊर्जा की बचत हेतु सार्वजनिक प्रकाश के लिए एल ई डी लाइटें लगाए जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। इसी क्रम में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि दौसा शहर में सार्वजनिक प्रकाश के लिए एल ई डी रोड लाइट लगवाए जाने की कार्यवाही की जाए ताकि विद्युत संरक्षण हो सके तथा रात्रि में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था/उपलब्धता हो सके।

अत: मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त विषय को अति गम्भीरता से लेकर आम जनता को राहत पहुंचावें।

शंकर लाल शर्मा

(दौसा)

दूदू के राज्य उच्च मार्ग का राष्ट्रीय उच्च मार्ग में क्रमोन्नयन

मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू के स्टेट हाईवे नं. 2 को केवल नागौर से दूदू तक तक ही नेशनल हाइवे में क्रमोन्नत किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को कार्य संचालन के नियम 295 के तहत सूचना प्रस्तुत करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू के स्टेट हाईवे-2 दौसा से कुचामन के एक भाग दूदू-सांभर-फुलेरा-कुचामन सिटी-डीडवाना-नागौर को नेशनल हाइवे घोषित किया गया है। इस स्टेट हाईवे-2 के शेष दूसरे भाग दूदू-फागी-चाकसू-लालसोट को यथास्थिति में रखा गया है। यह स्टेट हाइवे का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको नेशनल हाईवे घोषित नहीं किया गया है।

स्टेट हाईवे-2 का यह शेष भाग स्टेट हाइवे संख्या 8 व 12 को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है। इस स्टेट हाईवे पर रोजाना हरसूलिया जाने वाले आई.ओ.सी.एल. डिपो के एवं अन्य सामग्री वितरण से सम्बन्धित लगभग 500 ट्रक एवं छोटी गाड़ियां निकलती हैं।

हाल ही में फागी तहसील में नया रीको इण्डस्ट्रियल एरिया स्थापित हो जाने के बाद इस मार्ग पर भारी वाहनों एवं छोटे वाहनों का आवागमन भी बढ़ जायेगा।

60 साल बाद भी हाइवे सं. 2 सड़क की चौड़ाई मात्र तीन मीटर ही है, जिसके कारण हमेशा दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। इस हेतु उक्त हाइवे सड़क का चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण किया जावे।

अत: मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि उक्त स्टेट हाईवे सं. 2 के शेष भाग की चौड़ाईकरण की स्वीकृति दी जावे एवं नेशनल हाइवे में क्रमोन्नत किया जावे, जिससे नागौर-सांभर-फुलेरा-कुचामनसिटी-डीडवाना-दूदू-चाकसू-लालसोट के नागरिकों को सुगम आवागमन का मार्ग प्रशस्त होगा।

प्रेमचन्द बैरवा

(दूदू)

ठेठार-सरदारपुरा खर्था के मध्य पुल निर्माण

नेशनल हाइवे 62 (15) से वाया थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ से ठेठार-सरदारपुरा खर्था होते हुए हनुमानगढ़ को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री सड़क योजना में निर्मित सड़क पर ठेठार-सरदारपुरा खर्था के बीच घग्घर बहाव क्षेत्र है। इस सड़क निर्माण के समय किसी कारणवश पुल का निर्माण नहीं हो सका, जिससे क्षेत्र के 40-50 गांवों के साथ ही थर्मल पॉवर स्टेशन व हनुमानगढ़,

बीकानेर जाने वाले आमजन को 70-80 किलोमीटर सफर ज्यादा तय करना पड़ता है, जिससे समय व धन की बरबादी होती है।

इस पुल का एस्टीमेट बनाकर राज्य सरकार को अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर द्वारा भेजा जा चुका है। अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। अत: ठेठार-सरदारपुरा खर्था के बीच घग्घर बहाव क्षेत्र में पुल निर्माण करवाने का आदेश फरमायें।

राजेन्द्र सिंह भादू

(सूरतगढ़)

गोगामेड़ी से ददरेवा तक सीधा सड़क निर्माण

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भादरा विधान सभा क्षेत्र में गोगामेड़ी में लोकदेवता गोगाजी का प्रसिद्ध मन्दिर एवं समाधि स्थल है। यहां प्रति वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आदि से आते हैं। गोगाजी के मन्दिर पर सभी धर्मों के लोग श्रद्धास्वरूप प्रति वर्ष आते रहते हैं। ये श्रद्धालु गोगामेड़ी के साथ-साथ ददरेवा जिला चूरू भी जाते हैं क्योंकि ददरेवा गोगाजी पीर की जन्म स्थली है। ददरेवा से गोगामेड़ी जाते समय श्रद्धालुओं को बहुत लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है तथा भादरा शहर भी पार करना पड़ता है। इसकी वजह से इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को काफी असुविधा होती है। प्रति वर्ष मेले के समय भारी भीड़ की वजह से भादरा शहर के लोगों व श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी वर्ष गोगामेड़ी में प्राचीन गोगाजी मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं गोगामेडी मेला विस्तार एवं सुधार हेतु राजस्थान सरकार द्वारा एक मास्टर प्लान तैयार करके जनवरी, 2016 में इस कार्ययोजना का शिलान्यास करके गोगाजी के मन्दिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक ऐतिहासिक पहल भी की जा चुकी है।

अत: मेरा निवेदन है कि गोगामेड़ी से ददरेवा जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुविधाजनक बनाने हेतु गोगामेड़ी, जिला हनुमानगढ़ से ददरेवा, जिला चूरू तक सीधी सड़क बनवाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

संजीव कुमार

(भादरा)

निवाई के किसानों को अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से कारित क्षति का मुआवजा

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में जुलाई एवं अगस्त, 2015 में खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा, तिल एवं मूंगफली की बुवाई की गयी थी। आखिरी समय वर्षा नहीं होने से फसल जल गई। यहां तक किसान को बीज, खाद के लायक खरीफ फसल भी नहीं हुई। पशुओं के लिए चारा भी नहीं हुआ। किसान का करोडों रुपया खाद एवं बीज में बरबाद हो गया। किसान के लिए राम रूठ गया, लेकिन राज नहीं रूठा और विधान सभा के पंचम सत्र (सितम्बर, 2015) में राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर, 2015 तक खरीफ फसल खराबे की रिपोर्ट भिजवाने हेतु सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये । परन्तु निवाई तहसील के उपखण्ड प्रशासन की हठधर्मिता के कारण तहसीलदार, निवाई ने पत्रांक 28216/भू.अ./15 दिनांक 5.11.15 एवं जिला कलक्टर, टोंक को प्रतिलिपि क्रमांक 28629-31/भू.अ./15 दिनांक 5.11.15 द्वारा खरीफ फसल के खराबे की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें वर्ष 2015 की खरीफ फसल में 108 ग्रामों में 50 से 75 प्रतिशत के मध्यम खराबा रिपोर्ट तहसील कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी। इसमें तहसीलदार द्वारा आदान अनुदान की कृषकवार सूचियां नोर्म्स के अनुसार निर्धारित दर में तैयार कराकर भिजवाने हेतु निर्देश भी जारी कर दिये गये थे, जिसकी प्रति जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, निवाई को भी प्रस्तुत की गई थी।

जब उपखण्ड अधिकारी से इस बाबत जानकारी चाही गयी तो बताया गया कि सभी पटवारी खराबा कम 20 से 30 प्रतिशत तक बता रहे हैं, जबकि फसलों में 50 से 75 प्रतिशत नुकसान हुआ है। उपखण्ड एवं जिला प्रशासन इस सम्बन्ध में उदासीनता बरत रहे हैं। पूर्व में फरवरी/ मार्च 2014 में निवाई तहसील के 210 ग्रामों में से केवल 27 ग्रामों में ही अतिवृष्टि/ओलावृष्टि में खराबा दिखाकर, बाकी ग्रामों के किसानों को सरकार द्वारा आपदा कोष राहत से मिलने वाली सहायता से वंचित किया गया। जबकि राज्य सरकार ने विधान सभा की दो दिन कार्यवाही रोककर सभी जन-प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों में जाकर उचित रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये थे, जिसके कारण किसानों की रबी की फसल का मुआवजा एक माह के अन्दर किसान के खाते में जमा हो गया।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को मुआवजा दिलाने में लापरवाही/उदासीनता बरतने वाले जिला कलक्टर एवं उपखण्ड

प्रशासन को तुरन्त खरीफ की फसल का मुआवजा दिलाने हेतु निर्देश दिलावें, जिससे किसानों को रोटी-रोटी के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़े तथा अब तक खरीफ फसल का मुआवजा दिलाने में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने लापरवाही बरती है, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर किसानों को राहत दिलाएं। इस वर्ष वर्षा के अभाव के कारण रबी की फसल भी कम है तथा बारानी भूमि में वर्षा नहीं होने से खेत खाली पड़े हैं तथा न ही कोई फसल बोई गई है, जिससे किसनों के सामने आजीविका का संकट है। कृपया किसानों को राहत प्रदान करावें।

हीरालाल

(निवाई)

बांदीकुई में राजकीय चिकित्सालय के नवीन भवन का निर्माण

मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में करीब 25 साल पुराना सी एच सी चल रहा है, जो कि शहर के बीचोंबीच स्थित है। वहां पार्किंग की भी पूरी व्यवस्था नहीं है। मैंने अभी मेरे विधायक कोष से छोटे से स्थान पर पार्किंग बनवाई है। अब वहां एम्बुलेंस खड़े होने की जगह भी शेष नहीं है तथा अगर कभी एम्बुलेंस खड़ी भी हो रखी हो, तो यातायात बाधित हो जाता है। सी.एच.सी. क्षेत्र के मध्य में होने के कारण इमरजेंसी केस को अस्पताल पहुंचने में भारी यातायात की समस्या का सामना करना पड़ता है और सी.एच.सी. के पास में रेलवे फाटक भी अधिकतर समय बंद रहता है। इससे इमरजेंसी केस/रोगियों को काफी समस्या का सामना पड़ता है। कई बार गम्भीर रोगियों की इस कारण मृत्यु हो जाती है।

अत: इस राजकीय अस्पताल को सिटी डिस्पेंसरी रखा जाय व शहर के बाहर नया भवन बनाकर वहां नया राजकीय अस्पताल बनवाया जाये, क्योंकि पुराने भवन के विस्तार की भी कोई जगह नहीं है। इस राजकीय अस्पताल का नया भवन शहर के बाहर बनाने की कृपा करें ताकि आमजन को राहत मिले व राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके। आशा है, सरकार इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

अलका सिंह

(बांदीकुई)

परिशिष्ट-2

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17 पर सामान्य वाद-विवाद के समय माननीय सदस्यों द्वारा सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य

श्री घनश्याम तिवाडी (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1. वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण के पैरा 7 में वर्णित स्थिति से सहमत होते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य की आर्थिक और वित्तीय स्थिति गंभीर है। अर्थव्यवस्था मंदी की शिकार हो गयी है। बजट में प्रस्तुत आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट है कि वित्तीय दृष्टि से राज्य कंगाली के कगार पर है। ऐसी स्थिति में हमें व्यक्तिगत द्वेष और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा करनी होगी। अटलजी न कहा है- ''टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता/छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता।'' हमें इन हालातों में हिम्मत भी रखनी है कि हम इस स्थिति से राज्य को उबार लेंगे। हमें अपने मन बड़े भी रखने हैं कि सूक्ष्मता और गम्भीरता के साथ बजट में प्रस्तुत वर्तमान स्थिति को देखें और राज्य हित में शासन करें और नीति बनाएं।

2. इस बजट के माध्यम से अफसरशाही यह प्रदर्शित करने का प्रयास कर रही है कि राजस्थान की स्थिति केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण बिगड़ रही है। इस प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है कि इनका तो काम बहुता अच्छा है लेकिन केन्द्र के द्वारा राज्य को कोई मदद नहीं की जा रही, इस वजह से समस्या है। तथ्य यह है कि केन्द्र द्वारा तो राज्य को दी जाने वाली ग्रांट-एंड-एड में 224% प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। 2013-14 में कांग्रेस की सरकार में केन्द्र द्वारा रु. 8,744.36 करोड़ ग्रांट-एंड-एड थी, जबकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने यह ग्रांट-एंड-एड बढ़ाकर 19,607.5 करोड़ कर दी गयी है। यह वृद्धि केन्द्र द्वारा राज्य को बड़ी मदद है। हमें उनका आभार जताना चाहिए। 2015-16 में यह राशि और भी बढ़ी है, जिसकी जानकारी वित्त विभाग के पास है, लेकिन हमें कुप्रबंधन को छिपाने के लिए यह बात सदन के सामने अफसरशाही द्वारा नहीं रखी गयी। देश भर की बिजली कम्पनियों के वित्तीय ढांचे को ध्वस्त होने से बचाने के लिए मोदीजी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने जो 'उदय' योजना दी है, उसे भी बजट में इस तरह प्रस्तुत किया गया है, जैसे राज्य का सारा संकट उसी वजह से आया है। यह योजना तो देश के किसी भी राज्य को बाधित नहीं करती कि वह इसे लागू करे ही। अगर राज्य सरकार ने उसे लागू करने का निर्णय किया है तो वह

इसीलिए किया होगा कि उसमें राज्य का हित है। तो फिर इस योजना को इस तरह क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है कि केवल इससे ही राज्य का बजट गड़बड़ा गया है?

3. राज्य का बजट कुप्रबंधन के कारण गड़बड़ाया है। गत वर्ष की टैक्स संग्रहण की वृद्धि दर अब तक की भाजपा की सरकारों के समय की वृद्धि दर में सबसे कम रही। इस साल तो लक्ष्य ही कम रखा गया है। सरकार का राजस्व कम हो गया है। इस राजस्व का करीब 85 प्रतिशत तो केवल तनख्वाह चुकाने में ही लग जाएगा। विकास और युवाओं को नये रोजगार देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं।

4. किसी भी सरकार को वित्तीय घाटा क्यों होता है? उसकी जड़ में जाए बिना हम उसका समाधान नहीं कर सकते। जड़ प्रमुख रूप से दो चीजों में है- कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार। कुप्रबंधन का एक उदाहरण हमने ऊपर वित विभाग का देखा। भ्रष्टाचार में राजस्थान में माइंस का अलाटमेंट एक बडा उदाहरण है। एक अधिकारी ने केन्द्र सरकार की माइंस नीति आने के 2 दिन पहले ही 600 माइंस अलाट कर दीं। ACB ने उसे पकड़ा, उसका मैं स्वागत करता हूं। इस अधिकारी ने कुछ वैसा ही काम किया जैसा UPA की केन्द्र सरकार ने Coal Blocks के आबंटन में किया था। वर्तमान NDA की सरकार ने स्पेक्टम नीलाम किए, उससे सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ; 33 Coal Blocks नीलाम किए, रु. 2 लाख करोड़ के ऊपर सरकार के पास आए; जनता के खजाने में पैसा आया। राजस्थान में उस एक अधिकारी ने ही अरबों रुपया, जो सीधा राज्य के खजाने में जाता, उसके चूना लगा दिया। इस प्रकार के कारनामों के बाद अब लोग भी माइंस के लिए राजस्थान में आने से कतराने लगे हैं। जहां से पैसा सरकार के पास आ सकता था, जो सरकार के आय के स्रोत थे, वे भ्रष्टाचार और राजस्व लीकेज के कारण जनता के खजाने में नहीं आ पाए।

5. सरकारों के इस प्रकार के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण आज स्थिति यह आ गयी है कि राजस्थान कर्जे के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। राज्य की जनता के सामने यह बात आनी अत्यन्त आवश्यक है। राजस्थान का वर्तमान कर्जा 2,11,231 करोड़ हो गया है। 2016-17 में यह कर्ज हो जाएगा 2,54,378 करोड़। (उदय योजना को अलग रख दें, तो भी राज्य सरकारे ने सन् 2015-16 में 22,436 करोड़ के नए ऋण लिए हैं और 2016-17 में 23,879

करोड़ के ऋण प्रस्तावित हैं। अगर इतना ही 2017-18 का भी मान लें, तो इस परियड में राज्य के हर नागरिक पर करीब 50,000 रु. का कर्ज हो जाएगा)। इसका समाधान निकालना आवश्यक है। 2016-17 में यह कर्ज हमारे राज्य की GDP (GSDP) का 33 प्रतिशत हो जाएगा। स्थिति यह होगी कि राज्य को कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। यह और भी गम्भीर स्थिति होगी।

6. गाय, मंदिर और वेद के लिए सरकार ने बजट में कोई उत्साहवर्धक प्रावधान नहीं किया। यह चिंता की बात है। गायों के लिए सुराज संकल्प घोषणा पत्र में हमने प्रति वर्ष लगातार 9 महीने अनुदान देने के वादे किए। सरकार के ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अपने बजट में सरकार ने मदरसों के लिए 66 करोड़ का प्रावधान किया है। उसमें मुझे आपत्ति नहीं लेकिन इसी बजट में वेद विद्यालयों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह सौतेला व्यवहार है। लगता है कि बजट में वही भेदभाव और तुष्टिकरण की नीति अपनाई गयी है जिसका भाजपा सदैव से विरोध करती रही है। जयपुर के मंदिरों की बात किसी से छुपी नहीं है। इन मामलों को सरकार को गम्भीरता से देखना चाहिए।

7. इस बार बजट में राज्य के पत्रकारों के लिए कुछ नहीं किया गया। ऐसा सम्भवत: पहली बार हुआ है जब 120 पेज के पूरे बजट में पत्रकार शब्द तक नहीं है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है। उसे सशक्त रखना आवश्यक है। विधान सभा चुनाव 2013 से पहले हमने अपने घोषणा पत्र में पत्रकारों के कल्याण को लेकर वायदा किया था; हमने वायदा किया था कि हम सत्ता में आये तो पत्रकारों के लिए 9 काम करेंगे। राज्य के पत्रकार समूह की भावना है कि 27 महीनों बाद भी 9 में से एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। सरकार को त्वरित प्रभाव से इस पर ध्यान देना चाहिए।

कुछ नीतिगत बिन्दु

8. कई बार गरीब और किसान की सब्सिडी के प्रति बजट की नीति बनाने वालों में विरोध होता है। कुछ बड़े कारपोरेट घरानों ने देश में एक माहौल पैदा कर दिया है, कि गरीब आदमी की, किसान की, सब्सिडी से नुकसान होता है, इसे बंद किया जाना चाहिए। लेकिन यही कारपोरेट घराने ''इन्सेंटिव'' के नाम पर उसी गरीब आदमी की सब्सिडी को डकार जाते हैं। प्रधान मंत्री मोदी जी ने Economic Times Global Business Summit 2016 में यह बात कही कि कारपोरेट कम्पनियों को 60,000 करोड़ का पैकेज तो

इन्सेंटिव बोला जाता है उसकी बड़ाई की जाती है और गरीब किसानों को दिया गया पैकिज ''सब्सिडी'' बोला जाता है और उसकी बुराई की जाती है बात दोनों एक ही हैं लेकिन इंसेंटिव को ठीक माना जाता है और सब्सिडी को नहीं। इस पर बजट निर्माताओं द्वारा विचार किया जाना चाहिए और गरीब और किसान की सब्सिडी बंद नहीं की जानी चाहिए।

9. बजट की समस्याओं के समाधान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विकेंद्रीकरण-आर्थिक लोकतंत्र-के सिद्धांत से ही निकलेंगे। एक गम्भीर तथ्य है कि केवल चंद घरानों के हाथों में सारे देश की सम्पदा की मालकियत हो गयी है। केवल कुछ कारपोरेट परिवार भारत की कुल सम्पदा के 50 प्रतिशत पर मालिकाना हक रखते हैं। वहीं देश की आधी आबादी, यानी देश के 50 प्रतिशत लोग देश की केवल 25 प्रतिशत सम्पदा पर जीवन यापन कर रहे हैं। यह हमें यह पूछने के लिए मजबूर करता है कि आजादी के मतवालों ने किसके लिए अपने प्राण न्योछावर किए? केवल चंद घरानों के लिए? सच्चाई यह है कि हम खाई से निकलकर कुएं में गिर गए हैं, सरकारी समाजवाद से निकलकर कारपोरेट पूंजीवाल के भंवर में फंस गए हैं। इससे बाहर कैसे निकलें? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कहना था कि सरकारी समाजवाद का माडल जिसमें सारी मालकियत सरकार के पास होती है और कारपोरेट पूंजीवाद का माडल जिसमें सारी मालकियत केवल चंद औद्योगिक घरानों के पास सिमट कर रह जाती है, दोनों ही भारत के लिए अच्छे नहीं हैं। उनका कहना था कि हमें आर्थिक विकेंद्रीकरण करना है, आर्थिक लोकतंत्र लाना है। राज्य सरकार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अर्थनीति के अध्ययन के लिए विशेष टीम का गठन कर उस आधार पर अपनी नीतियां बनानी चाहिए।

10. यह प्रचलन हो गया है कि जो भी सरकार सत्ता में होती है, वह अपनी नाकामी छिपाने के लिए पिछली सरकार की गलतियों का बखान करने लगती है। चुनाव जीतने के लिए भी हम पिछली सरकार की नाकामियों का बखान करते हैं। चुनाच जीतने के बाद अपने कार्यों के मूल्यांकन करने की जगह भी पिछली सरकार की नाकामियों का ही बखान करते हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि पिछली सरकार ने गलतियां की थीं। इसीलिए तो जनता ने उन्हें सरकार से निकाल बाहर किया। अब प्रश्न अब इस बात का है कि नयी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं? दूसरों की गलतियां-कमियां निकालना न्यू वेल्यू हो सकती है लेकिन हमारी अपनी उपलब्धि नहीं। हमारी अपनी उपलब्धि तो हमारा शासन, प्रशासन और नीतियां हैं; जनता के हित के लिए किया गया

हमारा काम है। वह बोलता है। सरकारों द्वारा यह ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि चाहे समस्याएं पिछली सरकारों की हों, अथवा नयी पैदा हुई हों, जनता ने उन्हें समस्याओं के समाधान के लिए चु कर भेजा है, उनके बखान के लिए नहीं। हम सदन के माध्यम से जनता को यह बताएं कि हमने क्या-क्या समाधान किये। सरकारों को सदन को यह बताना चाहिए कि उनके घोषणा पत्र के कौन-कौन से वादे उन्होंने पूरे किए। पिछले दो वर्षों में जो अच्छे काम सरकार ने किए, वे जनता के सामने अधिक से अधिक जाएं, तो हमारी बड़ाई है। यह सकारात्मक गवर्नेंस, सकारात्मक शासन व्यवस्था होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे अपनी बात को लिखित में रखने का अवसर दिया, उसके लिए उनको धन्यवाद।

जय हिन्द।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट की इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016-17 का जो बजट राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, वह सम्पूर्ण राज्य के हर सम्भाग, क्षेत्र व हर वर्ग की भरपाई का एक ऐतिहासिक बजट है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाये, उतनी ही कम है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र को ले लें, इस बजट में चहुंमुखी विकास की कल्पना के साथ-साथ, राज्य को कैसेट हम अन्य प्रांतों के मुकाबले नम्बर एक पर ले जा सकें, यह प्रयास स्पष्ट दृष्टिगोचर है। इस बजट भाषण के दूसरे पैरे में ही माननीया वसुन्धरा जी ने अपनी सोच राज्य की जनता के सामने रख दी है कि उनका मूल मंत्र है ''सब जन विकास, सब जन उत्थान''।

राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की नई खनन नीति, स्टार्ट-अप नीति, सूक्ष्म, लघु एवं वृहद् उद्योगों के लिए नीति, एग्रो-प्रोसेसिंग नीति एवं पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के साथ ही बायो-टेक्नोलोजी पालिसी जारी की गई हैं जिनसे निश्चित ही राज्य में उद्योग-धंधे पनपेंगे, जिससे हमारे लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अमा-जन का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा एवं प्रदेश खुशहाल बन सकेगा।

इस बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान किये गये वायदों को पूरा करने की दिशा में सार्थक प्रयास किया है, जिससे राज्य का सर्वांगीण विकास होगा तथा एक नये राजस्थान का निर्माण होगा

और हमारा जय-जय राजस्थान का सपना वास्तविक रूप में धरातल पर उतर सकेगा।

यह बजट किसी सरकार का नहीं, वरन् इसमें राज्य की 7 करोड़ जनता की आशा, आकांक्षा और भावनाओं की झलक है।

किसी भी प्रदेश के विकास में यातायात के साधनों एवं सड़कों का जाल होना एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टिगत रखकर हमारी महारानी साहिबा ने 2 हजार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ एवं मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण की इस बजट में घोषणा की है तथा 500 तक की आबादी के सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

धार्मिक दृष्टि से आस्था के केन्द्र गोवर्धन व बृज 84 कोस तथा रामदेवरा के लिए विशेष प्रावधान किये हैं। राज्य में 10 नये टोल ओवरब्रिज तथा 19 अन्य R.O.B. व 2. R.U.B. बनाने की घोषणा निश्चित ही आम जनता को सुविधा प्रदान करने वाली हैं।

जोधपुर के R.T.O. आफिस के नये भवन एवं कम्प्यूटरीकृत ड्राइविंग ट्रैक के निर्माण के लिए 9 करोड़ 13 लाख रुपये का प्रावधान करने के लिए मैं मेरे जोधपुर की जनता की ओर से माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

अब मैं पाली की बात करती हूं। पूर्ववर्ती सरकार ने जनता को प्यासा रखा, पर हमारी सरकार जो कहती है वह करती भी है। इसीलिए 13 साल पुरानी योजनाओं के लिए 831 करोड़ रुपये की इस बजट में व्यवस्था की है, जिसमें तिवरी-मथानियां-ओसिंया-भोपालगढ़ पेयजल परियोजना भी शामिल है, जिसको गहलोत सरकार ने ठण्डे बस्ते में डाल दिया था। वह काम अब हम करेंगे और पूरे राज्य में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि जल ही जीवन है; पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए बंद पड़ी जनता जल योजनाओं को पुन: चालू करने के लिए 100 करोड़ रुपये इस बजट में रखे गये हैं। दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में 4 हजार नये हैण्डपम्पों के लिए भी 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे हमारी लोक कल्याणकारी सरकार की सोच सामने आती है कि हम जनता की भलाई के लिए क्या-क्या करने वाले हैं।

बिजली की अपन बात लें, तो अगले वर्ष में 40 हजार नये कृषि कनेक्शन देने की घोषणा इस बजट में की गई है, जिससे हमारे प्रदेश के किसान भाई अपनी फसल का ज्यादा उत्पादन करके प्रदेश के विकास में

भागीदारी निभा सकेंगे, अपनी रोजी-रोटी कमा सकेंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और अन्य योजनाओं में 8 लाख ग्रामीण आवासों को बिजली पहुंचाने की भी घोषणा बजट में की गयी है। यह ग्रामीण इलाकों में अंधेरे में रहने वाली गरीब जनता के लिए वह तोहफा है जिसका वे वर्षों से इन्तजार कर रहे थे।

पर्यटन के क्षेत्र में भी अनेक प्रावधान इस बजट में किये गये हैं। इसके साथ ही नये उद्योग-धंधे कैसे राजस्थान में लगें, युवाओं को कैसे नई नौकरियां व रोजगार मिलें, इस हेतु अनेक प्रावधान इस बजट में किये गये हैं।

कृषि के क्षेत्र में जोधपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ आदि 11 जिलों के एक-एक खण्ड को जैविक खेती में बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चालू करना अपने आप में अतुलनीय है। किसानों को सस्ती दर पर बिजली देने के लिए बिजली कम्पनियों को अनुदान देने की बात भी इस बजट में की गई है।

अब मैं और क्या-क्या बोलूं, जितना बोलूंगी उतना ही कम पड़ेगा और आप मुझे ज्यादा समय देने वाले हैं नहीं। इसलिए मैं शार्ट में ही अपनी बात कह देती हूं। पशुओं के लिए नये चिकित्सा केन्द्र की बात ले लें, चाहे भामाशाह पशु बीमा योजना हो, कृषि एवं पशुपालन पर इस बजट में विशेष जोर दिया गया है। रावी, व्यास, सतलज एवं घग्घर नदियों के बाढ़ के पानी को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ने से राज्य को अतिरिक्त पानी मिलेगा, जिससे हमारा जोधपुर जिला भी लाभान्वित होगा।

अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों के मैस भत्ते को बढ़ाया गया है। विशेष योग्य जन के लिए अनुदान की पूरी व्यवस्था की गई है। अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना में 171 करोड़ रुपये दिये गये हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का संचालन एवं सहायता अनुकरणयी है। बालिका संरक्षण के लिए गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना प्रारम्भ की गई है, जो पूरे प्रदेश में पहला राज्य हमारा राजस्थान है। इसके लिए मैं हमारी मुख्य मंत्रीजी का जितना धन्यवाद करूं, कम है।

शिक्षित समाज ही प्रगति के पथ पर चल सकता है। शिक्षा विकास की धुरी है। शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में अनेक प्रावधान कर राज्य के विद्यार्थियों को नई-नई सुविधाएं दी जायेंगी; नये विषय खोले गये हैं; नये भवनों की व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात, बालिकाओं को दूर के स्कूल में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर दिये जायेंगे, जिससे उन पर आर्थिक भार नहीं पड़े।

इसी तरह से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक नये विषय खोले गये

हैं। राजकीय महिला कालेज, पीपाड़ सिटी, जोधपुर में गृह विज्ञान चालू हो जायेगा।

चिकित्सा सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1 हजार 716 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उप स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, औषधालय एवं अस्पतालों के भवनों का निर्माण करवाया जायेगा। ऐलोपेथी डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिए उनकी रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष की गयी है। चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटें बढ़ाई गई हैं। जोधपुर के कालेज में लीनियर एस्केलेटर व गामा कैमरा लगाया जायेगा तथा अन्य उपकरणों के लिए 5 करोड़ रुपये इस बजट में दिये गये हैं। मेरे क्षेत्र में आम-अवाम की तरह से मैं मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देना चाहती हूं।

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर का भवन अच्छा हो, इसके लिए 2 करोड़ 2 लाख रुपये इस बजट में स्वीकृत किये गये हैं।

बेरोजगारों का आनलाइन पंजीयन किया गया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत 440 करोड़ रुपये इस बजट में रखे गये हैं। गांवों को स्वच्छ रखने हेतु मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस को नये उपकरण व वाहनों की व्यवस्था की गई है। साइबर क्राइम यूनिट प्रत्येक रेंज में स्थापित की जायेगी। पुलिस थानों व पुलिस लाइन की मरम्मत भी होगी। जोधपुर जेल में लगे जैमर की क्षमता बढ़ाने के लिए 3 करोड़ 84 लाख इस बजट में दिये गये हैं। लम्बित मुकदमे जल्दी निपटें, इसके लिए अनेक न्यायालय खोले गये हैं।

कर्मचारियों की बात भी करना जरूरी है। सरकार में यदि कर्मचारी संतुष्ट नहीं होंगे तो वे काम ठीक ढंग से नहीं कर पायेंगे और फिर भ्रष्ट तरीके अपनाने को भी मजबूर होंगे। सातवें वेतन आयोग के लिए समिति के गठन की बात इस बजट में कही गई है।

परन्तु मैं एक बात कहना जरूरी समझती हूं कि अभी जो कर्मचारी भर्ती होते हैं, वे प्रतियोगी परीक्षा पास करके ही होते हैं, परन्तु उन्हें दो वर्ष तक प्रोबेशन पीरियड में बहुत ही कम तनख्वाह दी जा रही है। एक एल.डी.सी. को मात्र 8,910/- रुपया प्रति माह दिया जाता है। अब बताओ, इस महंगाई के युग में कोई व्यक्ति कैसे आठ-नौ हजार में अपने परिवार का पेट पाल सकता है? हाई कोर्ट ने भी यह माना है कि यह तो बेमानी है, इनको पूरा वेतन व

भत्ते मिलने चाहिए। इसलिए मैं हमारी संवेदनशील मुख्य मंत्री, जो सबका भले का ही सोचती हैं, उनसे विनम्र निवेदन करती हूं कि जो नये एल.डी.सी., चपरासी या अन्य कोई भी कर्मचारी है, उनको पूरा वेतन न भी दे सकें तो इतना तो मिले जिससे वह दो समय खुद भी भोजन कर सके और बीबी-बच्चों को भी आराम से पाल सके। मैं प्रार्थना करती हूं कि एक एल.डी.सी. को कम से कम बीस हजार रुपये तो मिलने ही चाहिए, नहीं तो दो वर्ष में तो उसकी हालत खराब हो जायेगी और मजबूरन भ्रष्टाचार में लिप्त होना पडेगा।

इस बजट में वैट के नियमों में संशोधन व सरलीकरण करके व्यापारियों को राहत दी गई है। आनलाइन रिफण्ड की सुविधा चालू की गई है। महिला उद्यमियों को भू-स्थांतरण शुल्क में छूट 100 प्रतिशत कर दी गई है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट को अनुदान और किफायत की भी बात इस बजट में है। DLC की रेट को भी यथावत रखा गया है। बैंक गारंटी देने पर स्टाम्प ड्यूटी कम की गई है। ट्रैक्टर-ट्राली पर वन टाइम टैक्स की छूट है। जेलों में बनाये सामान को वैट से मुक्त किया गया है। सोलर टार्च, स्टोव, केरोसीन लैम्प, गंगाजल, कपूर, आदि रोज काम में आने वाली घरेलू चीजों पर से वैट पूरा खतम कर दिया गया है। कई सामग्रियों पर वैट की दर कम की गई है।

इस प्रकार यह बजट आम जनता का बजट है, सबके भले का बजट है और राजस्थान को आगे बढ़ाने वाला, खुशहाल राजस्थान का सपना साकार करने वाला बजट है। मैं ऐसा बजट पेश करने के लिए हमारी मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत दिल से बधाई भी देती हूं और शुभकामना भी करती हूं कि वे जीवन में और आगे, और आगे बढ़ती ही जायें।

धन्यवाद। जय हिन्द

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) : आर्थिक आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होने में प्रदेश का चहुंमुखी विकास सम्भव है। अत: संक्षेप में कहा जा सकता है कि हमारी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने करीबन 10,000 करोड़ की लागत से सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण, पुलों के निर्माण, रेल ओवरब्रिज, इत्यादि के निर्माण; विकास के लिए Infrastructure development अति महत्वपूर्ण होता है, इस दृष्टि से आने वाले समय में गांव-गांव, शहर-शहर में सड़कों का निर्माण करवाया जायेगा। राजस्थान प्रदेश एक धार्मिक आस्था का केन्द्र है, इसका ध्यान रखते हुए भरतपुर में गोवर्धन व बृज चौरासी कोस परिक्रमा का मार्ग सुगम बनाने हेतु 103.94 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार जोधपुर से रामदेवरा तक 14.64 करोड़ की लागत से 4 मीटर चौड़ाई का कच्चा मार्ग बनाये जाने के लिए बहुत-बहुत बधाई एवं धन्यवाद।

हमें उम्मीद है कि बीकानेर में एलीवेटेड रोड की सौगात यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के द्वारा शीघ्र ही दी जायेगी।

जल ही जीवन है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें इस चुनौती को साथ में मिलकर पार करना है। प्रदेश में अब तक 1,20,000 से भी अधिक गांव-ढाणियों में से 68,099 गांव-ढाणियों को पूर्ण रूप से पेयजल से लाभान्वित करना, हमारी मुख्य मंत्रीजी एवं पेयजल मंत्री जी की उपलब्धि है। "कोलायत लिफ्ट जलप्रदाय योजना का जो प्रावधान रखा है, उसके लिए बीकानेर सम्भाग आपका आभारी है। साथ में बीकानेर-हनुमानगढ़-चूरू-गंगानगर जिले में डिग्गी से संचालित पेयजल योजनाओं के रखरखाव के लिए 50 करोड़ की घोषणा आपकी दूरदर्शिता का प्रतीक है।

राजस्थान की कला एवं संस्कृति एवं पर्यटन को aggressive marketing campaign से जो positive response आया, उसका श्रेय हमारी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी को जाता है। आपके द्वारा आगामी वर्ष में जो व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु 62.33 करोड़ का प्रावधान एवं पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 62.16 करोड़ का प्रावधान भारत में राजस्थान को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा।

17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक के प्रशासनिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्धित महत्वपूर्ण दस्तावेज बीकानेर के अभिलेखागार में संग्रहित हैं। 10.80 करोड़ की लागत से इन्हें शोधकर्ताओं, पर्यटकों एवं आम-जन के लिए म्यूजियम की स्थापना की घोषणा पर बीकानेर की जनता आपका हार्दिक धन्यवाद करती है।

प्रदेश के विकास में एवं आर्थिक वृद्धि में उद्योगों का विकास सबसे अहम होता है। 2016-17 के बजट में तेजी से बदलते औद्योगिक परिवेश में उद्यमी, भूमि एवं भवन पर पूंजी निवेश करने के साथ ही pollution free industries को स्थापित एवं विकसित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में प्लग-एण्ड-प्ले सुविधा अति उत्तम निर्णय है। युवा उद्यमियों के लिए स्टार्टअप पालिसी 2015 के विस्तार हेतु इस वर्ष 10.85 करोड़ रुपये के प्रावधान पर प्रदेश के युवाओं की तरफ से धन्यवाद।

Micro, small enterprises को प्रोत्साहित करने के लिए निरन्तर inno-

vative planning की स्थापना हेतु आवेदन से अनुमोदन तक की सम्पूण्र प्रक्रिया को एकीकृत रूप से सरल, समयबद्ध और सुगम बनाने के उद्देश्य से online single window की सुविधा उपलब्ध करवाने एवं livelihood business incubator की स्थापना हेतु 5.00 करोड़ रु. शिल्पकारों के कौशल विकास हेतु मार्केट linkage विकसित करना एक नई पहल है।

प्रदेश गौरवान्वित है कि हमारे मुख्यमंत्री के पद पर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की महिला हैं और महिलाओं के विकास हेतु वे हर सम्भव सकारात्मक प्रयास करती रही हैं। उसी क्रम में राज्य में बालिका वसंरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को 25,000 रु. की राशि नकद पुरस्कार के रूप में वसम्मानित एवं पुरस्कृत करने हेतु ''गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना'' की घोषणाएं भी महिला मुख्य मंत्री के द्वारा की गई हैं।

राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका, साथिन एवं आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाकर 1,50,000 से भी अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने का कार्य उत्कृष्ट व प्रशंसनीय है। बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक सुधार के लिए शुभलक्ष्मी योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना की जो घोषणा सदन की नेता की है, बहुत ही सम्मानजनक घोषणा है।

प्रदेश के भविष्य को विकसित दृष्टि से देखते हुए माननीया मुख्य मंत्री के द्वारा राज्य में शिक्षा के लिए 23,177.15 करोड़ रु. का प्रावधान, साथ ही माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ करना, 770 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्चुअल क्लास रूम स्थापित किया जाना, राज्य के 445 विद्यालयों में 180.13 करोड़ से 1,667 कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, पेयजल सुविधा एवं शौचालय निर्माण, साथ ही जर्जर अवस्था में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवनों के नवीनीकरण जैसे कार्यों से राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च स्थान पर आसीन होगा।

बीकानेर जिले के खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में राजकीय co-ed महाविद्यालय खोले जाने एवं बीकानेर सम्भाग के सम्पूर्ण विकास एवं राजस्थान के सम्पूर्ण विकास हेतु बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय खोले जाने हेतु बीकानेर की जनता की ओर से आपका आभार एवं आपको साधुवाद। विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में एक कन्या महाविद्यालय खोलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है जिसके लिए हम पुरजोर निवेदन करते हैं।

पहला सुख, निरोगी काया। प्रदेश सरकार प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है और इसी क्रम में दिसम्बर 2015 में भामाशाह स्वस्थ्य बीमा योजना लागू की गई। बीकानेर जिले में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा का लाभ काफी अधिक परिवारों ने उठाया।

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी एवं राज्य के जुझारू चिकित्सा मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ प्रत्येक जिले में दौरा करके चिकित्सा व्यवस्थाओं को मुआयना करके राजस्थान में आधुनिक से आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था चालू कराने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। 2015 में ''आरोग्य राजस्थान योजना'' के तहत हैल्थ सर्वे करवाया गया और अब ई-हैल्थ कार्ड की व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसको भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से भी जोड़ा जायेगा।

प्रदेश में बड़ी संख्या में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों के रिक्त पद हैं, जिन्हें भरना बहुत आवश्यक है। इसके बिना बहुत से लोग सही इलाज से वंचित रह रहे हैं। चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष करना एक अहम् फैसला है।

वर्ष 2016-17 में कृषि, आवासीय और व्यावसायिक भूमि की मूल्यांकन दरों में डी.एल.सी. द्वारा कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

300 करोड़ की आय-325 करोड़ की रियायतें दी हैं।

इसी के साथ माननीया मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बजट की बहस में आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका आभार।

महोदय, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की वसुन्धरा राजे जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और इस सरकार ने अपना इस कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है।

आज तक जो बजट बनाये जाते थे, वे पूरे दिमाग का इस्तेमाल करके बनाये जाते थे। लेकिन इस बार का जो बजट बनाया गया है, इसमें दिमाग के साथ-साथ अपना पूरा दिल भी लगाया गया है। और यह बजट दिल से बनाया गया बजट है। इस बजट में राजस्थान के आम अवाम का व्यापारियों का, किसानों का, नवयुवकों का, उद्योगों का, छात्रों का, बालिकाओं और महिलाओं

का, मजदूर वर्ग का; कहने का आशय है, जनता के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट में प्रावधान किये गये हैं।

विपक्ष का धर्म है आलोचना करना, लेकिन यह आलोचना सकारात्मक होनी चाहिये जिससे सरकार जाग्रत हो। आलोचना के लिए कुछ आधार होना चाहिये। लेकिन इस बजट ने विपक्ष् को कोई मौका नहीं दिया जिससे ये बजट के विपक्ष में बोल सकें। इसी कारण से मेरे विपक्ष के साथी बजट पर बहस में बजट के बजाय अन्य विषयों पर प्रलाप कर रहे हैं। जहाजपुर से आने वाले माननीय विधायक ने जिस तरह से बजट पर बोला है, इससे यह साबित होता है कि इनके पास बजट के विरोध में बोलने के लिये कुछ नहीं है।

मेरे विपक्ष के साथी ने एक बहुत रोचक कहा है कि जनता एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार लाती है, और इन्होंने इसी मुगालते में सरकार में आने के सपने पाल रखे हैं।

इसी मुगालते में इन्होंने भले-बुरे का भेद भी भुला दिया। इनके सर्वोच्च नेता युवराज ने जिस तरह से जे.एन.ओ. में देश द्रोहियों का समर्थन किया और निर्लज्ज होकर देश द्रोहियों के साथ बैठकर उनका हौसला बढ़ाया, इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस सत्ता की कितनी भूखी है। जिस कांग्रेस ने देश की आजादी के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई, आज उस कांग्रेस की इतनी दुर्गति हो गयी है कि देश तोड़ने के नारे लगाने वालों के समर्थन में, बोलने की आजादी के नाम पर, उनके बचाव में खड़ी हो गई है और वोटों की भिखारी के रूप में, सत्ता लोलुपता में किसी भी स्तर पर नीचे गिरने को तैयार है। जिस तरह से हरियाणा में हाल में हुए आंदोलन में पूरे हरियाणा को तहस-नहस करने में कांग्रेस का रोल सामने आया है, इससे यह सबित होता है कि अब यह कांग्रेस नष्ट होने के कगार पर है।

भारत माता का सम्मान, इस देश का विकास आपसी भाईचारे से कांग्रेस का कोई लेना-देना नहीं है। चाहे देश का विकास रूक जाये, चाहे कोई प्रांत बरबाद हो जाये, चाहे इस देश के नागरिक आपस में लड़कर बरबाद हो जायें, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है।

इसको केवल सत्ता किस तरह से मिल सके, इसी जुगाड़ में लगे हैं और इस जुगाड़ के चक्कर में अच्छे-बुरे का भेद भी नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के इसी आचरण को देश और प्रदेश की जनता खुली आंखों से देख रही है और जो सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं, उनसे सही वक्त पर इन सब बातों का जवाब जनता लेगी।

इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच में जिस प्रकार का बजट प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने पेश किया है, इसमें आधारभूत विकास को भी ध्यान में रखते हुये, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, हर क्षेत्र में गतिमान होकर काम करने की मानसिकता से बजट में प्रावधान किये हैं।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह की लम्बी सोच के साथ इस बजट में योजना की गई है, यह बेमिसाल है एवं इसके दूरगामी लाभ-प्राप्त होंगे और बालिका शिक्षा में यह प्रदेश आने वाले समय में अग्रणी प्रदेश बनकर उभरेगा।

बिजली के क्षेत्र में जिस तरह के हालात गत सरकार में पैदा कर दिये थे, दो वर्ष में उन हालात पर काबू पाकर पुन: गतिमान करके बिजली के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त कर ली है?

सोलर ऊर्जा के मामले में राजस्थान प्रदेश में अग्रणी स्थान पर चल रहा है। यह एक सकारात्मक सोच वाली सरकार ही कर सकती है।

आज मेरे भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र एवं पूरे जिले में कांग्रेस की पिछली सरकार के पहले बजट में चंबल योजना की घोषणा की गई थी। पूरे पांच साल इन्होंने निकाल लिये और जनता की महती आवश्यकता की यह योजना माननीय सी.पी. जोशी, तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद, भीलवाडा एवं आदरणीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री की रस्साकशी में फंस कर रह गई और पांच वर्ष में इस योजना पर 10 प्रतिशत भी काम नहीं हो पाया।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सभी जन प्रतिनिधियों एवं सरकार की जागरुकता के चलते इस योजना पर नई सरकार के दो साल में कार्य ने गति पकड़ी है और इस मई-जून में भीलवाड़ा शहर को चंबल से पेयजल की आपूर्ति होने के आसार बने हैं।

भीलवाड़ा को मेडिकल कालेज की सौगात देकर इस सरकार ने भीलवाड़ा पर बहुत बड़ा उपकार किया है। भीलवाड़ा अब टैक्सटाइल हब के बाद मेडिकल हब के रूप में विकसित होगा और आम जनता को राहत प्राप्त होगी।

हमारे भीलवाड़ा शहर में कपड़े का बहुत बड़ा उद्योग है। सरकार ने यार्न पर वैट में छूट देकर बहुत बड़ी राहत प्रदान की है लेकिन अभी उद्योगपतियों में यह आशंका है कि भीलवाड़ा की फैक्टरियों में जो बाहर के स्थानों से जोब के लिए यार्न आता है और कपड़ा तैयार करके उसी मालिक को वापस भेजा जाता है, उस पर क्या 2 प्रतिशत एन्ट्री टैक्स लगेगा या नहीं। मेरी आदरणीया मुख्य

मंत्रीजी से यह प्रार्थना है कि कपड़ा उद्योग की इस आशंका को दूर करने की कृपा करें। क्योंकि अगर 2 प्रतिशत वैट में छूट दी गयी है और 2 प्रतिशत एन्ट्री टैक्स लगेगा, तो छूट देना और नहीं देना बराबर हो जायेगा।

अतः इस एन्ट्री टैक्स को समाप्त करने की मांग के साथ, एवं इस अकाल की स्थिति में गौ शालाओं को अनुदान तत्काल शुरू करने एवं चारा डिपो अतिशीघ्र शुरू करने की मांग के साथ अपना व्यक्तव्य समाप्त करता हूं।

धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री रतनलाल जलधारी (सीकर) : प्रदेश की तेजस्वी माननीया मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा प्रस्तुत बजट 2016-17 पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मुझे बोलने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं सदन का आभारी हूं।

- 'सब जन विकास, सब जन उत्थान' के मूल मंत्र तथा 'सबका साथ-सबका विकास' के संकल्प के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन, MSME पालिसी, पर्यटन नीति, कृषि प्रसंस्करण की नीति लागू कर न केवल अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि आमजन का उत्थान भी होगा।

- हाल ही में आयोजित 'रिसर्जेन्ट राजस्थान' कार्यक्रम में निवेश के लिये किये गये MOU राज्य में विकास के मील के पत्थर साबित होंगे। इससे न केवल प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी।

- आमजन की शिकायतों के शीघ्र निवारण हेतु राजस्थान सम्पर्क आनलाइन पोर्टल जारी किया, जिससे आमजन की समस्याओं का निराकरण शीघ्र हो रहा है। राज्य सरकार का यह प्रयास सराहनीय है।

- जल ही जीवन है। राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में गिरता जलस्तर चिन्ता का विषय है। जल संरक्षण हेतु आमजन को जागरुक करने एवं आमजन, जन-प्रतिनिधियों स्वयं सेवी संस्थाओं, उद्यमियों एवं अधिकारियों के सहयोग से, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान चालू किया गया, जिसके आशातीत परिणाम मिल रहे हैं।

- आर्थिक आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ कर प्रदेश सर्वांगीण विकास कर सकता है। राज्य में ग्रामीण सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु ग्रामीण गौरव पथ

योजना प्रदेशवासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है। ग्रामीण गौरव पथ योजना के प्रथम चरण में 10,984 पंचायत मुख्यालयों पर 1027 करोड़ रु. की लागत से 1,955 किलोमीटर लम्बाई का निर्माण कार्य जून 2016 तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य ग्रामवासियों के लिए एक वरदान साबित होगा। इससे गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा तथा शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। इस सम्बन्ध में सड़क निर्माण में राज्य सरकार का लक्ष्य 2,182 किमी. लम्बाई की 1,009 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया जावेगा। गोवर्धन व बृज चौरासी कोस की परिक्रमा के मार्ग सुदृढ़ीकरण एवं सुविधा हेतु 103 करोड़ 94 लाख का प्रावधान किया गया है जो सराहनीय प्रयास है। राज्य में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडर के तहत 337 करोड़ की लागत से 10 रेल ओवरब्रिज का निर्माण करवाये जाने के प्रावधान से आमजन एवं उद्योगों तथा परिवहन क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा।

- राज्य में आमजन की सुविधा एवं सुगमता हेतु आर ओ बी एस के निर्माण का प्रावधान किया है। इस सम्बन्ध में मेरी सरकार से मांग है कि सीकर शहर में अवस्थित नवलगढ़ पुलिया संकरी होने से आमजन को ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ता है। अत: इस पुलिया को फोरलेन किया जावे।

- पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु राज्य सरकार ने बजट में प्रावधान किये हैं। इससे काफी हद तक पेयजल समस्या का निराकण हो सकेगा। मेरी सरकार से मांग है कि सीकर में 6 तहसील डार्क जोन में होने के कारण इनमें भूजल स्तर काफी नीचे है। क्षेत्र का आमजन पानी की समस्या से त्रस्त है। अत: पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु मेरी सरकार से पुरजोर मांग है कि जिले को कुम्भाराम लिफ्ट योजना से जोड़कर समस्या का निराकरण करवाया जावे।

- सरकार के प्रयास से विद्युत उत्पादन क्षमता में 4,283 मेगावाट की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। प्रदेश सौर ऊर्जा परियोजना में 1,273 मेगावाट क्षमता की परियोजना स्थापित कर देश में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आ गया है। जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया बधाई की पात्र हैं।

- शहरी क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने हेतु राज्य में नगर वन उद्यान योजना लागू की जाने की घोषणा की गयी है। जिससे शहरी क्षेत्र में हरियाली बढ़ेगी

एवं प्रदूषण कम होगा। इस क्रम में मेरा आग्रह है कि योजना के प्रथम चरण में जयपुर व अजमेर के साथ-साथ सीकर को भी सम्मिलित किया जावे ताकि यहां की जनता उक्त योजना से लाभान्वित हो सके।

- कृषकों की सुविधा हेतु एवं कृषि उत्पादन के मद्देनजर 40 हजार नवीन कृषि कनेक्शन दिये जाने की घोषणा एक सराहनीय प्रयास है।

- पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 62.16 करोड़ रु. का बजट में प्रावधान किया गया है। इहस क्रम में मेरी सरकार से मांग है कि सीकर में अवस्थित हर्ष पर्वत राज्य की द्वितीय उच्च पर्वत श्रृंखला है तथा यहां का प्राचीन इतिहास रहा है। अत: सीकर के हर्ष पर्वत को पर्यटन स्थल घोषित कर इसके चरणबद्ध विकास हेतु प्रावधान किया जावे।

- प्रदेश के 12 प्रमुख धार्मिक स्थलों, जिनमें खाटूश्यामजी, सीकर भी है, के चरणबद्ध विकास हेतु 15 करोड़ रु. की घोषणा किये जाने पर मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का तहेदिल से स्वागत करता हूं।

- निवेश एवं आर्थिक वृद्धि हेतु बजट में उद्योगों के लिए लैंड बैंक, स्टार्टअप पालिसी, रिप्स 2014, आनलाइन पोर्टल, 'रिसर्जेन्ट राजस्थान' कार्यक्रम का आयोजन सरकार के सराहनीय प्रयास हैं। इनसे राज्य में न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु लागू रिप्स-2014 की प्रतिमाह निश्चित समय पर बैठक आयोजित करने के लिये प्रावधान करने की मेरी सरका से मांग है कि ताकि उद्यमियों को त्वरित लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही योजना में उन उद्यमियों को लाभ दिये जाने का प्रावधान करने की आवश्यकता है जिन्होंने पूर्व स्थापित उद्योग को क्रय कर नये उत्पाद के लिये निवेश किया है।

- वर्तमान में रेड, ओरेंज एवं ग्रीन कैटेगिरी के उद्योगों के संचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत दी जाने वाली कन्सेंट की अवधि 3, 5 एवं 10 से बढ़ाकर 5, 10 एवं 15 वर्ष करने तथा राज्य के ग्रीन कैटेगिरी के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को मण्डल से कन्सेंट प्राप्त करने की अनिवार्यता समाप्त करने की घोषणा उद्योगों को एक बड़ी राहत प्रदान करेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

- बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं प्रोत्साहन हेतु मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं।

- कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु 676.37 करोड़ रु. के प्रस्तावित प्रावधान के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को साधुवाद देता हूं। मुख्य मंत्री महोदया के इस सराहनीय प्रयास से किसानों को अतिवृष्टि एवं अकाल से होने वाली हानि से बचाया जा सकेगा।

- बजट में सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु बूंद-बूंद सिंचाई एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र पर देय अनुदान, उर्वरक के भण्डार तथा कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु मण्डी आनलाइन की स्थापना किया जाना अनुकरणीय प्रयास हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र कृषि एवं पशु पर निर्भर रहते हैं। माननीया मुख्य मंत्री की घोषणा भामाशाह पशु बीमा योजना पशुपालकों के लिए वरदान साबित होगी।

- स्नातक स्तर पर राजकीय महिला महाविद्यालय होद खण्डेला में भूगर्भ शास्त्र एवं सीकर में भौतिक विषय प्रारम्भ करने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। मेरा आग्रह है कि सीकर में शिक्षा के स्तर को देखते हुए स्नातकोत्तर स्तर पर प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं भौतिक शास्त्र विषय खोले जाने पर सरकार पुनर्विचार करे।

- प्रदेश में बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु 8,742 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है, जो प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधा हेतु एक अनुपम उपहार है।

- सरकार द्वारा स्थानीय स्वःशासन, कौशल एवं रोजगार, ग्रामीण विकास का पंचायती राज, सैनिक कल्याण एवं डिजिटल राजस्थान, सुशासन हेतु बजट में किये गये प्रावधान सराहनीय हैं। प्रदेश की विपरीत परिस्थितियों में माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा गरीब, किसान, व्यापारी, छात्र, बेरोजगार एवं सभी वर्गों के लिए एक आदर्श बजट प्रस्तुत किया गया है जो प्रदेश को प्रगति की ओर अग्रसर करेगा, जिसका मैं तहेदिल से स्वागत एवं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

- मेरे क्षेत्र की आवश्यक मांग मिनी सचिवालय व मेडिकल कालेज।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17 पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत इस बजट में गांव, गरीब, किसान और मजदूर के साथ-साथ समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने प्रदेशवासियों को एक जवाबदेह प्रशासन देने का प्रयास किया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने सबसे बडी चुनौती प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने पिछले कार्यकाल में राजस्थान को 'बीमारू' राज्यों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया था लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के कमजोर वितीय प्रबंधन और कुनीतियों के कारण राजस्थान वापस 'बीमारू' श्रेणी में शामिल हो गया। अब हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से राजस्थान पुनः 'बीमारू' राज्यों की श्रेणी से बाहर निकल रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्य मंत्रीजी का यह ध्येय रहा है कि लोक लुभावनी थोथी घोषणाएं करने के बजाय, जमीनी स्तर पर कार्य करके प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाये। हर बेरोजगार हाथ को रोजगार मिले और समाज के वंचित वर्ग को समाज की मुख्यधारा में लाया जाये।

अध्यक्ष महोदय, विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होने के लिये प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना आवश्यक है। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को समझा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने और प्रदेश में निवेश के अवसर बढ़ाने के लिये 'रिसर्जेन्ट राजस्थान' के नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें स्वदेशी ही नहीं, विदेशी कम्पनियों के साथ प्रदेश में 3 लाख 21 हजार करोड़ रुपये के निवेश हेतु 295 एम.ओ.यू. साइन किये गये।

अध्यक्ष महोदय, युवा पीढ़ी देश का भविष्य है। बिना युवाओं की तरक्की के किसी भी प्रदेश और देश का प्रगति कर पाना सम्भव नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि प्रदेश के युवा वर्ग को रोजगार से जोड़कर उनका जीवन विकसित किया जाये। इसके लिए हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के 15 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का निर्णय लिया और आज प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें बड़े स्तर पर कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में यह बोलते हुए काफी खुशी है कि आज कौशल विकास में हम देश में प्रथम स्थान

पर हैं। पिछले 2 वर्षों में 6 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा चुका है और हम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी उपलब्धियां केवल यहां तक ही सीमित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के सतत प्रयासों और दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि आज राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में अव्वल है।

वर्ष 2014-15 में 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक के फसली ऋण का वितरण कर राजस्थान फसली ऋण वितरण के क्षेत्र में देश में सबसे आगे रहा। यह हमारी सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता व प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसके साथ ही आज राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में भी राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर आ गया है।

राज्य सरकार द्वारा अर्जित इन उपलब्धियों से देश और विदेश में राजस्थान के प्रति एक सकारात्मक माहौल बन रहा है। निवेश में वृद्धि के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, सुशासन एवं जाब क्रियेशन के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पहल करते हुए हमारी सरकार ने भामाशह योजना, भामाशाह स्वरोजगार सृजन, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा, आरोग्य राजस्थान, मुख्यमंत्री जन आवास, अन्नपूर्णा भंडार जैसी अनूठी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिनको प्रदेश की जनता ने काफी सराहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिये चलाई गई इन योजनाओं से प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट 2016-17 के कुछ बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सड़क

अध्यक्ष महोदय, राज्य में ग्रामीण सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिये हमारी सरकार ने ग्रामीण गौरव पथ योजना की शुरूआत की। इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की सूरत बदल दी। इस योजना के प्रथम चरण में 1 हजार 984 पंचायत मुख्यालयों पर 1 हजार 27 करोड़ की लागत से 1 हजार 955 किलोमीटर लम्बाई के ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण जून 2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रदेश के ग्रामवासियों की विशेष मांग को देखते हुए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने आगामी वर्ष में 2 हजार और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण एवं मिसिंग लिंक का निर्माण

करवाने का निर्णय लिया है। मैं इस सराहनीय कदम के लिये राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं।

पेयजल

माननीया मुख्य मंत्री ने इस बजट में प्रदेश के कई क्षेत्रों के लिये नई पेयजल योजना आरम्भ की है। साथ ही दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्र में जहां लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने में काफी समस्याएं आ रही हैं, वहां पेयजल हेतु 40 करोड़ की लागत से 4 हजार हैण्डपम्प लगाने का निर्णय लिया है, जो सरकार का एक सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में कोटा शहर का तेजी से विस्तार होने से आबादी बढ़ी है। 5.5 लाख स्थानीय नागरिकों के अतिरिक्त करीब 1.5 लाख कोचिंग विद्यार्थी कोटा शहर में निवास करते हैं। जिसे देखते हुए नये कोटा शहर में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये 1 नये फिल्टर प्लान्ट, इन्टेक वेल की आवश्यकता है।

ऊर्जा

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के कई शहरों में जहां सघन आबादी क्षेत्र हैं, वहां आबादी क्षेत्रों के ऊपर से बिजली की हाइटेंशन लाइनें गुजरी रही हैं। कोटा शहर की कई कालोनियों के ऊपर से हाइटेंशन लाइनें गुजर रही हैं। साथ ही बिजली के ट्रांसफार्मर भी सार्वजनिक स्थानों पर भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लगे हुए हैं जिस कारण आये-दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। अत: मेरा सदन के माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन है कि कोटा शहर में कालोनियों के ऊपर से गुजर रहे इन हाइटेंशन तारों को दूर कर भूमिगत किया जायें। साथ ही, भीड़-भाड़ वाले इलाकों से बिजली के ट्रांसफार्मर्स को हटाया जावे।

देवस्थान विभाग

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश के 12 धार्मिक स्थलों के विकास के लिये 35 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। कोटा का प्राचीन चन्द्रसेल मठ और गढ़ परिसर में स्थित रियासतकालीन मंदिर भी उपेक्षा का शिकार है। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित मन्दिर श्री सूर्यनारायण, अमर निवास, कोटा और मन्दिर श्री नीलकंठ महादेव, रेतवाली, कोटा का भी विकास कार्य करवाये जाने की आवश्यकता है।

अत: मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार और देवस्थान विभाग मंत्री

जी से निवेदन है कि कोटा शहर में स्थित इन मंदिरों के हालात सुधारने के लिए आवश्यक बजट स्वीकृत किया जावे।

वन एवं पर्यावरण

अध्यक्ष महोदय, मनानीया मुख्य मंत्रीजी ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत वन क्षेत्रों, वन्य जीव क्षेत्रों तथा गैर-वन क्षेत्रों में जल संग्रहण बढ़ाने हेतु राज्य के 17 जिले, जिनमें कोटा भी शामिल है, के लिये 157 करोड़ 61 लाख रुपये की लागत से विशेष परियोजना क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने टाइगर रिजर्व क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में नवीन गैस कनेक्शन पर मिलने वाली अनुदान की राशि को बढ़ाकर 50 से 100 प्रतिशत किया है। इसके अलावा, सरिस्का एवं मुकंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिये STPF के गठन का भी निर्णय लिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

मैं इसके लिये कोटा की जनता की ओर से मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं।

शिक्षा

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कोटा शहर की शिक्षा सम्बन्धी कुछ समस्याओं की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के कई माध्यमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, पर्याप्त कक्षा कक्ष नहीं हैं। अत: मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि कोटा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में कक्षा कक्षों का निर्माण एवं अन्य जरूरी निर्माण कार्य करवाये जावें।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में राज्य सरकार ने कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में एन्ट्रेप्रिन्यूअरशिप स्माल बिजनेस मैनेजमेंट सेन्टर चलाने जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी और उच्च शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही आपके माध्यम से मेरा राज्य सरकार और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध है कि कोटा के राजकीय महाविद्यालय में भूगर्भ शास्त्र विषय खुलवाया जाना आवश्यक है। कोटा एक सम्भागीय मुख्यालय है जहां पर इस विषय का होना आवश्यक है। साथ ही कोटा के कालेजों में अध्ययनरत विद्यार्थी भी उक्त विषय खुलवाने की

मांग करते आ रहे हैं। इसके साथ मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि कोटा में ट्रीपल-आई.टी. की घोषणा हुए काफी समय हो गया लेकिन ट्रीपल-आई.टी. की स्थापना की रफ्तार काफी धीमी है। अत: कोटा शहर में ट्रीपल-आई.टी. के काम में तेजी लाते हुए शीघ्र इसका भवन निर्माण कार्य आरम्भ करवा कर इस संस्थान में शिक्षण कार्य आरम्भ करवाया जावे ताकि। विद्यार्थियों को इसका शीघ्र लाभ मिल सकें।

गृह विभाग

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में पहले भी पुलिस का आधुनिकीकरण करने एवं साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने का मामला उठाया था। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट में पुलिस आधुनिकीकरण के लिये 34 करोड़ के उपकरण और 10 करोड़ रुपये के वाहन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया। साथ ही प्रत्येक रेंज में साइबर क्राइम यूनिट स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। मेरा मानना है कि राज्य सरकार के इन प्रयासों से राजस्थान पुलिस को और अधिक मजबूती मिलेगी और अपराधों में कमी आयेगी।

कर्मचारी कल्याण

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य कर्मचारियों की एक प्रमुख समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड में जो फिक्स वेतन दिया जा रहा है, उसमें एक परिवार का पालन-पोषण होना सम्भव नहीं है। एक क्लर्क को प्रोबेशन के दौरान लगभग 8,000 रु. दिये जा रहे हैं। इसलिये मेरा माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि प्रोबेशन पीरियड में कर्मचारियों को दिये जाने वाले फिक्स वेतन में वृद्धि की जाये जिससे कर्मचारियों एवं उनके परिवार का सही प्रकार भरण-पोषण हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत किया गया वर्ष 2016-17 का यह बजट विकासोन्मुखी, आमजन के लिये कल्याणकारी बजट है। मुझे पूरा विशवास है कि इस बजट में लिये गये निर्णयों से आने वाले समय में प्रदेश के हालात और बेहतर होंगे और हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के अपने इरादों में कामयाब होंगे। मैं इस कल्याणकारी और विकासोन्मुखी बजट के लिये माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं और अन्त में निम्न शब्दों से अपनी बात समाप्त करता हूं :-

जिन्दगी का असली मुकाम अभी बाकी है,
हमारे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है।
अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन,
आगे सारा आसमान बाकी है।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा जी राजे द्वारा प्रदेश को समर्पित बजट 2016-17 प्रस्तुत करने पर मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सदन के माध्यम से मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा जी राजे को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि समूचे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए बजट 2016-17 में आमजन का ध्यान रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती वसुन्धरा जी राजे के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने आम जनता की आशा और अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए विगत 2 वर्षों में जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया है, जो प्रदेश को आधुनिक एवं प्रगतिशील बनाने में मील का पत्थर साबित हुई हैं। इसमें आमजन की प्रमुख आवश्यकताएं यथा सड़क, बिजली, पानी हो, या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा या रोजगार, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सबका साथ-सबका विकास ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए राजस्थान सरकार के बजट 2016-17 में विधान सभा क्षेत्र दौसा को जो सौगातें दी हैं, उनके लिए यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया का आभार व्यक्त करता हूं।

दौसा जिला 1991 में जिला घोषित किया गया था परन्तु दौसा की समस्याएं ओर पेयजल की समस्या जस की तस है। दिसम्बर, 2013 से हमारी गौरवमयी राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में हर क्षेत्र को छूते हुए विकास की राह प्रशस्त की है ओर दौसा की सबसे बड़ी एवं सबके विकट पेयजल समस्या के समाधान के लिए पूर्व के बजट में दौसा को 541 करोड़ की ईसरदा पेयजल योजना स्वीकृत की और माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने बजट 2016-17 में तात्कालिक समाधान हेतु 14 करोड़ की राशि स्वीकृत की। यह सच में दौसा के लिए वरदान है, अन्यथा दौसा तो वह क्षेत्र है जिसमें आज भी एक लोकोक्ति प्रचलित है कि दौसा शहर चिड़ी का बासा, अन्न घणो पानी की तासा।

साथ ही पार्वती-कालीसिन्ध के अधिशेष जल के उपयोग के लिए, दौसा को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, बनने वाली परियोजना में दौसा जिले को शामिल कर रिपोर्ट बनाने की स्वीकृति दी। यह भी विधान सभा क्षेत्र दौसावासियों के लिए गौरव और प्रसन्नता की बात है।

साथ ही विधान सभा क्षेत्र दौसा के ग्रामीण क्षेत्र, जो कि पेयजल उपलब्धता और फ्लोराइड की समस्या को प्रतिदिन झेल रहे हैं, उसके लिए भी विस्तृत पेयजल योजना बनाकर पेयजल उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। यथा हिगोंटिया, खानपुरा, खानवास, सिंगवाड़ा, सीतापुरा, चान्दराना, बापी, खैरवाल, जीरोता, नांगल गोविन्द, लवाण, डूगरावता, ढिगारिया, आदि ग्राम पंचायतें इस समस्या से भयंकर रूप से ग्रस्त हैं। ऐसे में इन ग्राम पंचायतों में आर.ओ. प्लान्ट लगाने के साथ ही सोलर पम्प भी लगवाए जाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भी इस समस्या से निजात मिल सके।

साथ ही राज्य में बीमारू जनता जल योजना को दुरुस्त कर योजना में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान कर प्रदेश की जनता को राहत प्रदान की।

महाराष्ट्र की तर्ज पर आप द्वारा चलाया गया मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, जो कि अपने आप में एक विशेष कार्यक्रम और आप की दूरगामी सोच का सकारात्मक स्वरूप है, जो भविष्य में साकार होगा। उसके अन्तर्गत जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने हेतु दौसा सहित 17 जिलां में 157 करोड़ 61 लाख रुपये की विशेष परियोजना; साथ ही दौसा सहित 9 जिलों में एनिकट निर्माण हेतु 25 करोड 74 लाख की राशि स्वीकृत की।

साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि दौसा स्थित बावड़ियों के संरक्षण हेतु योजना बनाई जाए ताकि इन प्राचीन धरोहरों का न केवल संरक्षण हो सके अपितु जल संरक्षण के लिए एक विकल्प के रूप में इनका उपयोग हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जो किसानों के हितों के लिए तत्पर एवं सदैव चिन्तन करती है, उसी का एक उदाहरण हमें माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बजट 2016-17 में प्रस्तुत किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदया और हमारे संजीदा कृषि एवं पशुपालन विभाग मंत्री महोदय को कि दौसा मुख्यालय पर संचालित संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग के कार्यालय के लिए 5 करोड़ 76 लाख की राशि से नवीन भवन निर्माण की घोषणा की। पशुधन की सेहत और पशुपालन विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अब दौसा में नई उम्मीदें जागी हैं।

दौसा की आधारभूत सुविधाएं यथा जल वितरण, सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करने के लिए राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना के चतुर्थ चरण में दौसा को शामिल किया गया है। यह प्रसन्नता

का विषय है। इसके लिए आपको और माननीय स्वायत्त शासन विभाग मंत्री महोदय को बारम्बार धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दौसा को जो सौगात मिली, उसके लिए मैं यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान् कालीचरण जी सराफ को धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान सरकार केवल वादों की सरकार नहीं, अपितु काम करने वालों की सरकार है, जो अपने किए हुए वादों और घोषणाओं को पूरा करती है। इसका ही प्रमाण बजट 2016-17 में हम दौसा विधान सभा क्षेत्रवासियों को मिला। राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा में बजट 2016-17 में स्नातकोत्तर स्तर पर अकाउन्टेंसी और बिजनेस स्टेटिस्टिक्स विषय प्रारम्भ किए जाने की घोषणा की और साथ ही पी.जी. कॉलेज, दौसा में समाज शास्त्र विषय प्रारम्भ किया जाएगा।

साथ ही माननीय मुख्य मंत्री महोदया और उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि दौसा में नवगठित पंचायत समित लवाण में राजकीय महाविद्यालय यदि खोल दिया जाए, तो निश्चित रूप से विधान सभा क्षेत्रवासियों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों और पंचायत समति वासियों को लाभ मिलेगा1 साथ ही, राजकीय महिला महाविद्यालय, दौसा को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत कर दिया जाए और जिले का एक मात्र राजकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय में नए विषय मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आदि खोल दिए जाएं तो जिलेवासियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा।

पूर्ववर्ती सरकार ने शिक्षा का स्वरूप बदहाल किया है। उसे सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कक्षा 5वीं में भी प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन हेतु जिला स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए दौसा के 10 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कला संकाय के अतिरिक्त कृषि, विज्ञान या वाणिज्य विषय अतिरिक्त खोले जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया और माननीय मंत्री श्री यूनुस खान जी साहब को जिन्होंने सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए इतना ध्यान दिया है। इसी में दौसा की मुख्य सड़क हाइवे एन.एच. 11 से दौसा की ओर गांधी तिराहे से होते हुए, सोमनाथ की ओर से आगरा रोड बाइपास तथा गांधी तिराहे से लालसोट रोड की तरफ से जिला चिकित्सालय से लालसोट बाइपास तक की सड़क का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इन कार्यों के होने से दौसा के यातायात दबाव पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जो किसानों के हितों के लिए तत्पर एवं सदैव चिन्तन करती है, उसी का एक उदाहरण हमें माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बजट 2016-17 में प्रस्तुत किया है।

दौसा विधान सभा क्षेत्र के खानभांकरी दौसा कुण्डल एल सी नम्बर 156 पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा जो कि इस क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा। क्योंकि विगत लम्बे समय से इसके निर्माण की प्रतीक्षा थी, परन्तु हर बार यह उपेक्षा का शिकार होता रहा और स्थानीय लोगों को निराशा की हाथ लगती थी। कुण्डल रोड दौसा जिले के अन्दर से होते हुए बान्दीकुई को जाने के लिए जहां एक बेहतरीन विकल्प के रूप में यह मार्ग मिला है, वही यात्रियों को लगभग 30 कि.मी. की कम यात्रा करने को मिलेगी। दौसा से कुण्डल होते हुए बान्दीकुई-सिकन्दरा-दिल्ली मेगा हाइवे से जुडाव हो जाएगा और आवागमन में सुविधा मिल सकेगी।

आखिर में माननीय मुख्य मंत्री महोदया का विधान सभा क्षेत्र दौसा वासियों की तरफ से कोटि-कोटि आभार व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं।

आपके जन्म दिवस 8 मार्च पर आम आदमी को समर्पित व प्रस्तत किए गए बजट 2016-17 में मिली दौसा विधान सभा क्षेत्र को सौगातों के लिए बस यही कहना चाहूंगा कि-

हर रहा आसान हो, हर राह पे खुशियां हों।
हर दिन खूबसूरत हो, ऐसा ही पूरा जीवन हो।।
हर दिन, यही मेरी दुआ है,
ऐसा ही आपका हर जन्म दिन हो।

धन्यवाद। जय जय राजस्थान।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से बजट 2016-17 पर बोलने का अवसर देने हेतु बहुत-बहुत धन्यवाद।

- यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बजट 2016-17 में 'सबका साथ-सबका विकास' व राजस्थान के आमजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते रखते हुए, सभी आमजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, सुनियोजित किया गया है।
- Resurgent Rajasthan के दौरान प्रदेश में 3 लाख 21 हजार करोड़ के

295 एम ओ यू किये गये व 51 एम ओ यू 11 हजार 531 करोड़ के हुए, जिससे प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे व राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

- प्रदेश में यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भामाशाह योजना, भामाशाह स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना को प्रारम्भ किया, जिससे आमजन व गरीब तबके को राहत मिली तथा महिलाओं को आगे बढ़ने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ।

- न्याय-आपके-द्वार के तहत राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से प्रदेश में 21 लाख से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिससे हर वर्ग व आमजन को प्रकरणों के निस्तारण से राहत मिली एवं लाखों लोगों को न्याय मिला।

- हर व्यक्ति की समस्या के निस्तारण के लिए 'राजस्थान सम्पर्क' पोर्टल बनाया गया, जिससे हर व्यक्ति को समस्या समाधान में आसानी मिली तथा शिकायत की जांच का पारदर्शिता से निस्तारण नहीं होने पर पुन: जांच कराने का विकल्प भी दिया गया है।

- 'जल स्वावलम्बन योजना' माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा प्रदेश में जल-ही-जीवन है के संदेश को अपनाते हुए जल की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान प्रारम्भ किया गया, जिससे गांव-गांव व ढाणी-ढाणी में पानी की कमी न हो व हर वर्ग को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। इस अभियान को प्रदेश भर में भरपुर सहयोग प्राप्त हो रहा है।

- **स्वच्छ भारत मिशन** मई, 2014 में माननीय प्रधान मंत्री महोदय नरेन्द्र जी मोदी ने देश की सत्ता को संभाला। उस दिन से ही स्वच्छ भारत मिशन की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया और स्वच्छता की ओर खासा ध्यान दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत माननीय मुख्य मंत्री महोदया के सफल व अथक प्रयासों से आज राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर है तथा अजमेर जिला इस प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 'स्वच्छ राजस्थान' के लिए बजट में 125 करोड़ रुपये का बजट ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत किया।

- **सड़क** आज प्रदेश माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से सड़क तंत्र व्यवस्था में मजबूत स्थिति में है। प्रदेश में ग्रामीण गौरव पथ योजना प्रारम्भ करने से गांव-गांव में कीचड़ समाप्त हो गया है। मुख्य मंत्रीजी की यह सोच

वाकई बहुत ही सराहनीय है। बजट 2016-17 में भी 2 हजार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ के निर्माण की घोषणा करना अभूतपूर्व निर्णय है।

- बजट में 2 हजार किमी. से अधिक मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, नान-पैचेबल कार्य सहित कई सड़कों के निर्माण की घोषणा की गई, जो सराहनीय है।

- बजट में दुनिया के जन आस्था के केन्द्र बृज भूमि पर 84-कोस परिक्रमा पर 103 करोड़ व रामदेवरा पर लगभग 15 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कार्य की घोषणा करना अब तक के इतिहास में पहली बार है।

- बजट में प्रदेश भर के आबादी क्षेत्रों व कस्बों से जो राजमार्ग गुजरते हैं, उनके बाइपास निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। माननीया मुख्य मंत्रीजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी कस्बे से राजमार्ग गुजरता है। अतः आप मेरे कस्बे के लिए बाइपास हेतु बजट स्वीकृत करें।

- **ऊर्जा** बिजली जीवन की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्द्धा के युग में निजी कम्पनी के बराबर आना चाहिए। बजट में किसानों के लिए 40 हजार नवीन कृषि कनेक्शन की घोषणा करना किसानों के हित में है।

- ऊर्जा के क्षेत्र में 5 कंपनियों कार्य कर रही हैं। ये कंपनियां 1998-2003 कांग्रेस शासन के दौरान बनीं। वर्ष 2003-2008 के कार्यकाल में FRB को लागू किया गया। 733 के.वी. के 2 जी एस एस फागी व अन्ता हेतु एल.एन.टी. व के.एम.सी. को बी.एस.आर. से 40 प्रतिशत ऊपर पर काम दिया। यू पी ए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने बगरू में एक सभा के दौरान कहा था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे और घाटा बढ़ता गया।

- भारत सरकार की 'उदय' योजना के तहत ऊर्जा के क्षेत्र में व्याप्त घाटे को टेक-ओवर करने का जो साहसिक कदम मुख्य मंत्रीजी ने उठाया, वह वाकई में सराहनीय है।

- **देवस्थान** माननीया मुख्य मंत्रीजी का प्रदेश के विभिन्न मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बजट में 35 करोड़ रुपये की घोषणा करना उनकी धार्मिक आस्था को दर्शाता है। बजट में इस घोषणा से हर आम आदमी में चर्चा है कि मुख्य मंत्रीजी ने लाखों लोगों की धार्मिक आस्था की ओर खासा ध्यान दिया है। लोगों को धार्मिक स्थानों पर होने वाली कठिनाइयां समाप्त होंगी।

- रणथम्भौर अभयारण्य में जंगल बचा रहे, इस हेतु गैस कनेक्शन पर अनुदान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर शत-प्रतिशत किया गया है। यह वाकई सराहनीय निर्णय है। 40 हजार गैस कनेक्शन जारी कर लोगों को राहत मिलेगी तथा प्रदूषण-मुक्त वातावरण मिलेगा।

- **पेयजल** माननीया मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश भर में पेयजल संकट के समाधान हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत किया है तथा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। इस बजट में प्रदेश भर के कई जिलों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने हेतु कई योजनाओं की घोषणा करना ही बड़ा कदम है, जिससे इन योजनाओं के क्रियान्विति होने से पेयजल संकट का समाधान होगा।

- **सहकारिता** प्रदेश में सहकारिता के सिस्टम को मजबूत व विकसित करने के लिए ग्राम सहकारी समितियों को आनलाइन किया जाना चाहिए, जिससे ग्राम व ढाणी स्तर मजबूत होंगे। हर वर्ग व किसान के नरेगा का भुगतान, फसली ऋण, पेंशन, आदि कई योजनाओं का भुगतान सीधा सहकारिता के खाते में आने से गांव के किसान, मजदूर को राहत मिलेगी। माननीय मुख्य मंत्री महोदया, सरकार की हर योजना को ग्राम सहकारिता समिति के बैंक से जोड़ना व आनलाइन करना चाहिए, जिससे सहकारिता क्षेत्र मजबूत होगा व विकसित होगा तो प्रदेश भी विकसित होगा।

- **महिला एवं बाल विकास** माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट सत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनियों, सहायिका व साथिन का मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर महिलाओं को स्वावलम्बी बनाया। इस घोषणा से प्रदेश भर की आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं में खुशी की लहर है तथा महिलाओं की कई वर्षों की अधूरी मांग पूरी हुई है। माननीया मुख्य मंत्रीजी का कोटि-कोटि धन्यवाद।

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ग्राम स्तर पर बालक-बालिकाओं का सर्वे, पोषण-कुपोषण का सर्वे, जन्म-मृत्यु दर का विश्लेषण, आदि कई योजनाओं में सहयोग रहता है।

- **खनन** खनन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा करने का मैं स्वागत करता हूं।

- **कृषि व पशुपालन** मार्च, 2015 में ओलावृष्टि से प्रदेश भर में किसानों

को भारी नुकसान पहुंचा था। उस समय माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने गांव, गरीब, किसान के दर्द को समझा और पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि के मुआवजे हेतु लगभग 2 हजार 471 करोड़ रुपये की राशि किसानों के खातों में जमा कराई। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी 110 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को देकर राहत पहुंचाई। मेरी ओर से यशस्वी मुख्य मंत्रीजी व कृषि मंत्रीजी का साधुवाद करता हूं।

- मुआवजा कम्प्यूटराइज्ड होना चाहिए।
- **जल संसाधन** फोर वाटर, ERM, RRR व जल स्वावलम्बन योजना।
- **शिक्षा** शिक्षा के क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलना, 8वीं बोर्ड परीक्षा का पुन: संचालन, माडल स्कूल खोलना, शिक्षकों की भर्ती व लैपटाप व साइकिल वितरण।
- मुख्यमंत्री राजश्री योजना- जन्म से ही जन्म पर 2,500/-, प्रथम वर्षगांठ पर 2,500/-, प्रथम कक्षा में 4 हजार, कक्षा 6 में 5 हजार, 10वीं में 11 हजार व 12वीं में 25 हजार।
- **कौशल, श्रम एवं आई.आई.टी.** प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए RSLDC के माध्यम से 1 लाख 11 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिये जने की घोषणा से युवाओं में भारी उत्साह है।
- **वैट** प्रदेश में व्यापारियों के हित के लिए वैट के नियमों में संशोधन कर वैट कम करने का निर्णय लेना काफी सराहनीय है। बजट में कई वस्तुओं पर 14.5 प्रतिशत से वैट घटाकर 5.5 प्रतिशत किया गया है तथा कई वस्तुओं पर आमजन को राहत देने के लिए वैट को माफ किया गया है।
- आगामी वित्तीय वर्ष में कृषि, आवासीय और व्यावसायिक भूमि की मूल्यांकन दरों में, डी एल सी दरों में कोई वृद्धि नहीं किये जाने की घोषणा से आमजन को बड़ी राहत मिली है।

श्री मंगलराम (कठूमर) : माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, किसान भाइयों को यूरिया व डी.ए.पी. खाद की परेशानी आती थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने इस समस्या के समाधान हेतु वर्ष 2016-17 में किसानों के उचित समय पर यूरियापत खाद मिले, इसके लिए 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 20 हजार मैट्रिक टन डी.ए.पी. का अग्रिम भण्डारण किया गया है और क्षारीय भूमि के सुधार हेतु जिप्सम उपलब्ध कराने के लिए मार्च 2016 तक 50 हजार मैट्रिक टन जिप्सम का अग्रिम भण्डार किया है।

बजट भाषण 2016-17

माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने राज्य के सभी वर्ग, छत्तीसों कौमों को ध्यान में रखकर यह बजट दिया है।

1. हमारी सरकार ने 1 हजार 984 पंचायत मुख्यालयों पर 1 हजार 27 करोड़ की लागत से 1 हजार 955 किलोमीटर के ग्रामीण गौरव पथ जून 2016 तक पूर्ण कराने के लिए आम जन ने सराहा है।

2. मिसिंग लिंक के क्षेत्र में 608 करोड़ की लागत से 2,182 किलोमीटर की 1,009 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाया गया है।

3. भारतवर्ष से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की परेशानी का समाधान करने के लिए भरतपुर में गोवर्धन की 84-कोस का परिक्रमा मार्ग 103 करोड़ 94 लाख की लागत से बनाया जाएगा।

कठूमर विधान सभा क्षेत्र में हुए कार्य

1. मेरे विधान सभा क्षेत्र में 11 गौरव पथ का निर्माण हो चुका है, जिनमें जहाडू सौखर इटेंडा, खुडियाना, जावली, बडौदाकान, टिटपुरी, ईसरौता, कठूमर, तसई, खैडामैदा हैं।

2. मिसिंग लिंक सड़क के अन्तर्गत 8 सड़कें बनवायी गयीं।

कठूमर क्षेत्र की मुख्य समस्याएं

1. नटनी का बारा से वाया लक्ष्मणगढ़ कठूमर नन्दगांव में स्टेट हाईवे 44 स्वीकृत है जिसमें लक्ष्मणगढ़ से कठूमर तक 24 किलोमीटर सड़क मात्र 3 मीटर (10 फीट) बनी हुई है, जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र के लगभग 100 गांवों का आना-जाना रहता है। आये दिन भारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसको शीघ्र बनवाने की कृपा करें।

2. कठूमर से वाया भनोखर घोसराना मण्डावर स्टेट हाईवे नम्बर 78 स्वीकृत है। इस पर मेरे विधान सभा क्षेत्र के सैकड़ों गांवों से आना-जाना रहता है। इसलिए इस सड़क को अतिशीघ्र पूर्ण करवाने का श्रम करें।

3. वाइडनिंग सुराज संकल्प यात्रा के दौरान माननीय मुख्य मंत्री महोदया का मार्ग था जिसमें धोलागढ़ माता से खुडियाना ईटेडा, करीरिया, निम्बाहेड़ा, दुसैडा से बडौदामेव सड़क की दुर्दशा को देखकर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वाइडिंग 5½ मीटर चौड़ी की घोषणा की थी। इसमें भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के सैकड़ों गांवों का आना-जाना रहता है। इसको स्वीकृत

कराने का श्रम करें, जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता का आवागमन सुचारु रूप से चल सके।

4. इसे स्वीकृत कार्य शीघ्र करवायें :- (क) अडौली से माणकपुर (ख) जटवाडा से निठारी रोड काला का मन्दिर (ग) कारोली रोड से चामड का नगला (घ) इन्द्रावली से मथुरा हेड़ा (ण) जालूकी लक्षमणगढ़ से जावली।

जल विभाग

1. राजस्थान में पेयजल योजना का विद्युत भार 900 करोड़ रुपये से भी अधिक है, जबकि पेयजल योजनाओं से आय मात्र 1-तिहाई है।

2. पेयजल योजनाओं पर सरकार के प्रथम दो वर्षों में हमने 8 हजार 500 करोड़ व्यय किये हैं, जबकि गत सरकार द्वारा प्रथम 2 वर्षों में मात्र 3 हजार 785 करोड़ व्यय किये गये थे।

क्षेत्र में हुए कार्य :-

1. मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुए कार्य-पहले 65 गांवों में खारा पानी था, जिसे पीना मुश्किल था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 86 आरोह हमारी सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

2. इसके अलावा 9 सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंगल फेज लगेंगे जिसमें 90 लाख रुपये की लागत आयेगी।

3. इसके अतिरिक्त विभिन्न बड़ी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं जिनमें 6-7 बड़ी योजनाएं स्वीकृत हुईं।

क्षेत्र की मुख्य समस्या :-

पानी की 25 वर्षों से भारी किल्लत का सामना 7-8 ग्राम पंचायतों के चालीसों गांव कर रहे हैं, जो गांव पहाड़ी की तलहटी में बसे हैं, जैसे-

1. नाहरखोहरा, नापापाडा, भौजापाडा, बहुपाडा, मकरेटा, टेटपुर, कैमला।
2. खोह, खेडासारंगपुरी, निचलाखेडा, जांगरू।
3. जटवाडा, खेडालगनपुर, ठकसी, हनुमानवास, सन्तोकपुर, रिझावास।
4. अडौली, माणकपुर, गौटडी।
5. खौकर, माणकपुर, गौटडी।
6. बहतुकलां रामगढ़, चांदपुर, खेडातर्फबहतु, बहतुखुर्द।

शिक्षा

माननीया मैडम जी ने बजट सत्र 2016-17 में 23 हजार 177 करोड़

15 लाख का प्रावधान रखा है, जो पिछले बजट से 14.47 प्रतिशत अधिक है, जो शिक्षा जगत में वरदान साबित होगा।

क्षेत्र में हुए कार्य :-

1. 19 माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें 7 माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें प्रधानाध्यापक नहीं हैं। शेष सभी में प्रधानाध्यापक लगा दिये गये हैं।

क्षेत्र की समस्याएं :-

मेरे विधान सभा क्षेत्र के सभी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी होनी चाहिए जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा का पूरा लाभ मिल सके।

2. मेरे क्षेत्र की 9 ग्राम पंचायत ऐसी हैं। जिनमें माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं हुए हैं। मेरा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि उनको क्रमोन्नत करने की कृपा करें। पंचायतें निम्न हैं- बसेठ, कालवाडी, जहाडू, दांतिया, सौंखर, टिटपुरी, मंसारी, बैरका, खेरलीरेल।

चिकित्सा

माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने सोचा कि परिवार का कोई सदस्य यदि बीमार होता है तो पूरा परिवार दु:खी व चिन्ताग्रस्त हो जाता है। मैडम जी चाहती हैं कि प्रदेश के हर सदस्य को बीमारी में अच्छा इलाज मिले। अत: बजट 2016-17 में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए 8 हजार 742 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

जो कार्य करवाने हैं :-

1. कठूमर और खेड़ली चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, अत: लगाने की कृपा करें, जिससे मातृ शक्ति की सेवा की जा सके।

बिजली

कार्य जो होने हैं-

1. कृषि कनेक्शन लम्बित 3,110 ।

2. घरेलू कनेक्शन 3,222 लम्बित हैं। इनको जल्द करवाने की कृपा करें।

3. जी.एस.एस. नगला सीताराम, खेड़ामैदा, बड़ौदाकान, सौंख, उल्याना, बायडा में खोलने की कृपा करें, जिससे जनता को पूरी बिजली मिल सके।

4. क्षेत्र में विद्युत पावर की बड़ी समस्या रहती है। अत: बड़ौदाकान में एक 132 के.वी. का जी एस एस स्वीकृत करने की कृपा करें।

सुश्री कीर्ति कुमारी (माण्डलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सब-जन-विकास, सब-जन-उत्थान;

पुरानी नीतियों को बदलकर नई नीतियां बनाने से देश ही नहीं, अपितु विश्व में राज्य की अर्थव्यवस्था हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण बना है।

नवम्बर 2015 में 'रिसर्जेंट राजस्थान' में स्वदेशी ही नहीं, विदेशी कंपनियों ने भी प्रदेश में कुल 3 लाख 21 हजार करोड़ रुपये के एम ओ यू किये। कार्यक्रम के तीन माह बाद 11 हजार 531 करोड़ के एम ओ यू हुए। आमजन की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप बनायी गयी हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे की योजनाओं से आधुनिक और प्रगतिशील राजस्थान की आधारशिला को मजबूती मिलेगी।

हमारी सरकार ने विगत दो साल सुराज संकल्प में किये गये वायदों को पूरा करने का प्रयास किया। हमारी विजन 2020 के तहत प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने की परिकल्पना साकार हो रही है।

- **मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान**

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में हमारी महती समस्या जल के बारे में सोचा और जल संरक्षण के बारे में दूरदर्शी कदम उठाने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान प्रारम्भ कर जल संरक्षण को गति प्रदान की। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्थान कम वर्षा वाला रेगिस्तानी प्रदेश है और जल संरक्षण हेतु भागीरथी प्रयास माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा किये जा रहे हैं। आपके द्वारा चलायी गयी इस जल क्रान्ति ने राजस्थान में व्यापक सुखद परिणाम दिये हैं। साथ ही ना केवल सरकारी धन, अपितु सांसद, विधायक, पंचायती राज के जन-प्रतिनिधि, समाज सेवकों, सैनिक, कर्मचारी, प्रबुद्ध नागरिक और भामाशाहों को आपकी प्रेरणा से सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ। यह सराहना योग्य कदम है।

- **बिजली**

80 हजार करोड़ का घाटा अन्तरराष्ट्रीय बाजार में गिरे कच्चे तेल के दामों में कमी से वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ, लेकिन इस गम्भीर चुनौती में भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपनी कुशलता से राज्य में आम जन को परेशानी नहीं आने दी और 24 घंटे सिंगल फेज और 3 फेज बिजली उपलब्ध करवाकर राजस्थान के नागरिकों को सुराज का अहसास करवाया।

साथ ही आपके द्वारा 40,000 कृषि कनेक्शन देने की योजना हजारों किसानों को लाभान्वित करेगी और प्रदेश के किसानों को मुख्यधारा में जोड़ने

और उनकी आय में बढोत्तरी करने में कारगर साबित होगी, जो हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी का भी सपना है।

- **शिक्षा**

उच्च शिक्षा ऋण में 10 लाख तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलने से राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिये बढ़ावा मिलेगा तथा शिक्षा के क्षेत्र में राज्य नयी ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है।

कौशल प्रशिक्षण में भी 2 लाख तक के ऋण में छूट देने से युवा प्रोत्साहित होंगे। इस वर्ष स्कूली शिक्षा में 23 हजार 177 करोड़ 15 लाख की राशि 14.47 प्रतिशत अधिक है।

- गौवंश संरक्षण/संवर्धन के लिये मुख्य मंत्रीजी कृत संकल्प हैं।
- मुख्यमंत्रीजी जन आवास योजना:- यह योजना स्वागतयोग्य योजना है। राजस्थान के लोगों को स्वयं का आवास होने से राजस्थान के जन -मानस की समृद्धि बढ़ेगी और खुशहाली आएगी।
- डी.एल.सी. दर में वृद्धि नहीं करने से हम आपके आभारी रहेंगे।
- दिनचर्या में काम आने वाली वस्तुओं पर वैट कम करना भी इस बजट की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- महिला-कर्मियों के हितों का आपने पूरा ध्यान रखा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहयोगिनियों का वेतन-भत्ता बढ़ाना निश्चित ही आमजन के लिये महत्वपूर्ण और गरीबों के लिये मददगार कदम है।
- सड़कें :- मिसिंग लिंक में 608 करोड़ 2 हजार 182 किमी. प्रस्तावित किया गया।
- गौरव पथ :- 2,000 ग्रामों में गौरव पथ की घोषणा से विकास की नयी इबारत लिखी जायेगी।
- पेयजल हेतु योजना :- परियोजना से माण्डल्गढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान हुआ। इसके लिये माननीया वसुंधरा जी का धन्यवाद।
- भामाशाह योजना :- यह विश्व की अद्वितीय योजना है जिससे ना केवल महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, अपितु मुख्य मंत्रीजी ने इस योजना में महिलाओं की आर्थिक सुदृढ़ता के साथ ही स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा है।

- नगर वन उद्यान योजना राजस्थान को हरा-भरा करने का एक विशिष्ट प्रयास है।
- पशुपालन :- पशु चिकित्सकों की घोषणा और पशु बीमा की घोषणा किसान भाइयों के लिये और पशुपालकों के लिये बहुत मददगार साबित होगी।
- देवस्थान विभाग :- डिग्गी, रामदेवरा, रूपनारायण, पुष्कर व खाटूश्यामजी को देवस्थान विभाग में शामिल कर, विशेष रूप से विकास कराने की घोषणा, धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण के साथ ही राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को तो बल मिलेगा ही साथ ही देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों में राजस्थान की विशेष छवि का निर्माण भी होगा।
- अल्पसंख्यक विकास के तहत मदरसों के लिये की गयी घोषणा और विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने वाला होगा। साथ ही अल्पसंख्यक छात्रों के लिये मील का पत्थर साबित होगा।
- उद्योग - लघु उद्योगों के विकास के लिये माननीया मुख्य मंत्रीजी के सकारात्मक दृष्टिकोण से राजस्थान में उद्योगों के लिये उ़द्यमियों को राहत प्रदान होगी।
- लोक अदालतों के माध्यम से राजस्थान के लाखों नागरिकों के वर्षों से लम्बित पड़े मुकदमों का त्वरित निराकरण कर लाखों व्यक्तियों को प्रत्यक्ष लाभ दिया गया है।
- कृषि :- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को उनकी फसलों का भरपूर बीमा प्राप्त होगा। साथ ही अब किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती कर जोखिम उठाने के लिए भी तैयार रहेगा क्योंकि उसका फसल का बीमा हो जायेगा तो उसको चिन्ता नहीं रहेगी।
- चिकित्सा :- उपस्वास्थ्य केन्द्र क्रमोन्नत।
- शहरी विकास :- शहरों में नई सीवरेज लाइनों से शहरी विकास में मदद मिलेगी।
- उदयपुर और जयपुर स्मार्ट सिटी के लिये प्रावधान करने से राजस्थान के प्रमुख शहरों का विकास बहुत तीव्र गति से होगा।

- पंचायत राज के लिये नवीन पंचायत समिति भवन, वाहन, कम्प्यूटर व विशेष तौर पर बिजौलिया को नवीन पंचायत समिति की घोषणा पर माननीया मुख्य मंत्रीजी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगी।
- साथ ही माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के प्रमुख बांध जैतपुरा के जीर्णोद्धार के लिये राशि आबंटन करने के साथ ही, सिंचाई नहरों और एनिकटों के निर्माण के लिये प्रावधान करने से राज्य के जल संसाधनों का जीर्णोद्धार होकर पुनर्निर्माण और नवनिर्माण होगा।
- रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तुओं को सस्ता करने से माननीया मुख्य मंत्रीजी का यह बजट आम जन को समर्पित हो गया है, जिससे राजस्थान में सामाजिक न्याय और सुशासन के साथ ही राज्य ने सुराज की ओर कदम बढ़ा दिया है।

गर्व के साथ कहूंगी कि अब तक के इतिहास में पेश हुए बजटों में सर्वश्रेष्ठ बजट है। ऐसा मैं नहीं, बजट-विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री तथा मीडिया जगत कह रहा है। यह बजट शानदार, जानदार, वजनदार होने के साथ ही, सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है।

''भारत रत्न'' पूर्व प्रधानमंत्री हमारे पथप्रदर्शक अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात का समापन करती हूं कि-

बाधाएं आती हैं, आएं,
घिरे प्रलय की ओर घटाएं,
पांवों के नीचे अंगारें
सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं
निज हाथों में हंसते-हंसते
आग जलाकर जलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा।।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का तीसरा बजट किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं के लिए, बालिकाओं को संरक्षण एवं संवर्द्धन प्रदान करने के लिए बहुत ही संतुलित और अच्छा बजट है। इसमें समाज के सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखकर सभी के सर्वांगीण विकास की

सोच के साथ महत्व दिया गया है। इससे 'सबजन विकास सबजन उत्थान' मूल मंत्र चरितार्थ हो रहा है।

हमारी यशस्वी, ओजस्वी, जन-जन की हृदय साम्राज्ञी मुख्य मंत्री महोदया ने प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए और पूर्व की योजनाओं में यथोचित बदलाव करके राज्य को विकास की राह पर अग्रसर करने का प्रयास किया है। उन्होंने राज्य की जनता को राजकोषीय घाटे से उबारकर विकास की राह प्रशस्त करने का कार्य किया है। इसके तहत नवम्बर 2015 के 'रिसर्जेन्ट राजस्थान' में स्वदेशी और विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रदेश में कुल 3 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए 295 अनुबंध किये गये हैं। इस कार्यक्रम के तीन माह बाद ही 11 हजार 531 करोड़ के 51 MOUs और किये गये।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने भामाशाह योजना, भामाशाह स्वरोजगार सृजन, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा, आरोग्य राजस्थान, मुख्यमंत्री जन आवास, अन्नूपूर्णा भण्डार जैसी अनूठी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। ''न्याय-आपके-द्वार'' अभियान के तहत राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 21 लाख से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

जन अभाव अभियोजन की सुनियोजित व्यवस्था के कारण 7 लाख से भी अधिक दर्ज शिकायतों में से 89 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण फरवरी 2016 तक कर दिया गया है।

हमारी सरकार द्वारा राज्य को Vision-2020 के तहत देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने की कल्पना साकार होती दिखाई दे रही है। केन्द्र सरकार द्वारा कौशल विकास, ई-गवर्नेंस, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन, जलग्रहण विकास एवं सहकारिता के क्षेत्र में किये गये कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहते हुए राज्य को पुरस्कृत किया गया है।

गत सरकार के समय विद्युत वितरण कम्नियों का कुप्रबन्धन, उनका 80 हजार करोड़ रुपये का विशाल ऋण, अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के गिरते मूल्य के कारण राजस्व में आयी कमी एवं वेतन-पेंशन पर बढ़ता हुआ व्यय रहा है। इसके बावजूद माननीय मुख्य मंत्री महोदया के अपने कुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण आज राज्य की स्थिति एवं अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ स्थिति में लायी गयी है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदया का हृदय से शुक्रगुजार हूं।

सड़क

- ग्रामीण गौरव पथ के तहत प्रथम चरण में 1 हजार 984 पंचायत मुख्यालयों पर 1 हजार 27 करोड़ की लागत से 1 हजार 955 किमी. लम्बाई के ग्रामीण गौरव पथ का कार्य जून 2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। 608 करोड़ रुपये की लागत से 2,182 किमी. लम्बाई की 1009 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा।

- आगामी दो वर्षों में PMGSY के तहत 250 से 350 तक की आबादी वाली एक हाजर 468 बसावटों को 1 हजार 618 करोड़ 64 लाख रुपये की लागत से 4 हजार 303 किमी. लम्बाई की सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जायेगा।

- जोधपुर से रामदेवरा तक 4 मीटर चौड़ाई के कच्चे मार्ग के लिए 14 करोड़ 64 लाख की स्वीकृति। इससे रामदेवरा पैदल जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी।

- राज्य में 337 करोड़ रुपये की लागत से 10 आर ओ बी का निर्माण करवाना। इसके अतिरिक्त, 761 करोड़ रुपये की लागत से अन्य 19 आर ओ बीस व आर यू बीस का निर्माण करवाना।

ऊर्जा

- हमारी सरकार ने प्रथम दो वर्ष में विद्युत उत्पादन क्षमता में 4 हजार 293 मेगावाट की उत्पादन में वृद्धि की है। NTPC द्वारा 420 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा भड़ला, जिला जोधपुर में विकसित की जा रही हैं।

- राज्य में जनता की मांग के अनुरूप दो वर्षों में 765 के.वी. के दो, 400 के.वी. का एक, 220 के.वी. के 17, 132 के.वी. के 33 ग्रिड सब-स्टेशन तथा 33 के.वी. क 643 सब-स्टेशन स्थापित किये गये हैं। आगामी वर्ष में 220 के.वी. के 6 तथा 132 के.वी. के 16 ग्रिड सब-स्टेशन तथा 33 के.वी. के 200 नये सब-स्टेशन स्थापित किये जायेंगे।

- आगामी वर्ष में किसानों को खेती के लिए 40 हजार नये कृषि कनेक्शन दिये जायेंगे।

- 2015-16 में उपखण्ड मुख्यालय पर कैम्प आयोजित कर 2 लाख 84 हजार घरेलू कनेक्शन दिये गये। ''दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति

योजना'' और अन्य योजनाओं के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 8 लाख ग्रामीण आवासों को विद्युतीकृत किया जायेगा।

- राज्य के अविद्युतीकृत गांवों व ढाणियों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करने के लिए वर्ष 2016-17 में 24 करोड़ 97 हजार रुपये प्रस्तावित हैं।

पेयजल

- पेयजल योजनाओं पर हमारी सरकार ने प्रथम दो वर्षों में 8 हजार 500 करोड़ रुपये से भी अधिक व्यय किया है, जबकि गत सरकार ने प्रारम्भ के दो वर्षों में 3 हजार 785 करोड़ रुपये ही खर्च किये थे। वर्ष 2016-17 में 2 हजार अन्य हैबिटेशन्स व 18 लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा।

- वर्ष 2016-17 में वृहत् परियोजनाओं के लिए 2 हजार 950 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 13 लम्बित परियोजनाओं के लिए 831 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये गये हैं। इसमें बाड़मेर लिफ्ट परियोजना, द्वितीय चरण, कलस्टर पार्ट-बी, बाड़मेर के लिए भी धन उपलब्ध करवाया गया है।

- दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु 40 करोड़ की लागत से 4,000 नये हैण्डपम्प लगाये जायेंगे।

कृषि

- रबी फसल 2015 में भीषण ओलावृष्टि से किसनों की फसलों का नुकसान होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 8 हजार 322 गांवों के 29 लाख 24 हजार किसानों को सम्बल प्रदान करने के लिए 2 हजार 471 करोड़ रुपये की कृषि आदान अनुदान राशि उनके खातों में हस्तान्तरित की गई।

- फसलों के नुकसान का पुनर्भरण करने के लिए वर्तमान फसल बीमा योजना की विसंगतियों को दूर कर ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' लागू की गई। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम राशि को बढ़ाकर 676 करोड़ 37 लाख रुपये किया गया है।

- प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू कर किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्वों के किट उपलब्ध करवाना।

- आगामी वर्ष में किसान भाइयों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिए 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 20 हजार मैट्रिक टन डी ए पी का अग्रिम भण्डारण किया जायेगा।

- बूंद-बूंद सिंचाई एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र पर देय अनुदान को किसानों की मांग के अनुरूप लघु एवं सीमांत कृषकों को 70 प्रतिशत एवं सामान्य श्रेणी के अन्य काश्तकारों को 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा।
- राज्य में किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए आगामी वर्ष में 7 हजार 205 करोड़ 13 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
- किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलवाने के लिए ई-मण्डी सुविधा उपलब्ध करवाना।
- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा 2 लाख 32 हजार मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता के गोदामों का निर्माण 162 करोड़ रुपये से करवाया जायेगा।

पशुपालन

- 1 हजार ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोलना।
- 2016-17 में सभी जिलों में दूध देने वाले, भार ढोने वाले एवं अन्य चयनित पशुओं के लिए राजकीय अनुदानित "भामाशाह पशु बीमा योजना" का शुभारम्भ कर SC, ST, BPL के पशुपालकों को पशु बीमा प्रीमियम राशि का 70 प्रतिशत अनुदान एवं अन्य को 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

इस प्रकार जो यह बजट पेश हुआ है, यह किसान हितैषी, मजदूर, व्यापारी, युवा, प्रत्येक वर्ग को लाभ देने वाला बजट है।

मांग पत्र

- उपखण्ड मुख्यालय, बायतू पर पुलिस वृत्तधिकारी कार्यालय खुलवाने व पंचायत समिति मुख्यालय पाटोदी और बाटाडू कस्बे में नये पुलिस थाने खुलवाने की आवश्यकता है।
- कवास से बायतू तक निम्बाणियों की ढाणी के पास, बनिया सांडा धोरा रेलवे स्टेशन के पास, गोदारों व बलियारों की ढाणी के पास और बायतू के पास चार रेलवे अण्डरपास की स्वीकृति दिलवाना।
- बायतू में निर्माणाधीन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के लिए बजट की स्वीकृति दिलवाकर पूर्ण करवाना।
- रा आ उ मा वि, बायतू; रा आ उ मा वि, गिड़ा; और रा आ उ मा वि, बाटाडू, बाडमेर में व्यावसायिक शिक्षा का अध्ययन प्रारम्भ करवाना।

- उपखण्ड मुख्यालय, बायतू पर स्थित रा बा उ मा वि में छात्राओं की सुविधा के लिए विज्ञान संकाय एवं रा आ उ मा वि, बायतू में कृषि विज्ञान विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।
- पंचायत समिति मुख्यालय, गिड़ा व पंचायत समिति मुख्यालय, पाटोदी, बाड़मेर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुलवाना।

ये मेरी प्रमुख मांगें हैं। मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धरा राजे जी से निवेदन है कि ये मांगें पूरी करवाने का कष्ट करें।

यह बजट बहुत ही सराहनीय है। मैं इस बजट की पूरी-पूरी प्रशंसा करता हूं।

धन्यवाद।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी ने वर्ष 2016-17 के लिए जानदार व शानदार बजट पेश किया है जिसमें प्रत्येक वर्ग का ध्यान रख, उनके हितों की बात इस बजट में समावेश की गई है। महिला, युवा, मजदूर, किसान, व्यापारी, सभी वर्गों का इस बजट में ध्यान रखा गया है।

मुख्य मंत्री महोदया ने सब जन विकास की बात करते हुए न्याय-आपके-द्वार, सरकार-आपके-द्वार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्व लोक अदालत, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल और श्रम विभाग में मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाकर राजस्थान की जनता का भला करने के लिए नये आयाम स्थापित किये हैं। आम जनता व समाज के प्रति मुख्य मंत्री एवं सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल की सकारात्मक सोच ने राजस्थान को प्रगति के पथ पर लाकर खड़ा कर दिया है।

शिक्षा

सबसे पहले शिक्षा की बात करें, तो सम्पूर्ण राजस्थान में पिछले दो वर्ष में 5,200 सीनियर सेकण्डरी स्कूल एक साथ खोलना, जिनमें से 26 सीनियर सेकण्डरी स्कूल महवा को मिलीं, जिसे 65 साल का सर्वाधिक विकास कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बजट में शिक्षा का बजट गत वर्ष के मुकाबले 14.47 प्रतिशत बढ़ाया गया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदया एवं शिक्षा मंत्री महोदय का, जिन्होंने महुवा विधान सभा क्षेत्र को एक सरकारी कालेज का तोहफा भी दिया है, जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर है।

चिकित्सा

अब बात करें हम चिकित्सा क्षेत्र की, तो इसमें गरीब परिवारों हेतु चालू की गई भामाशाह स्वास्थ्य योजना अति महत्वपूर्ण है। इसमें अल्प समय में ही 43 हजार से अधिक परिवारों ने लाभ उठाया है। इस बजट में महुवा सी एच सी में बेड की संख्या बढ़ाकर 30 से 50 करने पर आमजन व गरीब को बड़ा फायदा मिलेगा1 इसके लिए मुख्य मंत्री महोदया व चिकित्सा मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

इसके बाद अगर बात करें हम सार्वजनिक निर्माण विभाग की, तो सरकार ने गामीण सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से गत वर्ष ग्रामीण गौरव पथ योजना प्रारम्भ की। प्रथम चरण में 1 हजार 984 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1 हजार 24 करोड़ रुपये की लागत से 1 हजार 955 किलोमीटर लम्बाई के ग्रामीण गौरव पथ का कार्य जून 2016 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। इस योजना को आमजन द्वारा सराहा गया है।

श्री युनुस खान जी ने महवा आगमन पर करीब 25 करोड़ की सड़कें बनाने की घोषणा की और एन एच-11ए नागौर जिला से चालू होकर दूदू-फागी-चाकसू-दौसा-मण्डावर होता हुआ मथुरा निकलेगा, जिससे करीब 100 करोड़ रुपये का खर्चा मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा में होगा। इस सड़क के बनने के बाद क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदया व पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदया को निवेदन करना चाहता हूं कि सुराज संकल्प यात्रा के दौरान उनके द्वारा महुवा क्षेत्र के लिए अति उपयोगी रसीदपुर से समलेटी बाइपास बनवाने का आश्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः यह बाइपास बनवाने की कृपा करें।

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग

अब बात करें हम सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की, तो मुख्य मंत्री महोदया ने सभी वर्गों के छात्रावासी विद्यार्थियों का मैस भत्ता बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया है। इससे स्पष्ट झलकता है कि गरीब के बच्चों के प्रति आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया के दिल में जगह है।

साथ ही उन्होंने इस बजट में विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु राशि 15 हजार से 30 हजार की, जो प्रशंसनीय कदम है।

विभाग के छात्रावासों में आवासरत सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को अनुप्रति योजनान्तर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं आई आई टी, आई आई एम, लॉ, राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कालेज एवं राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान में प्रवेश लेने हेतु जयपुर एवं कोटा शहर की चयनित संस्थाओं में प्रवेश श्रेणी के 100-100 विद्यार्थी, कुल 1 हजार विद्यार्थियों को कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवने का प्रावधान गरीब बच्चों के हित में उठाया गया कदम है।

इनके लिए मुख्य मंत्री महोदया व सामजिक न्याय व अधिकारिता विभाग मंत्रीजी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

पी एच ई डी

पी एच ई डी की बात करें तो पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू के दो साल में पेयजल योजनाओं पर 3 हजार 785 करोड़ खर्च किया और वसुन्धरा सरकार ने प्रथम दो साल में 8 हजार 500 करोड़ खर्च किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा में विगत दो वर्षों में पी एच ई डी विभाग के 10 करोड़ से अधिक राशि के कार्य हुए और हाल ही में करीब 8.00 करोड़ की योजनाएं और स्वीकृत की हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया एवं श्रीमती किरण माहेश्वरी, पी एच ई डी मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

ऊर्जा

ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने प्रथम दो वर्ष में विद्युत उत्पादन क्षमता में 4 हजार 283 मेगावाट की वृद्धि की है, जबकि गत सरकार में प्रथम दो वर्षों में 2 हजार 293 मेगावाट की वृद्धि हुई थी। यह सरकार का संस्थागत सुधार पर निरन्तर ध्यान देने का नतीजा है। इस बजट में आगामी वर्ष में 40 हजार नवीन कृषि कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान भी किसानों के लिए हितैषी कदम है।

ऊर्जा मंत्री महोदय ने अभी हाल ही में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 4 जी एस एस व सहायक अभियन्ता कार्यालय की स्वीकृति का भी आश्वासन दिया है और मेरे क्षेत्र में महुवा व मण्डावर कस्बों में झूलते बिजली के तारों की जगह केबल डलवाने की स्वीकृति को भी कहा है। इसके लिए माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं।

जल संसाधन

इस बजट में जल संसाधन विभाग में इन्दिरा गांधी नहर एवं सी ए डी विभाग के लिए वर्ष 2016-17 में 4 हजार 47 करोड़ 44 लाख का प्रावधान लिया गया है, जो पिछले वर्ष से 27.81 प्रतिशत अधिक है।

बजट में दौसा सहित आठ जिलों में 11 एनिकटों के निर्माण कार्य हेतु 25 करोड़ 74 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिससे क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान होगा।

दौसा में पेयजल व सिंचाई की समस्या को देखते हुए पार्वती, कालीसिंध नदियों से अशिशेष जल को दौसा लाने की कार्ययोजना भी बनाने की घोषणा की गयी है।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले दो वर्ष में हुड़ला बांध का पुनरुद्धार व सूरजकुण्ड चैनल के लिए करीब तीन करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है।

इसके साथ ही जल संसाधन विभाग की करीब 1.5 बीघा जमीन आदरणीय जल संसाधन मंत्री महोदय ने परिवहन विभाग को दे दी है। यह जमीन परिवहन विभाग को मिलने से महुवा में एक शानदार केन्द्रीय बस स्टैण्ड तैयार होगा, जिसके लिए माननीय परिवहन मंत्रीजी ने पूर्व में स्वीकृति के लिए कह दिया था। इससे महवा की जनता को राहत मिलेगी।

कृषि एवं पशुपालन

किसानों के हितों हेतु कम प्रीमियम पर वास्तविक नुकसान की समय पर भरपाई हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करना ऐतिहासिक कदम है।

बजट में वर्ष 2016-17 के लिए किसान भाइयों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया तथा 20 हजार मैट्रिक टन डी ए पी का अग्रिम भण्डारण का प्रावधान किया गया है। जिससे किसान भाइयों को सुविधा होगी।

कृषि क्षेत्र की बात करें, तो पिछले दो वर्ष में मेरे विधान सभा क्षेत्र महुवा में नई कृषि उपज मण्डी का गठन, मण्डावर में मृदा परीक्षण लैब एवं क्षेत्र में सात पशु चिकित्सा केन्द्र खुले हैं। इसके लिए माननीया मुख्य मंत्री एवं कृषि मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

अब हम खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की बात करें, तो विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 69 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत गरीबों को राशन पहुंचाने का जिम्मा सरकार ने अपने हाथ में लिया है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह रही कि राशन की सामग्री का अधिकांश भाग काला-बाजारी में जाता रहा और किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया ने विचार किया कि गरीब

परिवार तक राशन सामग्री कैसे पहुंचे और इसके लिए प्रमुख शासन सचिव और उनकी टीम को छत्तीसगढ़ भेजा। इस योजना को मैंने भी छत्तीसगढ़ जाकर व्यक्तिगत रूप से देखा और मुख्य मंत्री महोदया को अपनी बात से अवगत कराया और सदन के पटल पर भी रखा।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्री महोदया को कि आपके द्वारा चलाई जा रही पोष मशीन से राशन वितरण होने पर काला-बाजारी शून्य पर आ जायेगी, क्योंकि इस मशीन से फिंगर प्रिंट से ही राशन वितरण हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि पोष मशीन से सम्पूर्ण पारदर्शिता तो आ जायेगी लेकिन इस योजना से उपभोक्ता सम्बन्धित डीलर पर ही आश्रित रहेगा। मैंने पिछले साल सदन के पटल पर रखी हुई रिपोर्ट में निवेदन किया था कि राशन वितरण का भी ए.टी.एम. की तरह मल्टी-पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप भरतपुर का व्यक्ति बीकानेर में और बीकानेर का व्यक्ति कोटा में राशन ले सकेगा। इससे दूसरा फायदा यह होगा कि एक बार राशन कार्ड बनाने के बाद राजस्थान के किसी स्थान पर दुबारा राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

खेल विभाग

इस बजट में मुख्य मंत्री महोदया ने खिलाड़ियों का भी विशेष ध्यान रखा है। पिछले दो वर्ष में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक खेल मैदान के लिए 32 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महवा उपखण्ड मुख्यालय पर मैचिंग ग्रान्ट के तहत एक स्टेडियम बना दिया जाता है तो क्षेत्र के खिलाड़ियों को सुविधा होगी।

सहकारिता

गोदाम के लिए धन्यवाद।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि-

1. महुवा में ए डी जे कोर्ट;
2. महुवा को नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने;
3. उप तहसील मण्डावर को तहसील व खेड़ला बुजुर्ग को उप तहसील बनाने;
4. आर.ए.ए. कोर्ट; एवं
5. महुवा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय बनाने की कृपा करें।